C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol. XVI, Seventh Session, 2011/1933 (Saka)
No. 22, Thursday, March 24, 2011/Chaitra 3, 1933 (Saka)

SUBJECT	PAGES
OBITUARY REFERENCE	2-3
PAPERS LAID ON THE TABLE	4-7
MESSAGES FROM RAJYA SABHA	8
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS	
16th Report	9
COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES	
11th Report	9
COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE	
4th and 5th Reports	9
COMMITTEE ON AGRICULTURE	
17th to 20th Reports	10
STANDING COMMITTEE ON DEFENCE	
(i) 10th and 11th Reports	
(ii) Statements	11-13
STANDING COMMITTEE ON LABOUR	
17th Report	13
STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 1710 DATED 07.03.2011 REGARDING 'LOOTING OF SHIPS'	
Shri V.Narayansamy	14-15

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 30th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2010-11) pertaining to the Ministry of Corporate Affairs 16

Shri R. P.N. Singh

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 5th Report of the Standing Committee on Energy on Demands for Grants (2010-11) pertaining to the Ministry of Power

Shri Ashwani Kumar 17

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

Postponement of Calling Attention 18

GOVERNMENT BILLS – Introduced

(i) **Pension Fund Regulatory and Development Authority Bill, 2011** 19-58

(ii) **Regulation of Factor (Assignment of Receivables) Bill, 2011** 59

MATTERS UNDER RULE 377 72-87

(i) Need to create a separate Ministry for Other Backward Classes

Shri Ponnam Prabhakar 73

(ii) Need to take necessary steps to make education accessible to each and every child in the country

Shri Bharat Ram Meghwal 74

(iii) Need to take stringent action against culprits involved in adulteration and short-weighting of food articles and other essential commodities of daily use

Shri Datta Meghe 75

(iv) Need to convert Yadagirigutta to Hyderabad and Warangal to Godavari Bridge roads into four lane roads in Andhra Pradesh

Shri Rajaiah Siricilla 76

(v) Need to provide Kisan Credit Card loans to farmers by Private Sector, Public Sector and Cooperative Banks at subsidized rates in Kerala

Shri P.T. Thomas 77

(vi) Need to withdraw the abolition of Central Sales Tax in Gujarat

Shrimati Jayshreeben Patel 77

(vii) Need to provide a special package for setting up of adequate medical facilities in Jalore Parliamentary Constituency, Rajasthan

Shri Devji M. Patel 78

(viii) Need to accord permission to the proposals submitted by Government of Gujarat regarding right of Adivasi people on forest land in the State

Shri Mansukhbhai D. Vasava 79

(ix) Need to provide a special financial package for all-round development of Santhal Pargana in Jharkhand

Shri Nishikant Dubey 80

(x) Need to check the exorbitant price of medicines

Shrimati Sushila Saroj 81

(xi) Need to make provisions for adequate funds for strengthening the judicial system in the country

Shri Dhananjay Singh 82

(xii) Need to undertake maintenance and repair work of roads constructed under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Ujiarpur Parliamentary Constituency, Bihar

Shrimati Ashwamedh Devi 82

(xiii) Need to extend financial assistance to all patients seeking help from Prime Minister's Relief Fund

Shri Gajanan D. Babar 83

(xiv) Need to expedite construction of six-lane work between Bangaluru and Nelamangala and four lane work between Nelamangala and Hassan in Karnataka

Shri N. Cheluvaraya Swamy 84-86

(xv) Need to have clear cut policy on capital punishment

Dr. Mirza Mehboob Beg 87

ACADEMY OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE RESEARCH BILL, 2010 88-92

Shri Pawan Kumar Bansal 88-92

INSTITUTES OF TECHNOLOGY (AMENDMENT) BILL, 2010 93-165

Motion to Consider 93-95

Shri Kapil Sibal 93-95, 153-165

Shri Arjun Ram Meghwal 96-101

Dr. Thokchom Meinya 102-108

Shri Shailendra Kumar 109-111

Shri Kaushalendra Kumar 112-113

Sk. Saidul Haque 114-117

Dr. Baliram 118-119

Dr. Prasanna Kumar Patasani 120-121

Shri Prabodh Panda 122-124

Shri Prasanta Kumar Majumdar 125

Shri Suresh Angadi 126-128

Shri P.T. Thomas 129-130

Dr. Raghuvansh Prasad Singh	131-133
Shri Prem Das Rai	134-135
Shri Ramkishun	136-137
Shri Mohan Jena	138
Shri Nishikant Dubey	139-141
Shri Bhakta Charan Das	142-143
Shri Dhanajay Singh	144-145
Shri Janardhana Swamy	146-147
Shri Ijyaraj Singh	148-149
Dr. K. S. Rao	150-152
Clauses 2 to 10 and 1	161-164
Motion to Pass	165

DISCUSSION UNDER RULE 193

(i) Need to uplift the socio-economic and educational status of minorities in the country	166-250 253-277
Sk. Saidul Haque	166-175
Shri Mohd. Asrarul Haque	176-183
Shri Syed Shahnawaz Hussain	184-211
Shri Dharmendra Yadav	212-215
Dr. Shafiqur Rahman Barq	216-222
Shri Bhartruhari Mahtab	223-227
Dr. Monazir Hassan	228-231
Shri Chandrakant Khaire	232-235
Shri Sanjay Singh Chauhan	236-237
Shri Prabodh Panda	238-240
Shri Asaduddin Owaisi	241-250
Shri Sanjay Dina Patil	253-254
Dr. Raghuvansh Prasad Singh	255-258

Shri Jagdambika Pal	259-262
Shri Prasanta Kumar Majumdar	263-264
Chaudhary Lal Singh	265-268
Shri Rajaram Pal	269-270
Shri Charles Dias	271-272
Shri Arjun Ram Meghwal	273-274
Shri Ramkishun	275-276
Dr. Baliram	277

(ii) Situation arising out of widespread discontentment among the working class due to faulty Government policies

Shri Gurudas Dasgupta	278

MESSAGE FROM RAJYA SABHA AND BILLS AS RETURNED BY RAJYA SABHA	251-252

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Priority sector lending to SCs/STs	279-290
Shrimati Jyoti Dhurve	279-282
Shri Namo Narain Meena	286-290

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, March 24, 2011/Chaitra 3, 1933(Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

OBITUARY REFERENCE

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I have to inform the House of the sad demise of our former colleague, Shri S.B.P.B.K. Satyanarayana Rao.

Shri S.B.P.B.K. Satyanarayana Rao was a Member of the Thirteenth Lok Sabha from 1999 to 2004, representing the Rajahmundry Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh.

Earlier, Shri Rao was a Member of the Andhra Pradesh Legislative Council from 1958 to 1962 and from 1980 to 1984.

Shri Rao served as the Minister of State for Agriculture in the Union Government from October, 1999 to September, 2000. He was also a Member of the Committee on Human Resource Development during the Thirteenth Lok Sabha.

A committed social and political worker, Shri Rao started his political career at the grass root level. He was the President of the Panchayat Samiti, East Godavari from 1959 to 1964 and the Chairman of the Zilla Parishad, East Godavari from 1964 to 1976. Shri Rao strove for the welfare of the poor, downtrodden and the deprived sections of the society.

A sports enthusiast, Shri Rao was a member of the Gymkhana Club, Chennai and the Cosmopolitan Club, Chennai. He was instrumental in conducting numerous district sports meets for students from the State of Andhra Pradesh.

A patron of arts, Shri Rao was closely associated with various cultural institutions in Andhra Pradesh and worked to promote ancient culture and traditional art forms of the country.

Shri S.B.P.B.K. Satyanarayana Rao passed away on 21 January, 2011 in Hyderabad at the age of 89.

We deeply mourn the loss of our friend and I am sure the House would join me in conveying our condolences to the bereaved family.

The House may now stand in silence for a short while as a mark of respect to the memory of the departed.

11.02 hrs.

The Members then stood in silence for a short while.

11.03 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

Shri Vilasrao Deshmukh.

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT AND MINISTER OF PANCHAYATI RAJ (SHRI VILASRAO DESHMUKH): I beg to lay on the Table a copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4383/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): On behalf of Shri Dinsha Patel, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre, Nagpur, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design Centre, Nagpur, for the year 2009-2010.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 4384/15/11)

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): अध्यक्ष महोदया, मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड--कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की निष्पादन लेखा--परीक्षा के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक--संघ सरकार (वाणिज्यिक) के प्रतिवेदन (2010-11 का संख्याक 27) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(Placed in Library, See No. LT 4385/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI HARISH RAWAT): I beg to lay on the Table a copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Ministry of Food Processing Industries for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 4386/15/11)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पायलट): अध्यक्ष महोदया, मैं भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 19 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 37(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(Placed in Library, See No. LT 4387/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI R.P.N. SINGH): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Report (Hindi and English versions) of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Commercial) (No. 28 of 2010-11)-Performance Audit of ONGC Videsh Limited-Joint Venture Operations for the year ended March, 2010 under Article 151(1) of the Constitution.

(Placed in Library, See No. LT 4388/15/11)

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Oil Industry Development Board, New Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Oil Industry Development Board, New Delhi, for the year 2009-2010.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(Placed in Library, See No. LT 4389/15/11)

(4) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Oil and Natural Gas Corporation Limited, New Delhi, for the year 2009-2010.

(ii) Annual Report of the Oil and Natural Gas Corporation Limited, New Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon..

(Placed in Library, See No. LT 4390/15/11)

(b) (i) Review by the Government of the working of the Oil India Limited, Dibrugarh, for the year 2009-2010.

(ii) Annual Report of the Oil India Limited, Dibrugarh, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 4391/15/11)

(5) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

(6) A copy of the Notification No. G.S.R. 14(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 12th January, 2011, containing corrigendum to the Notification No. G.S.R. 99(E) dated 24th February, 2010 issued under the Essential Commodities Act, 1955.

(Placed in Library, See No. LT 4392/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES (SHRI ASHWANI KUMAR): On behalf of Shri K.C. Venugopal, I beg to lay on the Table a copy of the Joint Electricity Regulatory Commission for State of Goa and Union Territories (Procurement of Renewable energy) Regulations, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. JERC-14/2010 in Gazette of India dated 15th December, 2010 under Section 179 of the Electricity Act, 2003, together with a corrigendum thereto published in Notification No. JERC-19/14/2010 dated 19th February, 2011.

(Placed in Library, See No. LT 4393/15/11)

11.05 hrs.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

(i) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 23rd March, 2011 agreed without any amendment to the Repatriation of Prisoners (Amendment) Bill, 2011 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 1st March, 2011."

(ii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 23rd March, 2011 agreed without any amendment to the State Bank of India (Subsidiary Banks) Amendment Bill, 2011 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 1st March, 2011."

11.05½ hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

16th Report

श्री कड़िया मुंडा (खूंटी): अध्यक्ष महोदया, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 16वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

11.05¾ hrs.

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

11th Report

SHRI GOBINDA CHANDRA NASKAR (BANGAON): Sir, I beg to present the Eleventh Report (Hindi and English versions) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes related to the Ministry of Tribal Affairs on Action taken by the Government on the recommendations contained in the Thirty-third Report (Fourteenth Lok Sabha) on "National Commission for Scheduled Tribes – Its mandate and achievements – A review of its organisation and working".

11.06 hrs.

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

4th and 5th Reports

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती): अध्यक्ष महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के चौथे और पांचवें (की-गई-कार्यवाही) प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनसे संबंधित कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं।

11.06¼ hrs.

COMMITTEE ON AGRICULTURE
17th to 20th Reports

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Committee on Agriculture:-

(1) Seventeenth Report on the Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Sixth Report (Fifteenth Lok Sabha) of the Committee on Agriculture on Demands for Grants (2010-11) of Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation).

(2) Eighteenth Report on the Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Seventh Report (Fifteenth Lok Sabha) of the Committee on Agriculture on Demands for Grants (2010-11) of Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries).

(3) Nineteenth Report on the Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Eighth Report (Fifteenth Lok Sabha) of the Committee on Agriculture on Demands for Grants (2010-11) of Ministry of Agriculture (Department of Agricultural Research and Education).

(4) Twentieth Report on the Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Ninth Report (Fifteenth Lok Sabha) of the Committee on Agriculture on Demands for Grants (2010-11) of Ministry of Food Processing Industries.

11.06½ hrs.

STANDING COMMITTEE ON DEFENCE
(i) 10th and 11th Reports

SHRI SATPAL MAHARAJ (GARHWAL): I beg to present the following Reports (Hindi and English Versions) of the Standing Committee on Defence (2010-11):-

(1) Tenth Report on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the Thirty-fourth Report (Fourteenth Lok Sabha) on Human Resource Planning, Shortage of Manpower, Infusion of Hi-Tech Training and Infrastructure for the Armed Forces.

(2) Eleventh Report on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the Eighth Report (Fifteenth Lok Sabha) on Construction of Roads in the Border Areas of the Country.

(ii) Statements

SHRI SATPAL MAHARAJ : I beg to lay on the Table the following Statements (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Defence:

(1) Statement showing Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter – I and Final Replies to the recommendations contained in Chapter V of the Twenty-sixth Report of the Standing Committee on Defence (Fourteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the recommendations of the Committee contained in the Sixteenth Report of the Committee (Fourteenth Lok Sabha) on Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2007-08.

(2) Statement showing Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter – I of the Thirty-second Report of the Standing Committee on Defence (Fourteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the recommendations of the Committee contained in the Twenty-second Report of the Committee (Fourteenth Lok Sabha) on Review of Implementation of Group of Ministers (GoMs) Report on Reforming National Security System in pursuance of Kargil Review Committee Report – A Special Reference to Management of Defence.

(3) Statement showing Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter – I of the Thirty-fifth Report of the Standing Committee on Defence (Fourteenth Lok Sabha) on Action Taken

by the Government on the recommendations of the Committee contained in the Twenty-ninth Report of the Committee (Fourteenth Lok Sabha) on Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2008-09.

(4) Statement showing Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter – I and Final Replies to the recommendations contained in Chapter V of the Second Report of the Standing Committee on Defence (Fifteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the recommendations of the Committee contained in the Thirty-sixth Report of the Committee (Fourteenth Lok Sabha) on Status of implementation of Unified Command for Armed Forces.

(5) Statement showing Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter – I and Final Replies to the recommendations contained in Chapter V of the Third Report of the Standing Committee on Defence (Fifteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the recommendations of the Committee contained in the Thirtieth Report of the Committee (Fourteenth Lok Sabha) on Status of Married Accommodation in Defence and Allied Services.

(6) Statement showing Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter – I of the Fourth Report of the Standing Committee on Defence (Fifteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the recommendations of the Committee contained in the Thirty-First Report of the Committee (Fourteenth Lok Sabha) on Stress Management in Armed Forces.

(7) Statement showing Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter – I and Final Replies to the recommendations contained in Chapter V of the Fifth Report of the Standing Committee on Defence (Fifteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the recommendations of the Committee contained in the Thirty-third Report of the Committee (Fourteenth Lok Sabha) on Indigenisation of Defence Production – Public Private Partnership.

(8) Statement showing Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter – I and Final Replies to the recommendations contained in Chapter V of the Seventh Report of the Standing Committee on Defence (Fourteenth Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the recommendations of the Committee contained in the First Report of the Committee (Fifteenth Lok Sabha) on Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2009-10.

11.07½ hrs.

STANDING COMMITTEE ON LABOUR
17th Report

SHRI HEMANAND BISWAL (SUNDARGARH): Madam, I beg to present the Seventeenth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Labour on Welfare of Beedi Workers of the Ministry of Labour and Employment.

____

11.08 hrs.

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 1710 DATED 7TH MARCH, 2011 REGARDING 'LOOTING OF SHIPS'*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): Madam, on behalf of my colleague, Shri G.K. Vasan, I beg to lay a statement correcting the reply given on March 7, 2011 to Unstarred Question No. 1710 by Sarvashri K.D. Deshmukh, Abdul Rahman and P. Viswanathan, MPs regarding 'Looting of Ships'.

The reply given to parts (a) to (c) of the Unstarred Question No. 1710 answered on 7/3/2011 may be read as under:

(a) and (b): Yes, Madam. The details of piracy incidents involving foreign flag vessels which had Indian seafarers on board is as under:

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4394/15/11

Year wise	Number of ships hijacked with Indian crew on board	Number of Indian Seafarers taken hostage on ships	Number of Indian ships hijacked	Number of Indian MSV's hijacked	Number of Indian Seafarers taken hostage on MSV's
2008	04	53	Nil	1	13
2009	03	32	Nil	04	57
2010	07	63	Nil	08	128
2011 (02.03.11)	02	26	Nil	1	14
Total	**16**	**174**	**Nil**	**14**	**212**

(c) As per the reports received from Indian Navy and Coastguard, the number of pirates/looters apprehended by Indian security forces during the last three years is as under:

Year	Number of Pirates Apprehended
2008	23
2009	00
2010	00
2011	43
Total	**66**

The error occurred due to incorrect inflow of information. The error is regretted.

The delay in making the corrected reply has occurred due to fulfilling the procedures.

11.08½ hrs.

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 30th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2010-11) pertaining to the Ministry of Corporate Affairs*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI R.P.N. SINGH): Madam, beg to lay the Statement on the status of implementation of the Recommendations contained in the 30th Report of the Standing Committee on Finance (15th Lok Sabha) on Demands for Grants (2010-11) of the Ministry of Corporate Affairs in pursuance of direction 73A of the hon. Speaker, Lok Sabha.

In all, three recommendations were made by the Committee in the above report where action was required to be taken on the part of the Government. The Government has accepted 'in principle' all the recommendations of the Committee. The present status of implementation of the various recommendations made by the Committee is given in the Annexure to this Statement, which is laid on the Table of the House. I would not like to take the valuable time of the House to read out all the contents of the Annexure. I would request that this may be considered as read.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4395/15/11

11.08¾ hrs

(ii)Status of implementation of the recommendations contained in the 5th Report of the Standing Committee on Energy on Demands for Grants (2010-11) pertaining to the Ministry of Power*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES (SHRI ASHWANI KUMAR): Madam, on behalf of my colleague, Shri K.C. Venugopal, I beg to lay the Statement on the present status of implementation of recommendations contained in the Fifth Report of the Standing Committee on Energy in pursuance of directions 73A of the hon. Speaker, Lok Sabha *vide* Lok Sabha Bulletin Part-II, dated 1st September 2004.

The Fifth Report is related to 'Demands for Grants of the Ministry of Power for the year 2010-11'. It has 12 recommendations, all of which have been accepted by the Government.

The present status of implementation of the various recommendations made by the Committee in the said report is indicated in the Annexure to my Statement, which is laid on the Table of the House. I would not like to take the valuable time of the House by reading out all the contents of this Annexure. I would request that this may be considered as read.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4396/15/11

11.09 hrs.

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

Postponement of Calling Attention

MADAM SPEAKER: Hon. Members, Shri Gurudas Dasgupta has requested me to postpone the Calling Attention, which I have permitted. It may be taken up tomorrow.

MADAM SPEAKER: Item No. 21 – Shri Namo Narain Meena.

… (*Interruptions*)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदय, आप मुझे एक मिनट बोलने का मौका दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, हम आपको बोलने का मौका देंगे।

...(व्यवधान)

<u>1110 hrs.</u>

GOVERNMENT BILLS – INTRODUCED

(i) PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY BILL, 2011[*]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Madam, on behalf of my senior colleague, Shri Pranab Mukherjee, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of an Authority to promote old age income security by establishing, developing and regulating pension funds, to protect the interests of subscribers to schemes of pension funds and for matters connected therewith or incidental thereto.

MADAM SPEAKER: Motion moved:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of an Authority to promote old age income security by establishing, developing and regulating pension funds, to protect the interests of subscribers to schemes of pension funds and for matters connected therewith or incidental thereto."

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam, I am demanding Division on this Bill.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): Why are you creating problem for the introduction of the Bill?

SHRI BASU DEB ACHARIA : We oppose the introduction of the Bill.

---

[*] Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section-2 dated 24.03.2011

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): On what ground? What have you said?

SHRI BASU DEB ACHARIA : No, I have not said but in the voting we want a Division. I have not given notice to oppose but instead of taking voice vote, we want a Division.

MADAM SPEAKER: You have not given notice to speak on this.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, notice is not necessary. That is why, we have asked for a Division. We are opposing introduction of the Bill and I am asking for a Division instead of voice vote.

MADAM SPEAKER: All right.

Now, voting has to be by Division. Let the Lobbies be cleared--

MADAM SPEAKER: Now, the Lobbies have been cleared.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Madam Speaker, kindly permit me to speak on this for a minute. Rule 72 says that:

> "If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker, after permitting, if he thinks fit, brief statements from the member who opposes the motion and the member who moved the motion, may, without further debate, put the question:
>
> Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon:"

He has not made any point as to on what ground he is opposing it. He just said that he opposes it. Then we will argue. We will speak on that.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I just want to know how many are in favour and how many are against. All that you have said is needed when one opposes the introduction of the Bill, it is not needed for voting.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: The hon. Member should have got up before that to make his point as to why he is opposing the Bill. He has to give his reason and the Government will give its reason.

SHRI BASU DEB ACHARIA : It is not necessary for pressing for a division.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: It is. I am talking of introduction.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Any Member has got the right to ask for a division.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: You are voting on such an important thing to sideline the rules. You are voting to sideline the rules.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Instead of voice vote, we have asked for a division to record our voting.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सवाल ही नहीं है, जब तक ब्रीफ स्टेटमेंट नहीं होगा, तब तक बिल को इंट्रोड्यूस करने से नहीं रोक सकते।

श्री पवन कुमार बंसल: मानते हैं कि डिवीजन होगा, लेकिन पहले जो प्रक्रिया है, उसे तो फॉलो करें। डिवीजन अल्टीमेटली होगा तो मान सकते हैं। लेकिन डिवीजन से पहले जो रूल्स हैं, उनकी तो पालना होगी। डिवीजन होना होगा, तो हो जाएगा, लेकिन रूल तो होगा।

SHRI BASU DEB ACHARIA : The Lobbies have been cleared now. There should be no other business except voting.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: The Lobbies have been cleared, but the division has not taken place.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Now, no other business can take place.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: You are relying on rules now. What rules are you talking about?

SHRI V. NARAYANASAMY : Madam, he has to give the reason as to why he is opposing it. He should explain whether the Government has got the legislative competence or not. The Government has got the legislative competence.

श्री पवन कुमार बंसल: मैं सिर्फ एक दरख्वास्त करना चाहता हूं, अगर वे विभाजन मांगते हैं तो वह हो सकता है, हो जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले वे अपनी बात कहें कि यह उसे ओपोज़ किस बिना पर करते हैं। क्या वह बात रूल्स के तहत आती है, उसके बाद हो सकता है।

श्री बसुदेव आचार्य : नहीं, नहीं।

श्री पवन कुमार बंसल: बिल्कुल ऐसा ही है। You have to go by the rules.

SHRI V. NARAYANASAMY: He has to tell this august House under what rule, he is opposing. Madam, he cannot get up and say that he is opposing unless and until he gives reasons… (*Interruptions*). What are you talking? You are a very senior Member of this House… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing is going on record. Hon. Minister, please tell me what is your point of order.

(Interruptions) … *

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Madam, my respectful submission is that when the introduction of a Bill is opposed by any Member, the hon. Member opposing the introduction of the Bill has to give his grounds for opposing the Bill. If he is opposing on the ground of legislative competence, the rules are clear to that effect. I will just read Rule 72 once again for the benefit of hon. House.

> "If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker, after permitting, if he thinks fit, brief statements from the member who opposes the motion and the member who moved the motion, may, without further debate, put the question:
>
> Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon:"

AN HON. MEMBER: You read Rule 72(2) also.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: That is different. Should I read it? It says:

> "Notice to oppose introduction of a Bill shall be addressed to the Secretary-General specifying clearly and precisely the objections to

* Not recorded

> be raised and given by 10.00 hours on the date on which the motion for leave to introduce the Bills is included in the list of business."

SHRI BASU DEB ACHARIA : Now, why is voting required Mr. Bansal? There are two types of voting. One is voice vote and another is Division… (*Interruptions*)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Madam, voting comes later. Of course, I say that when there is opposition to the introduction, it will entail voting… (*Interruptions*). You are opposing this. This raises a very important point. The theory that the hon. Member is putting across is that one does not have to oppose to the Bill as such but at the time of voting, you just say – no. But that is not provided for. That is not the position. Madam, the opposition is to the introduction of the Bill… (*Interruptions*). Therefore, it was essential that before saying 'no' to it, they should have given the reasons for opposing the Bill. There can be no opposition without giving reasons… (*Interruptions*).

MADAM SPEAKER: Please take your seat.

श्री बसुदेव आचार्य : वोटिंग की क्यों जरुरत है? मैं बताता हूं।

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Madam, Rule 72 deals only with introduction.

MADAM SPEAKER: You have asked me to give my ruling. Allow me to do that. क्या आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं अपनी रुलिंग दे सकूं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): नियम 376 में है

> "…(5) A point of order is not point of privilege…
> (c) when a question on any motion is being put to the House;…"

यह देखा जाए। महोदया, आपने क्वैश्चयन पुटअप कर दिया, हां-ना हो गया। इसके बाद बीच में कोई प्वाइंट ऑफ ऑर्डर या डिबेट नहीं हो सकती है।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठ जाइए। अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, the Member cannot oppose the introduction of the Bill because he has not given prior notice as per Rule 72. The Member is asking for division and I am allowing it.

Now, the Lobbies are cleared.

SECRETARY-GENERAL: Kind attention of hon. Members is invited to the following points in the operation of the Automatic Vote Recording System:

1. Before a division starts, every hon. Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only.
2. As may kindly be seen, the 'red bulbs above display boards' on either side of the hon. Speaker's Chair are already glowing. This means the voting system has been activated.
3. For voting, please press the following two buttons simultaneously immediately after sounding of first gong, *namely,*
   - (i) One "red" button in front of the hon. Member on the head phone plate and

     also

   - (ii) Any one of the following buttons fixed on the top of the desk of seats:

Ayes	-	Green colour
Noes	-	Red colour
Abstain	-	Yellow colour

4. It is essential to keep both the buttons pressed till the second gong sound is heard and the red bulbs are "off".

   Important: The hon. Members may please note that the vote will not be registered if both buttons are not kept pressed simultaneously till the sounding of the second gong.
5. Please do not press the amber button during division.

6. Hon. Members can actually "see" their vote on display boards and on their desk unit. In case vote is not registered, they may call for voting through slips.

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of an Authority to promote old age income security by establishing, developing and regulating pension funds, to protect the interests of subscribers to schemes of pension funds and for matters connected therewith or incidental thereto."

The Lok Sabha divided:

11.25 hrs.

AYES

Aaron Rashid, Shri J.M.

Advani, Shri L.K.

Ahamed, Shri E.

Ahir, Shri Hansraj G.

Amlabe, Shri Narayan Singh

Angadi, Shri Suresh

Argal, Shri Ashok

Awale, Shri Jaywant Gangaram

Azad, Shri Kirti

'Baba', Shri K.C. Singh

Bahuguna, Shri Vijay

Bairwa, Shri Khiladi Lal

Bais, Shri Ramesh

Balram, Shri P.

Banerjee, Shri Ambica

Bansal, Shri Pawan Kumar

Basavaraj, Shri G. S.

Beg, Dr. Mirza Mehboob

Bhujbal, Shri Sameer

Bhuria, Shri Kanti Lal

Biswal, Shri Hemanand

Chacko, Shri P.C.

Chaudhary, Dr. Tushar

Chauhan, Shri Mahendrasinh P.

Chinta Mohan, Dr.

Chowdhary, Shrimati Santosh

'Commando', Shri Kamal Kishor

Deshmukh, Shri K.D.

Dhanapalan, Shri K. P.

Dias, Shri Charles

Dikshit, Shri Sandeep

Dubey, Shri Nishikant

Elangovan, Shri T.K.S.

Gaikwad, Shri Eknath Mahadeo

Gawali, Shrimati Bhavana Patil

Ghatowar, Shri Paban Singh

Gogoi, Shri Dip

Gouda, Shri Shivarama

Jagannath, Dr. Manda

*Jaiswal, Dr. Sanjay

Jakhar, Shri Badri Ram

Jardosh, Shrimati Darshana

Jat, Shrimati Poonam Veljibhai

Jawale, Shri Haribhau

Jigajinagi, Shri Ramesh

Joshi, Shri Kailash

Kachhadia, Shri Naranbhai

Kaypee, Shri Mohinder Singh

Khandela, Shri Mahadeo Singh

Kharge, Shri Mallikarjun

Killi, Dr. Kruparani

Kowase, Shri Marotrao Sainuji

Lakshmi, Shrimati Panabaka

Mahajan, Shrimati Sumitra

Maharaj, Shri Satpal

---

* Voted through slip

Manjhi, Shri Hari

Masram, Shri Basori Singh

Mcleod, Shrimati Ingrid

*Meena, Shri Namo Narain

*Meena, Shri Raghuvir Singh

Meghe, Shri Datta

Meghwal, Shri Arjun Ram

Meghwal, Shri Bharat Ram

Mirdha, Dr. Jyoti

Munda, Shri Karia

Munde, Shri Gopinath

Naik, Dr. Sanjeev Ganesh

Narayanasamy, Shri V.

Naskar, Shri Gobinda Chandra

Nirupam, Shri Sanjay

Ola, Shri Sis Ram

*Owaisi, Shri Asaduddin

Pakkirappa, Shri S.

*Pal, Shri Jagdambika

*Pandey, Dr. Vinay Kumar

Pandey, Shri Ravindra Kumar

Patel, Shri Kishanbhai V.

Patel, Shri Lalubhai Babubhai

Patel, Shrimati Jayshreeben

Patil, Dr. Padmasinha Bajirao

Pilot, Shri Sachin

Potai, Shri Sohan

Punia, Shri P. L.

---

* Voted through slip

Purandeswari, Shrimati D.

Purkayastha, Shri Kabindra

Rao, Dr. K.S.

Rao, Shri Rayapati Sambasiva

Rathwa, Shri Ramsinh

Rawat, Shri Harish

Reddy, Shri Gutha Sukhender

Reddy, Shri K.J.S.P

Reddy, Shri M. Raja Mohan

Reddy, Shri M. Sreenivasulu

Ruala, Shri C.L.

Shantha, Shrimati J.

Sharma, Shri Jagdish

Sharma, Shri Madan Lal

Shekhawat, Shri Gopal Singh

Singh, Chaudhary Lal

Singh, Dr. Bhola

Singh, Dr. Sanjay

Singh, Shri Bhoopendra

Singh, Shri Ganesh

*Singh, Shri Ijyaraj

Singh, Shri Murari Lal

Singh, Shri Pashupati Nath

Singh, Shri R.P.N.

Singh, Shri Uday Pratap

Solanki, Dr. Kirit Premjibhai

Solanki, Shri Makansingh

Sushant, Dr. Rajan

Swaraj, Shrimati Sushma

Tandon, Shrimati Annu

Taviad, Dr. Prabha Kishor

Taware, Shri Suresh Kashinath

Tewari, Shri Manish

Thomas, Prof. K.V.

Vasava, Shri Mansukhbhai D.

Verma, Shri Beni Prasad

Vishwanath Katti, Shri Ramesh

Vyas, Dr. Girija

Yadav, Shri Om Prakash

NOES

Acharia, Shri Basu Deb

Baliram, Dr.

Balmiki, Shri Kamlesh

Barq, Dr. Shafiqur Rahman

Baske, Shri Pulin Bihari

Bauri, Shrimati Susmita

Chauhan, Shri Dara Singh

Chauhan, Shrimati Rajkumari

Choudhary, Shri Bhudeo

Das, Shri Khagen

Das, Shri Ram Sundar

Dasgupta, Shri Gurudas

Devi, Shrimati Ashwamedh

Dome, Dr. Ram Chandra

*Haque, Sk. Saidul

Hasan, Shrimati Tabassum

*Jaiswal, Shri Gorakh Prasad

Karwaria, Shri Kapil Muni

*Kristappa,Shri N.

Kumar, Shri Kaushalendra

Kumar, Shri Mithilesh

Kumar, Shri Shailendra

*Majumdar, Shri Prasanta Kumar

Malik, Shri Sakti Mohan

Panda, Shri Prabodh

Pandey, Shri Gorakhnath

---

* Voted through slip

*Pandey, Shri Rakesh

Paranjpe, Shri Anand Prakash

Patel, Shri Bal Kumar

Premdas, Shri

Ramkishun, Shri

Rao, Shri Nama Nageswara

Reddy, Shri M. Venugopala

Riyan, Shri Baju Ban

Roy, Prof. Saugata

Roy, Shri Arjun

*Roy, Shri Mahendra Kumar

Singh, Dr. Raghuvansh Prasad

Singh, Shri Jagdanand

*Singh, Shri Radhe Mohan

Singh, Shri Rajiv Ranjan Singh alias Lalan

Singh, Shri Umashankar

Singh, Shri Yashvir

Singh, Shrimati Meena

Sivaprasad, Dr. N.

Tarai, Shri Bibhu Prasad

Tiwari , Shri Bhisma Shankar alias Kushal

Yadav, Shri Akhilesh

Yadav, Shri Dharmendra

Yadav, Shri Mulayam Singh

Yadav, Shri Sharad

---

* Voted through slip

MADAM SPEAKER : Subject to correction*, the result of the Division is:

Yes : 115

Noes : 43

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA) : Madam, I introduce** the Bill.

MADAM SPEAKER: Now , the lobbies may be opened.

---

* The following members also recorded their votes through slips;
Ayes: 115 + Dr. Sanjay Jaiswal S/Shri Namo Narain Meena, Raghuvir Singh Meena, Asaduddin Owaisi, Jagdambika Pal, Dr. Vinay Pandey and Shri Ijyaraj Singh = 122.
Noes: 43 + Sk. Saidul Haque, S/Shri Gorakh Prasad Jaiswal, N. Kristappa, Prasanta Kumar Majumdar, Rakesh Pandey, Mahendra Kumar Roy and Radhe Mohan Singh = 50
** Introduced with the recommendation of the President

11.29 hrs.

(ii) REGULATION OF FACTOR (ASSIGNMENT OF RECEIVABLES) BILL, 2011*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA) : Madam, on behalf of Shri Pranab Mukherjee, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for and regulate assignment of receivables by making provision for registration thereof and rights and obligations of parties to contract for assignment of receivable and for matters connected therewith or incidental thereto.

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for and regulate assignment of receivables by making provisions for registration thereof and rights and obligations of parties to contract for assignment of receivable and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Madam, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 24.3.2011

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, मैंने एक महत्वपूर्ण सवाल सदन के सामने रखा है। हमारे देश के 14 ऐसे राज्य हैं जिनके नाम मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोआ, दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश हैं और 257 लोकसभा के सदस्य चुनकर आते हैं; यानी 14 राज्यों में, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि केवल एक मुसलमान लोक सभा का सदस्य है। इससे पहले जो लोक सभा थी, उस वक्त 14 राज्यों में एक भी मुसलमान लोक सभा का मैम्बर नहीं था। आज उनकी बहुत बड़ी तादाद है। देश की आजादी से लेकर आज तक हर क्षेत्र में लगातार इस कौम का बहुत योगदान रहा है लेकिन लोक सभा में उनका प्रतिनिधित्व नगण्य है। इसलिए हमारी मांग है कि अब कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। लोक सभा और विधान सभाओं में मुसलमानों का आरक्षण हो तभी वह प्रतिनिधित्व पूरा हो सकता है, यह हमारी मांग है।

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा 23 फरवरी 2011 को मुझे लिखित पत्र में किसानों की फसल को...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बसुदेव आचार्य जी, आप अपना नाम टेबल पर लिखकर दे दीजिए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record except what Shri Ganesh Singh is saying.

(Interruptions) ... *

श्री गणेश सिंह : अध्यक्ष महोदया, पाला व तुषार आपदा के लिए एस.डी.आर.एफ. तथा एन.डी.आर.एफ. से सहायता नहीं दी जा सकती, उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि फसलों को जो नुकसान हुआ है, उसके लिए हम केन्द्रीय अध्ययन दल भेजकर अध्ययन नहीं करा सकते। लेकिन इसके बावजूद भी पत्र में उन्होंने यह भी लिखा कि शीतलहर के गंभीर प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से आरकेवीवाई के तहत 200 करोड़ की राशि निर्मुक्त की है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2010-2011 के लिए आरकेवीवाई के अन्तर्गत आबंटन 589.09 करोड़ रुपये है जिसमें 359.1 करोड़ आज निर्मुक्त कर दिया गया है जबकि सच्चाई यह है कि न तो 200 करोड़ रुपये की राशि अभी तक मिली है और न ही वर्ष 2010-2011 की शेष राशि 229.91 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई है। माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से गुमराह किया है, उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि आंकड़ों की बाजीगरी में किसानों के

---

* Not recorded

साथ अन्याय बंद करें तथा मध्य प्रदेश सहित जिन जिन राज्यों में पाले से किसानों की फसलें खराब हुई हैं, उन्हें प्राकृतिक आपदा में शामिल कर मध्य प्रदेश के किसानों को 2472 करोड़ रुपये की राहत राशि प्रदान करे तथा किसानों को लगातार घाटे से बचाने के लिए जिसके कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसकी फसलों के लिए नयी कृषि बीमा योजना लाएं जिसमें किसानों का प्रीमियम आधा केन्द्र सरकार दे तथा आधा राज्य सरकारें दें तथा किसानों के खेत को इकाई बनाया जाए जिसके साथ-साथ कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए।

अध्यक्ष महोदया : श्री के.डी.देशमुख और श्री अर्जुन राम मेघवाल भी श्री गणेश सिंह द्वारा उठाये गये विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध करते हैं।

SHRI KHAGEN DAS (TRIPURA WEST): Thank you, Madam. I would like to draw the attention of the Government with regard to the agitation launched against the setting up of the Jaitapur Nuclear Power Project at Ratnagiri District, Maharashtra. This will seriously affect the livelihood of farmers and fishermen, and unleashing of repression on peaceful movement. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) …[*]

SHRI KHAGEN DAS (TRIPURA WEST): I along with my colleague former MP Subhasini Ali visited the affected areas of the Central Government nuclear power project site in Jaitapur on March 12, 2011. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record. Please do not interrupt the hon. Member who is speaking.

(Interruptions) … *

SHRI KHAGEN DAS (TRIPURA WEST): We met the farmers and fishermen including women from Mitgavne, Madhban and Sakhari villages. I was amazed that every single man and woman is willing to sacrifice his or her life to stop the project. Not a single person has come forward except a few absentee land owners even after the State Government having announced hugely enhanced compensation.

---

[*] Not recorded

Madam, the serious impact of this plant has not been scientifically conducted. According to some eminent scientists, it will threaten the marine life, horticulture and bio-diversity of the region. The livelihood of the fishermen will be lost. We must learn the lessons from the terrible events in Japan which have been termed as the nation's darkest hour since World War II. Nuclear emergency was declared in Japan. Nuclear crisis in Japan should be a wake-up call for India.

Our Party is objecting to the installation of European Pressurized Reactor Technology as it is not commissioned for operation anywhere in the world.

I was also shocked to hear the extent of repression let loose by the administration on those who have been voicing their opposition to the project on scientific and environmental grounds. More than 250 people including 80-90 years old have been declared habitual offenders and asked to furnish exorbitant sureties. Many people including women were arrested and kept for several days in filthy and unhygienic police lock-up. Seven persons have been served with extermine orders. Persons like former Judges have been prevented from visiting the site. My Party leader, Dr. Vivek Monterio, was sent an SMS by the District Magistrate, Ratnagiri, prohibiting him from entering the district.

I would urge upon the Central Government to heed the united voice of the people of the region and stop the project. All the cases against the farmers and women must be withdrawn and the land that has been taken away from them without their consent must be returned.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Madam, I associate myself with what the hon. Member has stated on this issue.

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): अध्यक्ष महोदया, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहती हूं और यह सामान्य जनता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं मोबाइल सर्विसिस के मामले में बीएसएनएल की स्थिति की चर्चा नहीं करना चाहती हूं। जिनके पास मोबाइल हैं, इनमें अनचाहे एसएमएस आते हैं। कई बार अनचाहे कॉल्स भी आते हैं, हम डीएनडी भी करते हैं कि यह हमें नहीं चाहिए तो भी आते रहते हैं। मुझे नहीं मालूम, शायद सब लोग इस प्रकार का अनुभव करते होंगे कि कई एसएमएस तो ऐसे होते हैं जिन्हें कोई पढ़ना भी नहीं चाहता है, जैसे चैटिंग करनी हो तो वे कहते हैं कि हम दे देंगे। बिकनी गर्ल के फोटो इत्यादि के लिए अलग-अलग तरह के एसएमएस आते रहते हैं। वास्तव में मोबाइल हमारा है, हम पे करते हैं, स्क्रीन हमारा है। अगर किसी के घर पर अगर कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट लगाता है तो उसे पे करना होता है। हमारा मोबाइल है, उस पर वे अपनी एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि यहां फ्लैट उपलब्ध हैं, इसके अलावा और भी कई तरह के मैसेज होते हैं, हमें नहीं चाहिए लेकिन ये आते रहते हैं। अगर हम किसी रिएल्टी शो में कॉल करते हैं तो पांच रुपए लगते है। इस प्रकार के एसएमएस मोबाइल पर आते हैं या कई बार रोमिंग पर ऐसी कई कॉल्स आती हैं कि क्या लोन चाहिए जबकि इस तरह के अनवांटेड कॉल्स से हमारा कोई संबंध नहीं होता है। मेरा सुझाव है कि इस प्रकार के एसएमएस या कॉल्स के लिए कहीं न कहीं हमारे मोबाइल, स्क्रीन का यूज होता है, नियमों का पालन होता नहीं है इसलिए ऐसा नियम बनना चाहिए कि मोबाइल धारक के मोबाइल पर अनवांटेड एसएमएस आता है तो उस व्यक्ति को किराया डायरेक्टली जाना चाहिए, चाहे वह एक, दो या पांच रुपए ही हों, ऐसा होने से एसएमएस या कॉल्स बंद हो जाएंगे। यह एक प्रकार की एडवर्टाइजमेंट है। मेरा निवेदन है कि इस पर मंत्रालय को सोचना चाहिए। इस तरह के एसएमएस टोटली बंद नहीं होते हैं, अगर इस तरह से करेंगे तो मोबाइल धारक को किराया प्राप्त होगा। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का कोई नियम बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

अध्यक्ष महोदया : श्री प्रहलाद जोशी, श्री बी.वाई. राघवेन्द्र, श्री पी.सी. गद्दीगौदार, श्रीमती जे. शांता, श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट को माननीय सदस्या द्वारा उठाए गए मामले के साथ संबद्ध किया जाता है।

SHRI MANISH TEWARI (LUDHIANA): Madam Speaker, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak in the House today. Today I rise in support of a very important and integral part of our democracy and those are the working journalists and the non-working people connected with the Press and the media industry.

It seems that there was a Wage Board which was set up in 2007 to review the salaries and the working conditions of people associated with the media industry.

Apparently this Wage Board has made very specific recommendations with regard to enhancement of salary and other pre-requisites of journalists and people who are otherwise connected with this industry. In spite of the fact that three years have elapsed, these recommendations have not been implemented. Today, all working journalists and other people connected with this industry are agitating across the country.

In this nation of ours, there has been this continuing debate between the freedom of the Press and the freedom of the owner of the Press. If we really want the freedom of the Press to prevail in this country, the starting point is to empower the working journalists. I would like to urge the Government, through you and through this House to take very serious cognizance of this matter and all the recommendations which have been made by the Wage Board should be implemented forthwith with effect from January 2008 which is the demand of the journalists. I thank you very much for giving me this opportunity.

MADAM SPEAKER: Shri P.L. Punia is associating himself with the matter raised by Shri Manish Tewari.

कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान हमारे देश के उन मूल शिल्पकारों की ओर दिलाना चाहती हूं, जो आज भी शोषित और पीड़ित हैं। ये वे शिल्पकार हैं, जो हमारे विकास में अपनी सहभागिता बहुत तेजी के साथ निभाते हैं। मैं अपने देश के रिक्शावाले, कुली, घरों में काम करने वाली बाइयों आदि के बारे में बात कर रही हूं। मैं इस विषय को यहां इसलिए उठाना चाहती हूं क्योंकि आज तक उनके लिए कोई भी एकीकृत योजना नहीं बनी है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उनकी मूलभूत सुविधाओं की ओर भी आकर्षित करना चाहती हूं, क्योंकि ये जो काम करते हैं और उन्हें उनके काम के एवज में जो रोजी मिलनी चाहिए, वह भी पर्याप्त नहीं हो पाती है, न तो उनकी शिक्षा-दीक्षा की कोई व्यवस्था हो पाती है और न उनके बच्चे किसी सुनहरी योजना की ओर देख पाते हैं। होता केवल यह है कि वे अपने जीवन के किसी तरह से समाप्त होने का इंतजार करते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे ये मूल शिल्पकार, जिन्हें हम अपने देश में असंगठित मजदूरों के रूप में पहचानते हैं, इन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सरकार तत्काल एक एकीकृत योजना बनाये और उनकी शिक्षा-दीक्षा सहित उनके सुनहरे भविष्य की योजना के

लिए कुछ कार्य करे। यह वर्तमान समय की आवश्यकता है और यदि हम अपने देश में विकास की बात करते हैं तो हमें उन्हें साथ लेकर चलना ही पड़ेगा।

आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

अध्यक्ष महोदया : श्री चंदूलाल साहू को कुमारी सरोज पाण्डेय द्वारा उठाये गये विषय से सम्बद्ध किया जाता है।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के संबंध में मुझे कुछ प्रश्न करने की अनुज्ञा दी। वर्ष 2004 में भारत सरकार ने महिलाओं में साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए और उनकी गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों को देश के विभिन्न राज्यों के पिछड़े ब्लाकों में स्थापित करने का निर्णय लिया और निश्चित तौर से आज कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय प्रदेशों के सुदूर अंचलों जिनमें उत्तर प्रदेश सहित बिहार तथा अन्य तमाम राज्यों में जो पिछड़े विकास खंड थे, जहां आज भी लड़कियों के लिए, कन्याओं के लिए इंटर कालेज की व्यवस्था नहीं है। आज भी उनके मन में पढ़ाई करने की इच्छा होते हुए भी वे पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं। जबकि यह समाज मानता है और यह सर्वविदित भी है कि यदि हम एक बालक को पढ़ाते हैं तो एक जिम्मेदार नागरिक तैयार करते हैं। लेकिन जब हम एक बेटी को शिक्षित करते हैं तो उससे पूरा एक परिवार शिक्षित होता है, सम्पूर्ण देश शिक्षित होता है। आज उस शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों या बालिकाओं की शिक्षा के महत्व को रेखांकित करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसी दिशा में भारत सरकार ने 2004 में, कांग्रेस यूपीए की सरकार ने ही देश के विभिन्न राज्यों में इसकी स्थापना की है।

इसमें उन पिछड़े ब्लाकों में आज भी कक्षा छह से आठ तक की पढ़ाई होती है। यह आवासीय योजना है। इसमें सामान्य वर्ग की, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली लड़किया हैं। हमारे दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों से भी हैं। वे कभी शिक्षा के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकती थीं। इस सरकार से मेरा केवल एक ही निवेदन है कि आज जो स्टाफ उसमें काम कर रहे हैं, उनको 12 महीने का मानदेय नहीं मिलता है। उनको हर साल नवीनीकरण करना पड़ता है। जिसकी वजह से पठन-पाठन और शिक्षा की गुणवत्ता भी बाधित होती है। शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उसमें विनियमितीकरण हो जाए। आज की स्थिति के अनुसार मूल्य सूचकांक को देखते हुए, मँहगाई की दर को देखते हुए, प्राईस इन्डैक्स को देखते हुए उनके मानदेय में वृद्धि की जाए। जिससे शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। हम आज एक नया कदम, राईट

टू एजुकेशन का लेकर आए हैं। शिक्षा को एक मौलिक अधिकार की तरह से कानून बनाने का काम इसी सदन और भारत सरकार ने किया है। आज तमाम राज्य पैसे या संसाधन का अभाव दिखा कर उस कानून को लागू नहीं कर रहे हैं। जबकि आज भी राज्य सरकार उसमें 45 प्रतिशत की रेश्यो के हिसाब से पैसे देने के लिए तैयार है। मेरा कहना यह है कि सब जगह इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय मौजूद है तो उसको इन्टरमीडिएट तक कर दिया जाना चाहिए। यदि उसको आरटीई के साथ जोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा। निश्चित तौर से जो उद्देश्य कभी महिलाओं में साक्षरता दर को बढ़ाने की बात थी। वह केवल साक्षरता दर बढ़ाने की बात नहीं होगी बल्कि लड़कियाँ इन्टरमीडिएट तक शिक्षित होकर अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी होंगी। आगे चलकर डिग्री और पोस्टग्रैजुएशन कर सकती हैं। मैं समझता हूँ कि इससे महत्वपूर्ण कोई मसला नहीं हो सकता है। कस्तूरबा गाँधी आवास विद्यालय में काम करने वाले अध्यापकों और स्टाफ के मानदेय में वृद्धि की जाए, उनको नियमित किया जाए। यह मेरी माँग है।

अध्यक्ष महोदया: श्री पन्न लाल पूनिया, श्री कमल किशोर 'कमांडो' एवं श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह अपने आपको श्री जगदंबिका पाल द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करते हैं।

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): Madam Speaker, in the trains running between Delhi and Kerala like Kerala Express and Mangala-Lakshadwip Express, the basic facilities are not available. The compartments are very old and in a very bad condition. Toilets are unhygienic. I would request the Government to allot more new bogies and other facilities to these trains. Even in the Sampark Kranti Express, for two days last week there was no electricity in the compartments. It is a very serious issue. I would request the Government to ensure safety and other facilities for the passengers of these trains.

श्री तूफ़ानी सरोज (मछलीशहर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर से वाराणसी तक बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-56 के संबंध में जनता की भावनाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। यह मार्ग चार लेन के लिए स्वीकृत हुआ है। प्रोजैक्ट प्लान में इसकी चौड़ाई साठ मीटर रखी गई है। इस राजमार्ग की चौड़ाई साठ मीटर रखे जाने से सड़क के किनारे जो किसान हैं, उनकी जमीन को अधिग्रहीत करना पड़ेगा। ऐसा करने से उसकी जद में बड़ी संख्या में छोटे और गरीब किसान आ जाएंगे। जमीन अधीग्रहण के बाद जद में आने वाले छोटे एवं गरीब किसान भूमिहीन हो जाएंगे और उनके

सामने पेट पालने की समस्या पैदा हो जाएगी। मुझे विभागीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि चार लेन के मार्ग के लिए 45 मीटर की चौड़ाई पर्याप्त हो सकती है।

अध्यक्ष महोदया, राष्ट्रीय राजमार्ग के मानक के अनुसार एक लेन में सात मीटर की चौड़ाई रखी जाती है। इस हिसाब से चार लेन की चौड़ाई 28 मीटर होनी चाहिए। यदि बीच में पाँच मीटर का स्पेस छोड़ दिया जाए तो उसकी चौड़ाई 33 मीटर होती है। इसके बावजूद 45 मीटर की चौड़ाई लेने में सड़क के दोनों ओर बीस फीट का रास्ता बचता है। इन सब बातों को ध्यान में चाहिए। मैं यह भी जानता हूँ कि सरकार चाहती है कि सड़क का विस्तार करने में छोटे-गरीब किसानों का नुकसान कम हो। अतः आपके माध्यम से सरकार से हमारी माँग है कि छोटे और गरीब किसानों के हितों मद्देनज़र राष्ट्रीय राजमार्ग-56 की चौड़ाई साठ मीटर के बजाय 45 मीटर करने के लिए विभाग को निर्देश दें ताकि राजमार्ग का निर्माण भी हो जाए और किसानों के हितों की रक्षा भी हो सके।

श्री महेश्वर हज़ारी (समस्तीपुर): अध्यक्ष महोदया, बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जितना कार्य था, वह 2006 से अभी तक पूरा नहीं हुआ है। भारत सरकार बिहार सरकार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार करती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का एक भी पैसा बिहार के पास नहीं पहुंचा है जिसके कारण सारी सड़कें अधूरी पड़ी हुई है। जो ठेकेदार संवेदक थे, उन्होंने अपने घर से 10 करोड़ रुपया लगाया लेकिन 2 करोड़ रुपया पेमेंट के रूप में मिला। अभी 8 करोड़ रुपया सब का कर्ज हो गया। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि बिहार सरकार के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का पूरा पैसा भिजवाने की कृपा करें और जो सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं, उन्हें शीघ्र पूरा कराया जाये।

अध्यक्ष महोदया, मैं साथ ही यह मांग करता हूं कि जब बिहार में जनता ने एन.डी.ए. और श्री नीतीश कुमार को जिताने का काम किया है , इसका मतलब यह नहीं कि भारत सरकार बिहार की जनता को लात मार कर भगा दे। जब तक बिहार विकास नहीं करेगा, तब तक भारत का विकास नहीं होगा। मेरा आग्रह है कि बिहार सरकार को शीघ्र पैसा भिजवाने की कृपा करें।

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे जीरो ऑवर में एक महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं।

यह विषय विदेश संचार निगम लिमिटेड से जुड़ा हुआ है. जो हिन्दुस्तान के अंतर्राष्ट्रीय़ कालों का नैटवर्क और इंटरनैट सर्विस प्रोवाईड करने वाली कम्पनी है। इस कम्पनी का डिसइनवैस्टमेंट 2002 में हुआ था। मैं आज य़ह विषय इसलिये उठा रहा हूं कि देश की एक प्रतिष्ठित पत्रिका आऊटलुक ने एक खुलासा किया है कि वीएसएनएल के डिसइनवैस्टमेंट के समय एक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। इस कम्पनी का साढ़े चार हजार करोड़ से ढाई हजार करोड़ रुपये के बीच कैश रिजर्व था, उस कम्पनी को उस समय के डिसइनवैस्टमैंट मंत्रालय ने सिर्फ 1439 करोड़ रुपये में बेचा। दूसरी बात यह कही गई है कि लगभग 1200 एकड़ जमीन जो कि वीएसएनएल का अभिन्न अंग थी, उसकी पूंजी थी, वह सारी की सारी जमीन बिना किसी कीमत के उस प्राईवेट कम्पनी के हवाले कर दिया गया। अगर आज उसका मूल्यांकन किया जाये तो उसकी कीमत लगभग 8 हजार करोड़ रुपये की है जिसे यूं ही दे दिया गया। इस पूरे प्रकरण में आज यह बात निकल कर आ रही है कि उस समय डिसइनवैस्टमेंट हुआ था, उस लैंड को डिमर्ज करने का एक प्रोवीजन रखा गया। असैट्स का डीमर्ज कभी नहीं होता, डिमर्ज कम्पनियों का होता है, एक सब्सडियरी का होता है। इस जमीन को डिमर्ज करने के बजाय ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया समाप्त करे।

श्री संजय निरुपम : उसे डिमर्ज करने के बजाय आगे जाकर छोड़ दिया गया। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप इसे बंद कर दीजिये।

श्री संजय निरुपम : अध्यक्ष महोदया, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं यह भारत सरकार के सामने रख रहा हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब बैठ जाइये, आपकी बात हो गई।

श्री संजय निरुपम : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग कर रहा हूं कि एनडीए के जमाने में जितने भी डिसइनवैस्टमेंट हुये हैं, उन पूरे मामलों की जांच होना चाहिये। एन.डी.ए. के जमाने में जिन ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपकी बात हो गई, अब आप बैठ जाइये।

श्रीमती जयश्री बेन पटेल । संजय निरुपम जी, आप उन्हें बोलने दीजिये।

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया : आप लोग क्यों खड़े हैं, आपकी पार्टी की लेडी मैम्बर बोल रही हैं, आप लोग बैठ जाइये। आप उन्हें बोलने दीजिये।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Only what hon. lady Member, Shrimati Jayshreeben Patel says will go on record.

*(Interruptions) ... **

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि चालू वर्ष में आलू का उत्पादन बहुत अच्छा रहा है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कीर्ति आज़ाद जी, उनकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। अब आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। Let the hon. lady Member speak.

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें बोलने दीजिए। आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : संजय जी बैठ जाइये। आप बोलिये।

...(व्यवधान)

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : आदरणीया महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहती हूं। गुजरात राज्य में चालू वर्ष में आलू का उत्पादन बहुत अच्छा रहा है और आलू उत्पादकों को अच्छे दाम मिलने की उम्मीद थी। किन्तु पिछले कुछ समय से आलू के दाम गिरते रहे हैं। हाल में आलू के दाम प्रति 20 किलो के 65 रूपये से 70 रूपये तक पहुंच गये हैं। इस संबंध में राज्य के कृषि मंत्री जी ने आलू की खरीददारी मार्केट इन्टरवेन्शन स्कीम के अंतर्गत करने की दरखास्त केन्द्र सरकार से की है।

* Not recorded

आलू के बम्पर उत्पादन के बाद, आलू के दामों में कमी आने से किसानों को नुकसान का भय सता रहा है। राज्य के कृषि मंत्री जी ने केन्द्र सरकार से आलू को पोषण क्षम दाम से खरीद करने की दरखास्त की है।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस योजना का खर्च राज्य तथा केन्द्र सरकार बराबर हिस्से से करती है। वर्ष 2008-09 में आलू की खरीद हेतु इस योजना को मंजूरी दी गयी थी।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि उपरोक्त योजना के अंतर्गत आलू की खरीद की जाए और आलू के गिरते दामों से आलू उत्पादकों को बचाया जाए।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान उन व्यक्तियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए अपने प्राणों की आहूति दे दी। आज जनता से लेकर संसद तक सभी देश में फैले भ्रष्टाचार से उद्धेलित हैं। संसद का एक महत्वपूर्ण सत्र इस ज्वलंत समस्या की भेंट चढ़ गया। स्वतंत्र भारत की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को जो सम्मान और सुविधाएं प्रदान की हैं, उसी प्रकार का सम्मान और सुविधाएं उन देशभक्तों को भी मिलनी चाहिए, जिन्होंने राष्ट्र को पतन की ओर ले जाने वाले भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाई।

इस संबंध में मैं सर्वप्रथम स्वर्गीय श्री सत्येन्द्र कुमार दुबे को स्मरण करना चाहूंगा, जो सीवान (बिहार) के निवासी थे। वे नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। केन्द्र में एन.डी.ए. सरकार के शासन के दौरान गोल्डन कॉरीडार प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार उजागर करने पर उनकी वर्ष 2003 में हत्या कर दी गयी। इसी प्रकार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में मैनेजर के पद पर कार्यरत श्री मंजू नाथ षणमुगम द्वारा उत्तर प्रदेश में बसपा शासन के दौरान पैट्रोल में मिलावट का भ्रष्टाचार उजागर करने पर वर्ष 2005 में लखीमपुर खीरी में उनकी हत्या कर दी गयी। इसी क्रम में स्वर्गीय श्री सतीश सेठी ने अन्ना हजारे के साथ मिलकर महाराष्ट्र के तलेगांव में कई जमीन घोटालों को उजागर किया तो वर्ष 2010 में उनकी हत्या कर दी गयी। इसी प्रकार बेगूसराय जिले में स्वर्गीय श्री शशिधर मिश्रा द्वारा रेलवे, प्रशासन, पुलिस तथा विभिन्न योजनाओं की धांधली को उजागर करने पर 14 फरवरी 2010 को बिहार में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गयी। गुजरात में पर्यावरण कार्यकर्ता स्वर्गीय श्री अमित जठेवा द्वारा वर्ष 2008 में गिरवन क्षेत्र में अवैध खनन का भ्रष्टाचार उजागर करने पर जुलाई 2010 में उनकी हत्या कर दी गयी। अभी हाल ही में 25 जनवरी 2011 को पैट्रोल में मिलावट करने का भ्रष्टाचार उजागर करने पर नासिक क्षेत्र के उपजिलाधिकारी यशवंत सोनावणे को जिन्दा जला दिया गया।

महोदया, ऐसे न जाने कितने मामले होंगे, जिनमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों को मौत के मुंह में धकेल दिया गया। मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन राष्ट्रभक्तों को शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए और उन्हें भी शहीदों के आश्रितों के समान सुविधाएं मिलनी चाहिए। इनके कार्यों को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल कर भावी पीढ़ी को राष्ट्र के नव-निर्माण के लिए तैयार किया जाना चाहिए।

<u>11.59 hrs.</u>

MATTERS UNDER RULE 377*

MADAM SPEAKER: Hon. Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. The hon. Members who have been permitted to raise the matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which the slips have been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

… (*Interruptions*)

* Treated as laid on the Table

(i) Need to create a separate Ministry for Other Backward Classes

SHRI PONNAM PRABHAKAR (KARIMNAGAR): I would like to draw the kind attention of the august House regarding the urgent need to carve out a separate Ministry of Other Backward Classes.

As we all know that in all States especially in Andhra Pradesh, OBC people constitute more than 50 per cent population in the names of various castes. Despite having more than 50 per cent of population, OBCs are still lagging behind in availing facilities from education to employment levels. Many schemes are being introduced by Government of India and States also. But I feel that schemes meant for OBCs are not reaching to them properly due to lack of proper platform at the national level. This demand is pending since Independence and so far not fulfilled. If the Government sets up an OBC Ministry, it will definitely guide and enable the OBCs in our country to avail the schemes and facilities meant for them at the national level and enable them to lead their life with honour and dignity.

I, therefore, request the Hon'ble Prime Minister, through the Chair, to kindly intervene in the matter and carve out a separate Ministry for Other Backward Classes to help the OBC people.

(ii) Need to take necessary steps to make education accessible to each and every child in the country

श्री भरत राम मेघवाल (श्रीगंगानगर):मैं इस सदन का ध्यान एक अत्यंत आवश्यक व महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करते हुए केन्द्र व राज्य सरकारों से अनुरोध करता हूँ कि देश में शिक्षा, विशेषकर 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा की वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं है । मेरे गृह राज्य राजस्थान में आज लगभग एक करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं जिनमें अधिकांश बच्चे अनुसूचित जाति व जनजाति के हैं । पूरे देश में शिक्षा के अधिकार को सार्थक बनाए जाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की आवश्यकता है । शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से व राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों का समुचित प्रयोग करते हुए नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं स्कूली शिक्षा को गुणात्मक बनाने के सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिए ।

मेरा सभी सरकारों से निवेदन है कि सोसाइटीज रजिसट्रेशन एक्ट, 1860 के सेक्शन 21 के तहत पंजीकृत संस्थाएं जो अनुसूचित जाति के बच्चों के कल्याणार्थ स्थापित हैं तथा शिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु अनुसूचित जाति के खातेदारों की भूमि को अर्जित करती है तो उन्हें ज्यूरिस्टीक परसन नहीं माना जाना चाहिए तथा नियम कानूनों में यदि आवश्यक हो तो शिक्षण संस्थानों के स्थापनार्थ आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए ।

अनुसूचित जाति के बालकों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा अनुसूचित जन जाति के बालकों के लिए जन जातीय मामलों के मंत्रालयों ने आवासीय विद्यालय, जो संस्थाओं के माध्यम से किराए के भवनों में चलाए जा रहे हैं उन्हें उचित शिक्षण वातावरण पैदा करने के लिए स्कूल भवन निर्माण हेतु एक मुश्त राशि दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

शिक्षा के अधिकार को सार्थक करने के लिए आवश्यक है कि केन्द्र सरकार व राज्य सरकारें सामाजिक शिक्षण संस्थाओं को सभी क्षेत्रों में संभव योगदान करें ।

(iii) Need to take stringent action against culprits involved in adulteration and short-weighting of food articles and other essential commodities of daily use

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): मैं सरकार का ध्यान आजकल हमारा देश जिस मिलावट के दौर से गुजर रहा है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। कुछ दिन पहले कई राज्यों में छापे मारे गये जिससे पता चलता है कि हमारे यहां मिलावट और घटिया दर्जे के खाद्य पदार्थ किस हद तक बाजार में उपस्थित है । एक जानकारी से पता चला कि हमारे पूरे देश में 60 प्रतिशत खाद्य पदार्थों में मिलावट मिली है । प्रशासन चाहे किसी सभी राज्य का हो वह आमतौर प र इस मामले में खामोश रहता है । कानून -व्यवस्था की असमर्थता इसका कारण है । अपराधियों को सुबह गिरफ्तार किया जाता है और शाम को उनको जमानत मिल जाती है । इससे गुनाह को पनपने का मौका मिलता हे । चाहे वह नकली दवा हो या जहरीली शराब हो या फिर घटिया दर्जे की कोई मिठाई हो, समस्या सिर्फ सामान्य आदमी की बढ़ रही है । हर शहर में पैट्रोल और डीजल के साथ मिट्‌टी के तेल की मिलावट एक सामानय बात हो गई है और नतीजा वही है, सुबह गिरफ्तारी और शाम को रिहाई ।

सामान्य व्यक्ति जब बाजार की कोई छोटी-मोटी वस्तु खरीदता है तो उसक समय उसे कम वजन और कम मापतौल का सामना करना पड़ता है । इसका एक उदाहरण यह है कि हमारे नागपुर में काटन मार्केट में तथा वर्धा शहर के सब्जी बाजार में कम वजन से तोलकर सामान दिया जाता है जहां दो किलोग्राम के वजन में एक पाव तक की कमी पाई जाती है ।

आज स्थिति यह है कि सब्जी ताजी दिखाने के लिए हरे रंग का इस्तेमाल किया जाता है । फलों में जो सेब विदेश से आ रहा हे उस पर मोम की परत चढ़ाई जाती है, जिससे वे चमकते नजर आयें ।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि खाद्य-पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाये जायें ।

(iv) Need to convert Yadagirigutta to Hyderabad and Warangal to Godavari Bridge roads into four lane roads in Andhra Pradesh

SHRI RAJAIAH SIRICILLA (WARANGAL): I would like to draw the kind attention of the august House towards the urgent need to include the roads of Yadagirigutta to Hyderabad (70 kms.) & Warangal to Godavari Bridge (70 kms.) for conversion into 4-lane roads in the remaining Eleventh Five Year Plan period.

National Highway 202 from Hyderabad to Chhattisgarh passes through my Warangal Parliamentary Constituency in Andhra Pradesh. I appreciate the Government for according sanction to convert the present road into 4-lane road from Hyderabad-Yadagirigutta and the work is in progress. A heavy bridge on this road to cross the River Godavari was also sanctioned with about Rs. 300 crores. The stretches of road from Yadagirigutta to Warangal and Warangal to Godavari Bridge need to be converted into four-lane. Unless these two reaches are completed, the road will not give expected delivery. There is a heavy traffic on this route and this proposal is already pending with the Ministry.

I, therefore, request the Hon'ble Minister of Road Transport & Highways, through the Chair, to kindly include the above said two roads for conversion into 4-lane roads at least in the remaining Eleventh Five Year Plan.

(v) Need to provide Kisan Credit Card loans to farmers by Private Sector, Public Sector and Cooperative banks at subsidized rates in Kerala

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): Kerala has 66.6 lakh operational land holding in the State for which only 4.12 lakhs Kisan Credit Cards (KCC) have been issued. State Level Bankers Committee data reveals highly negative growth in the case of KCC Loans. The performance of the Private Sector Banks is still worse. Kerala with 1526 Private Sector Bank Branches had released only Rs. 1547 crores as KCC loans. At least 5% of total advance of each commercial bank should be given under KCC which is 1.7% only as at present. HDFC bank has 124 branches in Kerala which has reported 18126 number of KCC loans amounting to Rs. 403 crores disbursed as KCC. This amount is to be verified. Co-operative Banks are not issuing interest subsidized loans in Kerala. This is affecting lakhs of poor farmers. So, I request the Government to issue appropriate orders immediately to see that all farmers in Kerala get KCC loans from Nationalized, Private Sector and Co operative banks at subsidized rates. It has come to the notice that some other loans are mixed up with KCC loans and it has to be enquired. I also request a study about the shortage in the number of KCCs issued in Kerala.

(vi) Need to withdraw the abolition of Central Sales Tax in Gujarat

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): केन्द्र सरकार के केन्द्रीय बिक्री (सेल्स टेक्स) कर को चरणबद्ध तरीके से दूर करने के कारण राज्य की कर आय को बड़ा नुकसान हुआ है एवम् राज्य की आर्थिक स्थिति को भी हानि पहुंच रही है । सरकार ने इस नुकसान की भरपाई करने का आश्वासन दिया है ।

अतः मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि जब तक जी.एस.टी. पर अमल नहीं होता तब तक राज्य सरकार के पत्र दिनांक 22.08.2008 के अनुसार नुकसान (बिक्री कर का भुगतान) की भरपाई करे ।

(vii) Need to provide a special package for setting up of adequate medical facilities in Jalore Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): मेरे संसदीय क्षेत्र जालोर राजस्थान के अंतर्गत दो जिले जालोर और सिरोही आते हैं, जहाँ गरीब किसानों की संख्या अधिक है । स्वास्थ्य खराब होने पर सरकारी अस्पतालों में जाते हैं जहाँ पर दवा की अनुपलब्धता के साथ-साथ चिकित्सकों की कमी बतायी जाती है । ऐसी स्थिति में आए दिन मौतें होती रहती हैं । कर्ज लेकर क्षेत्रीय जनता प्राईवेट अस्पतालों में इलाज कराने जाती हैं जहाँ उनका उचित इलाज नहीं होता है । ऐसी स्थिति में जनता परिवार सहित कष्ट में है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हँ कि केन्द्रीय सहायता से जिला जालोर एवं सिरोही में चिकित्सकों की कमी पूर्ण करने तथा अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध कराने हेतु विशेष पैकेज का प्रबंध सुनिश्चित करें ।

(viii) Need to accord permission to the proposals submitted by Government of Gujarat regarding rights of Adivasi people on forest land in the State

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): कई दशकों से आदिवासी लोगों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ इस माननीय सदन में आदिवासी सांसदों ने मामले उठाये तब वन अधिकार अधिनियम बना परंतु इन नियमों का ही पालन नहीं हो रहा है । मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच अंतर्गत नर्मदा जिले में 24000 प्रस्ताव भेजे गए जिसमें केवल 2000 ही स्वीकृत किये गये हैं । वनों में रहने वाले आदिवासी लोगों एवं वनवासी को वन भूमि दिलवाये जाने के बारे में ताल्लुका स्तर एवं जिला स्तर पर स्वीकृत होकर जो प्रस्ताव केन्द्र सरकार व राज्य सरकार को भेजे गये हैं उक्त प्रस्तावों में से 22000 प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया है और इन प्रस्तावों को नामंजूर किये जाने का कोई कारण भी नहीं बताया गया हैं । गुजरात सरकार से नर्मदा जिले की वन भूमि अधिकार के संबंध में जो प्रस्ताव भेजे गये हैं उनकी पूरी जांच की गई और उसके साथ वन भूमि अधिकार संबंधी सबूत भी भेजे गये फिर भी 22000 प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया गया है ।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि नर्मदा एवं भरूच जिले के वन भूमि अधिकार के संबंध में जो प्रस्ताव राज्य एवं केन्द्र सरकार को दिये गये हैं । उन प्रस्तावों की स्वीकृति तत्काल दी जाये एवं जितना उनका कब्जा है उसको उसी रूप में स्वीकार किया जाये जिससे वनों में रहने वाले आदिवासी लोगों के पास घर हो सकें ।

(ix) Need to provide a special financial package for all-round development of Santhal Pargana in Jharkhand

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): झारखंड राज्य में संथाल परगना इस देश का सबसे ज्यादा पिछड़ा व अविकसित भूभाग है। केवल 10 प्रतिशत जमीन सिंचित है। 75 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। लगभग 70 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं। वर्षों से विकास की प्रतीक्षा में लोग निराशा के आलम में जीने को मजबूर हो रहे हैं। बांग्लादेश एवं नेपाल की सीमा से अवैध घुसपैठ व नक्सलवाद बढ़ावा दे रहा है। अतः भारत सरकार बुंदेलखंड की तर्ज पर विशेष वित्तीय पैकेज दे। संथाल परगना के 6 जिलों में प्रत्येक में एक मॉडल कॉलेज बनाया जाये। एक विशेष अस्पताल का निर्माण कराया जाये। डुमरी से रामपुर हाट वाया देवघर एवं देवघर साहेबगंज वाया गोड्डा नया राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाये। देवघर में 4000 मेगावाट के पॉवर (यूएमपीपी) का कार्य प्रारंभ किया जाये। नक्सलवाद के कारण देवघर जहां पांच करोड़ व्यक्ति प्रत्येक वर्ष ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने आते हैं, वहां नया हवाई अड्डा का कार्य प्रारंभ किया जाये। देवघर में नया कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाये एवं सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क देवघर में बनाया जाये। संथाल परगना में एक मेगा फूड पार्क का निर्माण कराया जाये। शिवगंगा की सफाई कार्य पर्यावरण मंत्रालय तुरंत शुरू करे। कोल बैड मिथेन मिलने के कारण एक खाद का कारखाना स्थापित हो। जसीडीह-गोड्डा रेलमार्ग का कार्य तुरंत आरंभ किया जाये। पिछले 40 वर्षों से लंबित सिंचाई परियोजना (ए0आई0बी0पी0) में लेकर पुनासी, बुदई, त्रिकूट, बटेश्वर एवं गोड्डा के अन्य योजनाओं का कार्य पूरा किया जाये। कम से कम तीन इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाये। प्रत्येक जिले में आईटीआई की स्थापना हो। प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल हो। सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने की विशेष व्यवस्था हो। एनएसडीसी के तहत अनपढ़ लोगों के कार्य-कुशलता में वृद्धि की व्यवस्था हो।

(x) Need to check the exorbitant price of medicines

श्रीमती सुशीला सरोज (मोहनलालगंज): नेशनल ड्रग प्राइजिंग प्राधिकरण के अनुसार तकरीबन डेढ़ सौ दवा कंपनियों ने अपने 786 दवा फार्मूलों को अधिक दामों में बाजार में बेचकर देश की जनता से तकरीबन 2 हजार 3 सौ 28 करोड़ रूपये अधिक वसूले हैं।

देश में दवा कंपनियों पर नियंत्रण के लिए सरकार हजारों करोड़ रूपया खर्च कर विभिन्न संस्थानों का संचालन करती है पर यदि जिम्मेदार संस्थान ही अपने कार्यों में लापरवाही बरतने लगे तो फिर देश के बेबस और अस्वस्थ लोग क्या करेंगे।

वर्षों से मंत्रियों के समूह के समक्ष औषधि मूल्य निर्धारण का मामला लंबित है। देश की जनता इस प्रचंड महंगाई के दौर में कंपनियों की मूल्य निर्धारण में मनमानी की वजह से जेबें खाली करने के लिए बाध्य है। बीमार आदमी जीवन और मृत्यु के बीच दवा कंपनियों के बीच पिस रहा है।

मेरी मांग है कि सरकार इलाज पर कंपनियों के मनमाफिक मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति पर अविलम्ब रोक लगाए तथा दवाओं पर अधिक मूल्य वसूलने वाली कंपनियों पर सख्त कार्यवाही करे।

(xi) Need to make provisions for adequate funds for strengthening the judicial system in the country

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर): सरकार को न्याय व न्यायपालिका से जुड़ा कोई भी विधेयक लाने के समय उस विधेयक से जुड़ी वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रावधान करना जरूरी है। न्यायालयों में जजों एवं अन्य कर्मचारियों की कमी, न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या, न्याय मिलने में देरी की एक वजह वित्तीय प्रावधानों की कमी भी है। देश की न्याय व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण लोकतंत्र और देश के व्यापक हित में है। ऐसे किसी भी विधेयक या अधिनियम के संस्थापन के पूर्व इस हेतु आवश्यक न्यायिक समीक्षा एवं प्रवर्तन हेतु संबंधित मानव एवं अन्य संसाधनों हेतु अनिवार्य पूर्ण वित्त व्यवस्था आवश्यक है।

(xii) Need to undertake maintenance and repair work of roads constructed under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Ujiarpur Parliamentary Constituency, Bihar

श्रीमती अश्वमेध देवी (उजियारपुर): सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हर राज्य और जिलों में सड़कों का जाल बिछाने का कार्य शुरू किया है जो बहुत ही अच्छा कार्य है। इस योजना के तहत सभी राज्यों एवं जिलों में व्यापक स्तर पर सड़कों के निर्माण का कार्य किया जा रहा है या हो चुका है। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र उजियारपुर (बिहार) में भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत काफी सड़कों का निर्माण हुआ है और इन सड़कों के रख-रखाव की जिम्मेदारी पांच साल तक निर्माणकर्ता एजेंसी की है। लेकिन पांच साल बीत जाने के बाद सड़कों की स्थिति रख-रखाव के अभाव में काफी जर्जर हो गई है, जिसका मरम्मत आवश्यक हो गई है।

अतः मैं अनुरोध करती हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों का पांच साल बाद के रख-रखाव/मरम्मत कार्य की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार अपने हाथ में लेकर उन सड़कों का नवीनीकरण कराया जाये।

(xiii) Need to extend financial assistance to all patients seeking help from Prime Minister's Relief Fund

श्री गजानन ध. बाबर (मावल): मैं सरकार का ध्यान प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ दिलाना चाहता हूं। महोदया, हम जनता की परेशानी को देखते हुए प्रधानमंत्री के कार्यालय को रोगियों के उपचार हेतु प्रधान मंत्री राहत कोष से धनराशि सहायता हेतु सिफारिश करते हैं। वहां पर पहले लाटरी निकाली जाती है और फिर निर्णय किया जाता है कि रोगी को धनराशि सहायता प्रदान की जाये या नहीं, उसके बाद भी रोगी को समय पर धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस लॉटरी सिस्टम को खत्म करके प्रत्येक रोगी को धनराशि की सहायता प्रधानमंत्री राहत कोष से उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था की जाये जिससे सभी रोगियों को इसका फायदा मिल सके तथा उनका समय पर इलाज हो सके।

(xiv) Need to expedite construction of six-lane work between Bangaluru and Nelamangala and four lane work between Nelamangala and Hassan in Karnataka

SHRI N. CHELUVARAYA SWAMY (MANDYA): I would like to draw the attention of the Hon'ble Minister of Road Transport and Highways towards the need for early completion of six lanes work between Bangalore and Nelamangala and four lanes work between Nelamangala and Hassan. This is a National Highway and the work on this project, which is on BOT basis, has already been started four years back but only some portion of the work has been completed till now and majority of the works are not completed. The people of these areas are facing great difficulties in passing this route due to non-completion of this project in time.

I would also like to mention that the works completed are not upto the stipulated norms and the quality of the roads are not maintained and sub-standard materials were used for construction of this portion. The Union Government should enquire into this poor quality work. I would like to know that who are responsible for this poor quality works.

Keeping in view of the above, I urge upon the Union Government to complete the unfinished works on this project and also take appropriate measures to ensure stoppage of using sub-standard materials in construction of some portion of this route at the earliest.

(xvii) Need to have clear cut policy on capital punishment

DR. MIRZA MEHBOOB BEG (ANANTNAG): Fifteen years ago 165 people were killed at Oklahoma in a car bomb explosion, but Americans didn't openly celebrate the killer's death penalty, although many must have felt that he had rightly deserved it. Illness, bereavement and death even of one's opponent call for sympathy or mourning at least in public. An American lady who had lost her husband and daughter commented that 165 persons have already died, one more death will not revive any of them. Common argument that it serves as a deterrent but experience has proved that potential criminal believes he can escape conviction at least, noose. A British publisher once wrote, it is not the severity of the punishment that acts as a deterrent, it is the certainty of the punishment. Another argument in favour of death penalty is, why spend huge money by keeping him alive in prison. Why not then everybody considered a threat be sent to gallows like in Stalin's Soviet Russia. One normally spends years and years in prison before he faces noose. The pain his family suffers. I demand that Government should have a clear-cut policy on Capital Punishment.

<u>11.59 hrs.</u>

ACADEMY OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE RESEARCH BILL, 2010 – contd.

MADAM SPEAKER: The House shall now take up item no. 24. Shri Pawan Kumar Bansal.

… (*Interruptions*)

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदया, मेरी बात सुनिये।…(व्यवधान) हमारा विषय जम्मू-कश्मीर से संबंधित है।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपको शाम को बुलायेंगे। बहुत से माननीय सदस्य रह गये हैं, उन्हें हम शाम को बुलायेंगे।

…(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह : वहां हमारे मजदूर लूटे जा रहे हैं।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप बैठ जाइये। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) … *

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF EARTH SCIENCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam Speaker, I thank the hon. Members Dr. Murli Manohar Joshi, Shri Ninong Ering, Shri Shailendra Kumar, Shri Vijay Bahadur Singh, Sk. Saidul Haque, Shri Mahtab and Shri Prabodh Panda who have participated in the discussion and made their contributions. … (*Interruptions*)

---

* Not recorded

12.00 hrs.

अध्यक्ष महोदया : आपको शाम को बुलाएंगे। जो माननीय सदस्य बच गए हैं, उनको शाम को बुलाएंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। मंत्री महोदय बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। इस तरह उंगली नहीं दिखाते। बैठ जाइए, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। आपकी बात शाम को सुनेंगे । बैठ जाइए।

चौधरी लाल सिंह : अध्यक्ष महोदया, मेरी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अच्छा बैठ जाइए, बैठ जाइए। इतना उद्वेलित नहीं हो जाते। बैठिए, बैठिए। मंत्री महोदय को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए, ठीक है बैठिए। क्या कर रहे हैं? किस तरह से आप पेश आ रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए, बैठिए। ये व्यवहार?.. आप इस पर जरा खुद सोचिए बैठ करके और आगे से ऐसा व्यवहार मत करिए। बैठ जाइए। बैठिए, बैठिए। बैठ जाइए।

Nothing will go on record. You can raise the matter in the evening when 'Zero Hour' matters are again taken up in the House.

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया : नहीं, ये नहीं। अपने को अनुशासित करिए। बैठ जाइए। अपने को अनुशासित करिए और बैठ जाइए।

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: My illustrious predecessor in the Ministry of Science and technology, Dr. Murli Manohar Joshi, made certain observations yesterday. Though I would like to assure him and allay his fears that he expressed, essentially about his fear that this Academy of Science and Innovative

* Nor recorded

Research would impinge upon or bring down the quality of research in the universities, I do wish to take this opportunity to say that, since he also said that we should talk to him, he would like to speak to us on this Bill, I credit him with immense knowledge on the subject though we are sure of what we have said. Madam, we are on a strong footing. We believe that, in fact, there is a similarity and complementarity of the Indian university system and it will synergise the working of the universities and also the scientific research. But, nevertheless, the fact remains, since he has made some points, I think I should discuss those with him.

MADAM SPEAKER: Hon. Member, please sit down.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Madam, I would like to discuss those points with Shri Murli Manohar Joshi, as also one or two other hon. Members who have expressed some apprehensions. My basic point is about the fear that he has expressed about the research in the universities. This nobody wants to permit. In fact, the entire endeavour over this period is to promote research in all the institutions. The hon. Minister of Human Resource Development is also here. The innovative universities are being set up. The sort of expansion… (*Interruptions*)… Madam, I have mentioned Shri Saidul Haque's name also. I have mentioned his name also. All that I am saying is… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: You cannot just get up and start speaking like this. Please sit down. Nothing is going on record.

(Interruptions) … *

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: I have mentioned Shri Saidul Haque's name also. There were seven Members who spoke on this. I have noted down all the points. I would like to speak to Dr. Murli Manohar Joshi and then see what we can really do about it.

---

* Not recorded

So, I would request, Madam, that today this Bill may not be taken up. It may remain as such on the List of Business for the Lok Sabha. In the meanwhile, since today is the penultimate day of this Session, during this period I will try to get in touch with him on this matter.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष जी, कल हमारी ओर से इस विधेयक पर बोलते हुए डॉ. मुरली मनोहर जोशी जी ने काफी घोर आपत्तियां दर्ज की थीं। उनकी आपत्तियां वैध भी थीं और गंभीर भी थीं। मुझे खुशी है कि संसदीय कार्यमंत्री और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने उन आपत्तियों का संज्ञान लिया है। उनकी विशेष आपत्ति यह है कि इससे सारी-की-सारी यूनिवर्सिटीज में चलने वाला शोध कार्य समाप्त हो जाएगा और सारी चीज एक जगह आई.सी.ए.आर. में केन्द्रित हो जाएगी। इससे सारी चीज़ सीएसआईआर में इकट्ठी हो जाएगी। उन्होंने बहुत तर्क देकर, बड़े तार्किक ढंग से यह बात रखी थी। हमेशा जब इस तरह की स्थिति पैदा हो जाए तो उसमें बैस्ट यही रहता है कि आप मिलिये, कनविन्स करिये या कनविन्स हो जाइए। मुझे लगता है कि कल डॉ. जोशी जी ने जो बात कही थी, वह मंत्री जी पर वज़न डाल रही है, और मुझे इस बात की खुशी है...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदया, मैं औपचारिकताओं पर नहीं जाऊंगा। जैसे मैंने कहा था यह स्टैन्डिंग कमेटी से भी आ चुका है। स्टैन्डिंग कमेटी में भी आपके सात सदस्य थे। मैं उन बातों का ज़िक्र नहीं करूँगा। मैं यही कह रहा हूँ कि मैं उनसे बात करूँगा। ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं तो इसीलिए कह रही हूँ कि आप अच्छा कर रहे हैं। अगर आपको कोई बधाई देने के लिए खड़ा हो तो आप उस पर भी खड़े हो जाते हैं। मैं यह कह रही हूँ कि बहुत अच्छा कर रहे हैं कि डॉ.जोशी जैसे विद्वान ने जो आपत्तियाँ यहाँ पर रखी थीं, उनका नोटिस आप ले रहे हैं और बिल को डैफर कर रहे हैं। बाद में आप डॉ. जोशी जी से बात करके बिल में जो सुधार करना है, वह कर लीजिए और फिर बिल ले आइए। मैं आपके प्रति आभार प्रकट करने के लिए खड़ी हुई हूँ। आप उस पर भी खड़े हो जाते हैं।

MADAM SPEAKER: Hon. Members, the consideration of this Bill is postponed.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

---

* Not recorded

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): आपने जो कहा है कि मुरली मनोहर जोशी जी और आप बात करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र से हम भी बहुत समय से जुड़े हुए हैं। ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदया, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि कल इस पर बहस हुई थी। ...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : ऐसा नहीं हो कि आप दोनों ही बात कर लें।

श्री पवन कुमार बंसल : ऐसा मैंने नहीं कहा। सात माननीय सदस्यों ने इस पर हिस्सा लिया था। श्री शैलेन्द्र कुमार जी ने इसका समर्थन किया था, यानी आपने तो इसका समर्थन किया था और उस समर्थन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यह हमारा मानना है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, बल्कि जब नई एकैडमी बनेगी तो यह रिसर्च को बढ़ावा देगी। यूनिवर्सिटीज़ में भी रिसर्च अच्छी होगी, आपस में ताल्लुकात बनेंगे और मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन क्योंकि उन्होंने कुछ आपत्ति ज़ाहिर की थी, मैंने उसी कारण कहा है कि मैं उसका ज़िक्र उनसे करके फिर आपके पास आऊँगा। मुझे किसी बात के लिए आपसे या किसी भी सदस्य से, किसी भी लीडर से बात करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने तो कल इस बिल पर समर्थन दिया है।

12.03 hrs.

INSTITUTES OF TECHNOLOGY (AMENDMENT) BILL, 2010

MADAM SPEAKER: The House would now take up item no. 25 – Institute of Technology (Amendment) Bill.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI KAPIL SIBAL): Madam, I beg to move*:

> "That the Bill further to amend the Institutes of Technology Act, 1961 be taken into consideration."

Madam, the IITs in this country are our premier institutions. Of course many of them were set up way back in the 50s and 60s in this country. But I have to say and place on record that they have provided Yeoman's Service to our nation. Many of the IIT graduates moved out of India and became solution providers to the rest of the world. They are, now, coming back to India to give back to their country, to their nation the excellent quality of education that they received in this country. It is with this in mind that this Government decided that we need some new IITs so that we get more people from all parts of the country to be admitted to these institutions of excellence so that they become benchmark not just only for other institutions but also for other educational institutions in this country.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): आप हिन्दी में बोलिये तो सबको समझ में आ जाएगा। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

* Moved with the recommendation of the President

SHRI KAPIL SIBAL: Madam, but the IIT system also need revamp because, as I said, these were set up in the 50s and 60s. The world has changed. We require new solutions in the context of the emerging challenges that we face in the 21st century. The nature of information has changed; the nature of reaching information to people has changed and with the ICT revolution, the Indian Institutes of Technology have to reinvent themselves. They will, I am sure, in the years to come, play an even more significant role in taking India forward. This particular Bill, of course, became necessary when we set up eight new IITs and when we converted the Institute of Technology Banaras Hindu University, ITBHU, a constituent unit of the Banaras Hindu University into to an Indian Institute of Technology BHU, Varanasi and integrated it into the IIT system. It was necessary to bring this amendment for the simple reason that, under Entry 64 of List I, only Parliament can declare an institution as an institution of national importance and not the Central Government. The Central Government has no power to declare each of these institutions as institutions of national importance. It is only Parliament that has that exclusive privilege. So, we therefore, needed to include these eight new IITs by amending the Bill and adding them in the Bill as institutions of national importance as well as the BHU. It is with this reason that we have brought this Bill.

There are some more minor changes which will certainly be discussed in the course of discussion of this Bill. But, what we are trying to do is to ensure that, wherever an IIT is set up, it must try to meet the technological needs of the States and Union Territories included in its zone. It must support and collaborate with technical educational institutions located in the zone with a view to enhance their quality and capability. It should be in a position to advise the Government of States and UTs included in the zone in the matter of technical education and regarding any technological problem referred by them to the institute for advice.

There are some minor changes in the structure of the IITs so that they have greater flexibility in administration and there is lesser control of Government. We

are moving away from the era of control. We believe that academic excellence survives in an environment which is free from control. Academic community needs enormous flexibility in decision-making. Therefore, the structures of the IIT system must also change. I have been having regular meetings with the IIT Council. We have set up several committees and those committees have given recommendations. We will be really looking at these institutions in a different light in the years to come.

I promise the people of India through you, Madam, that we will ensure that IITs perform the function that they were conceived to perform.

अध्यक्ष महोदया : माननीय सांसदों से आग्रह है कि कृपया पारस्परिक वार्तालाप बंद कर दें और विषय पर ध्यान दें।

SHRI KAPIL SIBAL: We will ensure that the benefits of the enormous talent that is located in the IIT system reach the people of India especially the rural folks in India, the marginalised and the less advantaged because ultimately, technology is only an enabler. Technology is not a solution. Technology enables empowerment of people and the objective, ultimately, is to ensure that the people and the citizenry of this country, especially our young students, are empowered through this process.

With these words, I commend this Bill to the distinguished Members of this House.

MADAM SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Institutes of Technology Act, 1961, be taken into consideration."

Shri Arjun Ram Meghwal may speak now.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया। प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 में कुछ संशोधन मंत्री जी लेकर आए हैं।

महोदया, मंत्री जी ने अभी बताया कि आई.आई.टी. से ग्रेजुएट होने के बाद आईआईटीन्स विदेशों में चले जाते हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि वापस भी आते हैं। मेरे पास ऐसे कुछ आंकड़ें हैं, जो यह बताते हैं कि जो यहां आई.आई.टी. करते हैं और एम.बी.ए. विदेशों से करने के बाद विदेशों में ही सैटल हो जाते हैं।

आई.आई.टी. में पढ़ाने का खर्चा भारत सरकार करती है। कुछ लोग एमबीए यहां से करते हैं और वे वहां सैटल हो जाते हैं। लेकिन जो लोग एमबीए बाहर से अमेरिकन या आस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट से कर लेते हैं, वे अधिकतर उन्हीं कंट्रीस में सैटल हो जाते हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने आईआईटीन्स, जो इंडिया में ग्रेजुएट हुए, उनमें से कितने बाहर गए और कितने वापस आ गए? Has the hon. Minister got any data in this regard? यह एक केटेगरिकल प्रश्न मंत्री जी से मेरा है। ये जो आठ नये आईआईटीस बन रहे हैं, इनका मैं स्वागत करता हूं।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूं, इस हाउस में घोषणाएं होती हैं कि इस-इस स्टेट को आईआईटी दी जाती है या इस-इस स्टेट में आईआईटी अगले साल से खोली जाएगी। जैसे राजस्थान के लिए तीन साल पहले घोषणा हुई, उसके बाद लोकेशन का मामला अड़ गया। हम लोग भी मंत्री जी से मिले तो उन्होंने कहा कि लोकेशन स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रोफेसर व्यास हैं, जो आदरणीय प्रधान मंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद में काम करते हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई। इससे पहले भी एक कमेटी बनाई थी । That was a Technical Committee. उसमें कोई भी पोलिटीकल आदमी नहीं था। उस कमेटी ने यह सिफारिश की कि राजस्थान का आईआईटी अगर खोलना है तो उसे कोटा में खोला जाना चाहिए। कोटा की मांग भी बहुत अर्से से थी, यहां जो कई माननीय सदस्य बैठे हैं, वे जानते होंगे कि बहुत से एमपीज़ के बच्चे भी कोटा में कोचिंग लेने के लिए जाते हैं। कोटा में बहुत बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। कोटा कोचिंग के लिए फेमस हो गया है। ...(व्यवधान)

श्री गोपाल सिंह शेखावत (राजसमंद) : इसमें तो राजनीति न करें।...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बोल रहा हूं। ...(व्यवधान) प्रोफेसर व्यास की अध्यक्षता में कमेटी सरकार ने ही बनाई थी, हमने नहीं बनाई थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि आईआईटी की घोषणा सदन में होती है, उसके बाद लोकेशन का काम गवर्नमेंट को दे दिया जाता है।

मैडम, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि इसमें थोड़ी राजनीति होती है, यह नहीं होनी चाहिए, मैं यही कह रहा हूं। पहले जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उसने कोटा के लिए रिकोमेंड किया। फिर जब गवर्नमेंट आई तो उसने जोधपुर के लिए रिकोमेंड कर दिया। मैं यह पूछना चाहता हूं, आप सारे राजस्थान में सर्वे करा लीजिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट कहां ज्यादा हैं, बच्चे कहां ज्यादा पढ़ते हैं। कोटा की इतनी वाज़िब डिमांड थी और उसे इग्नौर कर दिया गया। मैं यह कह रहा हूं कि क्या एक स्टेट में दो आईआईटी नहीं हो सकते? ठीक है, हमने माना कि जोधपुर आदरणीय मुख्य मंत्री जी का इलाका है, इसलिए वे उसे वहां ले गए। लेकिन उसकी जो वाज़िब डिमांड हाड़ौती क्षेत्र में राजस्थान के लोगों की थी, वहां के लोग चाहते थे कि कोटा में आईआईटी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, उसके पीछे रीजन है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कोटा में हैं। पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा कोचिंग लेने वाले कोटा जाते हैं। कोटा की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वे नामी इंस्टीट्यूट्स हो गई हैं। उनमें कई बार एडमिशन मिलना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कोटा में IIT के लिए लड़कों ने भी आंदोलन किया।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैडम, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं इसमें आपका संरक्षण चाहता हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप क्यों खड़े हो गए, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

---

* Not recorded

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैडम, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। Madam, I seek your protection. ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मेघवाल जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Meghwal is saying.

(Interruptions) ... *

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैडम, मैं आपके माध्यम से सदन में पूछना चाहता हूं कि क्या प्रोफेसर व्यास प्रधान मंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद में नहीं हैं? प्रो. व्यास की अध्यक्षता में इसी कांग्रेस सरकार ने कमेटी बनाई और उस कमेटी ने रिकोमेंड किया कि कोटा आईआईटी के लिए इल्लिजिबल है।

अध्यक्ष महोदया, फिर भी वे जोधपुर ले गए। इसमें मैं क्या राजनीति कर रहा हूं? यहां कोटा के एम.पी. बैठे हैं, उनसे पूछिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप उधर देखकर मत बोलिए। आप आसन की ओर देखकर बोलिए। आप क्यों खड़े हो गए? आप कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री अर्जुन मेघवाल : अध्यक्ष महोदया, जो कोटा में आई.आई.टी. खोलने की डिमांड है, वह जायज डिमांड है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोकेशन का काम, केवल स्टेट गवर्नमेंट के भरोसे मत छोड़िए। अगर आप आई.आई.टी. खोलते हैं, तो जो प्लेस उसके लिए एलीजीबिलिटी रखता है वहां आई.टी.आई. खोलिए। I am not from Kota, though I am from Rajasthan. I do not belong to Kota. I belong to Bikaner. यह पूरे राजस्थान की जनता की भावना है कि आई.आई.टी. कोटा में खुलनी चाहिए थी। अगर वह क्षेत्र पिछड़ा है, तो जालोर में खोल दो। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है? आप आपस में क्यों बात कर रहे हैं। आप बैठिए। आप उनके ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त मत कीजिए। आप अपनी बात बोलिए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष महोदया, मैं तो बोल ही रहा हूं। यह पाइंट मैं मंत्री जी के ध्यान में इसलिए लाना चाहता हूं कि ...(व्यवधान) बहुत पुराने हैं। इसलिए मैं बैठता हूं।

---

* Not recorded

श्री शीश राम ओला (झुंझुनू): अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य से मैं कहना चाहता हूं कि क्या वे राजस्थान को जानते नहीं हैं। वे इस बात को जानते हैं कि कोटा, मध्य भारत के साथ बसा हुआ है, उसके अंदर घुसा हुआ है और जोधपुर पाकिस्तान की सीमाओं पर है। वहां पर शिक्षा नगण्य है। इसलिए आई.आई.टी. जोधपुर में खोलने का फैसला किया गया है। मैं तो यह चाहता था कि जोधपुर की बजाय सीकर या झुंझुनू में खोल दी जाती, तो ठीक रहता। जोधपुर में खोली जा रही है, यह भी बहुत अच्छा हुआ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैडम, मेरा इतना ही कहना है कि There is a Committee constituted by the Chief Minister, by the Government. In that Committee, there were eminent IITians and Professors. It was a technical Committee and not a political Committee. Prof. Vyas was the Chairman of that Committee. कमेटी का कहना मानना चाहिए था। उसमें आपने चेंज कर दिया। ये चीजें ठीक नहीं लगतीं। भारत सरकार को व्यास कमेटी की रिपोर्ट IIT, IIM व Central University की location के लिए माननी चाहिए थी । मेरा इसमें इतना ही निवेदन है कि कोटा भी बहुत एलीजीबल है। अगर आप एक स्टेट में दो आई.आई.टी. दे सकते हो, तो हमारे कोटा को भी एक आई.आई.टी. दे दीजिए। ...(व्यवधान)

मैडम, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि दिल्ली आई.आई.टीज. के लोग भी मिले और राजस्थान के लोग भी मिलते रहते हैं। आई.आई.टी. में प्रौफेसर्स नहीं मिल पाते हैं और इसलिए रिसर्च एंड डैवलपमेंट का जो वर्क है, जिसके लिए जोशी जी कल बोल रहे थे कि रिसर्च वर्क आई.आई.टीज. में कम होने लग गया है, यह बहुत चिन्ता का विषय है। मैं एक चीज और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आई.आई.टी. के जो प्रौफेसर्स हैं, उनकी जब नियुक्ति होती है, तो उसमें एस.सी., एस.टी. या ओ.बी.सी. के आदमी का ध्यान नहीं रखा जाता है। क्या आई.आई.टी. भारत के संविधान से गवर्न नहीं होती हैं, क्या भारत का संविधान उन पर लागू नहीं होता, क्या जो रिजर्वेशन के प्रॉवीजन्स हैं, वे आई.आई.टी प्रशासन पर लागू नहीं होते, क्या वे आई.आई.टी. की कौंसिल्स पर लागू नहीं होते? इन सब चीजों को भी इसमें देखा जाना चाहिए। इस बारे में अगर बिल में कोई बात होती, तो ज्यादा अच्छा रहता।

महोदया, तीसरी बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि बिल में ही जोन और कॉलेबोरेशन की बात कही गई है। इन्होंने जोन बनाए, अच्छी बात है। इन्होंने इसके साथ ही बिल में कहा कि जो पॉलीटैक्नीक इंस्टीट्यूट होंगे और जो आई.टी.आई. होंगी, उनमें क्या कोर्सेस चल रहे हैं, उनके साथ टैक्नीकल कोलेबोरेशन करेंगे।

मेरा इसके सम्बन्ध में यह कहना है कि इन्होंने जो जोन बनाये हैं, यह अच्छी शुरूआत है, लेकिन जोन के बारे में स्टडी क्या है कि उस पर्टिकुलर जोन में किस तरह की रिसर्च की आवश्यकता है। हमारे यहां पर जैसे मैं एक चीज़ आपको बताता हूं, वैसे तो फ्लोरा और फौना के बारे में हमारे यहां डैजर्ट में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन एक पौधा होता है, जिसमें पानी देने की जरूरत नहीं होती, उस आकड़े के अन्दर एक धागा होता है, उसका दूध भी निकलता है, वह मैडीशनल प्लांट भी है, लेकिन कभी आई.आई.टीज़. के लोगों ने, कभी रिसर्च करने वाले लोगों ने इसके बारे में सोचा, हालांकि आई.आई.टीज़. वाले कहते हैं कि यह हमारा सबजैक्ट नहीं है, लेकिन आफरी एण्ड काजरी ने भी लिखकर दिया कि नहीं आप इसे करिये तो क्या इस तरह का कोई सबजैक्ट आप ले सकते हैं, जिसमें लोगों को रोजगार भी मिल सकता है? उसमें आपको पानी देने की भी जरूरत नहीं है, वह डैजर्ट का पौधा है, प्रकृति का पौधा है। यह तो मैंने एक उदाहरण दिया है। ऐसे हमारे यहां सैंकड़ों पौधे हैं, जिसमें खींप है, आकड़ा है और पता नहीं कितने हमारे मैडीशनल प्लांट्स हैं। उस पर अगर स्टडी करेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो आई.आई.टी. करने वाले लोग हैं, वे बाहर भी नहीं जाएंगे, उनको लोकली एडजस्ट होने का मौका मिल जायेगा।

दूसरा, मैं यह कहना चाह रहा था कि आई.आई.टी. के साथ जब तक आप एम.बी.ए. नहीं करते, आई.आई.टी. अधूरा होता है। ऐसे हमारे कुछ लोग हैं, जिनके परिवार में बच्चे पढ़ रहे हैं, वे भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। वे कहते हैं कि आई.आई.टी. के साथ एम.बी.ए. करना जरूरी है। एम.बी.ए. का अलग एग्जाम होता है तो यह कोलेबोरेशन भी कहीं न कहीं आप देखिये। ठीक है कि एग्जाम है, उससे किसी को अहमदाबाद में एडमीशन मिल गया, किसी को लखनऊ में मिल गया, किसी को मुम्बई में मिल गया, लेकिन इसमें भी जो आई.आई.टीज़. हैं, जैसे 8 हमारे नये खुल रहे हैं, उसमें भी कहीं न कहीं कोलेबोरेशन एम.बी.ए. के साथ करिये। दूसरे, क्या आप उनसे लिखा नहीं सकते कि चूंकि आपने इंडिया में पढ़ाई की है, आपने आई.आई.टी. भी इंडिया में किया है, एम.बी.ए. भी आपने इंडिया में की है तो आप पांच साल तक विदेश नहीं जाओगे, क्या ऐसी कुछ लिखित में उनसे अंडरटेकिंग हम नहीं ले सकते? क्योंकि, उनकी पढ़ाई में अपने रिसोर्सेज़ यूज़ होते हैं और आदमी बाहर चले जाते हैं, फिर हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं और उसका रीज़न एक ही है कि वहां पर पैसा अधिक मिलता है, पैकेज अधिक मिलता है तो हमें पैकेज के बारे में भी कहीं न कहीं इंटरवेंशन करना पड़ेगा। हमारा जो ब्रेन है, जो यहां के पढ़े-लिखे लोग हैं, जो यहां पढ़ते हैं और एम.बी.ए. करने बाहर चले जाते हैं, वे तो बाहर ही सैटल हो जाते हैं। अगर एम.बी.ए. के साथ इनको लिंक नहीं करेंगे, कोलेबोरेट नहीं करेंगे, इंस्टीट्यूशंस का उस जोन में आपस में कोआर्डीनेशन नहीं बनाएंगे, यह भी एक मैनेजमेंट का पार्ट सम्मिलित नहीं करेंगे तो लोग कहीं एम.बी.ए. करेंगे, फिर बाहर चले

जाएंगे, फिर हम कहेंगे कि हमारे यहां आई.आई.टीज़. की कमी है या अच्छे ट्रेंड लोगों की कमी है, हमें यहां प्रोफेसर नहीं मिलते, हमें यहां पीएच.डी. करने वाले नहीं मिलते, हमें यहां रिसर्च करने वाले नहीं मिलते। ये सब चीजें इसमें भी आ रही हैं।

इसमें मैं एक और चीज़ मंत्री जी से कहना चाह रहा हूं कि पीएच.डी. करने वाले वैसे भी कम हैं। टैक्नीकल एजुकेशन में भी कोई पीएच.डी. करेगा तो ये कह रहे हैं कि उसको एग्जाम देना पड़ेगा। हालांकि यू.जी.सी. वगैरह सब इन्हीं का ही है। ये कह रहे हैं कि एग्जाम देना पड़ेगा, वैसे ही पीएच.डी. करने वाले लोग कम हैं, जो टैक्नीकल एजुकेशन में पीएच.डी. करना चाह रहे हैं, उनको कम से कम उस एग्जाम से या तो छुट्‌टी दिला दो या कोई ऐसा सिंपल दो-तीन पेज का फॉर्म बना लो, उसी फॉर्म में वह ढंग से भर लेगा, तो वह भी पीएच.डी. कर सकता है। वैसे ही पीएच.डी. कम करने वाले हैं और एग्जाम के साथ लिंक कर दिया तो पीएच.डी. करने वालों की संख्या और कम हो जायेगी। जैसे ही पीएच.डी. करने वालों की संख्या कम होगी तो रिसर्च करने वाले लोगों की संख्या कम होगी और रिसर्च करने वाले लोगों की संख्या कम होगी तो आई.आई.टीज़. खोलने का वास्तव में जो उद्देश्य है, वह पूरा नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से यह मंत्री जी से कहना चाहता हूं।

दूसरी चीज़, मैं मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि डब्लू.टी.ओ. एज में हम जी रहे हैं और डब्लू.टी.ओ. एज में ट्रिप, जैसी सारी चीजों का उल्लेख है, आई.पी.आर. (इंटलैक्चुअल प्रोपर्टी राइट) का भी है। अभी डब्लू.टी.ओ. एज की बात इन्होंने इसमें की है तो हम कितनी चीजों के लिए इंटलैक्चुअल प्रोपर्टी राइट प्राप्त कर सकते हैं, कितनों के लिए हमने एप्लाई किया है और यह काम इंटलैक्चुअल प्रोपर्टी राइट के लोग क्यों नहीं करते, बाहर के लोग यह कहते हैं कि यह हमारे देश का पौधा है, यह हमारे देश की वनस्पति है। जैसे मैं बीकानेर से आता हूं, वे नमकीन को ही बाहर ले गये कि नमकीन हमारे यहां बनती है। ज्योग्राफिकल इंडीकेशंस में भी आई.आई.टीज़. वाले योगदान नहीं करते हैं तो यह सब कोलेबोरेशन जो जोन बनाये हैं, उसमें जब इन सब चीजों का कोलेबोरेशन होगा, तब जाकर इस बिल की सार्थकता सिद्ध होगी, अन्यथा बिल जैसे ये लाये हैं, 8 नये आई.आई.टीज़. खुल जाएंगे, जिस तरह के देश के लोग हैं, जिस तरह के नौजवान लोग हैं, जो टैक्नीकल एजुकेशन लेना चाहते हैं, जिनके मन में पीड़ा है कि हमें इस तरह की टैक्नीकल एजुकेशन मिले, जब यह सब होगा, तब इस बिल की सार्थकता होगी।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Madam Speaker, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill.

I rise to support the Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2010. The Bill was introduced in the Lok Sabha by the hon. Minister in the month of August, 2010. Actually, the main aim of the Bill is to look into the Institutes of Technology Act, 1961. This particular Act has declared the IITs, which are seven in number, which are at Kharagpur, Mumbai, Delhi, Kanpur, Chennai, Guwahati and Roorkee, as institutes of national importance. Now, the Government feels that we require more IITs. So, in the year 2008, it was decided to establish eight more IITs at Bhubaneswar, Gandhinagar, Hyderabad, Patna, Jodhpur, Ropar, Mandi and Indore. Now, this particular Act of 1961 should take into its fold these IITs so that they also become institutes of national importance. At the same time, the Government also feels that there are many institutes in the country which have got their own qualities. They wanted to study which of these institutes can be converted into IITs.

When an Expert Committee was formed, they found that the Institute of Technology under the Banaras Hindu University is also one of them. So, the BHU University's Institute of Technology has been named as the IIT, Banaras Hindu University and this has also to be included in the Act.

In the previous Act, seven IITs have the jurisdiction over the entire country. Now, with the introduction of these IITs, the Act wanted to define the zones. The hon. Minister has fully explained about that and hence I will not go into the details. The Act has gone into the full details of how the zones are being distributed and what are the functions of these IITs in these zones. In each zone, the Institute will have the duty to support and collaborate with the technical education institutions that fall within its respective zone. They have also to collaborate with the other technology activities in the zones. But, unfortunately, as the Banaras Hindu University has recently recognized its IIT, BHU, it has to have

its own separate zone. I think that will be looked into. There is nothing to worry about that.

The most important thing is that the Bill has gone to the Standing Committee and the Report on that is there. The Standing Committee has looked into various pros and cons of the Act. We welcome the inclusion of these new IITs and also the IIT, BHU in the Act and declare them as institutes of national importance.

While supporting the Bill, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the Board of Governors. We wish all the IITs should have a regular, a very similar Board of Directors. Here and there, some variations are there. One such instance is that since the BHU does not have its own zone, no State is given here. So, the State nominee will not be there in this zone. Every IIT is required to have a representative of the respective zone, I mean, the State.

In this connection, I would like to draw the attention of the House to the present position. Out of these eight new IITs, their academic sessions were to be started in 2008-09. Only two IITs have started the session. Six institutes are yet to start the session. Mere declaration of these institutions as institutes of national importance indicates only a quantitative achievement, not qualitative achievement. Fulfilment of qualitative achievement of these new IITs does not seem to be feasible in the near future. So, I suggest that all these new IITs should start functioning immediately.

One problem is about the campus. Lands have been allotted. The State Governments have allotted the land but they have not been taken over. Probably, certain things are there. Only IIT, Hyderabad have got their own land. These are certain things which are yet to be looked into.

Then, the Government needs to take urgent initiatives for attracting qualified teachers to these institutions. My learned friend from the other side said that we have got dearth of experts for teaching as well as for carrying out research activities. I would like to inform him that the faculty from abroad, especially the

NRIs who went out from our IITs and working in other countries, these NRIs and overseas Indians are being brought into our country through a vigorous campaign through their alumni network. This is a very good thing. Then, we should make a provision in the rules for re-employment of superannuated teachers.

Then, we should enhance the scholarship amount given to Ph.D students. I would like to draw the attention of the hon. Minister that our students who are doing Ph.D in all the scientific research institutions are going abroad after finishing their study. I would not like to name the institutions here. What is happening is, the moment the students submit their Ph.D thesis, they are offered very good jobs anywhere in the country and abroad. With all humility I would like to say that they are offered a salary which is more than double of what their Professors are getting. That is why, our research students are going out of our country soon after completing their research. So the Professors do not want the students to submit their thesis papers, with the result the students remain there. This is the mechanism which the Professors are adopting to retain the students there for some more time even after completion of their research. They have got their own reasons to explain for this because they have to look after the laboratories. There are no people to look after the laboratories to continue the search. So, what the Professors are saying is also correct. Taking all these things into consideration, I would suggest that the scholarship amount paid to Ph.D students should be enhanced. At the same time, post-doctoral research students should be given ample opportunities for working there so that they can be retained in their parent institutions. Then, the salary of the faculty needs to be increased. Of course, they have got some benefits due to the Sixth Pay Commission. But their salary needs to be enhanced further.

I would like to draw the attention of the Ministry about the faculty position in our IITs at present. I will not go into details. But out of the existing seven IITs, IIT, Kharagpur is very famous. But the faculty position there is, as against 870 posts, we have only 530 in position and 340 posts are lying vacant. This is just one

example. In almost all the seven IITs, we have vacancies in the range of hundreds. Then, in the eight new IITs which are to be started, the Government has sanctioned 90 faculty members each for six IITs. Out of these six IITs, only IIT, Hyderabad has got 46 faculty members in position and 44 posts are lying vacant and the faculty position in other institutes is still worse than this. The reason why I say this is because without the faculty members being fully recruited, it will be very difficult for these institutions to attain the status of institutes of national importance. I think we will not deny the fact that IITs cannot become institutes of national importance unless they have the required number of qualified and experienced teachers. With further expansion in terms of number of higher educational institutions, this problem would acquire gigantic proportions. So, we have to take this into account and take suitable action to fill up the vacancies of faculty members. Therefore, I would request the Minister to pay special attention in this regard.

Then, I would also like the Ministry to do what the UGC is doing now. They have Faculty Improvement Programme where the in-house faculty members can be given training so that they can improve themselves by acquiring knowledge about new technologies. Similarly, the existing Faculty Recruitment Mission may be made a permanent one. We should not do it on a temporary basis. This will attract the young people having potential to teach, and besides that we can build training facilities for the in-house IIT faculties.

Advancement of knowledge through inter-disciplinary interaction has become the forte of the day. Therefore more inter-disciplinary process should be introduced in all these IITs. They should make a proposal so that those we should not stick to those original themes only. Why I am saying this is because in our country, India, in research we have enjoyed, during a very elaborate span of time, development of basic science. You know the importance of basic science. With the knowledge of basic science that we have in the country we can develop a better understanding of other disciplines.

This actually has helped our IIT graduates to go abroad and they are found successful. After being found successful there, of course, they wanted to contribute something to the country, they wanted to come back. That is why, I have mentioned in the beginning that we can always make avenues so that NRIs and those who are working abroad can be given more opportunities to come and work here.

I would like to emphasise on one very important point which the hon. Minister has mentioned and that is about the end of the era of control. This is very encouraging because in education, as such, one cannot force one to learn. All of us are aware of our *Gurukul* system where those students who wanted to learn used to go to the house of the teacher, stayed there, worked for him, and tried to convince him that they actually wanted to learn. Only after that the teacher used to pick them up and taught them. So, the way is that we should teach those who want to learn. This was the system which we have had. In that way, the institution should be given some autonomy so that they can frame their curricula, their way of examination, way of teaching and they should be given some freedom. This way they can select those students who want to learn and that way the teaching and learning process will be very successful.

Another important thing is about the benefits to be given to the rural population of the country. Of course, India lives in villages and we are all concerned about the rural people. For that we have got Right to Education Act and we have got many institutions, like Sarva Shiksha Abhiyan, etc. So, after taking up all these talents from the far flung areas through Navodaya Vidyalayas, etc. we can nurture our education system in the country. Now-a-days many students are coming up. So, we have to encourage institutions like Navodaya Vidayalayas where you can have district level institutions. These can tap the students from the rural areas who can contribute their intellect for the development of the nation. In that way, I suggest that more number of such schools can be

established by the Government so that rural talent is being tapped properly and in time.

As far as research and development activity is concerned, as I have mentioned earlier, we should give more emphasis on the research and development of basic science, which is our forte. In that respect, I would very humbly submit to all of you that we are the inventors of 'Zero'. You know how much powerful 'Zero' is. 'Zero' is most powerful if it comes on the right side of a figure and if it comes on the left side of the figure, it is, of course, difficult to explain. I have been a student of Mathematics and I have been teaching the subject for more than 30 years. I do feel that 'Zero' has definitely some value. Therefore, we have to work on our certain things where we have got the talent.

I would say that Astronomy is the only basic science because when there was no light, when there was no Sun, and when the night came there was no Moon, you could not see anything. You had to look up at the Sky and start counting the Stars. From there we have started all these laws of heavenly bodies and all these things. This is the basic science that we had and we have in the country. We have developed a lot in the field. Of course, the Germans are doing our Indology through Sanskrit and all people are trying to follow us. This is where we have got our best fundamentals and our basic things. So, we have to improve those. By improving research and development in fundamental science, in basic science, perhaps our country will be able to – when I say this I would be very humble – dominate the research activities in the entire world. At the present moment also, we are dominating in IT across the world simply because our people here do speak English. Fortunately or unfortunately, we have got the talent in basic Mathematics. So, in computing and in IT faculty, now we are dominating everywhere. These are the things which we have to take into account.

I would like the Department and the Ministry to note our concern and ensure that these Institutes are made to evolve an advanced Institutes doing research at the global level. We should not be confined only to the regional level.

We should come out and compete at the global level so that we lead the entire world in the field of research and development in the scientific activities.

With these few words, I support the Bill. It is a good Bill. I congratulate the hon. Minister and the UPA II Government for having brought this Amendment Bill.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मंत्री जी इस बिल में वर्ष 1961 का संशोधन लेकर आए हैं। मैं इसका पुरजोर समर्थन भी करता हूं। कल ही माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा शोध छात्रों के बारे में जो बिल लाया गया था, उस पर हमने चर्चा की थी। उस पर आदरणीय श्री मुरली मनोहर जोशी ने कुछ आपत्ति की थी। आज पूरे देश में एनआईटी जैसे बहुत से ऐसे संस्थान खुले हैं, लेकिन देखा गया है कि हमारे यहां जो योग्य शिक्षक हैं, उनकी आज भी कमी है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि योग्य शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अगर अलग से प्रशिक्षण दिया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत कारगर होगा।

आपने भारतीय विज्ञान और शिक्षण अनुसंधान संस्थान कोलकाता, भोपाल, तिरुवनंतपुरम और मोहाली में खोलने के बारे में जो घोषणा की है, वह स्वागत योग्य है। लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं। वहां भी इन्हें खोलने की आवश्यकता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उनमें योग्य शिक्षक हों ताकि शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो इंजीनियर निकलें, वे देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। हमारे देश में आज भी तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने वाले नवयुवकों और शिक्षकों की कमी नहीं है। लेकिन उन्हें वहां नहीं लगाया जाता। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इन संस्थानों में उन्हें प्राथमिकता दी जाए।

यह स्वागत योग्य है कि आपने दो लाख तकनीकी सीटें बढ़ाने की घोषणा की है। लेकिन उसमें गरीब छात्रों के लिए आपने केवल पांच फीसदी सीट्स ही रिजर्व की हैं। मैं चाहूंगा कि इसे बढ़ाकर कम से कम दस फीसदी किया जाए। शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स और ओबीसी के छात्रों को भी उसमें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना चाहिए।

आपने ग्रामीण क्षेत्रों में नए संस्थान खोलने के लिए दस एकड़ और शहर में 2.5 एकड़ जमीन की व्यवस्था के बारे में एक मानक बनाया है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर लघु और सीमांत किसान हैं। उनके पास जमीन बहुत कम हैं। यदि इसे दस एकड़ से कम करके पांच से आठ एकड़ तक कर दें तो अच्छा होगा।

महोदया, किसानों के पास जो जमीन है, वह खेतीयोग्य जमीन है, किसानों की राय लेकर ही उनकी जमीन का अधिग्रहण करें, तभी अच्छी व्यवस्था हो पाएगी और हमारे नए संस्थान भी खुल पाएंगे। आपने आंकड़े दिए है कि देश में 3200 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जिनमें पांच लाख इंजीनियर्स आप तैयार करते हैं, लेकिन आज जो लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके और प्रशिक्षण लेकर निकल रहे हैं, उनके

सामने भी बेरोजगारी की समस्या है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो इंजीनियर्स पढ़ाई करके निकल रहे हैं, उनको हम रोजगार देने की भी व्यवस्था करें। वे तमाम प्राइवेट एवं विदेशी कंपनियों की ओर जा रहे हैं। कोशिश हमारी यह होनी चाहिए कि अपने देश के संस्थानों एवं विभागों में उनका समावेश हो तभी जाकर हमारा मकसद पूरा हो पाएगा। हमारे बहुत से ऐसी आईटी विभाग इंजीनियरिंग कॉलेजों में हैं, जो बंद होने की कगार पर है, उनको आर्थिक सहायता देकर अधिक मजबूती देने की जरूरत है। उनको चिन्हित करके हमें यह व्यवस्था करनी चाहिए कि वे रेगुलर चलें क्योंकि उनके यहां का पुरानी परफार्मेंस बहुत अच्छी रही है। यह दुर्भाग्य है कि आजादी के 62 वर्ष बाद हमने एक से आठ तक अनिवार्य शिक्षा की है, छः से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए किया है, जबकि इसको आजादी के बाद ही करना चाहिए। तमाम राज्यों ने इसमें अपनी मजबूरी भी दिखाई है कि हमें अनिवार्य शिक्षा के लिए केन्द्र धन दे, तभी हम इसको पूरा कर पाएंगे। जब हम बच्चों को बेसिक शिक्षा नहीं दे पाएंगे, आगे चलकर उनको क्या दे पाएंगे। आपको राज्यों के मुख्यमंत्रियों, शिक्षामंत्रियों एवं टेक्नीकल एजुकेशन के मंत्रियों का सम्मेलन बुलाकर यह व्यवस्था करनी चाहिए कि वे अनिवार्य शिक्षा में विशेष भागीदार हों, भाग लें, जब उनकी जड़ मजबूत होगी, तभी हम आगे जाकर उनको तकनीकी शिक्षा देने पर बाध्य होंगे। आपने 20 नए आईआईआईटी की स्थापना की मंजूरी दी, जिसमें आईआईआईटी के लिए 128 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां बहुत से पिछड़े राज्य हैं, जैसे पूर्वोत्तर राज्य एवं अन्य पिछड़े राज्य, उनको प्राथमिकता दें कि वहां पर ये संस्थान खुलें, ताकि वहां के प्रतिभाशाली छात्र चुनकर आएं। आईआईएम के लिए 60 करोड़ रुपये, एनआईटी के 80 करोड़ रुपये और नए एवं पुराने पॉलिटेक्निक्स की बेहतरी के लिए आपने 840 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। अगर पूरे देश में देखा जाए, तो बहुत से ऐसे पॉलिटेक्निक एवं कॉलेजेज हैं, जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है। इस बजट को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे यहां इलाहाबाद में भी एक पॉलिटेक्निक है, उसकी स्थिति बहुत खराब है। इसलिए इस बजट को थोड़ा सा बढ़ाएं ताकि उनकी स्थिति भी अच्छी हो सके। मैं मांग करना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र कौशाम्बी – कौशाम्बी जनपद एवं प्रतापगढ़ में इस प्रकार के नए संस्थान अगर स्थापित कर दें, तो बहुत अच्छा होगा। वहां के छात्र पढ़ने के लिए इलाहाबाद, लखनऊ या कानपुर जाते हैं। इससे उनको अपने ही जिले में शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक संस्था मिल जाएगी। यह मेरी पुरजोर मांग है। व्यावसायिक शिक्षा के लिए आपने अलग से एक बोर्ड बनाने की बात कही है जैसे सीबीएससी एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड्स हैं। आपने तकनीकी शिक्षा बोर्ड बनाने की बात की है, उसमें राज्य सरकारों से बात करके बनाएं, तो मेरे ख्याल से बेहतर व्यवस्था होगी। इस तरह की शिक्षा को सीधे रोजगार से जोड़ने की व्यवस्था हो। यह देखना चाहिए कि छात्र का कहां पर इंट्रेस्ट है और कहां पर उसकी लगन है, उसको देखकर अगर रोजगार से जोड़ने की व्यवस्था करेंगे, तो अति उत्तम होगा।

आपने 50,000 दक्षता उन्नयन केन्द्र खोलने की बात आपने कही है जिसमें 1600 आईटीआईज की स्थापना करने की बात आपने कही है। आपने सीबीएसई बोर्ड में यह व्यवस्था की है कि दूसरी पाली चलाकर टाइपिंग, स्टेनोग्राफी, कंप्यूटर शिक्षा, क्राफ्ट्स एवं अन्य तकनीकी शिक्षा देने की जो व्यवस्था की है, वह बहुत उत्तम है। इस प्रकार की व्यवस्था अगर अन्य बोर्ड्स में भी करेंगे, तो बहुत अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदया, मैं इसी के साथ यह भी कहना चाहूंगा कि मंत्री जी ने बताया है कि तकनीकी शिक्षा में 50 प्रतिशत सीट्स बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा इंजीनियरिंग में 2 लाख, मैनेजमेंट में 80,000 और आर्किटेक्ट में 2200 सीट्स बढ़ाने की भी बात कही है और इनमें पांच फीसदी सीट्स कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप पांच फीसदी की जगह दस फीसदी आरक्षित सीट्स उनके लिए कर देंगे तो ज्यादा उचित होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं नालंदा से आता हूं और इस नाते बताना चाहता हूं कि नालंदा जो प्राचीन काल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का एक उच्च संस्थान था, उसे बख्तियार खिलजी ने बारहवीं शताब्दी में जलाकर राख कर दिया था, लेकिन उसके बाद बिहार के मुख्य मंत्री और हमारे नीतीश कुमार जी ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर लाने की कोशिश शुरू की है और अंधेरे में दीप जालकर

12.56 hrs.

(Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair)*

उस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुनः स्थापित करने का काम कर रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में भूगोल और ग्रहों का अध्ययन कराया जाता था। ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है कि नालंदा विश्वविद्यालय के साथ-साथ वहां पर एक आईआईटी भी खोला जाए।

नालंदा के नाम पर कई जगहों पर कार्यक्रम चलाए जाते हैं। दुनिया भर से छात्र वहां शिक्षा ग्रहण के लिए आते थे। मैं सदन से मांग करता हूं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ-साथ वहां पर एक आईआईटी खोला जाए, वैसे पटना में आईआईटी की पढ़ाई शुरू हो गई है। लेकिन तीन बरस हो गए हैं, वहां पर केवल कुछ विषयों की ही पढ़ाई कराई जाती है। पटना के आईआईटी का अपना परिसर नहीं है, वहां पर क्लासेज़ लेने के लिए बाहर से शिक्षक आते हैं। मेरा सुझाव है कि बाहर के शिक्षकों की जगह वहां पर स्थाई रूप से शिक्षकों की नियुक्ति हो, जिससे पटना के आईआईटी में सुधार हो सके। वहां पर न तो कोई लैब है, न कोई पुस्तकालय है और न ही उसका कोई कैम्पस है। मैं चाहता हूं कि ये सारी व्यवस्थाएं सरकार कराए।

पटना के आईआईटी में और भी कई सुधारों की गुंजाइश है, जिन्हें किए जाने की जरूरत है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि पटना के आईआईटी में इन सभी सुधारों को प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र पूरा किया जाए, जिससे पटना का आईआईटी एक उच्च शैक्षणिक संस्थान बन सके।

एक बहुत पुरानी मांग रही है कि बीएचयू को आईआईटी का दर्जा दिया जाए, जो कि अभी तक नहीं दिया गया है, जबकि वह आईआईटी होने की सभी शर्तें पूरी करता है। मंत्री जी ने इस बारे में सिफारिश भी की है, जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

मेरा एक अन्य सुझाव है कि बिहार से झारखंड अलग राज्य बन गया है। लेकिन झारखंड में कोई भी आईआईटी नहीं है। सिंदरी में बीआईटी है, हम चाहते हैं कि उसे आईआईटी का दर्जा दिया जाए, जिससे स्थानीय स्तर पर वहां के बच्चे आईआईटी में जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकें।

सभापति महोदय, इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, I would make an announcement that there will be no Lunch Hour today.

Sk. Saidul Haque.

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak.

This Bill seeks to amend the Institutes of Technology Act, 1961.

I welcome the inclusion of eight newly established IITs under the provision of this Act and conversion of IT (BHU) University into the system of IITs. The purpose of the Act, as is expressed, is to enhance access, equity and quality of higher education in the country in the field of technological education and research. If the Government likes to make these institutions as institutions of national importance in real sense, the Government should take some concerted efforts to make them advanced centres for study and research.

13.00 hrs.

Sir, I have some points to make. My first point is on the question of quality. There are seven IITs already existing and adding these new eight ones, there will be 15 IIT plus IIT Banaras University. So, it would be more than double of the present number of IITs. But what is the quality status of these Institutions? If we take into account the older seven ones, i.e., IITs at Bombay, Delhi, Kanpur, Kharagpur, Madrs, Guwahai, Roorkee, it is seen that the total sanctioned faculty strength is 4,052, but still 1179 posts of teaching staff are vacant as on 27.8.2010. In my State of West Bengal, there is one IIT at Kharagpur where the total faculty strength is 870 but 340 posts are still vacant. Similarly, in Roorkee, the total strength is 5,777 and 199 posts are still vacant. Same is the case with other IITs. Mandi and Indore, the other six have started functioning from the Academic Session 2008-09. As per the norms, 30 teachers per year per IIT were required to be in place during the first three years. But what is the position now? Those six IITs have the sanctioned faculty strength of 540 and 311 posts are still vacant, which is more than half of the total sanctioned strength. Similarly about the IIT at Jodhpur, out of 90 sanctioned posts, 70 are still vacant; about the IIT, Ropar, out of 90 sanctioned posts, 57 are still vacant.

Sir, just think the plight of students in these new IITs with quite a few of them being M.Tech or Ph.D students. They are pursuing their professional education in the absence of qualified and experienced faculty. That being the case, how would these IITs become Institutions of national importance in the field of higher education and research?

Hence, without properly addressing the area, further expansion would only lead to problems in gigantic proportions. The Government must ensure the quality of such premier institutions. It must not be compromised with quantity and future promises. At the same time, for admission criteria, reservation status for the backward and weaker sections must be kept as per the Constitutional mandate.

So is the case of locations of campuses. The campuses of the newly set up institutions, are presently, temporary in location. The present temporary campuses located at the sites like ordnance factory or polytechnics cannot be considered an ideal setting of institutions of national importance. All these new IITs should be fully functional in a real sense and in a time bound manner with proper location of campuses. But the way, the Government is moving, it appears that the fulfilment of qualitative parameters of these new IITs does not seem to be feasible in the near future. Hence, mere declaration of these institutes as Institutions of national importance indicates only a quantitative achievement. As such, will it not be just a change of nomenclature? At the same time, it should be seen that the students coming out of these institutions at the cost of national exchequer, must serve this country in the field of science and technology.

My second point is with regard to the question of Government's overall approach to such institutes vis-à-vis the IIT Act, 1961. In the present Amendment, the Government's main objective is to incorporate the eight new IITs along with IIT, BHU by amending the IIT Act, 1961. But the need of the hour is to make a comprehensive review of the whole Act as suggested by the Planning Commission. The Planning Commission has opined that instead of amending the Act, time and again, a thorough review of the Act is required so as to include all

such features that may bring these IITs at par with global practices, norms and standards of grievance, finance, teaching, research and collaboration. The Parliamentary Standing Committee had also made the same kind of observations. So, with phenomenal advancement in technical education across the globe, our premier technical institutions like IITs need to function, keeping pace with the fast changing scenario in the globe.

The Government had constituted a Committee under the chairmanship of Prof. Anil Kakodkar in February, 2010 to suggest a roadmap for the autonomy and the future of the IITs. I do not know whether that Committee has submitted its Report by November, 2010, as was scheduled. If not, that should be done at the earliest; and then, the Government should place before the House, a comprehensive amendment in the light of the suggestions given by that Committee and also by the Planning Commission.

My third point is regarding duties and responsibilities to be performed by every Institute of Technology with regard to concerned States or Union Territories under its zone.

Clause 7 of the proposed Bill seeks to amend Section 6 of the Principal Act wherein it has been proposed that every Institute may strive to meet the technological needs of the States and Union Territories included in its zone by supporting and collaborating with technical education institutes located in the zone with a view to enhance their quality and capability and also by advising the State Governments and UTs included in its zone in the matter of technical education and any technological issue referred by them to the Institute for advice. But by using the word 'may', the Government likes not to make the duty and responsibility mandatory with regard to serving the technical needs of the States and UTs. But is it not contradictory to what has been said in 4(d) of the Statement of Objects and Reasons? It is written there that it will be the duty of the IITs to support the States and the UTs technologically in their zones and address their technical problems. Right now, without a larger support system, with increased number of faculty

members, with equipped labs and other facilities, the Institutes will not be able to meet the need of the States and UTs. So, my suggestion is that the Union Government should make each Institute well equipped to meet the need of its own and also of the States and the UTs falling within its zone for the national interest of the country and States' representative in the Board concerned must be kept.

Fourth is the question of redefining the zones of Clause 3 of the said Bill. To the existing seven IITs, we are adding eight more. Hence, while deciding the zones, the distribution of States and UTs should be made in a more balanced way so that none of them becomes overburdened and no State remains uncovered. The IIT, Banaras should also have a zone of its own. The Standing Committee has also made specific recommendation to that effect.

Now, I would request, through you to the hon. Minister to consider establishing one more IIT in North Bengal in West Bengal in the Twelfth Five Year Plan. I do hope that the Government will look into the points and also will give due honour to the recommendations given by the Standing Committee and the Planning Commission in this regard. With these, I conclude my speech.

डॉ. बलीराम (लालगंज): महोदय, प्रौद्योगिक संस्थान अधिनियम, 1961 में संशोधन का जो मामला मंत्री जी लाए हैं, इस विषय में बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कुछ मायनों में मैं इसका स्वागत करता हूं कि उन्होंने शिक्षा को व्यावसायिक बनाने की पहल की है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान बनारस यूनीवर्सिटी की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। वर्ष 2010 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान संशोधन विधेयक अगस्त 2010 मानसून सत्र में लाया गया।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुई और इसके पीछे पंडित मदन मोहन मालवीय की अहम भूमिका रही। उस समय हमारे देश में यह एक ऐसा विश्वविद्यालय था, जिस तरह से आज आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कम्ब्रीज यूनीवर्सिटी, कोलम्बिया विश्वविद्यालय हैं, इस केटेगिरी का हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय रहा है। माननीय मंत्री जी जो विधेयक लाए हैं कि हम आईआईटी की स्थापना करेंगे और पृष्ठ 3 के पैरा-6 में दर्शाया है कि आईटी बीएचयू की चल और अचल सम्पत्ति आईआईटी बीएचयू वाराणसी में विहित होगी। इसमें यह भी है कि इसका अलग से प्रशासन होगा और इस पर बनारस यूनीवर्सिटी का कोई नियंत्रण नहीं होगा। अगर आपको इस तरह से करना है तो बीएचयू के कैम्पस में न खोलने की बजाय आप दूसरी जगह आईआईटी खोल दें, हम इसका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से करते हैं, तो यह निश्चित रूप से काशी विश्वविद्यालय को ठेस पहुंचेगी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भावना को ठेस पहुंचेगी। बीएचयू की दूसरी विशेषता यह रही है कि कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड का उद्देश्य एक परिसर में, एक शासन के अन्तर्गत मूल प्रयोज्य और व्यवसायी पाठ्यक्रम विषय पढ़ाया जाना और समग्र शिक्षा प्रदान करना था। इसमें अलग से कोई इस तरह का कुछ प्रावधान नहीं किया गया है और जो काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का जो 1915 में बीएचयू विधेयक प्रस्तुत करते समय सर हरकोर्ट बटलर ने यह कहा था कि यदि कोई अखिल भारतीय विश्वविद्यालय है तो वह यही है। इसमें उन्होंने कहा था कि टैक्नीकल ऐजुकेशन को अलग से करने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर इस तरह से करते हैं तो कल वहां का मेडिकल, कृषि और तमाम ऐसे संकाय हैं, इंस्टीट्यूट हैं, वे भी अपनी अलग से मांग करेंगे और तब विश्वविद्यालय का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहता हूं कि इस तरह के विधेयक को आपको वापस लाना चाहिए जो बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के संदर्भ में आपने कहा है। आप आईआईटी खोलें लेकिन उस पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का नियंत्रण रहे, उसकी देखरेख उस विश्वविद्यालय के तहत होनी चाहिए। अलग से खोलने का कोई औचित्य नहीं होता। इसलिए हम आपसे यह अपील करना चाहेंगे कि इसके विपरीत बीएचयू को इंजीनियरिंग और टैक्नॉलोजी संकाय से अलग किया जा रहा है ताकि एक नया स्वतंत्र संस्थान स्थापित

किया जा सके जबकि गजेन्द्र गढ़कर समिति ने ऐसी सिफारिश नहीं की थी और इस प्रकार के राष्ट्रीय स्वरूप का ह्रास होगा। इसीलिए वर्ष 2009 में भारत सरकार के मानव संसाधन विभाग द्वारा गठित समिति ने सिफारिश की थी कि व्यवसायिक पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग और मेडिकल को अलग से नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहेंगे कि इस पर निश्चित रूप से विचार करें। मैं उसका स्वागत करता हूं कि जो आपने इस तरह की पहल की है कि तमाम आई.आई.टी. कॉलेज खोल रहे हैं, पॉलीटैक्निक कॉलेज खोल रहे हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज आप गांवों और शहरों में खोलने की बात कर रहे हैं। साइंस एवं टैक्नॉलोजी में अगर हम अपने इतिहास को देखें तो भारत में साइंस और टैक्नॉलोजी सबसे मजबूत रही है और तमाम आक्रमण चाहे आक्रमण होने के कारण चाहे विदेशियों का आक्रमण रहा हो, इसके तहत हमारी संस्कृति और सभ्यता को, हमारी साइंस और टैक्नॉलॉजी को तहस नहस किया गया। आज जरूरत इस बात की है कि हमें साइंस और टैक्नॉलोजी को तरजीह देनी चाहिए। इस पर ज्यादा से ज्यादा धन खर्च करना चाहिए और साथ ही साथ हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि एक तरफ तो आप इंजीनियर लड़के बना रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ उनके रोजगार की आपके पास क्या व्यवस्था है, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए।

तीसरी बात मैं एससीएसटी और पिछड़ी जाति के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि आपने जो यह विधेयक लेकर आए हैं, इसमें 5 प्रतिशत वीकर सैक्शन के लिए आरक्षण की बात तो कही गई है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा संविधान है, संविधान में एससीएसटी और पिछड़ी जातियों को 22.5 और 27.5 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है। इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपील करेंगे कि इसमें भी आप अमेंडमेंट करिए और एससीएसटी को 22.5 और पिछड़ी जातियों के लिए 27.5 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था करें।

DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): Mr. Chairman, the Committee observes as to what happened to the seven IITs, including Delhi, Kanpur and Kharagpur, if you see about 50 years of their existence. I do not know. The hon. Minister, who is most prominent, would appreciate that he has cancelled some universities which were the very feeding centres to promote the IITs.

We have been requesting the hon. Minister to recognise another institute, Asian School of Business Management, which is having full infrastructure, but I do not know why you are not recognising it as a university. The UGC has already recommended that Orissa needs about 13 universities, which we will not have until and unless you promote those institutes or recognise them for MBA or technical studies. I would request you to immediately announce certain universities in Orissa which can act as the feeding centres for IIT.

I would like to thank the hon. Minister that the foundation stone of one IIT has been laid in my constituency. I was leading a team of the hon. Members of this House and pleaded to him why you shifted the IIT. After a long struggle and sustained effort on my part and subsequently on the request of our hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, you did it. But I would also bring to your attention that till now it is being managed in the rented premises. The main building has not yet started. I am delighted and grateful if you could allot more money to meet the demand to complete that IIT Centre in my constituency which is rural-oriented. The parents of the school-going children in those areas are selling their properties so that they can enrol them in that IIT whereby their children are able to get jobs. Despite that, it so happened that some of the feeding centres are being neglected by you.

I am soliciting your kind attention and would request you again and again to pay special attention to promote those IITs. Orissa needs another IIT. After we raised our demand, we are grateful to the Central Government that it has already sanctioned one IIT in Bhubaneswar, which is my constituency and also the capital of Orissa. I would also submit that we need another IIT for western Orissa or

southern Orissa or northern Orissa. It depends on you how you would like to allocate it, but it is my request and submission to you.

I would like to submit that you are promoting the islands of excellence. It should not be there. You promote whatever you are promoting, but you also take care of rural students because those are exploring their knowledge. So, in Orissa, we have had scholars and we also need scholars. Since the students there do not have proper institutions, they are going outside.

I would like to cite the example of Kharagpur IIT. It is near Kolkata, but it is a rural-based IIT. It is feeding and promoting rural students to become scholars. Then, I find that IITs lack particularly in research work. It should be a research-oriented august institution and should promote research. To promote research work, we need some research scholars. So, these IITs should be research-oriented institutions.

My last request is related to vacancies in Bhubaneswar IIT and not only Bhubaneswar but also the other august institutes. In Bhubaneswar, the sanctioned faculty strength is 90, but 42 persons are in position and there are 48 vacancies. With regard to infrastructure, I would like to submit that it is still being managed in the rented premises. So, again, I would like to pray to you that the real money you have allocated, it has not really reached there. It is located at Jatni Assembly Constituency, which is near my constituency. I would request you to pay special attention to see that whatever money you have allotted, must be released soon as we need more funds from your side.

MR. CHAIRMAN: The next speaker is Shri Prabodh Ponda.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Sir I am not Ponda. I am Panda starting with 'Pa'.

MR. CHAIRMAN: I am sorry.

SHRI PRABODH PANDA : Thank you, Chairman, Sir. In principle, I support this particular Bill. The Bill is for inclusion of eight newly established IITs and conversion of IIT, BHU into a system of IITs.

The proposed legislation indicates a significant step in fulfilling the aspirations of our young students so far as higher education is concerned. I think that this Bill has a three-fold approach. Firstly, to include eight new institutes under one umbrella; secondly, it would empower the State Government to notify zones; and thirdly, the IITs would be entrusted to observe the technological problems of the respective States. So, in principle, I support it.

I am lucky enough as the IIT, Kharagpur falls in my constituency, and I am thankful to the Union Government for allocating Rs. 200 crore for the development of IIT, Kharagpur. I have some other points to mention here with regard to this Bill. All the IITs are enjoying autonomy. So, I think that they have already gathered some experience for a long time.

A point has also been raised here about the shortage of faculty. The IIT, Kharagpur, which is a premier institute of technology, is also suffering as there is a shortage of faculty of more than 350 in number. They are now contemplating to expand the disciplines, and the student strength would also be doubled. How will this acute shortage of faculty there match with this step?

As regards R&D, it was mentioned in yesterday's discussion as to how much has been allocated in the Budget for the R&D in the IITs and other universities.

As regards producing more PhDs, it is much less than the expectation. Generally, it is observed that most of the students studying in the IITs have their eye on foreign universities. Their body is in the IITs in our country, but their mind goes to the foreign universities. So, we have to think over this situation. The IITs function in a situation when several changes are taking place in the global scenario. There should be upgradation of the IITs and the standard of the IITs

should be much higher so that there is attraction for them and they will not be in a mind to go abroad to get their PhDs or even the Post Graduation degrees.

IITs do not merely comprise of Professors or Faculties, but also comprise of employees, including the ones employed in the hostels. What is your attitude towards them? As far as Kharagpur IIT is concerned, the employees are facing problems in regard to their pay-scales and they have problems relating to promotions and in some respects they are not even at par with the employees working in the universities. I have had several discussions in this regard with the former Minister of Human Resource Development, late Shri Arjun Singh, but they have not been sorted out so far.

Another problem with regard to IITs is about the research work being done in higher educational fields like engineering and technology without any backward linkages. It was said earlier that the laboratories should travel to the villages. There should be linkages between the villages and the IITs. Be it agriculture, industry or infrastructure development, the IITs should play an effective and pro-active role. The research done in the IITs should not be superfluous and should be linked with the local areas. Earlier, it was linked with the villages, now it excludes the villages as it is thinking about other things.

Another point is about the patent regime. What about the achievements of the IITs. In how many aspects we have Intellectual Property Rights or Patent Rights? It is our desire that IITs should endeavour in this regard.

Another important aspect about IITs is that it was established by the Union Government or by the Parliament. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please conclude now. You are a very senior Member. You must speak on the Bill. Please conclude now.

SHRI PRABODH PANDA : What about the role of the local MPs in the IITs? How will they be involved in the local IITs? We have to intervene in several matters relating to IITs, as it has happened in the case of a Member of Parliament of one particular area. There is no system at present or there is no provision for

involving the local MPs. Even when the hon. Minister visits these premiere IITs, the local MP is not being invited or not being called. There should be some provision so that the local MPs could be involved.

With these words, I support this Bill. In the coming days, I think the Minister will come forward with a comprehensive review in this regard. We are very happy that another 18 IITs are coming up and that more IITs will be coming up in our country.

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Hon. Chairman Sir, at the outset, I want to congratulate the Government for setting up 8 more Indian Institute of Technology. I also congratulate you sir for allocating Rs.100 crore this year for IIT Kharagpur, which is in my state West Bengal. I would like to urge upon you not to abolish the Benaras University IIT because it has a long legacy and cultural heritage. Thus it should be maintained.

My suggestion is that more IITs should be set up in our country. We all know that good, qualified teachers are required to teach bright students. But as of now, there is dearth of qualified faculty. So in all such institutes 50% of the posts are lying vacant. In Kharagpur also, about 300 posts are empty. The infrastructure of IIT Kharagpur is good but it is not as good as the foreign IITs. In comparison to those, the indigenous IITs are not up to the mark. We need to have exchange of ideas and interaction so that the standard of learning improves. Foreign professors must come here and our faculty members must go abroad to have better interaction and exposure. IITs should be upgraded to produce more and more post graduates and PhDs. Though we have many meritorious scholars, they do not have the proper research atmosphere and infrastructure. Therefore our students are lured to go to other countries where they can also get hefty pay packets. We must strive to keep these genius scholars with us so that number of PhDs in India increases. The reservation policy should also be implemented. In North Bengal, one IIT needs to be opened – this is my humble request to you sir.

With these few words, I support the Institutes of Technology (Amendment) the Bill, 2010 and conclude my speech.

* English translation of the speech originally delivered in Bengali

SHRI SURESH ANGADI (BELGAUM): Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Institutes of Technology (Amendment) Bill.

My constituency Belgaum is situated near the borders of Maharashtra, Karnataka and Goa. In my constituency, we have got people speaking four languages. It is a very big district in Karnataka. My request is to start an IIT at Belgaum.

There are many educational institutions like the Karnataka Lingayat Education Society, Karnataka Law Society, Maratha Mandal etc. Many *Mathadeeshs* have started the educational institutions to provide education for the poor and middle class people in that region. At the time of reorganization of Karnataka, Mysore Maharaja developed the South Karnataka and the North Karnataka was not developed. This region is called as Mumbai Karnataka region. So, this Mumbai Karnataka region requires an IIT at Belgaum. My colleague Shri Ramesh Vishwanath Katti also is supporting me in this. There have been representations given by many Members of the Legislative Assembly from Belgaum District in this regard. The Chief Minister has already sent a proposal to the hon. Minister of HRD asking him to start an IIT at Belgaum.

Belgaum is a historic place. Rani Chenamma was the first lady who fought for the freedom of India. There is a school also in her name called Rani Chenamma Girls Residential School. Swami Vivekananda had visited Belgaum and he stayed for nine days in Belgaum. Apart from that, the Congress *Adhiveshan* had taken place in 1924 when Mahatma Gandhiji visited Belgaum. And for many years, late Shri Shankaranand was there in the Government of India from this region. This is a backward area. When Shri Chidambaram was the Finance Minister, I invited him for a Golden Jubilee function of the Commerce College of Belgaum.

He stated that Belgaum is a multilingual city and is a major educational hub after Pune and Bangalore. Belgaum is an educational and cultural city. It is like a *chhota Bharat*. An IIT in Belgaum would be useful for students coming from middle class and agricultural backgrounds, and people not only of Karnataka but also parts of Maharashtra will benefit from it. If an IIT is sanctioned for Belgaum, I would be most obliged along with my colleague Ramesh Katti.

Education is more important today than any other thing. We want our students to go to other countries. Many people say that they should work here in India. But if our students work only in India they may not get the right opportunities. We must provide them opportunities to go to other places in the world. India is on the path of becoming a superpower. When our people go abroad for higher studies and gain more knowledge, our country's image will be built up in foreign countries also. So, they should not be restricted to India. They should serve in other countries. They should gain more knowledge and support India's development in the coming days.

As the former President A.P.J. Abdul Kalam stated, India will become a superpower in the coming days. That would happen only with the power of knowledge. If there is knowledge, then we can become a superpower. So, for getting knowledge, we need more IITs.

I congratulate the hon. Minister for paving the way for setting up of many IIT colleges in India. Not just eight, let him open 20 more colleges, one in each State. May God bless him for giving better knowledge to our young students! Today Indians are advising even the President of America. More than forty youths are giving advice to Obama in America. We must be proud of that fact. Yesterday we attended a lecture by Mr. Sam Pitroda on National Innovation Council and the work it is doing. He said that we have about 550 million students in the country. Our students are quite capable. In the coming days they will become the leaders of the world. So, we can create a good environment for research for our students.

I would request the hon. Minister to set up an IIT in Belgaum also. Our Chief Minister has already sent a letter to hon. HRD Minister. We support this Bill.

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): Sir, the Institutes of Technology Act, 1961 was enacted by Parliament. This amendment Bill is in line with the thinking of the Government to have more IIT level institutions by upgrading existing institutions as well as creating new Indian Institutes of Technology. The main object of this amendment is to include eight new Indian Institutes of Technology and declare them as institutions of national importance. The second major object of this amendment Bill is to declare the Institute of Technology, Banaras Hindu University as an institution of national importance and integrate it with the Indian Institute of Technology system.

I am very happy to note that the hon. Member from Sikkim Mr. Prem Das Rai is a product of an IIT. It is a reason for all of us to be proud. He can speak better about IITs.

Sir, the demand for an IIT in Kerala has been a long-pending one. Hon. Minister Kapil Sibal, I hope, will announce setting up of one in Kerala during his reply to this debate. In this regard I would like to point out that when Prime Minister was in Kerala he publicly declared that the next time an IIT will be set up, it will be in Kerala. People are eagerly waiting for that declaration. I am humbly requesting the hon. Minister that the long pending demand of Kerala should be considered. Kerala is known for its highest literacy rate compared to the rest of our country. But unfortunately, in Kerala, there is no IIT. Look into the case of students who are enrolled in almost all the IITs spread over our country. Keralites number are very high. Based on the recommendation of the Scientific Advisory Council to Prime Minister and also having regard to the regional imbalance, the Government is establishing IITs. Is it correct to deny Kerala's opportunity? Is it correct not to allow establishment of an IIT in Kerala? How can we claim that regional imbalance is fulfilled? Sir, I am requesting the hon. Minister that keeping this objective in view, why is Kerala excluded from the list? Here is the list. All the 15 more IITs are functioning all over India. The total

expenditure for establishing newly created IITs is about Rs.4,232 crore. But in such a situation, why Kerala is deprived of having an IIT?

These institutions form a very important segment among the premier technical institutions in the country to promote quality education and research. Considering the role in providing high quality and technical manpower for regional and national requirements, these institutions have been given the status of institution of national importance.

The establishment of IIT is a long standing dream, as I mentioned earlier. The State has informed the Centre that Kerala is willing to render all facilities for setting up of an IIT in Kerala. IIT Campus would boost higher education sector in Kerala. I hope, the Centre would seriously consider this demand. More than 30,000 graduates study in these prestigious institutions spread all over India. Every year, we select around 8,000 undergraduates to IITs. One more IIT in South would be an added advantage to the students of South India.

India leads the world in terms of its incessant human resources potential. Indian IITs are known for producing exceptionally talented engineers. Increasing the number of IITs will add to the number of technical wizards that the country needs now to lead the world.

Sir, I am once again requesting our visionary Minister, Kapil Sibal *ji* and the State Minister, hon. Purandeshwari *ji* to consider establishment of an IIT in Kerala. I am supporting this Bill.

MR. CHAIRMAN : Shri Suresh Angadi is allowed to associate with the issue raised by the hon. Member.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, बहुत सुना है आई.आई.टी., एन.आई.टी., आई.आई.आई.टी.। अब यह सब सुनते-सुनते हम लोग समझते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन इनमें क्या फर्क हैं, यह नहीं समझ में आता है। लेकिन मोटा-मोटी जो गांव में रहने से हम लोगों को जो जानकारी मिलती है कि अब आई.टी. में लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, बैठे रह गए, उनको अब रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार जो अभी विधेयक लायी है, उन्होंने दावा किया है कि सबका क्लाउज देखा जाए। प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित करना यानी पहले से वह राष्ट्रीय महत्व की संस्था नहीं थी, अब ये घोषित करने जा रहे हैं। क्या दावा है? और उसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रणाली के साथ एकीकृत करेंगे, यानी उसको आईआईटी में मिला देंगे बीएचयू से निकालकर। अब इसमें कहाँ से इनका लॉजिक है? क्या बीएचयू कम राष्ट्रीय महत्व की संस्था है? आचार्य नरेन्द्र देव और डॉ. राधाकृष्णन उसके वाइस चांसलर रहे हैं। एक से एक महान पुरुष आज़ादी की लड़ाई के समय से उसमें रहे। सरकार दावा करती है कि उसमें पहले से एक और इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग का है, उसको आईआईटी में मिला देंगे, आईआईटी बना देंगे, उसको और भी राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर रहे हैं। इसमें कोई दम नहीं लगता। यह पार्लियामैंट का परिसर है। इसके भीतर ही किसी राज्य की असेम्बली बना दी जाए तो कैसा लगेगा? बीएचयू का परिसर है, पहले से टीचिंग यूनिवर्सिटी में एक नाम है बीएचयू का, उसका ऐतिहासिक महत्व है, उसकी जान है, शान है और उसके बीच में आप कहते हैं कि आईआईटी बना देंगे। नया आईआईटी बनाने से आपको कौन रोकता है? हम सवाल उठाते हैं कि आप अलग से आईआईटी क्यों नहीं बना रहे हैं? पुराने के लिए कहते हैं कि हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या यह है कि जो पहले से है वह नीचा ग्रेड का था, खराब था? देश में सभी संस्थाएँ अलग अलग काम कर रही हैं। देश में 3200 इंजीनियरिंग कालेज हैं। उसमें आईआईटी भी हैं और जो नए खुलते हैं वे सब भी हैं। कुछ में मेधा के आधार पर भर्ती होती है, कुछ में डोनेशन देकर नाम लिखा जाता है। जैसे तैसे नाम लिखा जाता है, रंग-बिरंग के इंजीनियर उससे पैदा होते हैं। कुछ लोगों की करोड़ों करोड़ रुपये महीना पर बहाली होती है और कुछ लोगों को कोई नहीं पूछता है। इसमें सुधार होना चाहिए। एनआईटी अलग बनाया है। पुराने जो कालेज हैं, सबको नाम दे दिया है एनआईटी। लेकिन उनकी गुणवत्ता में असली सुधार होना चाहिए। क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में हम साधारण बात जानते हैं कि जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्वालिटी घट जाएगी। क्वांटिटी भी बढ़े, क्वालिटी भी रहे, यह सरकार को देखना चाहिए। इसके लिए आपने क्या किया? आईआईटी जो पहले से दुनिया में एक नामी संस्थान है, उसमें कितने टीचर्स की कमी है? उसकी पढ़ाई में अब गिरावट आ रही है। पहले से जो नाम कर गईं संस्थाएँ, दुनिया में उसका नाम है

और उसी नाम को भुनाने के लिए और आईआईटी बनाकर राष्ट्रीय महत्व का संस्थान होने का दावा करते हैं। अभी कुछ एनआईटी भी बनाए हैं। उसका भी कुछ बिल आया था। कमेटी में भी उसकी बात गई थी। कमेटी ने भी कहा कि उसमें जो पढ़ाई की कमी हो रही है, शिक्षक ही नहीं हैं तो पढ़ाई क्या होगी? वहाँ शिक्षक बहाल किये जाएँ। इस पर सरकार दावा करती तो अच्छा होता लेकिन वही पुराने कालेजों के नाम और बोर्ड बदल रहे हैं। आईआईटी का दुनिया में बड़ा नाम हो गया तो पुराने सब कालेजों में आईआईटी लिख देने से या ऐसी घोषणा से उसमें तरक्की होगी या गुणवत्ता में सुधार होगा या उसमें कुछ करने से सुधार होगा? आज टैक्नोलॉजी का युग आ गया। टैक्नोलॉजी के बिना हम आगे नहीं चल सकते। दुनिया के सभी देशों के साथ हमारा मुकाबला हो गया है। हमारे लड़के यहाँ मेधावी हैं। मेधा में कोई कमी नहीं है पुराने ज़माने से। हिन्दुस्तान की मिट्टी का क्या कोई जवाब है? यहाँ से मैथेमैटिक्स, शून्य का, रेखागणित का, जियोमैट्री का, ट्रिग्नोमैट्री, जयक, उज्जयक, साइन, कोसाइन सबका अनुसंधान यहाँ से हुआ। अरब में मैथेमैटिक्स को इल्म-ए-हिन्दसा कहा जाता है, मतलब हिन्दुस्तान से आया हुआ ज्ञान। ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, एक से एक मेधावी लोग यहाँ हुए। उस समय जब ग्रैविटेशन का सिद्धांत आया तो कहा गया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रैविटेशन। हमारे यहां सत्येन्द्र नाथ बोस, पी.सी. भटनागर, जगदीश चन्द्र बोस, सी.वी. रमन, मेघनाथ साहा, जो कि संसद के भी सदस्य थे, दुनियाभर में उनकी किताब हीट एण्ड थर्मोडिनामिक्स पढ़ाई जाती है, एक से एक विद्वान और काबिल लोग हुए हैं।...(व्यवधान) मेरा सवाल है कि इसमें शिक्षक की कमी कब दूर होगी? उस कमी को दूर करने के लिए मंत्री जी ने क्या उपाय किए हैं? इंजीनियरिंग की देश में पांच लाख सीट हैं। इन्होंने दावा किया है कि हम दो लोख और बढ़ाएंगे। सीटों की संख्या आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन वे भर नहीं पा रही हैं, डोनेशन वाले कॉलेजों में। तीन-चार तरह के कॉलेज हो गए हैं, उनमें किस तरह की पढ़ाई है? कहीं आईआईटी है, कहीं एनआईटी है, कोई नया आईआईटी है, एक आईआईआईटी अलग है, उसमें अब पढ़ाई बंद हो रही है, उसमें कोई नहीं जाना चाहता है। कुछ कॉलेजों के पढ़े-लिखों लड़कों की पूछ है, जबकि कुछ कॉलेजों के पढ़े-लिखों को कोई पूछता नहीं है, क्योंकि डोनेशन देकर नाम लिखवाते हैं। एक तरफ डोनेशन है और दूसरी तरफ मेधा है। कैसे हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी में सुधार हो? शिक्षकों की कमी और शिक्षण में सुधार हो? बीएचयू में भारी मरमरिंग है। वहां वेतन बढ़ने से कुछ लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन बीएचयू से आईआईटी को कैसे अलग कर सकते हैं?...(व्यवधान) इसलिए इन सारे सवालों पर टेक्नोलॉजी का काम आगे बढ़ना चाहिए। देश में मेधा है। हमारे लड़के मेधावी हैं। यहां जगह नहीं मिलती है तो विदेश में अध्ययन करने जाते हैं। मां-बाप पेट काटकर, लोन लेकर बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं कि अच्छी पढ़ाई होगी। हमारे देश में अच्छी पढ़ाई हो, कौन नहीं

चाहेगा? लेकिन नाम, कंधा और बोर्ड बदलने से उसमें कोई सुधार नहीं आएगा, इसलिए ठोस रूप में माननीय मंत्री जी बताएं कि आपकी सुधार की योजनाएं क्या हैं?...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने अच्छे प्वाइंट बोले हैं। अब समाप्त कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इस पर विचार होना चाहिए। इन्हें तरक्की की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ठोस कदम के साथ आगे जाना चाहिए, मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ें। देश और दुनिया में जो चुनौतियां हैं, उनके मुकाबले के लिए हमारे युवक टेक्नोलॉजी पढ़कर तैयार हैं, मुकाबला करें, अनुसंधान और विकास करें। यही मैं कहना चाहता हूं।

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Thank you, Chairman, Sir, for giving me this wonderful opportunity to speak in Parliament. I am a product of IIT Kanpur and I can say without any hesitation that today whatever I am, I think the education that I have received at the IIT has made that possible.

Sir, the amendment that is being brought to the Institutes of Technology Act, 1961 is a welcome step and I support it. This is a scale-up exercise and it is a public policy response to the huge demand for students wanting to get into IITs. As the IITs have not expanded their capacities as it should have, better late than never, we are trying to expand capacities and trying to ensure that those meritorious students who indeed want to make it good and get that brand of IIT would be able to do so.

Sir, there are a couple of questions that gets posed here. The first question is, would this brand of IIT continue to be the brand that it is? It has taken 30 to 40 years for this brand to be established the world wide. It is people like Bill Gates who have made public statements about the quality of students who come out of the IITs. That is why this brand, in so many ways, has been established without a shred of doubt. But by giving the same brand to so many other institutions, would we be able to sustain? I think, this is a huge question that is there in front of each one of us and in fact, it is something that needs to be addressed in full. I completely agree with the previous speaker when he said that I think it is important to get to the basics, the basics of how we are going to ensure that the quality of education, the quality of students which ultimately get the brand would be able to be sustained.

In the light of this, the other issue is one of research. How much of research would go on in all of these IITs? I think, here again, the question of how good will be our faculty and would they be able to cope up with the needs of faculty? This is again another major challenge.

13.57 hrs.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

I also know that in some of the IITs, a management school has been added. Like for instance in IIT Kanpur there is a management school. Are we, therefore, moving from one of technological expertise to also a very broad based understanding of the social sciences as well as other fields of study? This leads me to the final question that I would like to pose to our hon. Minister is that converting the Benaras Hindu University IIT into a normal IIT, is that something which is really required? There is a need and there is a thought, I am quite sure, that many of these IITs would later on grow into universities. That means all the other branches of education and research would also be added in these IITs. So, is there something that we can learn from the Benaras Hindu University which has all the other domains of knowledge creation and knowledge dissemination? Would it not be a fitting idea to actually understand that as well?

Sir, these are some of the questions that I had for the hon. Minister, through you, and with these words I commend the hon. Minister for bringing this Bill and giving us this opportunity to expand on the name of the IITs.

श्री रामकिशुन (चन्दौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010 पर बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस विधेयक पर बोलते हुए कहना चाहूंगा कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का दुनिया के विश्वविद्यालयों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसके इंजीनियरिंग विभाग को आप आईटी में बदल रहे हैं, उसे सम्मिलित कर रहे हैं। उसके पास पूरी दुनिया में जितने विषय होते हैं, जितने सब्जैक्ट्स हैं, उन सब की पढ़ाई होती है। चाहे मेडिकल, साइंस या कृषि हो, इन सब की उच्च स्तर की पढ़ाई होती है। उसके इंजीनियरिंग विभाग को आप बदल कर, जो काशी हिन्दू विश्वविद्यालय है, जिसका भारतीय संविधान में उल्लेख है, उसमें भी वर्णन हुआ कि इसकी स्वायतत्ता और सार्वभौमिकता पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी।

<u>14.00 hrs.</u>

उपाध्यक्ष महोदय, श्री मदन मोहन मालवीय जी ने भीख मांग कर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। काशी और बनारस देश की सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक राजधानी है। अगर उसके स्वरूप को बदलेंगे और भारत सरकार के मंत्री के रूप में आप उसके ऊपर अंगुली उठाएंगे, तो बनारस और काशी के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह पूर्वान्चल का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान का सवाल है। हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान से बाहर के जितने लोग आते हैं, वे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, फिर चाहे वह इंजीनियरिंग विभाग हो, मैडीकल विभाग हो या किसी और विभाग का कोई क्षेत्र हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि उसके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जाए। यह ठीक है कि उनके प्रौफेसरों की तनख्वाहें कुछ कम हैं। ठीक है, आप उसे बढ़ा दीजिए। उन्हें आई.आई.टी. के बराबर सुविधा दे दीजिए, लेकिन उसके स्वरूप को मत बदलिए। अगर आपको पूर्वान्चल में आई.आई.टी. की स्थापना करनी है, तो एक अलग आई.आई.टी. बना दीजिए। वहां जमीन पड़ी है। नक्सल प्रभावित जनपद है। चन्दौली उसका एक अलग भाग है। आई.आई.टी. आप चन्दौली में ले जाइए। आपके पास जमीन पड़ी है। आपको जमीन लेने की जरूरत नहीं है। बी.एच.यू. की जमीन है। आप मिर्जापुर में आई.टी.आई. खोल दीजिए। वहां काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की जमीन है। वहां खोल दीजिए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश न की जाए। आज वह विश्वविद्यालय हिन्दुस्तान की शैक्षिक आत्मा है। अगर आप उसके स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो श्री मदन मोहन मालवीय की आत्मा को ठेस पहुंचेगी। जब हमारे देश के लोगों को पढ़ने का कोई संसाधन

नहीं था, कोई स्थान उच्च और तकनीकी शिक्षा का नहीं था, तब मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उसके साथ हमारी आस्था जुड़ी है। उसके साथ हमारी विचारधारा जुड़ी है। उसमें हमारे त्याग और बलिदान की एक बहुत बड़ी ताकत लगी है। उस ताकत को नष्ट करने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश न की जाए, बल्कि उसके स्वरूप को और अच्छा बनाइए। आप यदि वहां आई.आई.टी. इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना चाहते हैं, तो बनारस से आगे चन्दौली, मिर्जापुर, जौनपुर और गाजीपुर हैं और उनसे सटे हुए कई जनपद हैं, वहां स्थापित करने की कोशिश कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे समय देने के लिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

SHRI MOHAN JENA (JAJPUR): Sir, I would like to extend my support in favour of the Bill but with some additions and changes.

Sir, we are striving hard to make India a vibrant society and we cannot achieve this goal without proper scientific education. So, we are happy that at least this Bill will expand the horizons of IIT education to a greater extent.

With the advancement of technical and scientific education across the globe, our premier technical institutions like IITs have to function, keeping pace with the fast changing scenario. The Government should undertake a comprehensive review of the IITs from time to time.

A Committee was constituted under the Chairmanship of Prof. Anil Kakadkar in February, 2010 to suggest a road map in this regard. But it is a matter of regret that the Government has not taken into consideration all the points recommended by that Committee.

Firstly, a mere declaration of more IITs is not a big thing. The Government should create infrastructure and atmosphere conducive to this type of institutions. Secondly, this Bill is silent on reservation issue. The students belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs, and minorities should get their share in admission on the basis of their population. The Government should come forward to support and provide pre-admission support to these communities.

Coming to lack of faculty, the Government should give proper importance to the recommendations of the Committee. The Standing Committee suggested to initiate Faculty Recruitment Mission. In IIT, Bhubaneswar, there are 90 sanctioned faculty seats and there are about 48 faculty posts lying vacant.

Another point is that the Government should consider the proposal of the Orissa Government to declare the Burla Engineering College as an IIT.

With these words I conclude.

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): उपाध्यक्ष महोदय, जब जागो, तभी सवेरा। माननीय सिब्बल साहब को कल जब मैं सुन रहा था तो इन्होंने कहा कि दिल्ली दूरस्थ है और आई.आई.टी. के लिए दिल्ली निकटस्थ ले आये हैं, इसके लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं।

ये आई.आई.टी. 1946 में श्री जोगिन्दर सिंह या जो वायसराय थे, उस वक्त अंग्रेजों की जो सरकार थी, उन्होंने यह कन्सैप्ट बनाया कि आई.आई.टी. यहां बनने चाहिए और उसी के आधार पर सी.एस.आई.आर. बना और पहला आई.आई.टी. 1950 में खड़गपुर में खुला और उस समय के जो विज़नरी प्राइम मिनिस्टर थे, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी, उन्होंने एक बड़ी च्छी बात कही, जब पहले कन्वोकेशन में वे 1956 में खड़गपुर गये थे तो उन्होंने कहा था:

> "Here in the place of that Hijli Detention Camp stands the fine monument of India, representing India's urges, India's future in the making. This picture seems to me symbolical of the changes that are coming to India."

उन्होंने सरकार कमेटी बनाई और सरकार कमेटी के आधार पर उन्होंने रीजनल इम्बेलेंसेज़ को दूर करने के लिए इस तरह के इंस्टीट्यूट बनाये, लेकिन 1961 के बाद यदि आई.आई.टी. खुला तो माननीय राजीव गांधी जी ने क्यों दिया, क्योंकि उस समय में एकोर्ड करना था और उनकी जो डिमांड थी, स्टूडेंट्स का मूवमेंट था कि हमको एक आई.आई.टी. दे दिया। आपने रुड़की आपने एक पुराना इंस्टीट्यूट था, आपने दे दिया। क्या 50-60 साल तक सरकार ने इसके बारे में सोचने की कोशिश की कि जिस वक्त ये 4-5 आई.आई.टी. खुले, उस वक्त भारत की पोपुलेशन क्या थी और उसके बाद क्या पोपुलेशन रही। हमारे यहां किस तरह की क्वालिटी एजुकेशन की आवश्यकता है और इसके बाद अक्टूबर, 2003 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं मानता हूं कि जवाहर लाल जी के बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ही दूसरे ऐसे प्रधानमंभी थे, जिन्होंने इस देश में विज़न लाने की कोशिश की, वे विज़नरी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कहा कि "By updating the existing academic institutions that have necessary promise and potential" यह एक अक्टूबर, 2003 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा और उसके बाद उन्होंने एस.के. जोशी कमेटी बनाई और एस.के. जोशी कमेटी ने कुछ एक रिकमेण्डेशन दीं तो उसमें रीजनल इम्बेलेंसेज़ को आपने जो ये आठ आई.आई.टी. बनाने की बात की है, क्या ये रीजनल इम्बेलेंसेज़ को दूर करने की बात कर रहा है?

मेरे केवल 3-4 सवाल हैं। दूसरा सवाल यह है कि जो आई.आई.टी. हैं, इनको रिकग्नीशन तब मिली, जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेण्टेटिव्स उसमें रैजोल्यूशन पास किया, हमारे आई.आई.टी. को अपलिफ्ट

करने के लिए, ये सोचने के लिए कि पहला इंस्टीट्यूट है। चाइना ने भी इसी तरह का किया, लेकिन आज का क्या माहौल है। हम आज की स्थिति में किस जगह पर खड़े हैं। 2010 में हायर एजुकेशन की दुनिया में जो लिस्ट निकली है, उसमें से हम 200 में पहले हमारा नम्बर 187 था, 162 था, 150 था, 87 था, 42 था, लेकिन आज हम 200 की लिस्ट में कहीं नहीं ठहरते हैं। क्या हम इसी क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं? जिस तरह से सारे मैम्बर्स ने इस तरह के क्वश्चंस उठाये हैं। इसके बाद जो आपने इनके एडमीशन में एक एज बार किया है, एज बार करने की क्या आवश्यकता है, आप 25 से 30 कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। हम लोग गरीब गांव से आते हैं। आपको पता है कि हम कब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, 7-8 साल की उम्र में हमारे यहां लड़के पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो आई.आई.टी. में जो लड़के पढ़ते हैं, वे गांव के गरीब लोग हैं, आप उनको दो बार क्यों बार कर रहे हैं। पहले 25 साल यदि एज रखना चाहते हैं तो रखिये, वे तीन बार एग्जाम देंगे, चार बार एग्जाम देंगे, क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद जो अमेरिका बना है, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है और कई मैम्बर्स ने जो कहा कि 70 परसेंट लड़के आज भी ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं और आप इसकी बात कर रहे हैं कि वे वापस आ रहे हैं। वे वापस केवल नेशन के लिए नहीं आ रहे हैं, वे वापस इसलिए आ रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के बाद भारत एक बड़ा मार्केट खुल रहा है और इस मार्केट में वे अपना पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं। क्या हम इतना पैसा खर्च करके उनके लिए कुछ कर पाने की स्थिति में आ रहे हैं?

मेरे अभी कुछ क्वश्चन हैं, आई.आई.टी. के कुछ प्रोफेसर मुझसे मिले थे।...(व्यवधान) यह बड़ा इम्पोर्टेंट पाइंट है। उन्होंने आपको रिप्रेजेण्टेशन दिया है, आपने कहा कि एक्सोडस नहीं होना चाहिए, हम अच्छे से अच्छे प्रोफेसर्स को लाएंगे। यह बड़ी अच्छी बात है। आईआईटी के जो रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, वे बहुत परेशानी में हैं। आईआईटी दिल्ली के कुछ प्रोफेसर मुझसे मिले थे। उन्होंने तीन प्वाइंट्स का रिप्रेजेंटेशन आपको दिया है। पहला रिप्रेजेटेंशन यह है कि

> "While implementing the Sixth Central Pay Commission Report, the Government of India has created two types of pensioners; firstly, those whose minimum pension is 50 per cent of the corresponding new pay scale of their respective cadres (meant for only senior IAS Officers) and secondly, others whose minimum pension is 50 per cent of the minimum of the pay band in which their corresponding new pay has been fixed plus the Grade Pay. This decision of the Government is obviously arbitrary and discriminatory in nature and is thus violative of article 14 of the Constitution of India."

वे परेशान हैं। दूसरा प्वाइंट उन्होंने कहा है कि

> "As per notification of the MHRD, the pay of all the three cadres of faculty in the IITs, viz, Assistant Professor, Associate Professor and Professor has been fixed in pay band IV of Rs. 37400-67000 with different Grade Pays of Rs. 9,000, Rs. 9,500 and Rs. 10,500. "

They are losing more than Rs. 5,000 to Rs. 10,000 to Rs. 15,000 per month.

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री निशिकांत दुबे : महोदय, तीसरा प्वाइंट कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

> "As explained above the minimum loss to a pre-2006 retired IIT Professor is about Rs. 8,000 per month."

वह इस तरह से लॉस कर रहे हैं। पहले यह होता है कि जो पढ़ने में ज्यादा तेज होते थे, वह सरकार में जाते थे, पढ़ाते थे, लोगों को शिक्षा देते थे। लेकिन आज जब इस तरह का पे-स्केल आप लागू करेंगे, आईएएस के लिए अलग लागू करेंगे, प्रोफेसर्स के लिए अलग लागू करेंगे, पेंशनर्स परेशान होंगे, तो आप किस तरह के आईआईटी बनाने की बात करते हैं, यह आप खुद ही समझ सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI BHAKTA CHARAN DAS (KALAHANDI): Mr. Deputy Speaker, Sir I support the Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2010 brought forward by the hon. Minister of Human Resource and Development, Shri Kapil Sibal.

Sir, IITs are the centres of excellence. The nation is proud of the contributions of the IITs. It is also true that rethinking is required to revitalize and strengthen the IITs. Most of our colleagues have given emphasis on making the IIT academics in a better manner as per the international standard. Along with that, the infrastructure and the salaries of the academicians in the IITs should also be given due importance. I am thankful to the hon. Minister and to the UPA Government that my State Orissa, in Bhubaneswar has got an IIT. But, at the same time, I would like to draw the attention of the hon. Minister because he is a creative person. He is trying to do his best for the academics in the country, as per the size of our country. I am drawing the attention of the hon. Minister towards the plight of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and economically poor people. They live in 60 naxal-affected districts. The Scheduled Castes, Scheduled Tribes and economically poor people are living there. They are not having access to the excellent education centres and infrastructure-wise and from every point of view, they are backward. So, what sin the population of these areas have committed that they would not have access to this IIT sort of education? So, I would like to know from the hon. Minister whether he has got any plan to make at least four centres for these 40 naxalite-affected districts so that the scholars of these districts would have a chance to go for IIT and they would contribute to the nation in a better manner.

Sir, you know that today there is not a single Secretary in the Government of India who belongs to Scheduled Caste category. This is very pity because we are not giving thrust to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes dominated areas, to bring them up to the mark. That is why; these sorts of problems are arising.

Sir, in my Orissa, the KVK region is there. This region is highly backward. I would request the hon. Minister to give at least one IIT to this KVK region, the

most backward part of India so that the goal of the Government, the target of the Government and the very purpose of the Ministry would be served.

It would help impart excellent education and provide centres of excellence to the poor Scheduled Caste, Scheduled Tribe and the Backward class people of this country.

With these words, I conclude.

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति प्रदान करने के लिए धन्यवाद। आईटी अमेंडमेंट बिल जो माननीय मंत्री जी लेकर आए हैं, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। आप इस देश में आठ नहीं अस्सी आईआईटीज खोलिए। अगर फंड की कमी पड़ती है तो सारे सांसद प्रधानमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी से रिक्वेस्ट कर और फंड दिलाने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन जो विश्वविद्यालय अपने स्वरूप में हैं उसके स्वरूप को नष्ट करने का प्रयास न किया जाए। क्या आज देश को सिर्फ आठ ही आईआईटीज की जरूरत है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। आईटी के रूप में सिर्फ बीएचयू की बात बारबार यहां पर सभी सदस्यों ने उठाई है, बीएचयू में केवल छठे वेतन आयोग के मामले को लेकर उसे एक अलग से यूनिवर्सिटी, आईआईटी बनाने की बात की जा रही है। बीएचयू के पास अभी हमारे साथी सदस्य ने कहा कि बनारस, चंदौली और मिर्जापुर कई जगहों पर बहुत मात्रा में जमीन हैं। यह बात, यह प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि बीएचयू में संपूर्ण रूप में मेडिकल, एग्रीकल्चर आदि सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती है। अगर आज हम वहां एक आईआईटी को अलग करेंगे तो मेडिकल की बात आएगी, एग्रीकल्चर की बात आएगी, फायनांस की बात आएगी। सब लोग अलग-अलग अपनी राग, अपनी डफली बजाएंगे, लेकिन मेरा आप से अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी आप पूरे देश में आईआईटी खोलिए।

अभी श्री निशिकांत दूबे जी ने भी एक बात कही कि इस देश की आबादी 120 करोड़ हो गई है। 120 करोड़ की आबादी के लिए आप केवल आठ आईआईटीज जोड़ देंगे तो क्या समस्या का समाधान हो जक्य? आपको पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनानी होगी। आप राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च करिए, वर्क करिए और देखिए कि और कितने आईआईटीज की जरूरत है। उन्होंने जो कहा कमेटी जो बनाई गई थी, वह रिजनल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए बनाई गई थी। निश्चित तौर पर आज वास्तविक जरूरत है कि हम एक स्टडी करें और पूरे देश में इस असंतुलन को समाप्त करने के लिए जितने भी विश्व विद्यालय हैं, जितने भी आईआईटीज की जरूरत हो, आप उनको बनाइए। हमें एक बात जरूर माननीय मंत्री जी की बातों से लगा कि जब से यह मानव संसाधन विकास मंत्री बने हैं, शिक्षा को मानव संसाधन कह दिया गया, मानव संसाधन विकास मंत्री जब से बने हुए हैं तब से मैं देख रहा हूं, वे विश्वाद्यालयों से या तो दुखी हैं या नाराज हैं। विश्वविद्यालयों के अस्तित्व के बारे में कल श्री मुरली मनोहर जोशी जी भी कह रहे थे कि विश्वाद्यालयों के अस्तित्व को धीरे-धीरे समाप्त करना चाहते हैं। ऐटोनॉमस बॉडी के रूप में क्यों खड़ा करना चाहते हैं, अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए उन जगहों पर बैठाकर? आप खुद सोचिए जब

नालंदा विश्व विद्यालय और तक्षशिला डिस्ट्राय हुआ तब से शिक्षा का स्थानांतरण पूरब से पश्चिम की तरफ हुआ। उसी समय कैंब्रिज और ऑक्सफोर्ड की स्थापना हुई।

उपाध्यक्ष महोदयः आप कृपया संक्षेप में बताएं।

श्री धनंजय सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। माननीय मंत्री जी को इस बात को जानना चाहिए। नालंदा के डिस्ट्राय होने के तीन सौ साल बाद बीएचयू की स्थापना हुई। उसके बाद उस विश्व विद्यालय ने ऐसे-ऐसे विद्वानों को दिया जिन्होंने अपनी पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाई। मेरा आपसे अनुरोध है कि यहां उस विश्व विद्यालय से पढ़े हुए तमाम लोग संदन के अंदर भी हैं और यहीं नहीं वहां से जो छात्र पढ़े हैं और निकल गए, अगर उस विश्व विद्यालय के साथ जरा भी छेड़-छाड़ की गई तो करोड़ों लोग सड़कों पर आ जाएंगे। आज माननीय मंत्री जी कैबिनेट मंत्री हैं तब ये आईआईटी बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब पं. मदन मोहन मालवीय जी ने विश्व विद्यालय की स्थापना की थी तब देश गुलाम था और उन्होंने भिक्षा मांग कर लोगों से उस विश्व विद्यालय की स्थापना की। अगर माननीय मंत्री जी जब मंत्री न होते और उस प्रकार के विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु किसी प्रकार की कोई संकल्प लिए होते तो तब हम मानते कि इनकी बेहतर सोच हैं।

SHRI JANARDHANA SWAMY (CHITRADURGA): Thank you, Sir, for giving me an opportunity to speak on The Academy of Scientific and Innovative Research Bill, 2010.… (*Interruptions*)

Sir, I would like to say that I am a product of the Indian Institute of Science. I did my Masters Degree in Electrical and Communication Engineering. I must extend my congratulations to the hon. Minister for introducing this Bill. It shows the importance of science and technology, particularly in the R&D sector in our country. However, I would like to say that to make it successful, we must also enable quality education at lower levels. they are the feeding channels for higher education and R & D particularly in the field of science and technology. We are having about 116 crore people in this country and we had a rich culture and history for thousands of years. We invented bangles, we invented zero, we invented hospitals, we invented buttons, but all of these happened thousands of years back. What has happened after that is a question we must all answer. Nothing worthwhile came out from this country in the last 100 years and we did not invent many of the things which we are using today. It could be aeroplane, microphone, transistor, telephone, space shuttle, light bulb, bicycle, television, radio, car, electricity, motor, dynamo, LED, computer and internet and none of these things come from our country. That is something we have to think about.

Sir, one of the most important things is that in order to improve our economy, we need to know that R & D particularly in the field of science and technology is more important so as to fuel economic growth, and education plays a very important role in order to have innovation in the area of science and technology. We need to attract the best of the minds for teaching and we cannot produce the best with the inferior system which we have today. We must also change our education system. Today, we are producing graduates without really seeing as to what is the quality of the degrees that they are getting. Our education system is more like a read, remember and reproduce kind of a process without really understanding the underlying concepts. Today, we study a lot, but we

understand very little. That is the reason for us to remain as a technology follower rather than being a technology leader in the world. It is of no use to have a thousand more Ph.Ds if there is no quality in our education. Hundreds of Nobel Prize winners are there in other countries such as the United States of America, but the number of Nobel Prize winners from our country is still in single digit. So we need to set a goal to produce more Nobel Prize winners in this country and more importantly we need to set the timeline. Then, we should enable the IITs and IISc to carry out such work and we should enable them with adequate funding. We must also challenge our scientific and Technology community with tough problems in the fields of agriculture, healthcare, transportation etc. and we should provide them with adequate fund allocation. We must also provide more funding to many of these technical institutions and more importantly, in this country we should know how to respect the intellectual property because what good it is to produce something if you cannot protect it.

So, in summary, this Bill is a good step forward provided it addresses some of the concerns I expressed.

SHRI IJYARAJ SINGH (KOTA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for permitting me to speak on the Bill to further amend the Institutes of Technology Act, 1961.

Sir, Indian Institutes of Technology are our premium high technology education institutes. Many of our top minds and talents study here and they learn here. Getting admission into these institutes is very difficult because of the very rigorous admission procedures. The students who study here go on to work in lucrative positions in firms as well as in top positions in Government and administration. Many of them further go on to do MBA and then become managers in technology driven firms. Such is the demand for seats in these institutes that there are thousands of applicants for very few seats. Therefore, this decision to have more IITs in the country is, indeed, a very welcome one.

I come from the city of Kota which attracts thousands of students from all over the country who come here to study in the coaching institutes there. They study for IIT Entrance Examination, they study for All India Engineering Entrance Examination as well as for Medical Entrance Examination and Kota has had excellent results in these spheres. The results of the institutes in Kota have been among the top in the country and Kota is known as an education city not only in the country but also internationally.

Therefore, I would like to say that there is an excellent education atmosphere in Kota and we have industry, mining and agriculture in the vicinity of Kota. In fact I had actually, in the beginning, wanted to have the IIT of Rajasthan allocated to Kota, but due to several reasons, primarily due to the fact that we do not have an operational airport, Kota could not get the IIT and it went to Jodhpur. However, if we take into account the fact that the State of Rajasthan is a larger State in the Union of India, it is bigger than many of the European countries. So it is an excellent case of providing or the possibility of having a second IIT campus in Rajasthan.

So, I would request the hon. Minister to seriously think on these lines. The idea has to be to physically distribute the IITs all over the country. Jodhpur happens to be towards the Western part of Rajasthan, whereas Kota is towards the Central part of India. We have to establish more IITs and more technical institutes of higher education all over the country so that more and more students can get to study in them.

Finally, I would like to commend the Bill.

DR. K.S. RAO (ELURU): Thank you, Mr. Deputy-Speaker, Sir. No nation can prosper unless the human resources of that nation were to be developed. I am happy that the human resource development is in the hands of the learned Minister, Shri Kapil Sibal, who has also got quite innovative ideas.

In this context, I wish to bring some of the issues by virtue of my being a student of National Institute of Technology, Warrangal and I want to put them to him. It is a dream for the youth of India, though about 50 years back, particularly, brilliant boys to go for higher education to the USA and the UK, today the same dream is to join an IIT in India. It is a proud thing. That means the quality and the standards of the Indian Institute of Technology is comparable to any one of the best institutes in the world and the top industrialists of western countries are now coming to IITs for Campus selection and selecting the students with rupees one crore per year or even more than that sometimes. It is really good.

Many of the hon. Members have covered many of the points and maybe I may be repeating them. The point is about the faculty shortage. The situation of faculty shortage is extremely bad in the country today, particularly, for higher education. We all agree; we are all people with great brains, not only today but even if we were to go thousands of years back, Indians are the most intelligent. All these technologies, whether it is Space or something else was known to us thousands of years back. Only because our ancestors have shifted from materialism to spiritualism, our concentration has gone from technology to spiritualism. That is the reason why some of the countries, which are now developed materially, are claiming that they are more intelligent. It is not true. Even today, the entire research that is being done, in almost all the developed world is being done by our people who are really intelligent.

So, I wish that the hon. Minister, while starting more number of IITs, must concentrate on starting technical teachers training institutes, either separately or in-house. There are very good institutes which can give training in the premises, with no extra expenditure involved with their people, with their staff for technical

teachers' training. One of the reasons why people are not choosing to go to faculty is because the earnings are little or limited. There is no second means of earning, like corruption and other things. The only course is whatever salary they get, they get in the faculty. So, I wish to bring to the notice of the hon. Minister to bring substantial change, to bring an incentive to the people to come to the faculty by increasing the salaries substantially.

Some of the reasons why the IITs are good are because of the self-confidence. The student of engineering from IIT is different from students of normal college. His self-confidence, his communicative skills, his exposure to the industry, his national integration and the cultural exchange in that institute, by virtue of the students being selected from all over the country are totally different from normal institutes. That is the reason why the IITs have got this name world over.

Sir, in regard to the faculty, as it takes some time for them to start teachers training institute and prepare the staff, I think the services of the retired faculty can be put to use on a part-time basis, on a contract basis by paying substantial amounts to them or by encouraging ex-faculty or even take some of the NRIs who are prepared to teach for one month or two months.

Sir, another point is on teaching methods. There must be innovative methods. It is not just the lecturers teaching the students; the students must read in the library and put questions before the other students and they must be able to answer them. If no student is able to answer, then the role of the teacher must come in. This is how we can put the minds of our students to innovative thinking; otherwise they will not go for innovative thinking.

Similarly, I want the hon. Minister to concentrate on research and development. If the developed nations have come up today, it is only because of research and development being done by our people. It is easier to attract multinationals to start research institutes in this country because we have got more number of competent and intelligent people. The only thing is that the hon.

Minister must bring a legislation to permit all those people to come in and do the research utilizing our brains.

I support the hon. Minister. More particularly, I will be happier if he does take up the faculty training, research and all that.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI KAPIL SIBAL): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am, first of all, deeply obliged and grateful to the distinguished Members of this House who have participated in this debate and have given some very valuable suggestions and made some very incisive comments not just on the amendments that are proposed but also in the context of the general environment with respect to education. Specially the concerns that they have expressed about faculty shortages, concerns that they have expressed about quantity and quality, concerns that they have expressed about teachers' training, concerns about remuneration and compensation of faculty, these are all very valuable comments and we will certainly take all those into consideration as we move forward to implement our educational policy.

I have also noted with all seriousness comments made by the distinguished Members of this House including Dhananjay *ji*, Baliram *ji*, Shailendra *ji*, Raghuvansh *ji*, Panda *ji* and many others. Some of you have commented upon the Banaras Hindu University. I want to, standing here, give a commitment to you that I have no intention, absolutely no intention to tinker with the cultural heritage of that University. I am deeply involved in the University. In fact I was the Chief Guest of the Convocation last year in the University. I have seen the premises of the University and we are not going to let down Madan Mohan Malaviya's dream. We will, in fact, make sure that that dream goes forward. I will presently allay your concerns. We will not be interested in bifurcating that University at all. But in the course of my comments, I will try and persuade you to believe that that is not so. Incidentally, I am not far remote from teaching. I myself was a teacher in Delhi University; I started my career in life as a teacher. So I am deeply wedded to education. I want to take the quality of education forward in this country, and that quality must start from the school system. That quality cannot be made up at the IIT system. Therefore, there are major reforms and I am really grateful to Sonia *ji* and grateful to the Prime Minister of India that the first legislation that

was introduced in the UPA II was the Right to Education Act to every child in this country. Why was that done? It was done because my Government is deeply committed to educating the young in this country. It is not just education but the kind of quality education that the young deserve in this country. Unfortunately in the last 60 years, despite the best efforts, we have failed in that process. We have not been able to impart the kind of quality education that we wished to impart. We are trying to change the whole system. A distinguished speaker in the House said that children today base their levels of excellence on rote learning, on mugging up.

We are trying to change that as well. We want the process of education should be interactive between the teachers and the students; a process of education through which the child asks question rather than the answers being given to him overnight; a process through which the child learns through interacting with each other; where the teacher is the part of the class and not of the head of the class; where the students are as much of part as the teacher is part of teaching the students. So all these changes we are contemplating and you will see as we unfold our policies in the times to come that we are going to make major changes to ensure that if the substratum of the education is strong, if the substratum of education has quality in it then surely the right kind of children who have quality learning will actually then emerge and join these high quality institutions to serve the interests of India not the interest of the rest of the world.

Sir, one of the big issues that we are concerned with is that if you look at the IITs' system it was set up way back in the 50s and the 60s that also was a vision, at that time the Education Minister was Abul Kalam Azad. He is the one who set up most of these institutions. It was also the vision of Pandit Jawaharlal Nehru. About 50 or 60 years have passed and we have not been trying to change with the times.

The contemporary world is different from the world of the 1950. The nature of the challenges that we were confronted within the 1950, have changed.

We are confronted with very serious issues of global warming. We are confronted with very serious issues of energy. We are confronted with very serious issues of communication. We are confronted with very serious issues of resources. And ultimately it is through technology which is an enabler that we will be finding these solutions. So, we must empower these institutions to the extent that we can and we must create as many institutions as possible.

Sir, let me just give you a small figure. At this point in time about 220 million children go to school. But of the 220 million children who go to school around 13 to 14 million actually go to universities. Forget the IITs. This is in thousands. But only 13 million out of the 220 million children reach university which means almost 200 million children do not go to university. What are we trying to do? We have gone through 'Right to Education' through access to education. We are trying to make sure that the gross enrolment ratio of India which is 13 per cent and by the year 2020 it would become 30 per cent. That means the number of children who will go to university will be raised from 13-14 million to 45 million. We will need another thousand universities. We will need another 45,000 colleges in the next 10 years if we want to make sure that the access that is required to higher educational institutions is provided for by increasing numbers. These 15 or 16 IITs will not do. We will need many more. But the question is this. Has the Government all the resources in the world to set up hundreds of IITs and the answer is no? First we must get the double digit growth, then we must earn the revenues and then with those revenues we must invest as much as possible in the public education system but even that will not be enough to serve the needs of India. We need to expand higher education in a big way. We need to act through public-private partnership. We need to set up more IITs or more educational institutions of the standard of IITs.

If I was actually looking at the past percentage of people who have appeared in the JEE Exam and you would be surprised to know that hardly 2 per cent people have passed this exam. Lakhs of people have appeared but how many

people pass this exam? Hardly 2 per cent. Where do the others go? What happens to them? Some of them are actually very high quality students but they have no access to high quality institutions. So, I beseech the distinguish Members of this House to be on the same platform. Allow the extension of education. Allow our reform process. Allow foreign institutions also to come to this country with very very stringent safeguards to make sure that national interests are served.

All these legislations have already gone to the Standing Committee. Therefore, I would request the distinguished Members of this House to help me in this process.

Having said this, now let me just come to some of the questions that have been raised by the distinguished Members of this House.

As far as the policy of setting up of IIT is concerned, the Government realise that we do not have the wherewithal to set up an IIT in every State in this country. But the general policy that was followed was that each State should either have a Management Institute or an IIT. … (*Interruptions*) Let us not make this into a regional or a State dispute. We are talking about education. We are talking about the future of our children. No matter which State they belong to; they are our children. So, we want to give every child the best education possible but the State is constrained. You know about the State Governments, and many of you are aware of your State Governments and how the State Governments themselves are constrained even to provide basic education to people. Even the State of Kerala, though they are perhaps one of the most forward looking States in education, is constrained. But look at the dropout rate there as well. So, this is a very complex issue. … (*Interruptions*)

SHRI P.C. CHACKO (THRISSUR): There is not even a single IIT in Kerala. … (*Interruptions*)

SHRI KAPIL SIBAL: I know. Therefore, we would like to give an IIT to every State. But because of constraints, it is not possible. The policy is that the State should either have a Management Institute or an IIT. … (*Interruptions*)

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): Last year, the Prime Minister had assured it … (*Interruptions*)

SHRI KAPIL SIBAL: So, we would like, in the future, as the economy grows, as we gather more resources, to make sure that not just one but as many IITs as possible in the absence of financial constraints are set up in various parts of the country.

Now, let me just come to the issue of the Banaras Hindu University because that issue was raised by the distinguished Members of this House. I just want to mention that this is a very unique institution. Banaras Hindu University is our heritage. It is a part of our heritage. We should not, in any way, want to disturb that heritage. So, what we decided was this. We are aware of the fact that interdisciplinary teaching is very important because there you have a hospital also. So, we do not want to bifurcate that. But a Committee was set up some time ago.

This is the background of setting up of IT (BHU). A Committee was set up under the Chairmanship of Shri S.K. Joshi to identify promising institutions of higher learning in Science and Technology in the country for their transformation to the level of an IIT. That Committee identified the following seven Institutions for upgradation to the level of IIT, which included IT (BHU). That Committee recommended that IT (BHU) should be converted into an IIT. But what we have made sure is that in the administrative structure, there is a representation of BHU in the IIT.

Let me just explain that to you. For example, we have said that we would not allow IT (BHU) to sever its relation with the University. In fact, the Vice Chancellor will be the Director of the IIT at this point in time. And representation of BHU on the Board of Governors would work towards the interdisciplinary education that we are talking about. Two of the nominees in the Board will be given by BHU. So, we are not breaking the linkage. We never want to break the linkage. We want to make sure that the kind of interdisciplinary character of the institution remains the same. But at the same time we also want to give a benefit

to the institution so that it gets the status of an IIT. So, you have my assurance, Sir, any Member at any point in time can come to me if any attempt is made to take away from the heritage of the Banaras Hindu University. … (*Interruptions*)

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): He is the *ex-offici*o Chairman, not the Director. … (*Interruptions*)

SHRI KAPIL SIBAL: In the first year, yes. In the next year, he will be the *ex-officio*. That is what the amendment is. So, we are not breaking the linkage. We do not wish to break the linkage. … (*Interruptions*) The Vice-Chairman of the BHU would be the Vice-Chairman of the IIT. … (*Interruptions*)

श्री रामकिशुन (चन्दौली): काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर के वह अधीन होगा या अलग होगा?...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: हम अलग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो हम बात बता रहे हैं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने सवाल पूछ लिया है, वे इसका जवाब देंगे। कृपा आप बैठ जाइये।

Nothing will go on record except what the hon. Minister says.

(Interruptions) …[*]

उपाध्यक्ष महोदय : केवल मंत्री जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

...(व्यवधान) *

SHRI KAPIL SIBAL: The Vice-Chairman of the Board of Governors will be the Vice-Chancellor.… (*Interruptions*) The Vice-Chairman of the Board of Governors will be Vice-Chancellor....(व्यवधान) तभी तो मैंने आपको कहा है। मैं आपको बता रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रामकिशुन जी आप बैठ जाएं। आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...(व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो सवाल किया था, मंत्री जी उसका उत्तर दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप दोनों बैठ जाएं, सिर्फ मंत्री जी की बात रिकार्ड में जा रही है।

---

[*] Not recorded

...(व्यवधान) *

श्री कपिल सिब्बल : आप मेरी बात सुन लीजिए, तब आपको समझ आ जाएगा। The Vice-Chairman of the BHU would be the ex-officio Member in the first year. But later, the Vice-Chancellor of the BHU would be the Vice-Chairman of the Board of Governors… (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप आसन की तरफ देखकर बोलिए।

…(व्यवधान)

SHRI KAPIL SIBAL: The Vice-Chancellor of the BHU would be the Chairman of the Board of Governors for the first three years and then, the Vice-Chairman of the Board of Governors subsequently. This is the Bill. We are not, therefore, bifurcating or destroying the University… (*Interruptions*) तभी तो मैं आश्वासन देना चाहता था। यह हमेशा के लिए तो नहीं हो सकता है।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Minister, please address the Chair.

… (*Interruptions*)

SHRI KAPIL SIBAL: Now, having explained my position and the Government's position on this issue, the other point that was raised by a distinguished Member, which was a very important point, was with respect to the Faculty. I think, this is a very serious issue again because there is, indeed, a shortage of Faculty because the moment you increase the number of IITs, naturally the students will have to be served. One of the reasons for the shortage of Faculty also, is the reservations because on account of reservations, the increase of students capacity has been 54 per cent. And, because of the increase of students capacity, we need more teachers in the IIT system. That is really the main reason why there has been an extreme shortage of Faculty.

But if you look at, for example, IIT Mumbai, which is one of the oldest institutions, even there, there is a shortage. The total number of the sanctioned

---

* Not recorded

strength is 637; the people in Faculty in position is 491; and there is a shortage of 146. So, the total shortage in the old IITs is about 1,216 over the total sanctioned strength of 4,105.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Minister, please be brief. There are other items also to be taken up.

SHRI KAPIL SIBAL: Yes, Sir. I would just conclude About the new IITs, of the total strength of 4,765, the vacancy position is 1,551.

Now, there are two solutions to it because remember, we cannot build Faculty overnight. It is not possible. यह तो सम्भव भी नहीं है कि सुबह हुई और टीचर आ गए। इसके लिए हमने दो खास तरीके अपनाए हैं। पहला तरीका यह है कि जो आईआईटीज़ में विद्यार्थी आते थे, वे ग्रेजुएट डिग्री बी-टेक के लिए आते थे, क्योंकि आईआईटी सिस्टम में एम-टेक का महत्व नहीं था। बी-टेक के बाद विद्यार्थी एम-टेक के लिए बाहर चले जाते थे और बाहर उन्हें नौकरी भी मिल जाती थी। इसी कारण हमने तय किया कि आने वाले 10-20 वर्षों में हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस हैं, एम-टेक के कोर्सेस को बढ़ावा देंगे।...(व्यवधान) मैं बीएचयू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आईआईटीज़ की बात कर रहा हूं।...(व्यवधान) इसलिए आने वाले वर्षों में क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस होंगे, फैकल्टी की शोर्टेज भी कम हो जाएगी।

दूसरी बात यह है कि सारे आईआईटी सिस्टम को हम नेशनल नॉलेज नैटवर्क द्वारा कनैक्ट कर रहे हैं और उसके द्वारा क्या होगा कि कोई आईआईटी स्टूडेंट किसी भी आईआईटी में अगर बैठा हो तो उसको कोई कोर्स लेना है तो नेशनल नॉलेज नैटवर्क द्वारा वह किसी और आईआईटी प्रोफैसर से वह कोर्स ले सकता है। यह कनैक्टिविटी हम अगले दो साल में पूरी कर देंगे और उसका नतीजा यह होगा कि अगर फैकल्टी शॉर्टेज होती भी है, जब तक हम फैकल्टी की कमी पूरी नहीं कर सकते लेकिन फिर भी बच्चे वे कोर्सेज कर पाएंगे। यह दूसरी स्ट्रैटेजी हमने अपनाई है और साथ साथ में हम एक ओपन सोर्स मैटीरियल जो आईआईटी प्रोफैसर ने तैयार किया है, वह हम बनाने जा रहे हैं और हमने बनाया है। वह 1100 कोर्सेज का ओपन सोर्स मैटीरियल है। विश्व में ऐसा नहीं है और सब फ्री है। वह ओपन सोर्स मैटीरियल जो हमारे आईआईटी प्रोफैसर ने बनाया है, वह हम बाकी आईआईटीज में भी भेजेंगे, बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी उपलब्ध है, बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजिस को भी उपलब्ध है ताकि यह क्वॉलिटी एजुकेशन सभी को प्रदान हो। इसलिए हम बहुत से कदम उठा रहे हैं। आज चर्चा केवल इस अमेंडमेंट के ऊपर है और यह अमेंडमेंट जरूरी इसलिए है कि अगर हमने अमेंडमेंट नहीं किया तो वे बच्चे जिन्हें तीन साल हो चुके हैं, उन

बच्चों को अभी डिग्री मिलनी है और अगर अमेंडमेंट नहीं हुआ तो उन्हें डिग्री भी नहीं मिलेगी। इसलिए इसमें थोड़ी जल्दी भी है। मैं बहुत खुश हूं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने जवाब दे दिया है।

श्री कपिल सिब्बल : मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बिल को समर्थन दिया।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Have you finished?

SHRI KAPIL SIBAL: I move that the Bill further to amend the Institutes of Technology Act, 1961, be taken into consideration.… (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : किसी और की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

(Interruptions) … *

14.53 hrs.

Shri Ramkishun and some other hon. Members then left the House

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That the Bill further to amend the Institutes of Technology Act, 1961, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 Amendment of Section 2

Amendment made:

Page 1, line 9,--

for "Bhubaneshwar"

substitute "Bhubaneswar". (3)

(Shri Kapil Sibal)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 2, as amended, stand part of the Bill."

* Not recorded

The motion was adopted.

Clause 3 **Amendment of Section 3**

Amendments made:

Page 2, line 5, --

for "Bhubaneshwar"

substitute "Bhubaneswar". (4)

(Shri Kapil Sibal)

Page 2, line 31, --

for "Bhubaneshwar"

substitute "Bhubaneswar". (5)

(Shri Kapil Sibal)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 3, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5 **Amendment of Section 5**

Amendment made:

Page 3, line11, --

for "Bhubaneshwar"

substitute "Bhubaneswar". (6)

(Shri Kapil Sibal)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 5, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 6 was added to the Bill.

Clause 7 Amendment of Section 6

Amendment made:

"Page 4, *for* lines 25 to 31, *substitute* –

'7. In section 6 of the principal Act, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:–

"(1A) Subject to the provisions of this Act, every Institute may strive to meet the technological needs of the States and by the Union Territories included in its zone by–

(a) supporting and collaborating with technical education institutions located in the zone with a view to enhance their quality and capability;
(b) advising the State Governments and the Union territories included in its zone in the matter of technical education and any technological issue referred by them to the Institute for advice."'." (7)

(Shri Kapil Sibal)

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 7, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 7, as amended, was added to the Bill.

Clause 8 Amendment of Section 11

Amendment made:

"Page 4, *for* lines 42 to 44, *substitute* –

"(b) four persons to be nominated under clause (d), out of which two persons to be nominated by the Executive Council referred to in clause (d) of section 2 of the Banaras Hindu University Act, 1915, from amongst its members including its Vice-Chancellor;";" (8)

(Shri Kapil Sibal)

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 8, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 8, as amended, was added to the Bill.

Clause 9 was added to the Bill.

Clause 10 Amendment of Section 38

Amendment made:

Page 5, line 9,–

for "Bhubaneshwar"

substitute "Bhubaneswar"." (9)

(Shri Kapil Sibal)

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 10, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 10, as amended, was added to the Bill.

Clause 1 Short Title and Commencement

Amendment made:

"Page 1, line 3,–

for "2010"

substitute "2011"." (2)

(Shri Kapil Sibal)

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

"Page 1, line 1,–

for "Sixty-first"

substitute "Sixty-second"." (1)

(Shri Kapil Sibal)

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Long Title was added to the Bill.

SHRI KAPIL SIBAL: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

15.00 hrs.

DISCUSSION UNDER RULE 193

(i) Need to uplift the socio-economic and educational status of minorities In the country

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up Discussion under Rule 193.

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I stand up to speak on an important issue, that is, need to uplift the socio-economic and educational status of minorities in the country. We all know that Sachar Committee has already given a report on this and the report expresses with evidence that the minorities, and particularly the Muslim minority, who form a major chunk of the minorities, suffer from acute socio-economic and educational backwardness. This Report referred to the 'development deficit' of the Muslims all over the country. I would just like to quote two things from the Sachar Committee Report. First, by and large, Muslims ranked somewhat above the SCs/STs, but below Hindu General, Hindu OBCs and other minorities, considering almost all indicators. Secondly, Muslims carry a double burden of being labeled as 'anti-nationals' and as being appeased at the same time. The Report helped rebuffing the false propaganda by the communal forces, particularly the RSS, regarding the appeasement of Muslim minority.

Before Sachar Committee Report, there was Gopal Singh Committee Report in 1983. That was also submitted to the then Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi. In that Report, it was told that 'sense of discrimination prevailing among the minorities must be eliminated root and branch, if we want the minorities to form an effective part of the mainstream.' But no action was taken there.

Now nine months after the submission of Sachar Committee Report, the Union Government placed the follow up action, but it did not contain anything new - no new policies, no time-bound targets and no clear-cut financial

allocations. What was reiterated was the 15-point programme for the welfare of the minorities announced in 2005.

Let us look at the brief overview of the implementation of the programme. The Government had stipulated a three-year timeline for ensuring 15 per cent priority sector lending by banks to the minorities, but it reached by 2010 to only 13.7 per cent. Another important factor is the development deficit of Muslims in the educational sector. If we go through the Sachar Committee Report, we find that between age group 6-14, 25 per cent of the Mulsim children do not go to schools and 3.4 per cent of Muslim population can only reach to the stage of higher education. In post-graduation, out of 50 students, only one is Muslim. Female literacy rate of Muslims is just 50 per cent. Between 6-23 age group, the participation in education of the Muslims is only 59.9 per cent. In the case of my State West Bengal, you see that in the primary education, the Muslims students are more than 33 per cent; in the upper primary, they are more than 27 per cent; and in the secondary and higher secondary taken together, they are more than 21.2 per cent. It is an achievement there.

In the face of that situation throughout the country, the former Minister of State for Human Resource Development, Shri M.A. Fatmi, had headed a high-level committee and that has given a specific report to implement the Action Plan during the 11th Plan, demanding Rs. 5,434 crore, but that was overlooked by the Government. Even if we look at the scholarship scheme, we find that there are three scholarship schemes – merit-cum-means scholarship, pre-matric scholarship and post-matric scholarship. This must be demand-based. Still, we could only achieve 33 per cent of the merit-cum-means scholarship, 19 per cent of the pre-matric scholarship and 20 per cent of post-matric scholarship.

What about madarasas? The Government had launched a special programme or scheme for providing quality education in madarasas with allocation of just Rs. 325 crore for the 11th Plan. An outlay of just Rs. 95 crore has been made under the scheme over a period of three years.

Hon. Deputy-Speaker, Sir, the Minister is not there. He is missing.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI M. VEERAPPA MOILY): Sir, I am sitting here.

SK. SAIDUL HAQUE : Okay. You are there, but the Minister of Minority Affairs is not there. He should have been present here as this is a crucial question.

15.04 hrs.

(Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

SHRI M. VEERAPPA MOILY: He is reaching within five to ten minutes. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Do not worry. Please sit down.

SK. SAIDUL HAQUE : It is a question of seriousness. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: There is collective responsibility.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please continue your speech.

… (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, श्री सलमान खुर्शीद को सदन में बुलाया जाए। … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: He is making a point. Please stop cross-talk.

What is your point?

… (*Interruptions*)

SHRI M. VEERAPPA MOILY: The hon. Minister will be reaching any time. He is on his way. … (*Interruptions*)

SK. SAIDUL HAQUE : He should have come earlier. … (*Interruptions*)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): सभापति जी, हम सारे सांसद अध्यक्ष महोदया जी से मिले थे। हमने उनसे यह अनुरोध किया था कि पिछले दस साल से माईनोरिटी के नाम पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, इस पर चर्चा करवाईए। मेरा आपसे अनुरोध है कि नोडल मिनिस्ट्री के सीनियर मिनिस्टर यहां उपस्थित होने चाहिए। माईनोरिटी की चर्चा का टाईम बढ़ाया जाना चाहिए। कल नियम-193 पर पूरा दिन सदन चलाया गया। बीस करोड़ मुसलमानों पर चर्चा के लिए, माईनारिटी पर चर्चा के लिए टाईम बढ़ाया जाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से यह वक्त मिला है। सभापति जी, इस पर विचार करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसमें सरकार की तरफ से भी समय की पाबंदी नहीं होनी चहिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please sit down.

… (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार : तीन घंटे चर्चा चलाई जाए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: All the Leaders are there in the BAC. This has to be decided in the BAC.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please continue with the discussion.

… (*Interruptions*)

SK. SAIDUL HAQUE : Sir, let there be order in the House. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, this is very bad. Please sit down.

… (*Interruptions*)

* Not recorded

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except the speech of the hon. Member.

(Interruptions) ... *

SK. SAIDUL HAQUE : Sir, shall I continue? … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please try to maintain decorum in the House.

… (*Interruptions*)

SK. SAIDUL HAQUE : The Government launched a scheme for providing quality education in Madrasas with the allocation of just Rs. 325 crore for the Eleventh Plan, and an outlay of just Rs. 95 crore only has been made under the scheme over a period of three years. However, in my State of West Bengal, the Budget provision for Madrasa education for the year 2010-2011 is Rs. 610 crore, and my State has given Madrasa education equal status to that of school education; modernized the Madarasa syllabus; formed the Madrasa Education Board; and also the Madrasa Education Service Commission. But what is being done by the Central Government all over the country?

Now, in the Multi-Sector Development Project (MSDP), we see that 90 minority concentrated districts have been identified where Muslim population is more than 25 per cent. But these 90 districts cover only about 35 per cent of the total Muslim population of the country. There has been a great demand that selection of district as unit should be changed, and block selection as unit should be done. I mean to say that block should be the minimum unit to be identified for giving the benefit to the minorities, particularly, to the Muslims, but that was not accepted by the Government and it was ignored. We even told that not 25 per cent, but 15 per cent of the total Muslims -- if they reside in a district -- should be counted and taken into the MSDP. But it was also ignored.

Now, we find that the Eleventh Five Year Plan envisages a meager allocation of just Rs. 30 crore for each district over five years. Of this, Rs. 1,440 crore has been released up to 2010. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please maintain order in the House.

… (*Interruptions*)

SK. SAIDUL HAQUE : Sir, we are happy that the hon. Minister has come. I was mentioning that block should be identified as the unit in the MSDP or 15 per cent of the Muslim population of the district should be taken into account.

Now, the question is this. In this year's Budget, Rs. 100 crore has been cut from the MSDP. That shows the Government's attitude for the welfare of the minorities. An amount of Rs. 100 crore has been cut from the money allocated for the MSDP projects, and that should not have been done.

Of the few schemes identified for the development of the minorities, Eleventh Plan Budget estimated a total expenditure of Rs. 7,000 crore on all Central Sector Schemes and Centrally-Sponsored Schemes over a period of five years. This is just 0.32 per cent of the total amount of Rs. 21,56,571 crore in the Central Projects outlay of the Eleventh Plan. Moreover, after a passage of three financial years of the Plan period, only Rs. 2,526 crore, that is, 36.1 per cent has been actually spent. This only shows the half-hearted approach in meeting even the limited targets set by the Union Government so far.

There was wide-spread demand, including by the National Minority Commission, for a Minority Sub-Plan on the lines of SC/ST Sub-Plan, and the funds of which will be spent for the development of the entire Muslim minority population of the country. But that was not accepted. Also, the demand of 50 per cent budgetary allocation for Minorities Commission should have been accepted, but that also was not accepted by the Government. What is more, 14 Departments are related with the development of minorities, but there is lack of coordination among them at the Centre.

So, I demand that there should be a Minority Sub-Plan. MSDP criteria should be made block-based or all those districts which have 15 per cent or more minority population should be taken. All the scholarship schemes must be demand-based. What is needed most is the change of mindset of the implementing officers as well as the attitude of the Union Government.

Here, I would like to quote from the Mid-Term Appraisal Report of the Eleventh Plan done by the Planning Commission. We have to see what is going on in our country.

Now, under the Prime Minister's new 15-Point Programme, the Planning Commission writes:

> "Despite the commitments made under the Prime Minister's new 15-Point Programme, an assessment of Sarva Shiksha Abhiyan shows that percentage of minority students at the upper primary school has declined from 99.50 per cent in 2007-08 to 64 per cent in 2008-09. Construction of additional classrooms in schools has also declined from 100 per cent in 2007-08 to just 74 per cent in 2008-09. Further, the recruitment of Urdu Teachers has also declined from 86.44 per cent in 2007-08 to 72 per cent in 2008-09."

The other para, which is very important, says:

> "Many steps have been taken, but their implementation has been facing difficulties. This is partly due to the fact that to be truly effective, these schemes need to be underpinned by a greater sensitization and change, not only the mindset of the people, but in the psyche of implementing officers as well. These changes are long in coming, therefore, there has been little visible difference in the condition of minorities."

This is the comment of the Planning Commission. If Planning Commission makes comments like these, what is the plight of the minorities, particularly the Muslim minority all over the country till today? What is needed most for their upliftment is also the questin of land reforme and enhancing presentation of Muslims in local self Government as has been done in W.B.

Now, coming to the question of reservations in jobs, Sachar tells that though Muslim population in the country is 13.4 per cent, their share in Government jobs is only 4.9 per cent; in banks, 2.2 per cent; in postal department, 5 per cent; health, 4.4 per cent; in public sector undertakings, 3.3 per cent; in Railways, 4.5 per cent, out of which 98 per cent of people are in the lower grade

posts; in case of IAS, IPS, and IFS, it is 3 per cent, 4 per cent and 1.8 per cent respectively.

The Ranganath Mishra Committee Report was submitted to the Government on 10th May, 2007. But the Government tabled it in the Parliament three years after that, in December, 2009, and I am sorry to say this, without any Action Taken Report so far. It is not clear till today whether the Government accepts the recommendations or not. The Minister is saying that it is under consideration. How many days will it remain under consideration, I would like to know from the hon. Minister.

It made recommendations for all religious minorities. The Mishra Commission gave two options – either this or that. But the Government should realize that the very spirit of the observation of the Ranganath Mishra Commission is this. It says,

> "Since the minorities, especially the Muslims, are very much under represented and, sometimes, wholly unrepresented in Government employment, we recommend that they should be regarded as backward in this respect within the meaning of the term as used in article 16 (4) of the Constitution."

The specific recommendation of the Mishra Commission is that ten per cent reservations be kept for Muslims and five per cent for other minorities. While reservations are not the ultimate answer to all the problems facing the Muslim minority today, it is clear that recommendations are among the effective measures that guarantee earmarked rights to its beneficiaries. In Kerala and Karnataka, some sort of reservation is there. In Andhra Pradesh, the validity of four per cent reservation has been upheld by the Supreme Court. But on the basis of the Ranganath Mishra recommendations, the West Bengal is the first State which has made ten per cent reservation to the backward Muslims in Government jobs and 85 per cent of the Muslim population in the State is now covered under reservation.

Another important recommendation that the Mishra Commission has made is about extending the Scheduled Castes status to all communities irrespective of religion. This was not done in 1950 orders and mainly Christians and Muslims were kept out of this SC category status. Now Raganath Mishra Commission again categorically tells that this SC status should be given to all communities irrespective of religion. So, the Union Government should stop dragging its feet over the Raganath Mishra Commission Report. Without disturbing the present quota fixed for OBCs, the Government should move to make an amendment to the Constitution, if so needed, to provide such reservation above fifty per cent of the total.

Apart from the question of equity, the other important point is about the question and the crisis of identity and security of the Muslims throughout the country. Muslims are termed by some communal forces as "terrorist or treacherous". This is the most bewildering attack; this is the most objectionable matter. Muslims are termed that they are 'terrorists' or they are 'treacherous'?. After 9/11 in USA, an Islam phobia has been created by USA all over the world. In our country also, in the face of different riots and particularly the genocide that happened in Gujarat, there prevails a kind of fear psychosis among a large section of Muslims. The Union Government so far has not taken any positive action on the recommendations of different Commissions like Srikrishna Commission, Liberhan Commission and other Commissions. So, more or less, there is a sense of insecurity among the Muslims in the country. Recent incidents of the Malegaon blast or Macca Masjid blast in Hyderabad by some Hindu chauvinist groups have raised the sense of insecurity among them. The Christians are also facing the same thing in the hands of the Hindu chauvinists. As a result, the sectarian and divisive forces among the Muslims community are gaining ground who also like to disrupt the unity and integrity of the country.

Some communal forces demand that in India, the Muslims should have to prove their Indianness. But I would like to say categorically that we, the Muslims

in India are Indians, both in blood and soul, like others. We love this country. We are proud of this country. Yet, most of the Muslims all over the country feel a sense of discrimination with regard to their socio-economic and educational status. It has been proved by facts and figures by various Commissions like the Gopal Singh Commission, Sachar Commission and Ranganath Mishra Commission. In such a situation, the Union Government should take positive action to uplift the socio-economic and educational status of the minorities in the country particularly the Muslim minorities in order to eliminate the sense of discrimination prevailing among them. With these words, I conclude.

श्री मोहम्मद असरारुल हक़ (किशनगंज): महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे माइनोरिटी एजुकेशन के ताल्लुक से बोलने का मौका दिया। मैं इसके लिए फिर से आपका एक बार शुक्रिया अदा करता हूं। इज्ज़तमआब शिक्षा और क्वालिटी एजुकेशन ही इंसानी तरक्की का वाहिद जरिया है। आज के अहद में नॉलेज को पॉवर कहा जाता है और सच्चाई भी यही है कि कुव्वत-व-इक्तिदार की यही शाह दलील है। आज अक्लियतों, बिलखुसूस मुसलमानों में इल्म-वा-आगही है कि जो खरा है, उसे पुर करने के लिए मंसूबाबंद जद्दोजहद की जरूरत है। इज्जतमआब प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की कयादत में हमारी यूपीए सरकार ने शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया है। मुफ्तलाजिमी तालिमी बिल पहले ही पास हो चुका है और उस पर अमलजलामत भी शुरू हो चुका है। इसका सेहरा भी प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी और यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी को जाता है। इसी तरह अकलियतों की तालिमी फलां और बहबूद के लिए कई स्कीमें शुरू की गयी हैं और कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इज्जतमआब गांधीजी ने कहा था कि किसी मुल्क के मुहज्जब होने के दावे की सदाकत इस बात पर मुनहसिर है कि वह अपनी अकलियतों के साथ कैसा रवैया अख्तियार करता है। हमें गांधीजी के इस बात की रोशनी में अकलियतों खास तौर पर मुसलमानों की तालीमी हालात का जायजा लेना चाहिए और उसके लिए तरक्की की स्कीमें बनानी चाहिए। मान्यवर, आज मुल्क में मुस्लिम अकलियत की तालीमी पसमांदगी निहायत तस्वीसनाक है। तालीम की कौमी शरह के मुकाबिलेबिल मुसलमानों की तालीमी शरह काफी कम है। हायर एजुकेशन में तो उनकी तालीमी शरह तस्वीसनाक हद तक कम है। मुल्क के कई हिस्सों में लड़कों के अलावा लड़कियों की तालीमी शरह न के बराबर है। ड्रॉप आउट की शरह भी बहुत ज्यादा है यानी मजमूई तौर पर इस मुल्क की मुस्लिम अकलियत की तालीमी सूरतेहाल बेहद खराब है। उनमें तालीमी बेदारी जरूर आई है। अब वे अपने लड़के और लड़कियों को पढ़ाना भी चाहते हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। उनके पास माली वसायल की बेहद कमी है। सच्चर कमेटी ने निहायत गहराई से उनके तालीमी व इख्तेसाली हालात का जायजा लिया है। उस रिपोर्ट से उनकी तालीमी व मआशी पस्मांदगी रोज-रौशन की तरह वाजे हो गयी है। अब इस सिलसिले में मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब तो उनके मजरूहे जमीर की दिलदोज आवाज फिजां में गूंजने लगी है।

कहे चिराग-ए-शाम-ए-हस्ती तू न जल सके तो गुल हो
ये सिसक-सिसक के जीना कोई जिंदगी नहीं।

इज्जतमआब प्लानिंग कमीशन का कयाम 15 मार्च 1950 में अमल में आया और पहला पंचसाला मंसूबा 1951 से नाफिज हुआ लेकिन उन मंसूबों और बजट के सिलसिले में कभी मुस्लिम सिरकासिम से मशविरे नहीं किए गए। इसका यह नतीजा निकला कि अकलियातों के हवाले से जो भी स्कीमें बनाई गईं, वह

उनकी जरूरियात और ख्वाहिशात से ज्यादा मुतालफक नहीं रखती। मिसाल के तौर पर अकलियत की वजारतें अकलियत की खबातीन में कायदाना सलाहियत पैदा करने के लिए एक स्कीम शुरू की है। लेकिन अकलियतों की खुसूस मुसलमानों की जो मज्मुईं पस्मांदगी है उसके तनाजुर में ये स्कीम कोई इफाजियत नहीं रखती। इसी तरह अकलियती तलाबागली स्कॉलरशिप का सिलसिला जो शुरू किया गया है, वह अकलियती तरावाह के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है लेकिन ये मतलूब-ए-तादात में मयस्सर नहीं है। इज्जतमआब ये इत्मीनान की बात है कि आजाद हिन्दुस्तान की तारीख में पहली बार प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारी इज्जतमआब वजीरे आजम की सर-ए-बराई में अकलियतों दिलखुशूस मुसलमानों की जरूरियात और उनके मुतालेबात जानने का सिलसिला शुरू किया है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि 11वीं पंचसाला प्लान के मुकाबले में आने वाला 12वा पंचसाला मंसूबा में अकलियतों व दिलखुशूश मुसलमानों की तालीमी व इख्तेशादी तरजिहात का पूरा खयाल रखा जाएगा। इज्जतमआब यूपीए हुकूमतें अकलियती तलाबागिनी स्कॉलरशिप की जो स्कीम शुरू की है यह अच्छा कदम है। इससे अकलियतों दिलखुशूस मुसलमानों की तालीमी पस्मांदगी में कमी आएगी। लेकिन सरेदस 17 लाख 5 हजार तलाबाओं को प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक तालीम के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है जो "उंट के मुंह में जीरा" के बराबर है। इसलिए कि 6 साल से 14 साल के उम्र के मुस्लिम बच्चों की तादाद तकरीबन 1 करोड़ 73 लाख है जिसमें से 1 करोड़ 8 लाख मुस्लिम बच्चे खत्ते-गरीबी से नीचे की सतह की जिन्दगी गुजार रहे हैं तो इस स्कॉलरशिप की तादाद में इजाफा करके कम से कम पोवर्टी लाइन से नीचे की जिन्दगी गुजारने वाले बच्चों को तो फायदा पहुंचाया जाना चाहिए। स्कॉलरशिप के मामले में एक मुश्किल यह भी है कि इस स्कीम की एक-चौथाई रकम रियासती हुकूमतों को अदा करने की शर्त्त है। मगर बाद रियासतें इसके लिए आमादा नहीं हैं। रियासत-ए-गुजरात में एक भी अकलियती तालिबी इल्म को स्कॉलर नहीं मिली है। इसलिए ऐसी रियासतों के लिए एक मुत्तबादी निजाम मुजह किया जाना चाहिए।

इज्ज़तमआब, सच्चर कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में जिन 90 अज़ला को माइनॉरिटीज़ की तालीमी इख्तसादी तरक्की के लिए फंड फराहम किया जा रहा है, इस फंड की कम से कम 50 फीसदी रकम को माइनॉरिटी की तालीमी तरक्की पर खर्च किया जाना चाहिए और हर अकलियती ज़िला में कम से कम दो रैज़िडैन्शियल हाई स्कूल लड़के और लड़कियों के लिए कायम किये जाने चाहिए। इसी तरह अकलियतों की तालीमी तरक्की के लिए ज़रूरी है कि स्कूलों के अलावा होस्टल, आईटीआई की तालीम को तरजीह दी जानी चाहिए और अकलियती तलबा और तालिबा के लिए कोचिंग की सहूलियत फराहम की जानी चाहिए।

इज्ज़तमाब, एक तशवीशनाक पहलू यह भी है कि अकलियतों की फलाही स्कीमों के लिए जो मामूली रकम मुख्तसस की जाती है, उसका भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं होता। मिसाल के तौर पर ग्यारहवें प्लान में 1400 करोड़ रुपये फराहम किए गए मगर गुज़िश्ता चार सालों में सिर्फ 4 करोड़ 87 लाख रुपये खर्च हुए जो मुख्तसस किबला मजमूई रकम का सिर्फ 35 फीसद है। यह रकम अभी काबिल-ए-इस्तेमाल है। इसे प्री-मैट्रिक और स्कॉलरशिप पर से कोटा की बंदिश हटाकर खत्म किया जा सकता है। इसी तरह पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 1150 करोड़ रुपये का बजट मुकर्रर किया गया था। ताहम गुज़िश्ता चार सालों में सिर्फ 3 करोड़ 88 लाख रुपये खर्च हुए। अगर इसमें साल 2011 की रकम भी शामिल की जाए तो इस बजट का अभी तक सिर्फ 34 फीसद इस्तेमाल हो पाया है। इसी तरह मजमूई तौर पर स्कालरशिप के लिए जितनी रकम मुख्तस की गई, उनमें से सिर्फ 49 फीसद खर्च हुई है। यह मामला बहुत ही गंभीर है, इस पर संजीदगी के साथ गौर करने की ज़रूरत है। इसी तरह मैरिट कम मीन्स के मामले में भी कमोबेश ऐसा ही है। इसके लिए 600 करोड़ रुपये मुकर्रर किये गये थे जिसमें सिर्फ 253 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं जो मजमूई रकम का सिर्फ 42 फीसद है।

इज्ज़तमाब, अगर हम अकलियतों को तालीम-ए-मैदान में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह हकीकत हमारे पेशे-नज़र रहनी चाहिए कि मंसूबाबंदी के तीन अहम जुज़ होते हैं। पहला सोशल एम्पावरमैंट, दूसरा इकोनॉमिक एम्पावरमैंट और तीसरा सोशल जस्टिस। लेकिन तीनों में हम जितनी तवज्जो मुनदर्जा फहरिस अक्वाम पर देते हैं, उतनी ही तव्जो हमें अकलियतों पर भी देनी होगी।

इज्ज़तमाब, आखिर में मुझे यह कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि यूपीए हुकूमत ने सच्चर कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में अकलियतों में हायर एजुकेशन को फरोग देने के लिए मुल्क की पाँच रियासतों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सैन्टर कायम करने का फैसला किया है। केरल और मगरिबी बंगाल में उसकी कार्रवाई शुरू हो गई है। बिहार में ज़मीन का मसला अभी पूरी तरह हल नहीं हुआ है। अब जैसा कि वज़ीरे-आला चाहते हैं कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी बने, उन्होंने कहा है कि एकजा हम ज़मीन देंगे। अगर वह ज़मीन मिल जाती है और मरकज़ी सरकार उसके लिए टोकन ग्रांट मंज़ूर करके पैसे दे देती है, फंड दे दिया जाता है तो वहाँ काम करना शुरू करेगा। मैं उसी किशनगंज से आता हूँ जहाँ बिहार में वह बनना है। वह पूरे बिहार का नहीं, हिन्दुस्तान का तालीमी एतबार से सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। बिहार की राजधानी पटना में 60.04 परसेंट एजुकेशन है। आप वहाँ से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर किशनगंज जाइए तो वहाँ 31 परसेंट एजुकेशन है। पूरे हिन्दोस्तान में सबसे नीचे की शरह वहाँ है। लड़कियों की तालीम का जहाँ तक मामला है, पूरे हिन्दुस्तान में सबसे कम शरह मुस्लिम कम्यूनिटी में वहाँ है। मुस्लिम कम्यूनिटी के अंदर वहाँ बाज़ इलाकों के अंदर 0.22 परसेंट एजुकेशन है। इसलिए हम यह चाहते हैं कि वहाँ यह यूनिवर्सिटी

बने और वहाँ के लिए रियासते हुकूमत ज़मीन फराहम करे, ज़मीन दे और मरकज़ी हुकूमत फंड फराहम करे। इसी तरह मैं एक बात और कहकर बात खत्म करूँगा।

हमारे यहाँ हिन्दुस्तान में इस वक्त नौ रियासतों में मदरसा बोर्ड बन चुका है। हम मदरसा बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं। वह बहुत मुश्किल और टेढ़ा मसला है। उसके बजाय हम यह चाहते हैं कि जो मदरसा बोर्ड है, वह मदरसा बोर्ड जहाँ जहाँ भी है, उन 90 जिलों को जो पैसा माइनारिटीज़ को आप पैसा दे रहे हैं, उस पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वह इंदिरा आवास और दूसरी चीज़ों में जा रहा है। कम से कम 50 परसेंट एजुकेशन पर खर्च कीजिए और कम से कम बिहार में मैं चाहता हूँ कि मदरसा बोर्ड के जो मदारिस हैं, पहले 1200 से कुछ ज्यादा थे, अब बिहार गवर्नमैंट ने और बढ़ाया है, तो उनकी तादाद बड़ी हो गई है। उन मदरसों को आप पैसा दीजिए ताकि वहाँ पर उनके मकानात बनें। मैंने अपने ज़िले के लिए कोशिश की थी। यहां से 149 मदरसों को दिया गया है। मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन मेरे अभी 91 मदरसे और 6 डिस्ट्रिक्ट बिहार के ऐसे बाकी हैं, जिनके मदरसों को पैसा मिलना चाहिए। मेरा मुतालबा है कि वहां इस फण्ड को फरहाम किया जाए। उन मदरसों की खासियत यह है कि आप करीकुलम के अंदर मॉडर्नाइजेशन लाना चाहते हैं, वह सब वहां मौजूद हैं और वहां से जो बच्चा वस्तानिया का इम्तिहान पास करता है, आठवीं में उसका एडमिशन हो जाता है। इसलिए बिहार के तमाम मदरसों को मायनोरिटी फण्ड देकर बिल्डिंग, टॉयलेट बनाए जाएं। लड़कियां उस वक्त तक नहीं पढ़ सकती हैं, जब तक कि मदरसों या स्कूलों में टॉयलेट्स का इंतजाम न हो। आज वहां नहीं है, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर 193 के तहत चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

महोदय, मैं बिहार के रेशमी शहर भागलपुर से हूं। जहां कभी वर्ष 1989 उस रेशमी शहर पर, जहां फसाद का दाग लगा था। वहां आज मैंने मुहब्बत का कमल खिलाया है। वहां से जीतकर संसद में आया हूं।

महोदय, हम माननीय अध्यक्षा जी से मिले थे और गुजारिश की थी कि इतनी बड़ी आबादी, जिसे कहते तो अल्पसंख्यक हैं, लेकिन कई मुल्कों की आबादी भी इतनी नहीं है, जितनी बड़ी आबादी मायनोरिटी की भारत में है। जब चुनाव होता है, जब राजनीति होती है तो उसका केन्द्र भी वह कम्यूनिटी बन जाती है। ऐसे-ऐसे वायदे किए जाते हैं, लेकिन कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। हमें खुशी है कि सलमान साहब मायनोरिटी अफेयर के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। हमने सोचा था कि जब तक ये कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनेंगे, तब तक हमने चर्चा ही नहीं मांगी। मायनोरिटी अफेयर मिनिस्टरी तो बनी, लेकिन उसके पास कोई ताकत नहीं है, कोई दांत नहीं है। इन जैसे कद्दावर आदमी को जब मंत्री बनाया, लेकिन बजट नहीं है। सलमान भाई का कद बड़ा है, इसलिए इनके साथ एक मंत्रालय अटैच करते हैं। पहले कॉरपोरेट अफेयर मंत्रालय था। जिसमें ये रहते हैं, उसकी कमेटी में मैं सलाहकार के तौर पर सदस्य बनकर जाता हूं।...(व्यवधान) अभी इनके पास मायनोरिटी के साथ पानी का मंत्रालय भी है। कॉरपोरेट मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी में हम होते थे तो सोचते थे मायनोरिटी की चर्चा करते हैं और कारपोरेट में मायनोरिटी को ये जगह दिलवाएंगे। लेकिन इन्होंने जब वहां काम शुरू ही किया था तो वह मंत्रालय इनसे ले लिया गया, इसलिए वहां कुछ कर नहीं पाए। अब मायनोरिटी मिनिस्टरी इनके पास है। जब यह मिनिस्टरी बनी तो ए.आर. अंतुले साहब को उसका मिनिस्टर बनाया गया था तो बहुत दिनों तक तो वे अपना कमरा ही तलाशते रहे। कमरा मिला तो कुर्सी नहीं, कुर्सी मिली तो टेबल नहीं और फिर सैक्रेटरी नहीं, सैक्रेटरी मिला तो बजट नहीं, बजट मिला तो खर्च नहीं। यह ऐसा मंत्रालय बनाया जो भाषण के लिए बहुत अच्छा है। अकलियतों के लिए 60 साल बात हमारी आंख खुली और जो काम नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी ने नहीं किया, वह माननीय मनमोहन सिंह जी अकलियतों के लिए एक मिनिस्टरी बना दी।...(व्यवधान) यह सही बात है कि हमने नहीं किया...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please address the Chair. Please do not have cross-talks. Hon. Members, please do not interrupt him.

… (*Interruptions*)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : जब मैं मंत्री था, उस समय ये बहुत अच्छे आफिसर थे। चीफ सैक्रेटरी रहे हैं, बहुत बढ़ा नाम रहा है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

MR. CHAIRMAN: Do not disturb him.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : सर, पार्लियामेंट में सलमान भाई का नाम लिया, ये नेता हैं, इसलिए खड़े नहीं हुए। अभी थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा, आप पहले यह सुनिए कि कह क्या रहे हैं। आप तुरंत खड़े हो गए। हम आपकी तारीफ कर रहे थे, जब हमारी बात कम्प्लीट हो जाए, आप पहले हमारी पूरी बात सुन लें कि हम कह क्या रहे हैं। ये जो राजनीति में लोग आए हैं, हम ब्यूरोक्रेट नहीं हैं, लेकिन हमने अपना जीवन समाज सेवा में झोंक दिया है। हम भी कहीं नौकरी करते, रिजाइन करते और आते। इसमें कोई फख्र करना, ये सब करने की कोई बात नहीं है, इस पर ज्यादा फख्र मत कीजिए। यहां जो भी राजनेता आए हैं, उन्होंने अपना जीवन समाज की सेवा में झोंक दिया। सलमान साहब बहुत अच्छे वकील हैं, अगर प्रेक्टिस करते, जितनी तनख्वाह इन्हें यहां मिलती है, उससे ज्यादा इन्हें कोर्ट में मिलती थी। इसलिए यह कोई विषय नहीं है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये बार-बार खड़े हो जाते हैं।

सभापति महोदय, मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहां बात करना चाहता हूं। मैं सियासत से थोड़ा ऊपर उठ कर चर्चा करना चाहता हूं। हमने बड़ी मुश्किल से इस विषय पर बातचीत की। मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, भारतीय जनता पार्टी का इकलौता मुस्लिम एम.पी. हूं। लगातार तीन बार से...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please address the Chair.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : सर, ये बहुत टोकते हैं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record. You please do not look towards them.

(Interruptions) ... *

---

* Not recorded

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैं एकदम आपको देखूंगा, थोड़ा सा इधर सलमान साहब को भी कभी-कभी देखूंगा। नज़र के सामने कोई हो और जिगर के पास हो तो उसे देखना चाहिए। बड़ा शायराना माहौल हो रहा है। ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आशिकाना भी है।...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : आशिकाना अभी बनाएंगे। आज मैं कोई ऐसी बात करना चाहता हूं, जब चर्चा हो तो उससे कुछ कंक्लुजन निकले, उस पर चर्चा हो। सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करना, एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करना, इससे कोई सोल्यूशन नहीं होता।

सभापति महोदय, मेरा सौभाग्य है, जैसा मैंने कहा कि मुझे इस विषय पर आपने बोलने का अवसर दिया है। आजादी के 63 साल हो गए, हिन्दुस्तान के अंदर जब इस मुल्क का बंटवारा हुआ, जिन लोगों ने मज़हब के नाम पर इस बंटवारे को कबूल किया, वे हिन्दुस्तान को टाटा-बॉय-बॉय करके पाकिस्तान में चले गए। वहां रोज बम विस्फोट हो रहे हैं, वे बेचारे परेशान हैं। मुसलमान एक ऐसी कौम थी, दुनिया की वाहिद कौम थी, जिसे मुल्क चुनने का हक मिला। मज़हब के नाम पर जो मुल्क का बंटवारा हुआ है, उस बंटवारे को स्वीकार करके अपने हम मज़हब के साथ पाकिस्तान जाना है या अपने हम वतन के साथ, अपनी सरज़मी, इस मादरे वतन, जननी मातृभूमि की गोद में रहना है। उस वक्त हमारे बाप-दादा ने तय किया कि ये मादरे वतन, जननी मातृभूमि, हम जिन्दा हैं तो इसी वतन के लिए और मरेंगे तो इसी मादरे वतन की खाक में मिल जाएंगे। उस वक्त हिन्दुस्तान का मुसलमान अगर हिन्दुस्तान में रह गया तो वह इसलिए नहीं रह गया कि कोई नेता जी, पुलिस या सेना पर बहुत भरोसा है। उसको अपने पड़ौसी, हम वतन, गांव के रहने वालों पर भरोसा था। लोगों ने रोका, जब इस मुल्क का बंटवारा हो रहा था तो पूरा पंजाब खाली हो गया। पंजाब में एक जगह मलेरकोटला है। वहां जब लोग जाने लगे, क्योंकि मलेरकोटला के लोगों ने एक बार गुरु की रक्षा की थी, उनकी मदद की थी तो वहां के लोगों ने कहा कि हम आपको यहां से जाने नहीं देंगे। आज भी वहां बड़ी आबादी पंजाब के अंदर रहती है। हम लोग भी बिहार में हैं, बगल में बंग्लादेश और पाकिस्तान था, लेकिन बहुत लोग गए, लेकिन हमारे खानदान के लोग नहीं गए। हमें बार-बार ये इम्तिहान इस मुल्क में नहीं देना होगा कि हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं। एक दिन 15 अगस्त, 1947 को हिन्दुस्तान के मुसलमानों ने अपनी देशभक्ति, देश प्रेम, हुबल वतनी का इम्तिहान दे दिया है। एक कौम से बार-बार इम्तिहान नहीं लिया जा सकता।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Shahnawaz Hussain, please continue. Nothing, except what you are saying, is going on record.

(Interruptions) … *

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): सभापति जी, आज हमें अपने ही मुल्क में, अपने हक के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी नौकरी के लिए इतना लड़ना पड़ेगा और क्या 193 में चर्चा करनी पड़ेगी? क्या आजादी के 63 साल बाद, आज अक़लीयतों की यह हालत होगी?

सभापति जी, मुझे दुख होता है, मैं जानता हूं कि मुल्क के बंटवारे के बाद हमारी समस्याएं बढ़ी हैं। जब बंटवारा हो रहा था, उस वक्त मौलाना अबुल कलम आजाद ने, जामा मस्जिद की सीढ़ी से कहा था -ऐ मुसलमानो, तुम अपना मुल्क छोड़कर मत जाओ। तुमको वहां अपने हम-मज़हब मिल जाएंगे, लेकिन अपने हम-वतन नहीं मिलेंगे। उस समय रेलवे स्टेशन पर उनके उस भाषण की कैसेट लगाई गई। लोग उनकी बात को सुनकर रुके। मैं कहता हूं, उस वक्त के प्रधान मंत्री, पं. जवाहरलाल नेहरू ने, उस वक्त के नेताओं और सब लोगों ने बड़ा एत्माद दिलाया कि मुसलमानों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आज वह कौम दो-राहे पर खड़ी है। आज जब हम लोग चर्चा करते हैं कि उस वक्त हमारे हालात क्या थे, उस वक्त हम किस हालत में थे, आज हम किस हालत में हैं।

सभापति जी, जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था, मैंने देखा, तो मुझे काफी दुख हुआ कि आज हम इस हालत में क्यों हैं? मैं यह बात किसी और रिपोर्ट या भारतीय जनता पार्टी की कमेटी की किसी रिपोर्ट के आधार पर नहीं कर रहा हूं और न मैं उससे पढ़कर बोल रहा हूं। मैं तो जो आपने सच्चर कमेटी बनाई, जिसे बने हुए पांच-छः साल हो गए, उसे पढ़कर बता रहा हूं। दिक्कत तब हुई जब इस मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज के लिए वोट की पॉलीटिक्स बहुत हुई। उनका वोट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बल्क में जाता है, जिधर जाता है, उधर की तकदीर को बदलता है। इसलिए उन्हें आम इंसानों की तरह देखने की बजाय उन्हें वोटर की तरह देखा गया कि ये अच्छे लोग हैं। इन्हें शरह मिलने से शायद हमें कुर्सी मिल जाए। यह तो हमारा फर्ज है कि यदि माइनॉरिटी के फलाह-व-बहबूदी के लिए कोई काम करता है, तो वह किसी पर कोई अहसान नहीं करता। वे हिन्दुस्तान के नागरिक हैं। उनकी खिदमत करना, आपका फर्ज है। इसे गिनाइए मत। पीठ मत थपथपाईए। हम पर वह अहसान मत कीजिए। अहसानात के कारण 63 साल में अक्लीयतों का कंधा इतना कमजोर हो गया है कि वह अब और लफ्जों के बोझ को सहन करने लायक नहीं रहा है। अब और लफ्जों का बोझ हमारे कंधों पर मत डालिए। हमारा जो कंधा है, वह लफ्जों का, शब्दों का और अलफाज़ का बोझ उठाने को तैयार नहीं है।

---

* Not recorded

महोदय, आज अक़लीयत के लोग अपनी बात कहते हैं, तो कहीं रोड पर उतर कर, रेल की पटरी पर बैठकर कोई बात नहीं कहते हैं। वे आपसे बात कह रहे हैं। आप उनकी बात को सुनिए। हिन्दुस्तान के अवाम की तरफ देखिए। उन्हें एक चश्मे से देखिए। उन्हें बराबरी की नजरों से देखिए। उन्हें रोजगार में, उनके हकूक में, बराबर का हक दीजिए। मैं उनके लिए कोई अलग से हक मांगने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। हम चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे। हिन्दू और मुसलमान, इस मादरे वतन की दो आंखें हैं। अगर एक आंख भी कमजोर होगी, तो मादरे वतन की तस्वीर खराब हो जाएगी। उसे मजबूत करना ही देश-प्रेम है। हिन्दुस्तान का अगर एक भी आदमी कमजोर रहेगा, तो आप फख्र से नहीं कह सकते कि हम डैवलप्ड कंट्री हैं। इस तरफ बढ़ने के लिए आपको कोई बड़ा काम करना पड़ेगा। इसलिए जब चर्चा हुई, तो इंदिरा जी ने मुसलमानों की तरक्की के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम बनाया। उन 15 सूत्रों में से कोई भी एम.पी. 15 सूत्रों को कोई गिना नहीं सकता। मैं भी नहीं गिना सकता हूं कि वे क्या हैं, पता ही नहीं लगता है। हम सोच रहे हैं कि कब कौन सा सूत्र आएगा, यह पता ही नहीं लगता है। हर बार लोग सोचते हैं कि शायद 13वां सूत्र हो गया होगा या 14वां सूत्र हो गया होगा और 15वें सूत्र के लागू होते ही हमारी तकदीर बदलने वाली है, यह उम्मीद लगी रहती है, लेकिन वह 15वां सूत्र आज तक नहीं आया।

महोदय, हम तो आज आपसे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं। आज तो वर्ल्ड कप का खेल चल रहा है और हमारे बहुत सारे एम.पी. वर्ल्ड कप देखने गए हैं। यदि आज यहां चर्चा नहीं होती, तो हम भी वर्ल्ड कप मैच देखते। हम यह चाहते हैं कि हमें सलमान साहब ज्यादा मत दीजिए। क्रिकेट टीम में इनकी वजह से जैसी जगह मिली है, वैसी दे दीजिए। यह इंडियन क्रिकेट टीम खेल रही है, टीम इंडिया और इसमें खिलाड़ी खेल रहे हैं जहीर खान, मुनाफ पटेल और यूसुफ पठान। और 11 में ये तीन खेल रहे हैं, ये कोई रिजर्वेशन पर नहीं खेल रहे हैं, ये अपने टेलेंट पर खेल रहे हैं, क्योंकि यह रिजर्वेशन वाली जगह नहीं है। यह करीब 30.6 परसेंट रिजर्वेशन क्रिकेट टीम में है। एक जमाना होता था कि हाकी टीम में भी आधे से ज्यादा लोग होते थे, लेकिन वे हिन्दू हैं या मुसलमान हैं, इस चश्मे से लोग उनको नहीं देखते थे। जब कोई क्रिकेट का मैच होता है और जहीर खान को कोई चोट लग जाती है तो उनके वालिद को जितना दुख होता है, उससे ज्यादा दुख शत्रुघ्न सिन्हा जी को, मेघवाल जी को और शैलेन्द्र जी को होता है। लोगों को लगता है कि मेरे बेटे को, मेरे भाई को चोट लगी है। यह क्रिकेट वाला माहौल इस देश में मुसलमानों के लिए बनाने की जरूरत है।

मैं तो देश के विभाजन के बाद आज अक्लियतों की जो स्थिति है, उस पर बातचीत करना चाहूंगा, क्योंकि सच्चर कमीशन तो हमने नहीं बनाया, आप लोगों ने ही बनाया और जब बनाया था तो लग रहा था कि हर गांव में, जहां हम लोग जाते थे, क्योंकि अच्छा है कि इस पर जो पहली तकरीर उधर कांग्रेस से हुई, किशनगंज से, जहां करीब 70 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है, मैं वहां से एम.पी. रहा हूं, अब मौलाना इशरारुल हक साहब एम.पी. हैं और आज मैं भागलपुर से एम.पी. हूं, जहां सलमान साहब के 90 जिलों में, जो मुस्लिम बहुल जिले हैं, उसमें शाहनवाज़ हुसैन का जिला अभी नहीं आता है। ये हम...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): उसे भी शामिल कर लीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : हम यह कहने के लिए खड़े हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर माहौल क्या हुआ कि चाहे खिलाड़ी हो, चाहे लीडर हो, वह सिर्फ एक कम्युनिटी का लीडर नहीं हो, देश के लोग जिसको नेता मानें, वह नेता हो। वह कम्युनिटी के अन्दर पैदा हो। हमें फख्र है कि जिस भागलपुर में कभी 1989 में पहले हिन्दू मुसलमान तनाव हुआ था, हमें याद है कि राजीव गांधी जी वहां गये थे, आज हम उसी सर्किट हाउस में रुकते हैं, जहां वे रुके थे। उस वक्त क्या माहौल था, कोई सोच नहीं सकता, लेकिन आज वहां लोगों की ईमानदारी से बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार जी की सरकार ने मदद की है, जख्मों पर मरहम लगाया है। आज जरूरत है, हमारे जैसे लोगों ने जो वहां कोशिश की है, पत्थर पर भी हम जाकर अगर एक बार मेहनत करें तो जहां पर खराब माहौल है, वहां पर भी अच्छा बन सकता है, इसमें कोई अलग बात नहीं है।

जो सच्चर कमीशन आपने बनाया, आज उसमें क्या हालत है। पूरे देश में मुसलमानों की जो साक्षरता है, वह 65 परसेंट है, सच्चर कहते हैं कि मुसलमानों में 59 परसेंट साक्षरता है। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे स्कूल जाते हैं, वे 25 परसेंट से ज्यादा जाते नहीं हैं। देश में जो ग्रेजुएट हैं, वे 6 परसेंट हैं, जो पोस्ट-ग्रेजुएट हैं, वे चार परसेंट हैं। आज आई.आई.टी. की चर्चा हो रही थी, यहां वकील साहब, जो मंत्री हैं, कपिल सिब्बल साहब, वे यहां पर आई.आई.टी. बना रहे थे, उन आई.आई.टीज़. में दो परसेंट लोग अक्लियत के नहीं पहुंच पाते हैं तो मुल्क का क्या होगा? आज सिर्फ 1.3 परसेंट छात्र मैनेजमेंट में हैं, यह सच्चर साहब कहते हैं, यह शाहनवाज़ हुसैन नहीं कह रहा। आज पढ़ने-लिखने में ज्यादा लड़के हमारे छोड़कर जा रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में हमारी भागीदारी संतोषजनक नहीं है। आपको उनकी फिक्र करनी चाहिए थी।

जहां तक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आज लोग कहते हैं कि लोग मदरसों में दाखिला लेते हैं, मदरसो में भी कितने लोग जाते हैं, उनमें भी चार परसेंट लोग जाते हैं। वहां भी बहुत लोग नहीं जा रहे, लेकिन जो गरीब हैं, जिनको लगता है कि हम अपने बच्चे को नहीं बोल पा रहे हैं, वे लोग भी मदरसे में तीन-साढ़े तीन परसेंट हैं। चर्चा होती है कि मदरसे में लोग पढ़ रहे हैं, पहले तो बड़ी-बड़ी चर्चा होती थी, जब हम लोगों की सरकार थी, तब एक रिपोर्ट आई, किसी ने कहा कि आप लोगों ने यह क्या किया है, मदरसे में कैसी ट्रेनिंग हो रही है। आडवाणी जी ने यहां पर होम मिनिस्टर के नाते पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा और हम खुद प्रधानमंत्री जी के पास गये थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास गये थे तो उन्होंने कहा कि मदरसा इल्म का सरचश्मा है और वहां से आजादी के आन्दोलन में बहुत से लोग निकले हैं।

पूरी दुनिया में आज क्या माहौल है, पूरी दुनिया में कहीं लड़ाई है, झगड़ा है, पाकिस्तान, बंगलादेश में आप चले जाइये, अफगानिस्तान और पूरे गल्फ कंट्रीज़ में चले जाइये, पूरी दुनिया में हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है और आज पूरी दुनिया को अगर कुछ सीखने की जरूरत है तो अपने पड़ोसियों के साथ जो बहुसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक कैसे रह सकते हैं, उसकी मिसाल हमारा देश भारत है, जहां हिन्दू और मुसलमान मिलकर रहते हैं।

सभापति जी, आज उन लोगों के लिए चर्चा करने की जरूरत है। सच्चर कमीशन कहता है कि अकलियत के लोगों को बैंक में लोन नहीं मिलता है। इस देश में करीब बीस करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यक हैं। उनकी जो प्रापर्टी है, आज उनका क्या हाल है, जो वक्फ की जायदाद है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। उनकी क्या हालत है? उनके लिए जो फलाह-व-बहबूदगी के कार्यक्रम चलने चाहिए, वह क्यों नहीं चल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने कब आपको मना किया है? उसने कब कहा है कि आप अकलियतों के लिए स्कूल मत खोलिए? कब कहा है कि उनके बच्चों को तालीम मत दीजिए? कौन रोक रहा है? मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि अगर आप अकलियतों को पढ़ाने-लिखाने के लिए कोई भी बड़ा कार्यक्रम चलायेंगे, हम लोगों ने तो इसमें कभी कोई ऐतराज नहीं किया है, लेकिन आज उनके लिए सिर्फ लब्ज़ी बातें हो रही हैं। उनके लिए कोई काम नहीं हो रहा है। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसमें गरीबी रेखा के नीचे आने वाले जो माइनेरिटी के लोग हैं, वह कहती है कि जो हमारे दलित भाई हैं, उनसे भी पीछे माइनेरिटी के लोग चले गए हैं। क्या यह अलार्मिंग नहीं है? क्या मुल्क के लिए इस पर सोचना जरूरी नहीं है? हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर आप चर्चा करेंगे या सिर्फ वादा करेंगे। पिछली बार यूपी के चुनाव से पहले सलमान भाई ने सच्चर सब-कमीशन बनवाया, बहुत अच्छा था। यूपी का चुनाव फिर आ गया, अब जाकर आप क्या कहेंगे? पिछली बार आपने कहा था कि हमने सच्चर बना दिया है, रिपोर्ट आएगी, अब आपकी तकदीर संवरने वाली है। लोग इंतजार में बैठे हैं।

इस बार पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे? एक शायर ने कहा है - " गजब किया तेरे वादे पर ऐतबार किया, तमाम उम्र कयामत का इंतजार किया।" आपका क्या वादा है? क्या कयामत के दिन तक आप हमें बहलाते रहेंगे कि अब करने वाले हैं, अब करने वाले हैं, कब करने वाले हैं? जब देश के लोगों ने तीन-चौथाई बहुमत राजीव गांधी जी को दिया था, तब बीजेपी के दो सदस्य थे, अभी हम इतने हैं तो मंत्री लोग खड़े होकर हमें डिस्टर्ब करते हैं और संजय भाई भी आ गए हैं। आप लोगों का फोर्स बढ़ गया है। पहले हम लोगों के साथ थे, फोर्सफुल थे, लेकिन अब वह आपके साथ आ गए हैं। वह बिहार के ही हैं। तब दो लोग थे। अभी हम खड़े होते हैं तो आप लोग खड़े हो जाते हैं। आप सरकार भी चलाइए, थोड़ा धीरज भी रखिए। विपक्ष की आवाज सुना कीजिए। स्वस्थ्य लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को सुनना चाहिए। विपक्ष का उपहास मत उड़ाया करिए। इधर आप बैठे हैं, तो भूल मत जाइए कि आप एक बार सत्ता में हैं, तो परमानेंट हैं। हुकूमत बदलती रहती है। हुकूमत की कुर्सी म्यूजिक चेयर की तरह है, इधर से उधर जाती रहती है। हो सकता है यह आपके पास बड़े दिन रही हो, लेकिन बीच में आप कितना तरसे थे, हुकूमत से आप कितनी दूर थे? बड़े दिन बाद आज भी आपको बहुमत नहीं मिल पा रहा है। 206 की संख्या पर अटक गए, पहले तो आपकी पार्टी 270, 272, 300 से 400 तक सीटें जीतती थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो कई जगह जाकर बीजेपी का बहाना देते हैं, जब आपके पास 400 लोग थे, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की तकदीर लिख देते, तब तो याद नहीं आयी, तब बहाना याद नहीं था। आज हम लोग हैं और हम पूरी जिम्मेदारी से आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी अकलियतों के फलाह-व-बहबूदगी के लिए जो काम करेंगे, उसमें यह नहीं चाहते, हम बराबरी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हरदम कहा है कि अकलियतों को हिंदू के बराबर आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इसमें हम लोगों की कोई अलग राय नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है? पिछली बार वक्फ की जायदाद पर चर्चा हुयी थी, तब लास्ट दिन था, जब अकलियतों के मामले पर चर्चा होती है, तो समय बड़ा कम पड़ जाता है। सभापति जी, आप गोवा के हैं, वहां माइनेरिटी के बहुत लोग हैं। हमें उम्मीद है कि आप आज हमें मौका देंगे, आज वक्त की कमी नहीं आने देंगे। ...(व्यवधान) वक्फ की आज क्या हालत है? आप ऐहसान क्यों करना चाहते हैं? आप कोई ऐहसान मत कीजिए। हमारी जो वक्फ की जायदाद है, शत्रुघ्न जी बैठे हैं, जो फिल्मों से हैं, सभापति जी, आपने एक गाना सुना होगा - मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वह लौटा दो। जो वक्फ की जायदाद है, वह हमें लौटा दो। हमारे ऊपर कोई ऐहसान मत कीजिए। सलमान भाई, हम आपकी किसी बात का विरोध नहीं करेंगे। आप खड़े होकर पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहिए कि जितनी जमीन सरकार ने कब्जे में की और जितनी जमीन माफियाओं ने कब्जे में की है, भारत सरकार सारी जमीन आजाद करा कर वक्फ बोर्ड के हवाले करेगी।

एक लाइन कहने की जुर्रत कीजिए, मैं भाषण यहीं बंद कर दूंगा। आज कहिए कि जो जमीन, मैं डीडीए का भी मेम्बर हूं, डीडीए ने कहा, यह ग्रीन लैंड है और उस पर अपना बोर्ड लगा दिया, उस पर आप कोई काम नहीं कर सकते और बाद में उस लैंड को बेच दिया, लैंड वैल्यू चेंज कर दिया और इसलिए आज अल्पसंख्यकों के लिए उनको करीब पांच लाख एकड़ जमीन, 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरिज में है। पांच लाख एकड़ जो बड़े-बड़े बिल्डर हैं जिनके पास इतना बड़ा लैंड बैंक नहीं है सबसे बड़ा लैंड बैंक यहां अखलियतों के पास है वक्फ बोर्ड के पास है। आज उनकी प्राइम लैंड मैंने पिछली बार भी चर्चा करते हुए कहा था कि यहां पर इसकी पार्लियामेंट्री कमेटी बनी और 1954 में वक्फ एक्ट फिर 1995 में स्टेट वक्फ बोर्ड कॉंस्टिच्यूट करने के लिए बिल लाया गया, फिर उस पर जेपीसी बनी और उसके बाद आप बिल लाए राज्यसभा में जिसे हमने पूरी तरह से पास कर दिया था। हमलोग हर जगह पीछे ही रह जाते हैं। चर्चा भी हमारी होती है तो या तो सेकेण्ड लास्ट दिन माइनॉरिटी पर चर्चा होती है या एक दिन जिस दिन संसद बंद होने वाला है लोग कह रहे हैं जल्दी किजिए, जल्दी किजिए जल्दी चर्चा हो रही है। तो हम लोग उस दिन भी जब मेरी वक्फ की पुरानी स्पीच की चर्चा हो रही है जो उस दिन मैंने यहां पर पार्टी की तरफ की थी और उस दिन भी कहा था कि जो जायदाद है ये गरीब लोगों की है, अगर गवर्नमेन्ट ने उस पर कब्जा किया है तो यानि गवर्नमेन्ट के पास है, तो उसको लौटाइए। आपसे मैंने मेनशन भी किया था कि इनके यहां राजस्थान में मेन चौक पर वक्फ बोर्ड की जमीन है जो गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया का बैंक है वह उस पर कब्जा किए हुए बैठा है उस के लिए वह दो सौ रुपया महीना दे रहा है। उसको देना चाहिए बीस लाख रुपया वह नहीं दे रहा है उसको लौटाइए और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "Waqf is always waqf." उसका लैंड वैल्यू नहीं चेंज हो सकता जिन लोगों ने लैंड वैल्यू चेंज किया उन पर मुकदमा चलाइए उससे वापस लिजिए सुप्रिम कोर्ट के रूलिंग के बाद आज वक्फ की जायदाद को किसी को लेने का कोई हक नहीं है। सभापति जी, जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हयात से थीं तो उन्होंने अपने सारे मुख्य मंत्रियों को एक चिठ्ठी लिखी और इंदिरा जी का कितना रूतबा था आजकल इतना रूतबा होना तो आसान नहीं है उनकी चिठ्ठी जाए और कोई कांग्रेस का मुख्य मंत्री इग्नोर करे उन्होंने लिखी थी कि वक्फ की जो जायदाद है उसको इनके हवाले किया जाए, इनको वापस दिया जाए लेकिन आज वक्फ की जायदाद उनको हवाले नहीं किया जा रहा है। उस चिठ्ठी का जवाब देते वक्त सलमान भाई को बताना चाहिए कि किन-किन मुख्य मंत्रियों ने इंदिरा जी की बात मानी।

अभी तो शुरु हुआ है। अब मैं पार्टी का व्यू रखूंगा। यह तो मैं मूल्क व्यू रख रहा था कि माहौल क्या है? इसके बारे में सारी चर्चा शुरु कर रहा था इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आज जो वक्फ

की जायदाद है उनको कैसे लौटाया जाए किन लोगों ने वक्फ की जायदाद पर कब्जा किया। खुद महाराष्ट्र में बड़े-बड़े बंगले बन रहे हैं और अब किसका बन रहा है यह नाम लेना ठीक नहीं है। क्योंकि मैं उस कमेटी में नहीं था बाद में मैं जीत कर आया था जेपीसी में मैं बाद में मेम्बर बना था। यह वाला जेपीसी मत समझ लिजिएगा। पुरानी वाली जो जेपीसी बनी। जो वक्फ बोर्ड के जायदाद पर बनी। इसमें हम यह चाहते हैं कि वक्फ की जो जायदाद है वह हमें लौटाइए उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है।

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please conclude. I have given you nearly thirty minutes.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please conclude within three minutes.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : सभापति जी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। मैं चिठ्ठी लाया हु जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतिन गडगरी जी है उन्होंने प्रधान मंत्री जी को लिखा।

सभापति महोदयः कृपया आप जारी रखें।

16.00 hrs.

(Dr. Girija Vyas in the Chair)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : चेयर अटैंशन में नहीं हो तो बड़ी दिक्कत होती है।…(व्यवधान)

सभापति महोदया : आपके दो मिनट एक्सट्रा हो गए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैडम, हम पर आपकी बड़ी मेहरबानियां रही हैं।…(व्यवधान)

सभापति महोदया : आपकी ज़र्रा नवाज़ी।

…(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी ने प्रधान मंत्री जी को 20 जुलाई, 2010 को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि देशभर में जो गैर-कानूनी अतिक्रमण है, उसका दुरुपयोग हुआ है। उन सब सम्पत्तियों को, जो पांच लाख रजिस्टर्ड वक्फ हैं, देश की वक्फ सम्पत्ति के अंतर्गत 8 लाख एकड़ जमीन क्षेत्रफल पड़ता है। 50 साल के तकरीबन 6 हजार करोड़ रुपये आंकी गई है। शहरी इलाकों में इसकी बड़ी संख्या है। 1.20 लाख करोड़ रुपये इसकी जायदाद है। अगर इन सम्पत्तियों को प्रभावशाली तरीके से बाजार के रूप में देखकर इस्तेमाल किया जाए तो तकरीबन 12 हजार करोड़ रुपये सालाना आमदनी होगी, यानी सलमान भाई के मंत्रालय से कई गुना ज्यादा बजट है। उससे 12 हजार

करोड़ रुपये किराया आ जाएगा। इसका सामाजिक, आर्थिक उपयोग हो सकता है। उन्होंने आगे लिखा है कि मुस्लिम समाज के कल्याण, विकास के लिए उनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

सभापति जी, हम पर बड़ा इल्जाम लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने आपको रैफर कर दी होगी। हम ही दे देते हैं। नितिन गडकरी जी ने जो लिखा है, अगर आप उस बात को मान जाएं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप बड़े नेता हो जाएंगे। केबिनेट पोस्ट आपको मिली हुई है, इससे बड़ी दुआ आपको और क्या दी जा सकती है।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : हम वह सब नहीं कहने वाले हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : मैं आपको अपनी बात समाप्त करने के लिए कह रही हूं।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैं अपनी बात तुरंत समाप्त करूंगा।

माइनॉरिटीज़ के लिए स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मुअज़िनों को वेतन देना चाहिए। यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी ने कहा।

आभी ई-टीवी उर्दू ने मुम्बई में एक सेमिनार किया था। वहां आप थे और मैं भी था। इस पर चर्चा हुई। उस चर्चा के बाद आज पार्लियामैंट में चर्चा हो रही ही। वहां आपने जो वादे किए, उन्हें मैंने टेप करके रख लिया है, क्योंकि Minister is always a Minister whether in the Parliament or outside the Parliament. अगर आपका बयान पार्लियामैंट के बाहर भी है, आप भारत सरकार के मंत्री हैं, हमें आप पर यकीन करना चाहिए और हम आप पर यकीन कर रहे हैं। आज बिहार सरकार अच्छा काम कर रही है। अकलियतों की बहबूदी के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। बिहारी बाबू गवाह हैं, पटना में हमने वक्फ की जायदाद को वापस लिया।...(व्यवधान)

मैं अकलियतों की प्राब्लम्स पर आता हूं। मैंने चर्चा से पहले कहा था कि नियम 193 के अंतर्गत आने वाली सारी चर्चाएं 4-5 घंटे चलती हैं। जब माइनॉरिटी के बारे में चर्चा होगी, इतनी बड़ी आबादी के बारे में चर्चा करने के लिए अपनी पार्टी की तरफ से मैं बोल रहा हूं। अगर पार्लियामैंट्री अफेयर्स मंत्री बात करके इस चर्चा को आगे नहीं बढ़वाएंगे, तो बात अधूरी रह जाएगी। एक बिंदी से खुदा से जुदा हो जाता है।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आपके हाथ में जो पेपर है, वह और भी जरूरी है। उसे देख लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : यह बहुत उपेक्षित कौम है। इसका वोट बहुत लोग ले लेते हैं। चुनाव आते हैं तो सब नेता ऐसे गले मिलते हैं जैसे ईद मिलने आए हैं। ईद की सेवई की तरह चांद का इंतजार होता है और वह चांद नहीं निकलता। हमें जो हक चाहिए, वह हक नहीं मिलता। इसलिए हम हमेशा यह कहते हैं कि आप हमसे गले मिल जाते हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं। आप सैकुलर पार्टी कहलाते हैं और बड़ा भरोसा होता है। बिहार में लोग नहीं कहते, लेकिन बिहार के बाहर शायद इस तरह का इम्प्रैशन पड़ता है। एक शायर ने कहा है --

दिल में एक सितम एक रात करो हो
वह दोस्त हो जो दुश्मन को भी मात करे।

यानी आप से बड़ी उम्मीद है। बड़ी सेक्युलर जमा है, हर भाषण में सेक्युलरिज्म का वर्ड इतनी बार बोलते हैं, जितना कभी बोला नहीं जाता। लेकिन आज क्या किया? 'हमारा जख्म उन्हें कब शुमार करना है, करीब आकर बहाने से वार करना है।' हमारा जख्म नहीं दिखता कि इतने नजदीक आप अकलियतों के हो गये। आप इतने नजदीक हैं, सभापति जी, मैं इस कागज को ऐसे पढ़ना चाहूं, तो नहीं पढ़ सकता। इसी तरह यह सरकार अकलियतों के नजदीक होने का वायदा तो करती है, लेकिन उनका दर्द इनसे देखा नहीं जाता, इसके लिए थोड़ा दूर से दर्द देखना है। आज असम में अकलियतों की क्या हालत है? आज बंगाल में क्या हालत है? आज पर कैपिटा इनकम कितनी है? ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : शाहनवाज़ हुसैन जी, अब आप वाइंड अप कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : आज आप देखिये कि जिन पर आप इल्जाम लगाते हैं, उसी गुजरात सरकार में अकलियतों का पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है। ...(व्यवधान) असम में बड़ी सेक्युलर सरकार है। बंगाल वाले भी बड़ी देर से जागते हैं। ये अब जागे हैं। वहां अभी इलैक्शन एनाउंस हो गया, तो आप वहां एक बिल पास कर रहे हैं। ...(व्यवधान) इनकी विचारधारा ऐसी है, यह जात-पात, मजहब से ऊपर उठकर काम करने वाले हैं, इसलिए जो अकलियत हैं, वे इतने पीछे रह गये कि उनके बारे में कभी फिक्र ही नहीं की। आज बंगाल के ...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): वहां लैंड रिफार्म इम्प्लीमैंट हुआ, वह भी तो आप बताओ। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : शाहनवाज़ जी, कृपया आप वाइंड अप कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैं वाइंड अप ही कर रहा हूं। मुझे इसके लिए पांच मिनट चाहिए। ...(व्यवधान) लैंड पर चर्चा नहीं हो रही, बल्कि अकलियतों की माली हालत पर चर्चा हो रही है। ..(व्यवधान)

सभापति महोदया : शाहनवाज़ जी, इस समय घड़ी में चार बजकर पांच मिनट हुए हैं। आप चार बजकर दस मिनट पर अपना भाषण स्वयं ही समाप्त कर दें।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : सभापति महोदया, मैं चार बजकर पन्द्रह मिनट पर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप पन्द्रह मिनट पर समाप्त मत कीजिए। आपने खुद ही पांच मिनट और कहे हैं। अब आप वायदा-खिलाफी मत कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैडम, मैंने जब आपको चेयर पर देखा, तो मुझे लगा कि आप मुझे थोड़ा समय और देंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयाम : आप बोलिये।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : आज हम लोगों पर इल्जाम लग जाते हैं कि यह हो रहा है। आखिर दो तरह की प्रौब्लम है -- एक जज्बाती प्रौब्लम है। अकलियतों की प्रौब्लम है, क्योंकि कुछ जज्बात जुड़े हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर मुसलमान जज्बाती होता है और वह होगा। लेकिन एक प्रौब्लम हमारी माली, इंसानी है। जो जज्बाती मुद्दे हैं, वे कभी अदालत से हल होंगे और कभी बैठकर हल हो जायेंगे। लेकिन हमारे हिन्दुस्तानी होने के नाते, इस हिन्दुस्तानियत ने हमें जो हक दिया है, वह हक हमसे कोई छीन नहीं सकता है। उस हक के नाते मैं आज आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि आप कमीशन पर कमीशन बना रहे हैं। तारीख पर तारीख, कमीशन पर कमीशन, आप कितना कमीशन बनायेंगे? पहले सच्चर कमीशन और अब कोई रंगनाथ मिश्रा कमीशन के बारे में कह रहे हैं। यह कमीशन, 15 सूत्रीय कार्यक्रम, वह कार्यक्रम, इधर उधर, आप इधर-उधर की बात मत कीजिए। हम सीधे कह रहे हैं कि आइये, हमें बराबरी कैसे मिलेगी? बराबरी देने के लिए क्या पैमाना होगा? इस मुल्क में आपको अगर सीखना है, तो आइये। सलमान भाई, आप मिनिस्टर हैं, पूरे मुल्क के मंत्री हैं। आप अपने स्टेट में जायेंगे, तो वहां आप पार्टी का भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो एनडीए रूलिंग स्टेट्स हैं, आप वहां भी आइए। आप बिहार में आकर देखिये कि

बंजर भूमि पर हमने कैसे फूल खिलाया, किस तरह से हम लोगों ने वहां काम किया, किस तरह से हमने अकलियतों के दुख और दर्द को बांटा, कैसे बिलखते-रोते हुए अकलियतों लोगों के आंसू कैसे पोंछे जाते हैं, यह देखिये। उनके अंदर कैसे यकीन पैदा किया जाता है? आप मध्य प्रदेश में आइए और देखिये कि कैसे बराबरी मिली। आप गुजरात आइए और देखिये कि वहां का मुसलमान कैसे खुशहाल है। आज चर्चा होती है, एक मौलाना ने बयान दे दिया कि गुजरात का मुसलमान सबसे ज्यादा खुशहाल है, तो लोग उसके पीछे पड़ गये। ...(व्यवधान) जो लिट्रेसी रेट है, मैं जानता था कि मैं गुजरात बोलूंगा, तो यह बोलेंगे, इसलिए मैं कागज लेकर आया हूं। जो लिट्रेसी रेट है, वह और जगह 65.1 प्रतिशत है, तो गुजरात में 68.3 प्रतिशत है। लिट्रेसी रेट ऑफ मुस्लिम अन्य जगह 59.1 प्रतिशत है, तो गुजरात में 73.5 प्रतिशत है यानी it is eight points higher than the All-India average. उसी तरह आप देखें कि रूरल एरियाज में मुस्लिम फैमिलीज का लिट्रेसी रेट अगर ऑल ओवर इंडिया 70 प्रतिशत है, तो गुजरात में 76 प्रतिशत है। इसलिए मैं कहता हूं कि कई मुद्दों पर हमारे आपके इख्तलाफ हो सकता है।...(व्यवधान)

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): गुजरात के बारे में बताइए।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इंडिया का एवरेज 80 है और गुजरात में यह 82 है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप घड़ी देखते रहिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया : शाहनवाज हुसैन जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदया, मैं माननीय सदस्य को उनके इंट्रेस्ट का विषय बता रहा हूं। मेरे पास बहुत डाटा है, पर-कैपिटा इनकम के बारे में डाटा मैं पढ़ देता हूं, यह बहुत जरूरी है, लोग बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे। वहां जहीर खान बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन यहां अगर शाहनवाज हुसैन बोल रहे हैं, तो जरा उनको भी ध्यान से सुनिए। जहीर खान गुजरात के हैं, खिलाड़ी भी गुजरात का है, खेल का मैदान भी गुजरात में ही है, फिर भी गुजरात के बारे में बोलने में भी लोगों को आपत्ति है।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : वे कोई प्रोवोक नहीं हो रहे हैं, इसलिए आप उनको प्रोवोक मत कीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदया, मैं पर-कैपिटा इनकम बता देना चाहता हू - पूरे देश में रूरल एरिया का एवरेज 553 रुपये है, तो गुजरात में रूरल एरिया का एवरेज 668 रुपये है। देश में अर्बन एरिया में पर-कैपिटा इनकम का 804 रुपये एवरेज है, तो गुजरात में 875 रुपये है। अगर वेस्ट बंगाल में देखें, तो रूरल

में पर-कैपिटा इनकम 501 रुपये है। कितनी खराब हालत है बंगाल में।...(व्यवधान) आप जिस राज्य की बात कहेंगे, वहीं के बारे में बता देंगे। हमारे यहां बिहार में बहुत अच्छा हो रहा है। मैं समझता हूं कि अगर आपको गुजरात पसन्द न हो, तो बिहार को अपना लीजिए। किसी एनडीए शासित राज्य में आइए, वहां हम आपको पूरा दिखाएंगे। मैं आपके साथ चलूंगा। हमारी पार्टी को मुझ पर पूरा भरोसा है। मैं जब बोलूंगा, तो यह मत समझिए कि पार्टी की राय उससे कुछ अलग होगी। मैं पार्टी का प्रवक्ता भी हूं, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रटरी तोमर जी और बिहारी बाबू भी यहां बैठे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि आइए, कुछ काम करके दिखाइए, कुछ ऐसा करके दिखाइए कि लोग आपको याद करें। सलमान साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बाद इस मुल्क में आपकी पार्टी ने कभी अकलियत के किसी लीडर को ज्यादा बढ़ने नहीं दिया। कतर-कतर के रखा। अकलियत की जो और भी लीडरशिप है, उसकी लीडरशिप नहीं आई। आज जरूरत है कि पूरी ताकत से आप बढ़िए। आप आगे चलिए, हिम्मत दिखाइए। आपको अकलियतों का मंत्रालय मिला है, इसे इमानदारी से चलाइए। इस मंत्रालय के अंदर काम करके दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी अकलियतों को बराबरी देना चाहती है, हम नहीं चाहते कि अलग से कोई ऐसा काम करें जिससे दिक्कत हो, लेकिन मुल्क तरक्की करे, तो साथ में अकलियत के लोग भी तरक्की करें। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि...(व्यवधान) अगर हम चाहते तो कांग्रेस पार्टी पर ज्यादा अटैक करते, हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि आज माहौल बहुत अच्छा है। बड़ा साज़गार माहौल है। इस माहौल में मैं यह चाहता हूं कि जो चर्चा हो वह सार्थक हो। ऐसा न हो कि जंगल में मोर नाचा, किसने देखा। यह संसद है, बड़ी महत्वपूर्ण जगह है और यहां पहली बार नियम 193 के तहत अकलियतों के बारे में चर्चा हो रही है। यह सारा शोर तो जंगल में बेमानी है, उन्हें तो सिर्फ है हमारा शिकार करना। ऐसा मत कीजिए। शोर से कुछ नहीं होगा। हम चाहते हैं कि आइए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, फलाह-व-बहबुद के लिए काम करें। यह मुल्क तभी तरक्की करेगा जब एक-एक हिन्दुस्तानी तरक्की करेगा। मुझे फख्र है कि मैं हिन्दुस्तानी हूं। मुझे इस बात का फख्र है कि दुनिया में जितने हकूक हिन्दुस्तान के मुसलमान को हासिल है, दुनिया में कहीं नहीं है।

हिन्दुस्तान के अंदर मुसलमानों को जो हक मिला हुआ है।

सभापति महोदया : शाहनवाज जी, अब आप अपनी बात समाप्त करें, क्योंकि काफी समय आप ले चुके हैं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैं आपका शुक्रिया अदा करके अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि बिहार का कल्चर है कि बिना शुक्रिया अदा किए बात समाप्त नहीं करनी चाहिए।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर आज वे सारे हक अल्पसंख्यकों को मिले हुए हैं जो बहुसंख्यकों को मिले हैं। आइए, हम सब मिलकर हिन्दुस्तान के सभी वर्गों के लोगों को लेकर उसे तरक्की के रास्ते पर ले जाएं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

सभापति महोदया: श्री धर्मेंद्र यादव। आप पांच मिनट में अपनी बात कहें, क्योंकि आपकी पार्टी से दो और सदस्यों ने भी बोलना है।

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): इतने कम समय में तो बात पूरी नहीं होगी।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): थोड़ा और समय दे दें।

सभापति महोदया: शैलेन्द्र जी, फिर आप नहीं बोल पाएंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार : ठीक है।

श्री धर्मेन्द्र यादव : सभापति महोदया, मैं आपका ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। आज सदन में देश के बड़े अल्पसंख्यक वर्ग के लिए चिंता और चर्चा हो रही है। मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं कि आसन ने इस विषय को चर्चा के लिए अनुमति प्रदान की।

मेरा सवाल यह है कि हमें आज इस चर्चा की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी कि किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति तब तक नहीं सुधर सकती, जब तक उसकी राजनैतिक स्थिति न सुधरे। देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से लेकर आज तक तमाम अल्पसंख्यक नेताओं का उपयोग किया सिर्फ अपना धर्मनिरपेक्ष चेहरा बनाने के लिए। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी ने कभी राजनैतिक शक्ति नहीं दी। वर्तमान लोक सभा में 14 राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि में जहां से 257 सांसद लोक सभा में आते हैं, एक ओवैसी साहब को छोड़कर अन्य कोई मुस्लिम समुदाय का सांसद नहीं है। ...(व्यवधान) कृपया बीच में व्यवधान उत्पन्न न करें। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, जो सबके सामने है कि यह है देश की राजनैतिक सच्चाई। लोक सभा के सदस्यों की बात को छोड़ दें तो कई प्रांतों की विधान सभाओं में भी कमोबेश यही हालत है और उच्च सदन की हालत और भी खराब है।

शाहनवाज भाई अपनी बात कह रहे थे तो खुर्शीद साहब का जिक्र कर रहे थे। मैंने उस समय बीच में उनकी बात को काटना उचित नहीं समझा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय खुर्शीद साहब जो आज केबिनेट मिनिस्टर हैं, यह हमारी समाजवादी पार्टी की देन है। पहले यह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हुआ करते थे। जब हमने यानि समाजवादी पार्टी ने भारत सरकार के सामने यह आवाज उटाई कि कोई केबिनेट मंत्री अल्पसंख्यक समुदाय का नहीं है, तब उन्हें केबिनेट मंत्री बनाया गया इसलिए यह समाजवादी पार्टी की देन हैं कि जो आज यहां केबिनेट मंत्री के रूप में बैठे हैं। यह सच्चाई है, वरना खुर्शीद साहब को पहले क्यों नहीं केबिनेट मंत्री बनाया गया। यह स्थिति है हमारे देश में राजनीति की और जब यह स्थिति होगी तो स्वाभाविक है अन्य स्थितियां भी बिगड़ेंगी। यहीं से व्यवस्था का संचालन होता है, तमाम नीतियां और कार्यक्रम यहां से बनते हैं।

अल्पसंख्यकों और मुस्लिम समुदाय के हितों का जहां तक सवाल है तो अब तक देश में 13 आयोग या समितियां बन चुकी हैं। उनमें से 11 की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाला जा चुका है। यही कारण है कि देश की आजादी के बाद से देश में अल्पसंख्यकों का पहले जहां सरकारी नौकरियों में 30 से 35 प्रतिशत हिस्सा था, अब सिर्फ दो-चार प्रतिशत ही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह सबसे बड़ा गम्भीर प्रश्न है। इस गम्भीर मुद्दे पर सबको सोचना पड़ेगा। इसके लिए जिम्मेदार वे लोग हैं, जिन्होंने देश के

अंदर सत्ता चलाई है। हम सब जानते हैं कि देश में आजादी के बाद करीब 50-55 साल तक कांग्रेस पार्टी ने सत्ता चलाने का काम किया है।

आज जो अल्पसंख्यकों की दुर्दशा है, जिसके लिए सच्चर कमेटी बनानी पड़ी, रंगनाथ आयोग बनाना पड़ा, उसके लिए भी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। ...(व्यवधान) तथ्य छिपे नहीं है, क्या हालत है मुसलमानों की, सच्चर ने हालात सामने कर दिये हैं। प्राइमरी में 65 फीसदी छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं वहां से मिडिल क्लास तक आते-आते 15 फीसदी ही रह जाते हैं और स्नातक स्तर तक 4 फीसदी और परा-स्नातक जाते-जाते केवल 2 फीसदी रह जाते हैं। क्या कारण है, क्यों बच्चे ड्रॉप-आउट हो रहे हैं। इसका कारण अल्पसंख्यक इलाकों में गरीबी, विश्वविद्यालयों का न होना, विद्यालयों का न होना, तकनीकी शिक्षा का अभाव है। अल्पसंख्यकों को कोई विशेष सुविधा देने का काम इस सरकार ने इतने वर्षों में नहीं किया है। अगर ये लोग कोई विशेष काम आगे आने वाले समय में करेंगे तो हम जैसे लोग जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए लड़ते हैं, ऐसे लोग इनके आभारी रहेंगे। लेकिन हमें इनसे कोई ऐसी उम्मीद नहीं है। जब इतने दिनों में इन्होंने कोई काम नहीं किया है तो आने वाले समय में ये लोग कुछ कर पायेंगे, ऐसी हमें उम्मीद नहीं है।

सभापति महोदया, देश के अंदर शैक्षिक-स्थिति सच्चर जी ने सामने कर दी है और रंगनाथ जी ने सिफारिश कर दी की आरक्षण की उन्हें जरुरत है। हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि अगर उनकी नीति और नीयत साफ है तो माननीय खुर्शीद जी अभी अपने जवाब में सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा की सिफारिशों की घोषणा करेंगे, तो हम मान लेंगे और अगर नहीं कर सकते हैं तो देश की जनता के सामने कांग्रेस के लोगों का चेहरा साफ हो जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग का कोई भी आदमी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कोई उम्मीद नहीं करता, यह सच है कि माननीय शाहनवाज हुसैन भाई एक अच्छे इंसान हैं लेकिन आपकी पार्टी की नीतियों से कभी अल्पसंख्यकों का भला नहीं हुआ है, यह मैं बड़ी जिम्मेदारी से सदन में कह रहा हूं। ...(व्यवधान) मैं निश्चित रूप से शाहनवाज भाई की इज्जत करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब-जब मामला आया, समाजवादी पार्टी ने जब-जब उत्तर प्रदेश या दिल्ली में कोई कार्यक्रम चलाया, तब सबसे ज्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने किया है। शहनवाज भाई आपकी पार्टी की रीति-नीति और कार्यक्रमों से स्पष्ट है कि आप समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों और अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ लड़ने का काम करते रहे हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया, किसी भी वर्ग और समुदाय के हित के लिए, कल्याण के लिए, उसकी अपनी भाषा और संस्कृति जब तक जिंदा नहीं रहेगी, तब तक वह व्यक्ति और उसका समुदाय तरक्की नहीं कर सकता है। दुर्भाग्य से इतने दिनों तक कांग्रेस पार्टी के शासन में रहने के बावजूद उर्दू भाषा के साथ क्या

हुआ है यह आपसे छिपा नहीं है। इसी सदन में चर्चा हुई थी कि उर्दू भाषा के अखबारों के विज्ञापनों में कटौती इसी यूपीए सरकार ने की है। खुर्शीद साहब आप जैसे लोग मंत्री बन कर बैठे हैं और आपकी सरकार में उर्दू की उपेक्षा हो रही है। उर्दू कोई मामूली भाषा नहीं है। देश के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने की मांग की थी। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि वह अपने पुरखों को क्यों भूल गये हैं, अपनी नीति और कार्यक्रमों को क्यों भूल गये हैं। शाहनवाज भाई की बात कभी-कभी मुझे सही लगती है कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी केवल वोट बैंक की राजनीति करती है, इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है। माननीय खुर्शीद साहब अपने जवाब में मेरी इस बात का जवाब देंगे कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा ठोस कार्यक्रम चलाया है, अगर चलाया है तो क्यों मुसलमान भाई शिक्षा और राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं। आखिर क्या कारण है? मालिक तो आप रहे हैं, नीतियां आपने चलाई, दो-तिहाई से लेकर एक तरफा बहुमत भी आपके पास रहा, उसके बाद भी क्या हुआ? इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार की नीति और नीयत दोनों साथ नहीं चलेंगे किसी वर्ग का भला नहीं हो सकता है, कल्याण नहीं हो सकता है।

प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम अल्पसंख्यकों के सहयोग से देश की सत्ता में दोबारा लौटे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों के लिए कौन-सा कार्यक्रम चलाया है? उन्हें कहां शिक्षा में विशेष अवसर दिए हैं, क्यों नहीं रंगनाथ मिश्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण लागू किया गया? आप आरक्षण लाइए, हम समाजवादी पार्टी के लोग आपका समर्थन करेंगे। आप सच्चर कमेटी के बताए हुए कामों को क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आपने केवल राजनीतिक फायदा लेने के लिए समितियों का गठन किया था? आप स्थिति स्पष्ट कीजिए। अगर आपने केवल राजनीतिक फायदा लेने के लिए समितियों का गठन नहीं किया था, तो समितियों की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा कीजिए।

सभापति महोदया : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री धर्मेन्द्र यादव : अगर आप नीतियों की घोषणा नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां मुसलमान विरोधी तो है हीं और कांग्रेस पार्टी ने हाथी के दांत दिखाने के और तथा खाने के और वाली कहावत सच कर दी है।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है, कृपया बैठ जाएं।

श्री धर्मेन्द्र यादव : महोदया, समाजवादियों ने अल्पसंख्यकों के हितों के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है।...(व्यवधान) यह पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी की मंदिर आंदोलन में क्या भूमिका रही है और

कश्मीर के मामले में क्या रही है, आपकी भूमिका उर्दू के मामले पर क्या रही है, पूरा देश जानता है कि आपकी भूमिका धारा 370 के मामले पर क्या रही है।

सभापति महोदय : आप कृपया बैठ जाएं।

श्री धर्मेन्द्र यादव : बीजेपी के उन लोगों से अल्पसंख्यक समाज के लोग उम्मीद ही नहीं करते हैं, लेकिन यहां के लोग भी गुमराह कर रहे हैं। महोदया, मैं आपके माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से कहना चाहता हूं कि गुमराह होना बंद कर दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने बहुत गुमराह कर लिया है। एक सरकार ने एक आयोग बना दिया। दूसरी सरकार ने दूसरा आयोग बना दिया। तीसरी सरकार ने तीसरा आयोग बना दिया।...(व्यवधान) *

सभापति महोदया : यादव जी की बात अब रिकार्ड में नहीं जाएगी।

डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क।

...(व्यवधान) *

* Not recorded

डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क (सम्भल): सभापति महोदया, एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा कि "साफ नियत हो अगर अपने निगेबानों की, हैसियत कुछ भी नहीं वक्त के तुफानों की", नियत साफ नहीं है, 62 साल गुज़र चुके हैं, लेकिन मुसलमानों की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। आज मुसलमान इस हालत में खड़ा है कि उसके बच्चे तालीम के लिए प्यासे हैं। उनको तालीम नहीं मिल रही है। उनको खाने के लिए रोटी नहीं है। रोजगार नहीं है, कहीं पर कोई सर्विस नहीं है।...(व्यवधान) मुसलमान सर्विसों में 37.5 प्रतिशत था, लेकिन जब से आजादी हुई है, उसके बाद से मुसलमान एक प्रतिशत भी नहीं है। यह बहुत अफसोस की बात है।...(व्यवधान) मुसलमान माइनोरिटी है। इस देश में मुसलमान हैं, ईसाई है, सिक्ख हैं, बुद्ध हैं, लेकिन मुसलमान का हिस्सा माइनोरिटी में 75 प्रतिशत है, लेकिन जो भी एलोकेशन सरकार की तरफ से किसी स्कीम के लिए दिए जाते हैं तो मुसलमानों को उसका पूरा हिस्सा नहीं मिलता है। उस 75 प्रतिशत में हमें वह हिस्सा मिलना चाहिए। माइनोरिटी के लिए जो भी हिस्सा दिया जाए, उसमें 75 परसेंट हिस्सा मुसलमानों को मिलना चाहिए, यह मेरी मांग है, जिससे कि मुसलमानों का भला हो सके। वक्फ का मामला पहले भी आ चुका है। जहां तक वक्फ का ताल्लुक है, अरबों-खरबों रूपए की जायदाद आज हिन्दुस्तान में मुसलमानों की है। सरकार के लोग कब्जा कर रहे हैं। यहां तक कि मस्जिदों के अंदर भी गैर-मुसलमानों का कब्जा है। आज तक सरकार ने उसे खाली नहीं कराया। मुझे अफसोस है। मेरी मांग है कि जो मस्जिदें गैर-मुस्लिमो के कब्जे में हैं, उनको खाली कराया जाए। अभी अभी जंगपुरा के अंदर एक मस्जिद नूर है जबकि वक्फ के कागजातों में उसका इंदराज है, वक्फ बोर्ड की जमीन पर वह है लेकिन डीडीए ने उसको डिमोलिश करा दिया। हमारी मांग है कि उस जगह पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए और मस्जिद को बनवाया जाए और उस पर इमारत बनाने की इजाजत दी जाए।

इसी तरह से जो बाबरी मस्जिद का मसला था। बाबरी मस्जिद जो कि ईमानदारी से मस्जिद थी, वह किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी लेकिन हमारे बीजेपी के लोगों ने उसको राम मंदिर का इश्यू बनाकर बाबरी मस्जिद को शहीद करा दिया और उसका जजमेंट अभी आया तो पिछले दिनों लोगों ने बतलाया कि उसके जजमेंट में कांग्रेस का हाथ है। फिलहाल वह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। मैं चाहता हूं कि मुसलमानों की जान-माल इज्जत आबरू की हिफाज़त होनी चाहिए।

जहां तक मेरे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं, 30 से 40 करोड़ तक मुसलमान इस देश में है। इतनी बड़ी तादाद में जो कौम रहती हो, बगैर उसके देश चल भी नहीं सकता और देश की तरक्की भी नहीं हो सकती। अगर कोई कौम पिछड़ी हुई रह जाएगी, पैरेलाइज हो जाएगी, जैसे इंसान का जिस्म अगर पैरेलाइज हो जाए तो उसे हैल्दी नहीं कह सकते हैं। उसी तरह से अगर समाज के अंदर कोई भी कौम

पिछड़ जाए तो उसे हैल्दी सोसाइटी हम नहीं कहेंगे। हम देश की तरक्की की बात करते हैं तो उसमें मुसलमानों को भी तालीम दिलानी होगी, रोजगार देना होगा और मुसलमानों के साथ इस देश में जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, उसको रोका जाए। उनको दहशतगर्द कहकर उनके साथ जितनी ज्यादती हुई है, वह सारी दुनिया जानती है।

मुसलमानों के साथ पुलिस भी ज्यादती करती है। सरकार भी मुसलमानों के साथ ज्यादती करती है। मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया जाता। आज तक मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला। मुसलमानों के साथ दोहरी पॉलिसी बरती जा रही है। मुसलमान आज महसूस कर रहा है कि उसको शक की निगाह से देखा जाता है। अगर मुसलमानों के साथ इस तरीके से सुलूक होता रहेगा और मुसलमानों पर विश्वास नहीं किया जाएगा तो यह देश नहीं चल सकता। मुसलमान भी देश के वफादार हैं। हमने हिन्दुस्तान की आजादी के लिए कुर्बानी दी है। अशाहकुल्ला जैसे लोगों ने फांसी के फंदे चूमे हैं और गोलियां सीने पर खाई हैं, जेल भी गये हैं लेकिन इसके बावजूद आज भी मुसलमानों पर विश्वास नहीं किया जा रहा है।

"जब पड़ा वक्त तो गुलशन को लहू हमने दिया,
अब बहार आई तो कहते हैं कि तेरा काम नहीं है।"

इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि कब तक यह होता रहेगा? अब सच्चर कमेटी बनी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना और रंगनाथ मिश्रा कमीशन के अंदर साफ लिखा है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। जब तक इस देश में मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, मुसलमान तरक्की नहीं कर सकता। मुसलमान आगे नहीं बढ़ सकता। अगर इस देश के मुसलमानों के साथ इंसाफ करना है तो मैं कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार से कहना चाहूंगा कि मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन का ऐलान करें और मुसलमानों को रिजर्वेशन दें। कम से कम उनको 13 प्रतिशत रिजर्वेशन दिये जाने की मैंने मांग की थी और वह उनका हक बनता है। मंडल कमीशन ने भी मुसलमानों को हिस्सा दिया है, जो लगभग 9 प्रतिशत है, वह भी आज उनको नहीं मिल पा रहा है।

जहां तक महिला बिल का संबंध है, अगर सरकार महिला बिल लाना चाहती है, मैं कहना चाहूंगा कि मुसलमान औरतें बेपढ़ी लिखी हैं, कमजोर हैं, पैसा पास नहीं है। इसलिए अगर महिला बिल में मुसलमानों की औरतों को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया तो कोई भी मुसलमान औरत इस पार्लियामेंट में नहीं आ सकेगी। इसलिए मेरी मांग है कि महिला बिल लाया जाए तो मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से उनकी औरतों को रिजर्वेशन दिया जाए।

लिहाजा मुसलमानों के साथ इंसाफ हो अगर यह नाइंसाफी होगी तो इससे मुल्क अफरातफरी में मुबतिला हो जाएगा। मैं लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए कह रहा हूं कि महिलाओं के लिए 33 परसेंट का बिल अगर लाया जाता है तो 33 परसेंट में मुसलमान महिलाओं को भी रिजर्वेशन दिया जाए, तब यह बिल लाने की कोशिश की जाए वरना हम इसकी मुखालफ़त करेंगे। यूपी सरकार ने अरबी, उर्दू और फारसी यूनिवर्सिटी कायम की है। हम चाहते हैं की इसी तरह से दूसरे राज्यों में भी यूनिवर्सिटीज़ कायम की जाएं जिससे उर्दू भी जिंदा रह सके। इस देश में उर्दू के साथ नाइंसाफी हो रही है। अगर उर्दू टीचर रखे जाते हैं, तब भी पैसे का इस्तेमाल होता है और उर्दू के पढ़ेलिखे मुसलमानों को नहीं रखा जाता है। उनकी जगह ऐसे लोगों को रखा जाता है जो उर्दू नहीं जानते हैं। इसकी मानिटरिंग होनी चाहिए।

महोदया, जहां तक हज के मामलात हैं, इसमें भी हमें इंसाफ नहीं मिलता है। हज़ के लिए लोग मज़हबी काम से जाते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं लेकिन उन्हें जो सहूलियतें मिलनी चाहिए वे नहीं दी जा रही हैं। इसमें सारी चीजें आ चुकी हैं। मुसलमानों की न सिर्फ पुलिस में बल्कि आर्मी में भी भर्ती नहीं की जा रही है। मैंने पहले भी 1997 में इस बात की डिमांड की थी कि मुसलमानों को आर्मी में भर्ती किया जाए और मुसलमानों के नाम से रेजीमेंट बनाई जाए। हमारे देश में दूसरी कौमों के नाम से रेजीमेंट बनी हुई है।

सभापति महोदया : अब आप समाप्त करें। दस मिनट हो गए हैं।

डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क : मुझे थोड़ा बोलने का समय दें। अपनी पार्टी की तरफ से मैं ही बोलूंगा। मैं चाहता हूं कि इस देश में मुसलमानों को ज्यादा देर तक बहलाया नहीं जा सकता है। अब मुसलमान अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मजबूर है। वह अपनी मेहनत और कोशिश से यूनिवर्सिटी और स्कूल बनाना चाहता है। ये स्कूल भी नहीं बनने देते, इजाजत नहीं देते और जगह-जगह रुकावटें पैदा की जाती हैं। अभी शाहनवाज साहब भी कह रहे थे, मैंने सारे सियासी हालात पर तो रोशनी नहीं डाली। मेरी सरकार से पुरजोर मांग है कि मुसलमानों की हालतेज़ार को देखते हुए और हालात पर गौर करते हुए इस सिलसिले में अगर आप मुसलमानों को रोजगार और तालीम देना चाहते हैं तो बहरहाल खुले दिल से जो कुछ सच्चर कमेटी में लिखा है, उसमें जो सिफारिशात की गई हैं, रंगनाथ मिश्र कमेटी में जो सिफारिशात की गई हैं, उन पर अमल दरामद किया जाए। जब तक अमल दरामद नहीं होगा, मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तब तक मुसलमान तरक्की नहीं कर सकता है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Chairperson, I stand here to deliberate on the discussion that has been initiated by my friends, Shri Sk. Saidul Haque and Shri Asaduddin Owaisi. At times I wonder why a topic like this should only be initiated by the Members, who belong to minority. Why can't some of us – I also pose that question to myself – who do not belong to minority community, initiate this discussion?

I know the day when Shri Shahnawaz Hussain was taking initiative, he was going around getting their signatures. I could see the feeling in his face. He was attempting to convince us, yes, this needs to be discussed. It needs to be discussed. This is the question which we all of us, all Indians, should pose to ourselves. This is an issue which concerns every one of us. All of us should discuss and deliberate it in this House. I also intend and expect that we should arrive at some decisions. Mere discussion will not give us any result. We have to arrive at some decisions. Already a lot of discussion has taken place in the last 60-63 years. There is a need to take decisions.

A number of reports have come. When I put this question to myself, a question also arises, 'who is a minority?'. Here, I quote what the United Nations Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, has mentioned. They have defined: "Minority as one, including only those non-dominant groups in a population which poses and wishes to preserve stable, ethnic, religious or linguistic traditions or characteristics mostly different from those of the population."

The Central Government in 1993 notified the minority communities for the purpose of the said Act. In that Act, it has mentioned Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Jaurashtrians—Parsis, as we call them. But, are the minorities only limited to these five religions? In that Act, it is mentioned that the States are also free to declare and recognise others, as very recently, I think the Delhi Government has recognised Jains. Earlier also, five other States had declared them as religious minorities.

I would draw the attention of this House and also the Minister to a survey which was conducted by the Indian Council of Social Science and Research (ICSSR). In its interim Report to the Minority Affairs Ministry, the ICSSR has said: "Lack of access to educational institutions, inadequate number of educational institutions, a low literacy rate among parents and poor implementation of Integrated Child Development Scheme, besides poor participation of Muslims in the professional and managerial cadre led to their backwardness." We know what the cause is. We would like to understand the steps that have been taken in the last so many years or in the last 5-7 years.

When I posed this question to myself, I look at my constituency, my district. It has a number of Muslim consternations. In my State, hardly one per cent or less than two per cent of Muslims live. My State is predominantly a Hindu State. There are pockets, namely Kendrapara, Bhadrak, Cuttack. These are the three Muslim areas and to a certain extent, a little Muslim population is there in Rourkela, and also, of course, in Kakarpur area. But these are the three or four urban areas where Muslims play a dominant role, politically, culturally and socially. A number of doctors, a number of engineers have come from these places. A number of them have also attained recognition at the national level. But a large number of them are poor, illiterate. What steps have actually been taken by the Central Government as also by the State Governments? Who are the leaders who have taken active part in this? When I talk about leaders, I find two different distinctions with, specially because every time we have to fall back only on one community, that is, the Muslim community. In Christian community also, though it is a minority community, it has a different area of problem.

Let me confine myself to the minority community of Muslims. We have fundamentalist clerics on one side and on the other we have vote obsessed politicians and the Muslim community is torn between these two groups; they are led by these two groups. The average Indian Muslim is hard-working. He can go anywhere in this country, he can earn his livelihood because he has the skill to do

so even if he is illiterate. That skill is inborn in him. I have seen this from the Muslim families of my village people who have gone to Bangalore or Bhopal and are earning their livelihood. They are bereft of any education. But he has that skill to earn his livelihood. He is God-fearing and he is poor. He lives in a time ramp. That is the issue which we should address. He contributes far less than he could to the national and social resurgence that is reshaping our nation today. His leaders pose as his benefactors, but are often his worst enemies.

This is the challenge which we should meet. The politics of minority appeasement creates a community cuckooned in backwardness. Is he a prey to the minoritarian politician? If the Muslim community has to fare well and meet its educational goal in this country, the initiative has to come from within. Mere dependence on Government is not the solution; neither is it desirable. The success of Muslim community lies in education and they should strive for it.

Some months back I had met the Prime Minister and given a memorandum because the Muslim community…

MADAM CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I am concluding. This needs a little bit of explanation. I have another point relating to recruitment.

I had met the Prime Minister and the Prime Minister specifically told me that he would be sending it to the Minister for Minority Affairs who is the Minister concerned. The educated persons who had been Vice-Chancellors, who had been engineers, who had been top-ranking doctors of my constituency – they do not belong to my Party, they do not support my Party, I need not say which Party they have supported all along – had made a memorandum and came here to Delhi, but could not meet the leaders. So, I brought that memorandum. When I went to my constituency, they approached me, gave me that memorandum to pass it on to the Prime Minister and said they will wait for some more time. We have waited for such a long time. The Prime Minister was kind enough to tell me that

he was sending it to the Minister for Minority Affairs Shri Salman Khurshid and see what best could be done. Some months have passed.

A Seminary is there; it has already completed 100 years. They want to educate the minority community people to impart to them better skill, to upgrade them as good managers, upgrade them as good engineers.

A large property is lying in the central place of Cuttack. The Minister himself has visited Cuttack a number of times. Sayeed Seminary has completed 100 years. They want more funds. They have little funds. I think, the Central Government also should come forward to help such institutions to come up.

Relating to recruitment, I would like to submit that recruitment is a State subject. You cannot give directives to the State Government, but how many advisories have you sent to the respective State Governments to recruit more number of people from the minority communities, in that respect?

Last one is the issue which concerns our country because such an atmosphere has been created. What will be the position in respect of the number of Muslims in India in the next 20 years? This is a report which I am submitting before you, Madam, and before this House which states that Muslims in India will increase from 177.3 million to 236.2 million over the next 20 years. This growth is very slow, unlike the impression that has been created all around. This is a very slow growth in comparison to the world growth of Muslim community in Muslim areas. Where is it increasing? It is increasing in Pakistan which is going to take over Indonesia. So also Nigeria is going to take over Egypt. This is the position. It is not a very alarming situation for us, but it is alarming because of the population size of our country in totality and how much effort we are going to put in in that respect.

I would conclude by saying how the US looks at our minority community. Here, a lot of things have been said yesterday about cables, about messages that have been sent by a number of people from the US Embassy. Here, I quote from an extensive commentary about India's 150 million-plus, this was in 2005,

Muslims, the second largest in the world after Indonesia, of the former US envoy to New Delhi, David Mulford, recorded in a cable released by WikiLeaks that:

> "India's vibrant democracy, inclusive culture and growing economy have made it easier for Muslim youth to find a place in the mainstream, reduced the pool of potential recruits and space in which Islamic extremist organizations can operate."

The December, 2005 commentary on Indian Muslims by Mulford written at the request of Washington DC appears to have gone a long way in President Bush's recognition of India as a bulwark against Islamic extremism.

I would say that the onus lies with all of us, the leaders and the politicians, and the leaders of the community to make the minority community more vibrant in this country.

With these words, I conclude.

डॉ. मोनाज़िर हसन (बेगूसराय): सभापति महोदया, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान किया है।

सभापति महोदया, अकलियतों के फला और कल्याण की बातें होती रहती हैं। राजनैतिक दल उनका इस्तेमाल चुनावी दृष्टिकोण से भी करते रहते हैं। अगर चुनाव में मतदान की स्थिति नहीं होती और चाहे जिस मुल्क में डैमोक्रैसी नहीं होती,

16.55 hrs.

(Shri Satpal Maharaj *in the Chair)*

तो शायद देश की आजादी के बाद जब अंग्रेजों ने इस देश को छोड़ने का काम वर्ष 1947 में किया था तो यहां पर मुसलिम अकलियत की आबादी के एतबार से यहां पर उनकी नौकरी में हैसियत 29 प्रतिशत थी। आजादी के बाद उनकी हैसियत डेढ़ परसेंट की रही है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार की सच्चर कमेटी की और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंदर यह बात दिखायी गयी है और बताया गया है कि इनकी हैसियत आज दलितों से भी बदतर है। समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक स्तर हो, हर लेवल पर वे बिल्कुल समाज की अंतिम पंक्ति में एक बैक बेंचर की हैसियत से खड़े दिखाई दे रहे हैं। इन पर बहसें भी होती हैं और हर पार्टियों के द्वारा इन पर बात होती है, लेकिन इन्हें एग्जीक्यूट करने की बात होती है तो लोगों के हाथ-पांव फूलते हुए दिखाई देते हैं। यहां सलमान भाई बैठे हुए हैं, मैं उनके प्रति शुक्रिया अदा करता हूं कि पिछले दिनों उन्होंने संसद भवन, एनेक्सी में एक बैठक बुलायी थी, जिसमें इन्होंने मुसलिम बहुल क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बुलाया था और इन्होंने जो मौजूदा सूरते-हाल है, उसे जानने की कोशिश की थी। माननीय मंत्री जी इन सारी बातों को जानते हैं कि क्या हालत है, लेकिन इनकी भी कुछ न कुछ मजबूरियां होंगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। इनकी भी कुछ तो मजबूरियां हुई होंगी, ऐसी बेवफाई की उम्मीद हम इनसे नहीं करते हैं। सलमान भाई आप सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहां पर मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि अगर सरकार इस मामले पर गंभीर होती तो अगली पंक्ति में, सरकार में बैठने वाले जो देश के जिम्मेदार लोग हैं, आज वे यहां पर मौजूद होते, सलमान भाई को अकेले तनहां नहीं छोड़ दिया होता। कोई जिम्मेदार लोग होने चाहिए थे, क्योंकि दूसरी, तीसरी पंक्ति में भी शायद कोई नहीं हैं, अगली पंक्ति के लोगों को यहां पर रहना चाहिए था। जो फैसला लेते हैं, जो फैसला लेने की सलाहियत रखते हैं। वे लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी उन लोगों को मैच देखने से ही फुरसत नहीं मिल रही है। सेक्युलरिज्म के नाम पर और कम्युनलिज्म के नाम पर इस मुल्क के अंदर राजनीति होती रही है। जब हमने भी राजनीति में प्रवेश लिया तो हम भी सेक्युलरिज्म के माध्यम से राजनीति में आगे बढ़े। ऐसा लगता था कि इस मुल्क के अन्दर

कम्युनलिज्म एक ऐसा भूत है जो सारे मुल्क को निगल लेगा। जब मैं लालू प्रसाद जी की पार्टी में था और पार्टी में रहकर मैंने महसूस किया कि जो एक्सप्लाइटेशन है, जो प्रताड़ना है, तब मैंने मजबूर होकर एनडीए का दामन थामने का काम उस वक्त किया था। मुझे नीतीश कुमार की आंखों में एक चमक दिखाई दी कि इस आदमी के अंदर कुछ करने की क्षमता है और विकास करने की रूचि है। जब मैं आया तो हमारे समाज के लोगों, कम्युनिटी के लोगों को एक अचम्भा हुआ। शाहनवाज़ भाई को तो पहले ही लोगों ने फतवा दे दिया था। मैं आया तो लोग हमारी तरफ ताक रहे थे कि यह क्या हो गया? जब मैं आया और जब इन लोगों को देखा, पांच साल बिहार के अंदर आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चली। मैं कहता हूं कि वह भागलपुर का दंगा, जहां तीन महीने तक कर्फ्यू चलता रहा, जहां पर साम्प्रदायिक सौहार्द की स्थिति बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी थी, वहां पर नीतीश कुमार जी ने नारे देकर नहीं, साम्प्रदायिकता और सेक्युलरिज्म की बात करके नहीं, बल्कि अपने कामों से सूबे के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया कि देश के अंदर आज हिन्दू, मुसलिम, अगड़े, पिछड़े, आगे बैठने वाले, पीछे बैठने वाले सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा मॉडल पेश किया, भागलपुर के दंगाईयों के बारे में जो कहा जाता था, भागलपुर के दंगाईयों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया और जो विक्टीम थे, जो मजलूमीन थे, उन्हें मुआवजा देकर इंसाफ दिलाने का काम किया।

17.00 hrs.

कब्रिस्तान को लेकर बराबर झगड़ा होता रहता था। कब्रिस्तान एक ऐसा मुद्दा था, जिसे लेकर आपस में बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के बीच लड़ाई होती थी। उन्होंने इसे अपने एजेंडे में लिया कि हम हर कब्रिस्तान की घेराबंदी करवायेंगे और खासकर जो विवादास्पद कब्रिस्तान हैं, आज यहां सलमान भाई बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप वाकई में चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अकलियतों का फलां हो तो आपको नीतीश मॉडल और बिहार मॉडल को अपनाना होगा। मैं केन्द्र सरकार को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि आपने बहुत सारे मामलों में बिहार के मॉडल को अपनाने का काम किया है। चाहे महिलाओं के अंदर आरक्षण की बात हो, चाहे भ्रटाचार पर बोलने की बात हो, अगर भ्रटाचार के खिलाफ सबसे पहले जेहाद छेड़ा गया तो वह बिहार में छेड़ा गया। जब बिहार में भ्रटाचार पर जेहाद छेड़ा गया तो आप लोगों ने उस बात को ले लिया और आज पूरे मुल्क के अंदर भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार की बातें हो रही हैं।

महोदय, मैं एक मुद्दे के बारे में और बताना चाहूंगा। जब हम लोग छोटे थे तो उर्दू के टीचर हाई स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में हर जगह हुआ करते थे। आज सीबीएसई के अंदर उर्दू के इम्तहान तो होते हैं, लेकिन उर्दू का एक भी टीचर नहीं है। अगर सरकार वाकई में अकलियतों के प्रति गंभीर है तो सीबीएसई के जितने भी स्कूल हैं, वहां उर्दू और फारसी की तालीम को लाजिमी तौर पर करार देते हुए वहां पर उर्दू टीचरों की नियुक्ति करे। जब उर्दू के अखबारात हैं, उनके साथ एड में भी भेदभाव करने का काम किया जा रहा है। यहां तक कि भारत सरकार के यहां, जो लोग अकलियत के अंदर थोड़ा सा भी फलते-फूलते, तरक्की करते हुए दिखाई देते हैं तो वे उन्हें आई.एस.आई. के एजेन्ट और बाहरी मुल्कों के एजेन्ट दिखाई देते हैं।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण संक्षिप्त कीजिए।

डॉ. मोनाज़िर हसन : अलीगढ़ मुसलिम यूनिवर्सिटी पर हम लोग बात करते हैं, हिन्दुस्तान के अंदर एक ही अलीगढ़ मुसलिम यूनिवर्सिटी को बनवाने का काम सर सैयद जैसे देश के चाहने वाले, देश के मानने वालों ने। हम तो उसके कोर्ट के मेंबर भी हैं, शानहवाज़ भाई भी कोर्ट के मेंबर हैं, लेकिन अलीगढ़ मुसलिम यूनिवर्सिटी की क्या हालत है? आज तक उसके माइनॉरिटीज के किरदार के लिए भी हल्ला-हंगामा हो रहा है। महोदय बताना चाहता हूं कि अगर अकलियत के ऊपर बहस कर रहे हैं तो खुल के बात सामने आनी चाहिए।

श्री सतपाल महाराज : संक्षिप्त करिए।

डॉ. मोनाज़िर हसन : सभापति महोदय, बिहार में 246 एकड़ जमीन बिहार सरकार ने दिया किशनगंज में कि आप मेडिकल यूनिवर्सिटी बना लो लेकिन आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए एक फूटी कौड़ी बजट में उसका एहतेमाम नहीं किया। बंगाल में आपको इलेक्शन लड़ना है और केरला में इलेक्शन लड़ना है। 50-50 करोड़ रुपया वहां फराहम करने का काम आपने किया है। मैं महोदय आपसे कहना चाहूंगा कि सर्विस के अन्दर, नौकरी के अन्दर जो डेढ़ प्रतिशत की स्थिति है और कॉर्पोरेट के अंदर तो ये सिलसिला निल है। आपकी मानें तो सरकार ऐसे कानून बनाए, ऐसी पॉलिसी बनाए कि सरकारी नौकरियों के अंदर आरक्षण हो सकता है। आरक्षण के अलावा क्या सूरते हाल पैदा हो सकती है? वह सूरते हाल अब सरकार पॉलिसी बना करके उनको नौकरी में और हर जगह उनके लिए मुयत्तम करने का काम करे।

श्री सतपाल महाराज : संक्षिप्त करिए।

डॉ. मोनाज़िर हसन : हज के अंदर आप मक्का मुकर्रमा जाना चाहें, जेद्दा तक के लिए आपको अपडाउन टिकट दस हजार से 12 हजार में मिल जाता है। आज आप देख रहे होंगे पैकेज टूर चल रहा है, पैकेज टूर का सिस्टम चल रहा है। एक महीना का टूर आपको 1 लाख रुपए में कराकर ले आएगा और यह 40 हजार रुपया-50 हजार रुपया टिकट का भाड़ा काट रहे हैं उसी को कहते हैं कि सब्सिडी दे रहे हैं। हम कहते हैं कि ये देश के साथ, अकलियतों के साथ धोखा देने का काम बन्द करें। कोई सब्सिडी की जरूरत नहीं है। हज करने के लिए वही जाता है जो इकोनॉमिकली साउंड होता है। इसलिए उनको कोई इसकी जरूरत नहीं है। वह पैसा अकलियतों की तालीम के लिए और जो तालिमी पिछड़ापन है उनके फलां और महदूद के लिए खर्च करने का काम करें, मैं इसके साथ एक बात और कहूंगा कि आपकी ही कमेटी सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र कमेटी है, उसका एक बार हमारे अकलियत के मंत्री उसका मोताला करके सरकार के सामने उसको मजबूती से रखे, उसको इक्जयूट कराने का काम कर दें, मैं समझूंगा कि अकलियतों के बहुत सारे मसले हल हो गए और हम समझेंगे कि वाकई केन्द्र सरकार अकलियतों के प्रति गंभीर है, उनके प्रति नेक इरादा रखती है।

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): सभापति जी, देश में अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षणिक स्तर के उत्थान की आवश्यकता पर यह चर्चा हो रही है। ...(व्यवधान) सभापति महोदय, हमारे मित्र ओवेसी साहब और हक साहब ने जो मुद्दा नियम 193 के माध्यम से यहाँ चर्चा के लिए रखा है, मैं शिवसेना पार्टी की ओर से उस पर बोलना चाहता हूँ।

सभापति जी, अल्पसंख्यक या माइनारिटी किसे कहते हैं? हम लोग किसी के खिलाफ नहीं हैं लेकिन अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलिम समुदाय से नहीं है। उसमें मुसलिम समुदाय आएगा, जैन समाज भी आएगा, सिख समुदाय आएगा, ईसाई समुदाय भी आएगा। इन सबके लिए सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस हमें देखना है। हमारे सत्ता पक्ष के लोग सिर्फ मुसलिम समुदाय के बारे में ही कहते हैं, उनको वोट के लालच से देखते हैं। मैं मुसलिम समुदाय के खिलाफ नहीं हूँ। हमारी पार्टी मुसलिम समुदाय के खिलाफ नहीं है। हमारी पार्टी में कई मुसलिम कार्यकर्ता या मुसलिम पदाधिकारी भी हैं। जब महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी जिसमें मैं भी मंत्री था, माननीय बालासाहब ठाकरे जी के नेतृत्व में, हमारे यहाँ साबिर शेख नाम के मंत्री थे, वे शिवसेना की ओर से थे, यह मैं ओवेसी साहब को बताना चाहता हूँ। वे कैबिनेट मंत्री थे। अभी हमारे मित्र ने कहा, बिहार के मित्र ने कहा कि नीतीश कुमार जी की सरकार में पाँच साल कोई दंगे-फसाद नहीं हुए। उसी तरह हमारी शिवसेना या बीजेपी की सरकार में भी मुम्बई या महाराष्ट्र में पाँच साल तक कोई छुटपुट दंगा भी नहीं हुआ। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप उनको बोलने दीजिए। आप अपनी बारी में बोलियेगा। आप बैठ जाइए। व्यवधान पैदा न करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : किसी और की बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

(Interruptions) ... *

श्री चंद्रकांत खैरे : सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि हम किसके खिलाफ हैं? संसद पर हमला करने वाले जो आतंकवादी हैं, जिसने वह प्लान किया - अफ़ज़ल गुरू के खिलाफ़ हम हैं। मुम्बई में जिसने आतंकवाद किया - कसाब और उसके साथी, उनके खिलाफ हम हैं। बंग्लादेश वाले जो घुसपैठ करते हैं और देश में अराजकता का निर्माण करते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। हम सारे मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। इसके लिए मैं कहूँगा कि सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा, यह खाली वोट के लालच के लिए सरकार ने बनाई

---

* Not recorded

हैं। हम लोग तो सच्चर कमेटी के खिलाफ हैं। ...(व्यवधान) माइनारिटी के सभी लोगों की मदद आपको करनी चाहिए, यह हमारी मांग है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप उनको बोलने दीजिए। उनकी बात सुनिये।

श्री चंद्रकांत खैरे : सभापति महोदय, मैं भी वक्फ बोर्ड की जेपीसी का सदस्य था, कनवीनर भी था। 12 राज्यों में मैं जाकर आया। बिहार और झारखंड में भी हम लोग गए थे, मेरी चेयरमैनशिप में गए थे। बनातवाला साहब मेरे साथ थे। मैं चेयरमैन था और बनातवाला साहब मैम्बर थे। मैं शिवसेना का और बनातवाला साहब मुसलिम लीग के थे, लेकिन उस पर हमारा कभी मतभेद नहीं हुआ। हम गुलबर्गा भी गए थे, बहुत जगह गए थे। मेरे मराठवाड़ा में 55000 एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। उस लैन्ड पर जो भी अतिक्रमण हुआ, वह एनक्रोचमैंट नहीं होना चाहिए, ऐसा हमने कई बार बोला। फिर हमने मीटिंग भी ली। सरकारी मीटिंग और कमेटी की मीटिंग भी ली। जितने भी अतिक्रमण थे, उनको निकालने के लिए मीटिंग ली। हम लोग दिल्ली भी गए थे। जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि वक्फ बोर्ड की प्रापर्टी पर रोज़ लोग दस लाख रुपये कमाते हैं, और वक्फ बोर्ड को सौ रुपये देते हैं। हम लोग तो बाकी रिज़र्वेशन के भी खिलाफ हैं। नितिन गडकरी साहब ने माननीय प्रधान मंत्री जी को जो लैटर दिया है, वह लैटर अगर आप लागू करेंगे तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि 1 लाख 9000 करोड़ रुपये हमारे वक्फ बोर्ड को मिलेगा। वक्फ बोर्ड काउंसिल भी कोई मदद नहीं करती है। वक्फ बोर्ड को कोई पैसा नहीं देता है। एनक्रोचमेंट करके माफिया लोग मालामाल हो रहे हैं। वहां डेवलपमेंट करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। हमारी कमेटी ने रहमान साहब के चेयरमैनशिप में ऐसी रिपोर्ट भी दी थी। हमारे महाराष्ट्र में मौलाना आजाद विकास मंडल है, जिसके माध्यम से हमने कई मुस्लिम कार्यकर्ताओं को मदद के लिए भेजा। उन्होंने बताया कि कोई फार्म इत्यादि कुछ नहीं देता है। मैंने मैनेजर को बुलाया, मैंने पूछा कि क्या बात है, देते क्यों नहीं हैं? उन्होंने कहा कि पैसा ही नहीं है। यह सरकार पैसा ही नहीं देती है। हमारी महाराष्ट्र सरकार भी पैसा नहीं देती है। इसी वजह से यह लोग परेशान होते हैं। जब मायनोरिटी मंत्रालय बनाया गया था, उस समय मैंने अंतुले साहब को कहा था। अंतुले साहब को 13वीं लोक सभा के चुनावों में मैंने हराया था। उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने मेरे क्षेत्र से बहुत वोट लिए थे, क्योंकि मेरे क्षेत्र में 35 प्रतिशत मुस्लिम समाज है। इसके कारण कांग्रेस ने उनको मेरे खिलाफ खड़ा किया था। लेकिन वे हार गए। जब वे मंत्री बने तो मैं उनके पास गया और कहा कि जैसे हम एमपीलेड में पैसा देते हैं, एमपीलेड में भी 15 प्रतिशत हम लोगों को दलित बस्ती में देना पड़ता है। मैंने उनसे कहा कि आप मीटिंग बुलाइए और उसमें सारे लोगों को बुला लीजिए। मेरे क्षेत्र की जो मुस्लिम बस्ती है, जैन समाज की बस्ती है, अरिहंत नगर, बाला जी नगर, सिक्ख समुदाय की बस्ती है, गुरू

गोविंद सिंह पुरा, इस तरह की बस्तियों में विकास के लिए पैसा दिया जाना चाहिए। लेकिन उनके अधिकारियों ने कहा...(व्यवधान) मुझे बोलने दीजिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री चंद्रकांत खैरे : महोदय, मुझे पांच मिनिट का टाइम दीजिए, मैं पूरा समाप्त कर दूंगा। शिवसेना की भूमिका मैं यहां रखना चाहता हूं, क्योंकि ये लोग हमेशा बोलते हैं कि शिव सेना मुस्लमानों के खिलाफ है, वगैरह, वगैरह...वह मैं बताना चाहता हूं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप एक मिनिट में समाप्त कीजिए, क्योंकि मैं आपको पहले ही पांच मिनट दे चुका हूं।

श्री चंद्रकांत खैरे : महोदय, जब अंतुले साहब ने मीटिंग बुलाई तो मुझे ऐसे हाथ लगाया, मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा, इसके लिए पैसा नहीं मिलता है। डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं मिलता है। सोशो-इकॉनामिक की जब हम बात करते हैं तो उस एरिया में डेवलपमेंट होना चाहिए। एरिया के डेवलपमेंट के लिए फण्ड रखा जाना चाहिए। वे बोले एरिया के डेवलपमेंट के लिए फण्ड नहीं है, एजुकेशन के लिए फण्ड है। मायनोरिटी एजुकेशन के लिए हमारे यहां कई संस्थाएं हैं, मौलाना आजाद एजुकेशन सोसायटी है, जैन समाज की देश भर में तीन हजार एजुकेशन संस्थाएं हैं। महाराष्ट्र में 500-600 एजुकेशन संस्थाएं हैं। मेरे क्षेत्र के जैन आचार्य परम पूज्य आर्येन्द जी महाराज ने वर्ष 1961 में ऐलोरा में गुरूकुल की स्थापना की थी। हमारे मंत्री श्री प्रदीप जैन जी वहां एक कार्यक्रम के लिए गए थे। मायनोरिटी में जैन समाज भी आता है तो उसके लिए पैसा दिया जाना चाहिए, लेकिन कोई मदद नहीं मिलती है। जैन समाज को मदद नहीं मिलती है। सिक्ख समुदाय का गुरू तेग बहादुर स्कूल है, उसे मदद नहीं मिलती है। क्रिश्चियन समाज को भी मदद नहीं मिलती है। लेकिन मैं कहूंगा कि मायनोरिटी में इन सभी समुदायों के लिए कोटा फिक्स कर दीजिए। मुस्लिम समाज को इतना कोटा, जैन समाज को इतना कोटा, सिक्ख समाज और ईसाई समाज को इतना कोटा। इस तरह का कोटा रखने से झगड़े हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सभी को लाभ होगा।...(व्यवधान) मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय : श्री संजय सिंह चौहान। आप जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री चंद्रकांत खैरे : महाराष्ट्र में दो ही मायनोरिटी डिस्ट्रिक हैं, एक मुम्बई और दूसरा हमारा। लेकिन मायनोरिटी डिस्ट्रिक के लिए हमें कोई सैपरेट फण्ड नहीं मिलता है। आपको सैपरेट फण्ड हमारे क्षेत्र के लिए देना चाहिए। केवल एजुकेशन के लिए ही नहीं, डेवलपमेंट के लिए, वहां की बस्ती सुधारने के लिए। मेरे वहां बहुत बड़ी बस्ती है। वहां 35 प्रतिशत मुस्लिम समुदाय हैं तो वहां की कालोनी के डेवलपमेंट के लिए भी

आपको पैसा देना चाहिए। एजुकेशन के लिए पैसा रखना चाहिए। जैन समाज हो, सिक्ख समुदाय हो, सबको मिलना चाहिए।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री संजय सिंह चौहान।

...(व्यवधान) *

* Not recorded

श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर): आदरणीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं इस गर्व के साथ खड़ा हुआ हूं, मैं ऐसी विरासत से हूं, राष्ट्रीय लोकदल, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने जिसकी स्थापना की। जिन्होंने हमेशा से मुख्य मंत्री रहते हुए और केन्द्र में रहते हुए अल्पसंख्यकों के हितों को बहुसंख्यकों के हितों से अलग नहीं समझा। उन्होंने बराबर मिल कर दोनों के लिए हमेशा काम किया। बहुत बड़ा विषय है, लेकिन समय बहुत कम है। हमें खुशी इस बात की है, क्योंकि कातिल भी हम ही हैं और मुंसिब भी हम ही हैं। एक-सवा घंटा शाहनवाज भाई और चन्द्रकांत खैरे जी ने ले लिया, फिर समस्या की तो कोई बात ही नहीं रही। समय इतना कम है, इसलिए विस्तार से कुछ कहा नहीं जा सकता।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि सोश्यो इकोनोमिक समस्याएं जो अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं, अल्पसंख्यक समुदाय और भी बहुत हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय समस्याओं से घिरा हुआ बहुत ज्यादा है, इसलिए आज यह समय माननीय पीठ ने दिया था, लेकिन मैं समझता हूं कि मुख्य मुद्दे अब तक उसमें बहुत ज्यादा नहीं उठ पाए। जहां तक शिक्षा की बात है, इसमें मेरा कहना यह है कि स्वयं में मुस्लिम जो एक अतीत है, इतिहास है, वह एक शानदार सुनहरा इतिहास है। जब देश आजाद हुआ तो साढ़े उन्नतीस परसैंट लोग सरकारी नौकरियों में थे, आईसीएस थे, आर्मी में थे, लेकिन आज वे डेढ़ परसैंट रह गए। आज एक से एक इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां नयी योजनाएं बन रही हैं। एमएसडीपी योजना के बारे में बताया जाता है, लेकिन मुझे थोड़ा एतराज है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि योजनाओं के नाम बदल दिए जाते हैं, पैसा वही रहता है और अब कह दिया कि यह अल्पसंख्यकों के हित के लिए है। इस पाठशाला में एक कमरा और बनाया जाएगा। ये उस योजना के तहत हो गया और यह अल्पसंख्यकों के खाते में चला गया। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि 1940 में मेरे यहां इस्लामिया इंटर कॉलेज स्थापित हुआ था। उसके बाद बाकी सब कॉलेज स्टार्ट हुए। सनातन धर्म सभा, हमारे यहां एक एसडी कॉलेज संस्था है, वह आज से 40 साल पहले स्टार्ट हुई और इस्लामिया इंटर कॉलेज 70 साल पहले स्टार्ट हुआ। 70 साल पुराना कॉलेज ज्यों का त्यों हैं, उसकी जमीन पर भी कब्जा कर लिया। जिसमें बीस साल पहले तीन-चार हजार बच्चे थे, आज उसमें पांच-छ: बच्चे पढ़ते हैं। वहां पहले साठ टीचर्स थे और आज मुश्किल से वहां 12-13 टीचर्स हैं। सनातन धर्म सभा प्राइवेट लोगों द्वारा जो चलाई जा रही है, उसमें 72 हजार स्टुडेंट एक शहर में पढ़ रहे हैं। मेरा कहना है कि जो पुरानी संस्थाएं हैं, जो मुस्लिम बहूल हैं, उन्हें कम से कम चूज एंड पिक करके वहां का शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए तो बजाए और पैसे खर्च करने के, आपके पास पुराना

इन्फ्रास्ट्रक्चर है, इसे आप बढ़ा सकते हैं। जब तक आप शिक्षा को रोजगार से नहीं जोड़ेंगे, मुस्लिम की जब तक तरक्की न हो, आज इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, अभी तक किसी ने यह बात नहीं कही। मुसलमानों ने जो भी तरक्की की है, वह अपने बलबूते पर की है और कर रहा है। मैं भी हिन्दू हूं, हमारा 25 साल का लड़का भी इस इंतजार में रहता है कि बाप कमा कर देगा और मुझे कुछ बताएगा तो मैं कुछ करूंगा। लेकिन बेचारा मुस्लिम बच्चा पांच साल की उम्र से काम करना शुरू करता है और मां-बाप के हाथ पर कभी दस रुपए, बीस रुपए या पच्चास रुपए लाकर रखता है। मुसलमान अगर तरक्की कर रहा है तो वहां से कर रहा है। वह पच्चास रुपए, सौ रुपए रोज के कैसे छोड़ेगा? जब तक उसे यह उम्मीद न हो कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसे रोजगार मिलेगा। जब तक उसे सिक्योरिटी न हो और इनसिक्योरिटी भी हम लोगों ने ही दी है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप संक्षेप में बोलिए।

श्री संजय सिंह चौहान : सभापति महोदय, मैं संक्षेप में ही बोल रहा हूं, मैं सिर्फ सार की बात बता रहा हूं।

सभापति महोदय, इस देश की ऐसी शानदार तवारीख है कि जहां जहांगीर का घंटा मशहूर था और जहां खुद नूरजहां को फांसी की सजा जहांगीर साहब ने सुना दी थी वहां आज उन पर इतने जुल्म हुए। दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय सिख है। मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है। हमारे पड़ौस में मलियाना के दंगे हुए। मुरादाबाद, अलीगढ़ आदि जहां-जहां भी मुस्लिमों का रोजगार था, कहीं कैंची का, कहीं ताले का और कहीं पॉवर लूम का, वह सब बर्बाद कर दिया गया, लेकिन कितने लोगों को सजा हुई? हर चीज की इंतिहा होती है। आप न्याय कर के तो देखते, पूरा समाज ठीक चलता।

सभापति महोदय, मेरा सिर्फ यह कहना है कि मुस्लिमों और सभी अल्पसंख्यकों यह अंदाजा लगना चाहिए कि उनका ध्यान यदि बहुसंख्यक नहीं रखेंगे, तो जिस तरीके से गैर-बराबरी के आधार पर नक्सलवाद पनप रहा है, उसी तरह से एक दिन पूरे देश और समाज को उसे भुगतना पड़ेगा। समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, Sir, thank you.

Sir, according to the Census of 2001, the religious minority groups constitute around 19 per cent of the total population; and that the Muslim community constitutes 73 per cent of the total religious minority population. This is the Census report.

What about the socio-economic conditions of the minorities? It has already been narrated by several Members; and particularly, the conditions of the Muslim community have been narrated in the Sachar Committee Report. The Sachar Committee Report of 2006 establishes that the socio-economic status of the Muslims in India is comparable by many indicators to the deprived sections such as the *dalits* and the *adivasis.* The Committee advocated for paying special attention to the Muslims in the areas of education, economic development and basic public amenities.

Now, the question is how the Government of the day is paying its attention to the problems, addressing the problems, and also complying with the recommendations made by the Sachar Committee and the Ranganath Mishra Committee. There has been a talk about the two-pronged strategy pursued by the Government in order to address the problems. One is the flagship programme related to education, livelihood and public services under the 15-point programme of the Prime Minister. The second is done under the aegis of the Ministry of Minority Affairs, which has a few developmental programmes like MSDP.

The Sachar Committee identified 90 minority concentrated districts across the country which are falling behind the national average in terms of socio-economic and basic amenities. However, this approach covers only 30 per cent of this programme. But when you look at the actual implementation of the two-pronged policy of this Government, it is found that even the State Secretaries – I am not talking about all, but most of the State Secretaries – are not adequately aware of the implementation of the 15-point programme of the Prime Minister. So, this is the situation. How could it be implemented at the grassroots level? What are

the major constraints in this regard? The first is that the norms and guidelines are not adequately addressing the needs and aspirations of the minorities in general.

We are privileged to have the hon. Finance Minister present in the House. I would say that the budgetary allocations made are also insufficient. It is only six per cent of the total funds when 19 per cent of the population is religious minorities.

The third constraint is the lack of proper institutional mechanism and inadequate implementing staff at the district level and the block level. At every stage there is shortage of staff as also the shortage of implementing agencies. There is poor planning apart from delay in the implementation of whatever planning is worked out.

At the grass root level there are local self-Governments, the Panchayati Raj institutions. But these Panchayati Raj institutions have been kept out of the implementation of the MsDP Programmes.

Apart from these, another important constraint is with regard to non-implementation of land reforms policy. A huge number of poor Muslims have no land. So, land reforms for the landless Muslims should be brought in. Without bringing in land reform nothing can happen.

Another important issue is with regard to reservation. I am not in favour of the reservation based on religion. But why can the downtrodden people of the Muslim and other minority communities not considered as OBC? The West Bengal Government has identified 53 groups of the downtrodden Muslims as OBC.

We have just passed the Budget but we see that not sufficient attention has been paid in this regard. So, I would say that special attention should be paid confining not only to the priority sector lendingbut also increasing the allocation made to Maulana Azad Education Foundation. A comprehensive idea addressing the problem as a whole should be given priority.

I would like to quote a part of a prose of our national poet, Nasrul Islam and he said:

"*Aai ki brinte*
duti kusum
Hindu musalman
Muslim tar noinmoni
Hindu tahar pran."

Hindu and Muslims are the twin flowers in a single bud; Muslims the eyes ball and the Hindus are the soul.

So, without addressing the genuine problems of the large section of minorities, especially the Muslims, our country cannot go ahead. With these words I conclude.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Thank you, Sir. At the outset I would like to place on record my appreciations for the present Government. We have seen many Prime Ministers, many administrations come and go. The UPA Government has been the only Government and Shri Manmohan Singh is the only Prime Minister, we have never seen in the history of our country, who has really started doing something constructive for the social, economic and educational development of the Muslim community. The reason I say that, from 1947 onwards we have been seeing different Prime Ministers, they might have been stalwarts, but when it came to actual programming, identifying the real disease, identifying what should be done to improve the overall economic condition so as to bring the Muslims to the mainstream, the credit goes to Shri Manmohan Singh.

The basic thing that he has done is to form Sachar Committee and various schemes that have happened. I was listening to Shri Syed Shahnawaz Hussain.

MR. CHAIRMAN : Mr. Owaisi, please wait.

Hon. Members, as per the List of Business, we have to take up Half-an-Hour Discussion at 5.30 p.m. If the House agrees, we may continue this discussion and thereafter we could take up Half-an-Hour Discussion.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : During NDA time, the financial allocation for the minorities – at that time, a Ministry was there – was only Rs.26 crore. Right now, in this year, 2011-12, the budget has been increased to Rs.2866 crore. So, we can very well imagine massive progress has been made. But is it satisfactory? No, it is not satisfactory. Why is it not satisfactory? If you see the Sachar Committee report, leaving aside the first three chapters, if you take chapters 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11, technically it is only the 11th chapter which falls with the hon. Minister's Ministry. Education conditions of Muslims – HRD; economy, employment and access to bank credit – Finance Ministry; access to social and physical infrastructure – Urban Development and Rural Development; poverty alleviation and standards of living – Planning Commission; Government employment and

programme – Ministry of Personnel and PMO; and leveraging community initiatives in the case of Wakf – it is the Minority Department. In the light of these things, I will put forward my case. If we come to this year's budget of Rs.2866 crore, out of that, a major amount has been given to merit-cum-means – Rs.124 crore; pre-matric – Rs.533 crore; and post matric – Rs.405 crore and the total comes to Rs.1062 crore. Now when you have a community whose literacy rate is 59 per cent and you have a community which out of 100 graduates in India has only three Muslim graduates, then the problem is very grave. Does this Government expect or believe that by giving mere Rs.38 lakh and 38000 scholarships, the problem will be solved? This is what the Government proposes to do. This is a very meager amount. This is like a drop in the ocean. Unless and until, the whole merit-cum-means, post-matric and pre-matric are demand driven, this real issue cannot be addressed. My request to the hon. Minister would be that you make these three schemes demand-driven. It is because unless and until you do that, no real benefit is going to accrue to the Muslim community or the minority community. For that, the amount has to be increased. At least Rs.1000 crore each should be earmarked for these three schemes. Then only we can ensure that some development takes place on the ground.

Secondly, I do not know what the Sachar Committee recommended in regard to Equal Opportunities Commission. The expert group gave a report on 13th March, 2008. What is this Government doing for the last three years? It is sitting on the report of this expert group. For God's sake let the Minority Ministry be the nodal Ministry for the Equal Opportunities Commission. If and when this Commission would be created, it will not only be beneficial to the minorities but also to other communities like backward classes and Dalits. It is because we see that there is a growing gap in our society. There is a growing gap in our daily lifestyle.

There are huge inequalities. This Equal Opportunities Commission can address this issue. Let the Government take a definite stand on it. We do not know as to what is the Ministry of Planning and Statistics doing as far as establishment of National Data Bank is concerned. That report is still lying with them. We do not know as to what is the fate of the diversity index. What will happen to it? We do not know the fate of the Assessment and Monitoring Authority (AMA)? What is the Planning Commission doing on that? I mean these are core and constructive things which need to be done. Until and unless the Government does these things, the programmes of the Government cannot take off. You are doing some easy things. Yes, I agree and accept that pre-matric, post-matric and merit cum means are great things. This is very successful. But what about these things?

Sir, my next point is on the minority concentrated districts. There are 90 districts. I would like to point out to the hon. Minister that this is the Outcome Budget. I would like to refer to page 24 of the Outcome Budget – 'Mutli-sectoral development'. It clearly says that out of 89 MSDs approved, 41 have been given full approval and 48 have been given part approval. This itself will clearly show that what kind of seriousness is there in the Ministry of Minority Affairs. A sum of Rs. 1077 crore have been earmarked. In the year 2010, according to the Outcome Budget a sum of Rs. 1399 crore was the allocation. Under the same head, the financial achievement up to 31 December, 2010 is Rs. 572.38 crore. I would like to know from the hon. Minister as to what is it that is stopping him. The problem over here is that the Minority Ministry is giving money to the various State Governments. There are 21 districts in the State of the hon. Minister himself. Nearly, I think, more than a sum of Rs. 1200 crore, if I am not wrong, have been earmarked for 21 districts.

Sir, I would like to give some figures for the State of Uttar Pradesh. 80,398 IAY houses have to be constructed, only 17231 have been constructed. I am quoting these figures from the website of the Ministry of Minority Affairs. Additional classroom to be constructed is 513, target is zero; school building –

513, target is zero; ITI – 9, target is zero; polytechnics – 16, target is zero. Only 42 per cent has been spent in the State of Uttar Pradesh. We are in the last year of our Eleventh Five Year Plan. I am not a magician. Maybe, the officials of the Minority Ministry are all magicians, maybe they can do a hoodwink act by ensuring that all the money is spent before the start of the Twelfth Five Year Plan. If this is the case in the State of the hon. Minister, then one can very well imagine about the rest of the States. The most surprising aspect is that the Congress Party is going to go there for Assembly elections and no one is tom-toeing about this scheme which can benefit them politically if it is implemented properly. Leave aside the implementation, they do not even want to talk about it. I am surprised. I do not know as to why they feel embarrassed to talk about it. You take the case of Bihar. There are seven districts. Only 31 per cent of the amount has been spent so far. This speaks volume of the great Shri Nitish Kumar's vision. Take the case of West Bengal… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please let him speak.

… (*Interruptions*)

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Sir, I am not yielding… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) …[*]

SHRI ASADUDDIN OWAISI Then let us take the case of West Bengal. I was listening to him, he is an hon. Member. There are 12 districts in West Bengal. The State Government there has spent only 57 per cent of the total amount. They were allocated a sum of Rs. 700 crore. What have they spent? They have spent only 57 per cent of the total allocation. This is the problem -- neither the Ministry nor the State Governments are interested and so I have to stand up here because the people of India should know that leaders who talk so loudly about love for Muslims, they will do this and they will get stars from the sky and they will give a piece of moon

[*] Not recorded

and things like that. We do not want all those things. What is there in front of them, let them implement those things. But that is not being done. That is not being done. As regards the NCD scheme, I would like to point out to the hon. Minister that under this scheme, only 30 per cent Muslims are being benefited. It came out in the findings in the Sachar Committee Why was the word 'minority' used there? Why was the criteria of 25 per cent used and why cannot we use 15 per cent at least now as the 12th Five Year Plan is being finalised? The hon. Minister should ensure that 25 per cent criteria is brought down to 15 per cent.

What about the Mungkelkar Committee Report? 251 minority towns are identified in that Report. You may use that criteria for the 12th Five Year Plan and you will see the development that will take place. Let me come to 15 Point Programme.

सभापति महोदय : आप समाप्त कीजिए।

…(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवेसी : उसमें मेरा नाम है। आप कम से कम इसमें देख लीजिए। आप महाराज हैं।…(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको पहले ही बहुत ज्यादा समय दे दिया गया है। आप अपनी बात संक्षेप में कहिए।

…(व्यवधान)

SHRI ASADUDDIN OWAISI : I would like to quote from the website of the Ministry of Minority Affairs as regards the 15 Point Programme. The target achieved under Indira Awas Yojna is only 60 per cent. Then, SJSY, physical achievement is only ten per cent. In priority sector lending, the hon. Finance Minister said that it will be 15 per cent by 2010. It is only 13 per cent now. Out of that 13 per cent, Muslim share is only six per cent. We do not know what is happening over there.

Due to paucity of time, I would quote the figures fast. Under SJSRY, it is only 14 per cent. Sir, this is an important scheme which is regarding physical skill training. You have many uneducated Muslims who can be used for physical skill

training and your achievement is only 14 per cent there. I do not know whether the hon. Minister has seen this point or not. The number of primary schools constructed under Sarva Sikhsha Abhiyan is 40 per cent. The number of upper primary schools come to only three per cent. The number of additional class rooms constructed is much better. It is at least 50 per cent. … (*Interruptions*)

Coming to JNNURM, it is a programme for urban poor. The figure there is 20 per cent. Everywhere it is 20 per cent. Integrated housing slum development shows 25 per cent. Everywhere, the figure is between 20 to 25 per cent. Now, we do not know why the Planning Commission has refused interest subsidy to education loan for overseas students belonging to minorities.

As regards Central Wakf Council, is Rs.1.19 crore enough? The Joint Parliamentary Committee Report has been submitted but the Minister could not even give an Action Taken Report. Nearly one and a half years have passed since then. But Action Taken Report has not been placed. You give us Rs. 10,000 crore for development of wakf properties. I can assure in this House that those properties can generate a revenue for Muslim community of Rs. 3000 crore annually easily. It is subject to the Government giving Rs. 5000 crore to it. We do not know about assessment and monitoring part.

सभापति महोदय : आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री असादुद्दीन ओवेसी : मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं।...(व्यवधान)

ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह है रहमतुल्लाह अलेह। टूरिज़्म डिपार्टमैंट से बात करके आप उसे पैसे नहीं देते। वहां लाखों, करोड़ों लोग सारी दुनिया से आते हैं। वहां इतनी गंदगी रहती है कि आप वहां चल नहीं सकते। यह आपकी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। उसके बारे में क्या हो रहा है। क्या उसकी सफाई का इंतजाम हो रहा है? स्टेट गवर्नमैंट है, कमेटी है, मगर मिनिस्ट्री का भी काम है कि सरकार से पैसे ले और वहां सफाई का इंतजाम करवाए।

रिजर्वेशन का मसला है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी बात संक्षेप में कहिए।

श्री असादुद्दीन ओवेसी : मैं समाप्त कर रहा हूं। रिजर्वेशन के मसले में रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट आ गई। रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दी जाए, तहफ्फुज़ात दिए जाएं। प्रैज़िडैंशल आर्डर, 1950 में तरमीम लाई जाए। मुझे बताइए, आखिर यह कैसा कानून है कि इस सैकुलर मुल्क में यह कहा जाता है कि दलित सिर्फ हिन्दु, सिख और बुद्धिस्ट होगा, मुस्लिम, इसाई नहीं हो सकता। यह तोहमत है, इल्ज़ाम है हमारे ऊपर। क्या हम हिन्दुस्तानी नहीं हैं, क्या हम इस वतन के नहीं हैं? क्या आप कहते हैं कि दलित सिर्फ इसाई होगा, बुद्धिस्ट होगा और सिख होगा, मुसलमान नहीं हो सकता, इसाई नहीं हो सकता? यह कैसा कानून है। यह कहां की इक्वैलिटी है? इस पर हुकुमत को काम करना चाहिए। तहफ्फुज़ात के तअल्लुक़ से कौन्सटीट्यूशन असैम्बली की डिबेट्स हैं। ई. अहमद साहब वर्ष 2000 में एक रैजोल्यूशन लाए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल से उज्जवल सिंह ने पूछा कि माइनॉरिटीज़ में कौन हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा।

In simple English, Sardar Vallabhbhai Patel said: "Backward class includes minorities." गवर्नमैंट को काम करना चाहिए, लेकिन उस पर कुछ नहीं हो रहा। ...(व्यवधान)

मैं अंत में कहना चाहता हूं कि मौलाना आजाद का कारपस फंड 700 करोड़ रुपये का है। उसे आप दो हजार करोड़ रुपये क्यों नहीं करते? आप उसे क्यों रोक रहे हैं? आखिर में मुसलमानों का हाल क्या हो चुका है, वह मैं आपको बता रहा हूं। कहां है जाकिर हुसैन, कहां है अब्दुल कलाम आजाद जैसे कायदीन्स, सेक्युलर पार्टीज? आज हमारा हाल इन तमाम सियासी जमातों में क्या हो गया है, वह मैं बताता हूं। अगर रमज़ान आ गया, तो हर मुसलमान, जो इन या उन पार्टियों मे होता है, वह इफ्तार की दावत देता है। गरीब नवाज का उर्स आ गया, तो फूल की चादर भिजवा देना। ईद का दिन आया, तो मुबारकबाद का इश्तहार देना। आप लोगों ने मुसलमानों का यह हाल कर दिया है। आप न तो कायदीन को अपने पास पनपने देते हैं, न मुसलमानों की आवाज को बनने देते हैं और हमें यहां सिर्फ गुलाम बनाकर रख दिया है। आखिर यह सेक्युलरिज्म है? कहां है ये कायदीन? क्यों ये सियासी जमातें कायदीन को क्यों नहीं उभारती? किसी सियासी जमात में, चाहे वह फिरकापरस्त हो या सेक्युलर हो, उनके पास न कोई कायाद है और न ही मुसलमानों की कोई आवाज है, सिर्फ दिखाने को शोबाज हैं इनके पास।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप संक्षिप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवेसी : मैं आखिर में आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बोल चुके हैं, इसलिए आप संक्षिप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवेसी : सभापति महोदय, अभी हमारे दोस्त ने बंगाल के बारे में कहा। एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। इनको इलैक्शन में फायदा हो जायेगा। बंगाल में 25 परसेंट मुसलमानों की आबादी है और मुलाजमतों में सिर्फ दो परसेंट हमारा हिस्सा है। 50 परसेंट मुस्लिम बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, मिडिल स्कूल तक आयें, तो वह 26 परसेंट हो जाते हैं और मैट्रिकुलेशन जाने तक 12 परसेंट हो जाते हैं। इतना 33 साल में ...(व्यवधान) तबाह-व-बरबाद कर दिया।। मैं चाहूंगा कि हमारी हुकूमत मेरी बातों को सीरियसली ले और मैं सलमान खुर्शीद साहब से कहूंगा कि आप जाकिर हुसैन जी के नवासे हैं। आपका एक अज़ीम कायद के घराने से ताल्लुक है। बेबाक तरीके से इन स्कीम्स पर अमलावली करवाइये। यह बेहतरीन मौका अल्लाह-सुबहाना-व-तआला ने दिया है, आप कुछ करिये। आप हमसे इंसाफ करिये। हम आपसे कुछ और नहीं चाहते।

17.47 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA AND BILLS AS RETURNED BY RAJYA SABHA

MR. CHAIRMAN : Before I call the next hon. Member to speak on this issue, I call upon the Secretary-General to report about Bills.

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

(i) "I am directed to inform the Lok Sabha that the Constitution (One Hundred and Thirteenth Amendment) Bill, 2010, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 9th November, 2010, has been passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 24th March, 2011, in accordance with the provisions of article 368 of the Constitution with the following amendments:-

ENACTING FORMULA

1. That at page 1, line 1, *for* the word "Sixty-first", the word "Sixty-second" be substituted.

CLAUSE 1

2. That at page 1, line 3, *for* the figure "2010" the figure "2011" be *substituted*.

I am, therefore, to return herewith the said Bill in accordance with the provisions of rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha with the request that the concurrence of the Lok Sabha to the said amendments be communicated to this House."

(ii) "I am directed to inform the Lok Sabha that the Orissa (Alteration of Name) Bill, 2011, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 9th November, 2010, has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 24th March, 2011, with the following amendments:-

ENACTING FORMULA

1. That at page 1, line 1, *for* the word "Sixty-first", the word "Sixty-second" be substituted.

CLAUSE 1

2. That at page 1, line 3, *for* the figure "2010" the figure "2011" be *substituted*.

I am, therefore, to return herewith the said Bill in accordance with the provisions of rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha with the request that the concurrence of the Lok Sabha to the said amendments be communicated to this House."

Sir, I lay on the Table the Constitution (One Hundred and Thirteenth Amendment) Bill, 2010 and the Orissa (Alteration of Name) Bill, 2011 as returned by the Rajya Sabha with amendments.

17.48 hrs.

DISCUSSION UNDER RULE 193

(i) Need to uplift the scio-economic and educational status of minorities in the country – contd.

SHRI SANJAY DINA PATIL (MUMBAI NORTH EAST): Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on this issue.

I am in this House especially because of the votes given to me by the minority communities. I just want to say a few things. The first point is that education should be given importance. On the pattern of Aligarh Muslim University, universities should be set up in all the States. As recommended by the Sachar Committee, Jawahar Navodaya Vidyalayas should be set up in all Muslim minority areas so that our Muslim brothers and minority students get opportunities to get into Engineering, Medical and Government services.

The 15 Point Programme that was announced by the Prime Minister is not being implemented properly. A Committee should be set up to see that those Programmes that are not being implemented are implemented properly. Those should be scrutinised by the Grievances Redressal Committee. That Committee should be given powers so that the 15 Point Programme is implemented. The National Minority Financial Development Corporation gives funds. But those are very less. That should be increased by ten-fold. It is because in Maharashtra, they have started some schemes. However, since last one and a half years, all those schemes have been lying and nobody is getting justice because there are no funds. आपने 100 करोड़ रुपये दिए थे, जो चंद दिनों में ही खर्च हो गए। पिछले डेढ़ साल से एक भी फाइल आगे नहीं बढ़ रही है। अगर राज्यों में पैसे नहीं भेजेंगे, तो सभी बच्चों के शिक्षण में, सभी जिलों इसको इंप्लीमेंट करने में या अन्य कोई भी कार्य करने के लिए दिक्कत होती है। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन का इंप्लीमेंटेशन जल्द से जल्द हो, ऐसी मांग एनसीपी की तरफ से मैं यहां रखता हूं। इक्वल अपार्चुनिटी कमीशन है, वह इंप्लीमेंट होना चाहिए। मुंबई जैसी सिटी में अगर किसी को घर लेना है, तो कई सोसाइटीज हमारे मुस्लिम भाइयों को घर लेने से वंचित रखती हैं, एनओसी नहीं देती हैं। अगर मदरसा या

मस्जिद बनानी हो, तो एनओसी के लिए दिक्कतें सहन करनी पड़ती हैं, उसके लिए भी एक लॉ बनना चाहिए। ...(व्यवधान) सरकार को वहां एनओसी देने के लिए और शिक्षण देने के लिए ज्यादा महत्व देना चाहिए। पॉलिसी है, लेकिन वह इंप्लीमेंट नहीं होती है, उसे इंप्लीमेंट करने के लिए कोई कमीशन बनाएं, उसको पावर्स दिए जाएं। कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन अभी समय कम है। इसमें कुछ न्याय मिलेगा हमारे मुस्लिम भाइयों को, ऐसी अपेक्षा करता हूं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, हिन्दुस्तान को ही यह गौरव प्राप्त है कि संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया है, हालांकि उसमें अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं दी गयी है। लेकिन अल्पसंख्यक कानून बना जिसमें अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख आदि आते हैं। लेकिन ओवैसी साहब ने अभी भेद खोल दिया। सच्चर कमेटी के बारे में शाहनवाज जी भी बोले थे। अभी वह सदन में नहीं हैं, नहीं तो मैं भेद खोल देता। जब से सच्चर कमेटी बनी, बीजेपी और शिवसेना में खुजलाहट शुरू हो गयी और वे माइनॉरिटी पर भाषण करते हैं।...(व्यवधान) अभी भी उस पर भाजप का क्या रुख है? सच्चर कमेटी ने जांच करके कहा कि उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक हालत ठीक नहीं है। देश को एकजुट ही नहीं, मजबूत बनाना है। अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करे देश मजबूत और एकजुट नहीं रह सकता है। यह एक दृढ़ मत है। संविधान निर्माताओं ने भी यह बात कही थी।...(व्यवधान)

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): यह बात आप उनको कहिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप शांत रहिए, माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

Nothing else will go on record except what Dr. Raghuvansh Prasad Singh says.

(Interruptions) ... *

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आप उसका सपोर्ट कीजिए।...(व्यवधान) सच्चर कमेटी के खिलाफ आपका भाषण था, इसीलिए मैं भेद खोल रहा हूं।

अब उसके कार्यान्वयन की बात है। सच्चर कमेटी की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन भी आधे मन से किया गया है। उसका भी खर्चा नहीं हो रहा है, ओवैसी साहब ने भेद खोल दिया। अभी जगदीश शर्मा जी बिहार का दावा कर रहे थे कि वहां बड़ा काम होता है, हिसाब बताता है कि केवल 30 प्रतिशत पैसा खर्च हुआ है। ...(व्यवधान)

श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद): पैसा ही नहीं जाता है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing else will go on record except what Dr. Raghuvansh Prasad Singh says.

(Interruptions) ... *

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : कृपया मेरी बात सुन लीजिए। ...(व्यवधान) क्या इंदिरा आवास योजना का पैसा नहीं गया?...(व्यवधान)

---

* Not recorded

वहां पैसा रखा हुआ है। इंदिरा आवास योजना के तहत केवल छः प्रतिशत मुस्लिम पर खर्चा हुआ है, जबकि 15 प्रतिशत से कम खर्च होना गुनाह है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: सिर्फ रघुवंश प्रसाद सिंह जी की ही बात रिकार्ड में जाएगी।

...(व्यवधान) *

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : माइनोरिटी के लिए इंदिरा आवास योजना में जो मकान बनने थे, उसका पैसा वहां वैसे [illegible] पड़ा है, ज[illegible]किया हुआ है, लेकिन आवास नहीं बन रहे हैं। यह मैं भेद खोल रहा हूं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय: रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) *

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, सच्चर कमीशन का सवाल उठाया गया। सुना है 624 जिलों में से माइनोरिटी कंसंट्रेशन के 90 जिलों का चयन किया गया है। लगभग 400 से अधिक जिलों में जो अल्पसंख्यक हैं, उनका क्या होगा? जहां पर माइनोरिटी वाले बहुसंख्या में है, उन्हें तो अधिक राशि दी गई है विकास के लिए, लेकिन जहां असली माइनोरिटी है, जहां वे कम संख्या में हैं, उन्हें कौन देखेगा? उनका हिस्सा कहां चला गया, मैं यह सवाल उठाता हूं? जहां अल्पसंख्यक बहुसंख्या में है, उनके लिए तो कुछ प्रावधान हुआ, ठीक है, लेकिन खर्चा वहां भी पूरा नहीं होता, वह कराना चाहिए। लेकिन ऐसे जिले जहां पर अल्पसंख्यक हैं उनका कंसंट्रेशन नहीं है, असली अल्पसंख्यक हैं, उनका क्या होगा? कम से कम ऐसे 534 जिले होंगे, मैं उनके बारे में सवाल उठाता हूं। उसके लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था और उपाय किए जा रहे हैं?

जहां पर अल्पसंख्यक अधिक संख्या में हैं, पंचायती राज के तहत उनका मुखिया भी होगा, इसलिए वह उनका कुछ हित देख सकता है। लेकिन जहां वे संख्या में ज्यादा नहीं हैं, वास्तव में अल्पसंख्या में हैं, उनका क्या होगा, उनके लिए क्यों नहीं विचार किया गया और कब तक आप उनके लिए विचार करेंगे?

रंगनाथ मिश्र आयोग ने भेद खोला था। सरकार आयोग गठित करने में बड़ी बहादुर है। रंगनाथ मिश्र आयोग हमने नहीं, सरकार ने गठित किया था। जब बिठाया, तो उसकी रिपोर्ट पर अमल करने में क्यों हिचकिचाहट हो रही है, क्यों देरी हो रही है, क्या कारण है? अभी यहां पर कहा गया था कि उसमें भी पसमांदा हैं, हालांकि इस्लाम के मूल कानून में बड़ा-छोटा, ऊंच-नीच का भेद नहीं है। लेकिन हिन्दुस्तान की पृष्ठभूमि में वहां भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, उसमें भी पसमांदा हैं, पिछड़ी जातियां हैं। उनके लिए क्यों

---

* Not recorded

नहीं सरकार द्वारा प्रावधान किया जा रहा है? अभी यहां ठीक सवाल उठाया गया कि बौद्ध में भी हो गया, बाकी सबमें हो गया, क्रिश्चियन और मुस्लिम में अनुसूचित जाति की सूची नहीं है। कितना भारी यह अंधेर हो रहा है इसलिए यह भेद खोलने की जरूरत है। इसलिए जोर-शोर से आवाज उटाकर इसे ठीक करने की कोशिश हम कर रहे हैं, क्योंकि इनमें भी दबे हुए लोग हैं।

सरकार का 15 सूत्री कार्यक्रम बढ़िया है, लेकिन लागू नहीं हो पा रहा है। जिलों में बैठकें नहीं होती हैं। सरकार द्वारा कोई मोनिटरिंग नहीं होती है। आज 624 जिलों में 15 सूत्री कार्यक्रम है, उस बारे में गठित समितियों की साल में कितनी बार बैठकें होनी चाहिए और कितनी बार होती हैं? जब बैठकें ही नहीं होंगी, तो अमल क्या होगा? इसलिए उसकी कड़ी मोनिटरिंग की जरूरत है कि क्यों बैठकें नहीं हो रही हैं। पढ़ाई-लिखाई में, आर्थिक दृष्टि से और नौकरी में भी पीछे गए इसलिए यहां पर मदरसा का सवाल उठता है। मदरसे में हम देखते हैं कि वक्फ या इधर-उधर से चंदा इकट्ठा करके काम चलाया जाता है। न तो मौलवी साहब का कोई ठौर है, न घर है, न तनख्वाह है। इसलिए जब तक इनके लिए कोई माकूल व्यवस्था नहीं होगी, तो अल्पसंख्यकों का क्या कल्याण करेंगे?

<u>18.00 hrs.</u>

जो मदरसे में मौलवी साहब मंत्र पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, उस मदरसे की स्थिति में सुधार के लिए आपका क्या ठोस कार्यक्रम है, उसके आधुनिकीकरण के लिए क्या नीति है जिससे जब बच्चे उसमें से पढ़कर निकलें तो कोई अच्छा काम कर सकें।

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, it is 6 o'clock and I still have names of six to seven hon. Members to participate in this important discussion. Then, Half-an-Hour Discussion and 'Zero Hour' will be taken up. So, if the House agrees, I extend the time of sitting of the House till the last item, that is 'Zero Hour', is over. The reply for this discussion will be given tomorrow.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मदरसे की स्थिति में सुधार के लिए हम ठोस कार्यक्रम चाहते हैं। उसका अच्छा प्रबंध, उसकी आधुनिकता, मौलवी साहब का भवन और उसकी तनख्वाह की व्यवस्था हम चाहते हैं। कब्रिस्तान की घेराबंदी होनी चाहिए, उसी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। एनडीए के शासनकाल में कब्रिस्तान को रोका गया था।...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : बिहार में हमारे यहां कब्रिस्तान की बॉउंडरी करवायी गयी, जिसमें पहले भैंसे बंधती थीं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी थे तब कब्रिस्तान की घेराबंदी को इन्होंने रुकवाया था। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except the speech of Dr. Raghuvansh Parsad Singh

(Interruptions) … *

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति जी, सदन में सवाल उठा था, उस समय प्रणब मुखर्जी साहब भी थे, सलमान खुर्शीद जी भी थे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो इमाम 25 घंटे में पांच बार खुदा की इबादत करवाते हैं, आज़ान पढ़ते हैं, उनके लिए रिमुनिरेशन का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 महीने में इसे एग्जामिन किया जाए। इन्होंने कहा वक्फ बोर्ड और कौन-कौन सी कमेटी बताई कि उनसे हम सलाह करके बता देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्यों देरी हो रही है? जो भोर में खुदा को याद करवाते हैं, जो बेचारे मुफ्त में मंत्र पढ़वाते रहते हैं उनके रिमुनिरेशन का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया तो उसमें इंसाफ चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : इमाम मंत्र नहीं पढ़वाते हैं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम आज़ान को ही मंत्र कहते हैं। खुदा की इबादत करवाते हैं, लोगों को जगाते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते-पढ़ाते हैं। ...(व्यवधान) नमाज, रोजा को जानने वाले हैं ...(व्यवधान) उसी से देश का कल्याण होगा और देश में अमन-चैन कायम होगा।

सभापति महोदय : आप बैठ जाइये। जगदम्बिका पाल जी आप बोलिये।

---

* Not recorded

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूं कि आपने मुझे अकलियत के मौजूदा हालत पर, खास तौर पर पसमादंह अकलियत की तरक्की और बहबूदगी के लिए चलाए जा रहे पन्द्रह निकाती प्रोग्राम के सिलसिले में जो तज़करा हो रहा है, उसमें आपने मुझे शिरकत करने का मौका दिया है। मैंने बहुत देर से माननीय सदस्यों की बातें सुन रहा हूं और सभी ने कहा है कि यकीनन यह कोई सियासी मसला नहीं है, बल्कि सबके लिए मिसायल है। आज जो अकलियत के हालात है, उसके लिए सभी को हमदर्दी है, चाहे तालीम के मामले में हो, चाहे रोजगार के मामले में हो, चाहे बैंकों से कर्ज के मामले में हो या गुरबत की जिंदगी के बारे में हो, उन्हें सामाजिक जिंदगी में लोगों के साथ शा बसाना, समाज के लोगों के साथ उनको लेना, ये फिक्र यकीनन हमारी कांग्रेस की यूपीए सरकार को है। इस सिलसिले में तमाम बेहतर क़दम उठाए जा रहे है। आज जब यह डिस्कशन हो रहा है, तो यकीनन हम लोगों को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि आज चाहे सच्चर समिति की सिफारिशों के अंतर्गत 90 जिले चिह्नित किए गए हैं और जिनमें खास तौर से अकलियत डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी बेहतरी और बेहबूदगी के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को हम कैसे पूरा कर सकें। हम जिस गंगा-यमुनी तहज़ीब की बात करते हैं, इस सरज़मीं का इतिहास रहा है, मैं केवल अपने जज्बात की तरजुमानी नहीं करता, बल्कि अगर मुल्क के जज्बात की बात मैं करूं, इस मुल्क का इतिहास रहा है, तारीख रही है कि इस मुल्क में पुराने ज़माने में भी मंदिरों के दरवाजे किसी अकलियत की शहनाई की आवाज से खुलते थे। हमारे घर की कोई भी लड़की, जो घर से डोली में विदा होती थी, किसी न किसी अख्लियत के हाथों के हुनर से बनी हुई बनारसी या मुबारकपुर की साड़ी को अपने तन पर लपेट कर जाती थी। हमारे मुल्क की गंगा-जमुनी की तहजीब रही है। ये तो सियासी लोग हैं, जो लोगों को फिरकों में बांटने की कोशिश करते हैं, हर दहलीज़ में, आंगन में दीवार खड़ी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यकीनन जिस समय मुल्क आजाद हुआ, मैं सहमत हूं, जो बात शाहनवाज जी कह रहे थे कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने चाहे मस्जिद की सीढ़ी पर खड़े हो कर कहा हो, मैं शाहनवाज जी की बातों को बिलकुल तसलीम करता हूं, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि कब तक इस मुल्क में अकलियत का इम्तिहान लिया जाएगा। मैं समझता हूं कि अगर आप गिरेबान में झांक कर देखें कि कौन इम्तिहान ले रहा है, मैं समझता हूं कि जंगे आजादी के इतिहास से ले कर आज भी अगर हिंदुस्तान की सीमाओं की हिफाजत करने में जितना हमारा खून बहता है, उतना ही अकलियत के लोगों का भी खून बहा है। हम इम्तिहान नहीं ले रहे हैं, आप शायद जिस तनज़ीम में हैं, उस तनज़ीम के ही लोग इम्तिहान ले रहे हैं। हम तो समझते हैं कि हमारा आईन, हमारा संविधान हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को एक जैसा मौका ही देता है। हमने अकलियत के लोगों

को किस ऊंचाइयों पर नहीं बिठाया, चाहे देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का पद ही क्यों न रहा हो, हर फील्ड में मैं समझता हूं कि इन्हें बराबर का सहरी समझा है। मैं अपने को इस मामले में सम्बद्ध करना चाहता हूं, जो बातें हमारे बहुत से साथियों ने कही हैं। सदन में श्री पुनिया जी भी बैठे हैं। आज अकलियत की तरक्की और बहबूदगी के लिए चाहे इंदिरा आवास योजना हो, स्वास्थ्य हो, आंगनवाड़ी सेंटर हो, इंटर कालेज हो, पालिटेक्नीक हो, आईटीआई हो, तालीम की बात हो या पीने के पानी की बात हो, इसके संबंध में 4355 करोड़ रुपए दिए गए।

18.09 hrs.

(Dr. Raghuvansh Prasad Singh in the Chair)

मैं समझता हूं कि स्कोलरशिप के लिए भी जो पैसे दिए गए, मंत्री जी मैं एक बात कहना चाहता हूं और आपकी ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि कम से कम जब मुझे श्री पुनिया जी ने कहा कि सच्चर समिति में हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हमने चार इंटर कालेज अप्रूव कराए, एक पालिटेक्नीक कराया और चारों इंटर कालेज का पैसा आज भी नहीं दिया गया है और न पालिटेक्नीक का पैसा ही दिया गया। मैंने जानकारी ली, आखिर चार इंटर कालेज के पैसे नहीं गए, मेरे सिद्धार्थ नगर में इंटर कालेज का पैसा इस तरीके से मल्टी सैक्टोरियल डवलप प्रोग्राम्स में पैसा दिया गया, तो यह पैसा कहां रुका हुआ है। मैं इस बात पर ओवेसी जी से भी इत्तेफाक रखता हूं और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज मल्टी सैक्टोरियल प्रोग्राम्स में इस पैसे से 53 इंटर कालेज का पैसा मंजूर किया गया। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं और 20 आईटीआई उत्तर प्रदेश में मंजूर हुई हैं। 16 पॉलीटैक्नीक मंजूर हुए, ड्रिंकिंग वॉटर 76 मंजूर हुए, हॉस्टल्स 5 मंजूर हुए, एडीशनल क्लासरूम 513 मंजूर हुए, इंदिरा आवास योजना 80,000 मंजूर हुए। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कितना भी पैसा दें, संघीय ढ़ांचे के नाम पर कहेंगे कि जो फैडरल सिस्टम है, हम इसका पैसा अपने स्टेट को दे देते हैं, लेकिन स्टेट से जिले में अगर पैसा नहीं पहुंचेगा, इन योजनाओं में जो पैसा आप दे रहे हैं, 589 करोड़ रुपया आपने यू.पी. को बजट दिया है, लेकिन अगर 53 इंटर कॉलेज हैं तो मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले दो सालों में आपने 53 इंटर कॉलेज को एप्रूव किया, पैसा दिया लेकिन अभी तक एक भी पूरा नहीं हुआ है और उसकी लोकेशन नहीं दी गई। आपकी मिनिस्ट्री मानती है कि कहां मॉइनोरिटी डॉमीनेटेड एरिया है, उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाइ करके दें जिससे वहां पर ये सब बनें। न तो जगह दी जा रही है और न उस मुकाम को चिन्हित किया जा रहा है। 53 इंटर कॉलेज में से एक भी कॉलेज नहीं बन पाया है। यह मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। 20 कॉलेज आईटीआई मंजूर हुए हैं। एक भी अभी तक नहीं बन पाया है। पॉलीटैक्नीक 16 हैं लेकिन

एक भी बन नहीं पाया है। आप खड़े होकर कहेंगे कि केन्द्र सरकार जिम्मेदार है। अपनी बहिन जी से उत्तर प्रदेश में पूछिए।...(व्यवधान) जो पैसा दिया गया है, उस पैसे का क्या होगा?

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर): जो फंड बनाया है, उसके लिए कितना पैसा केन्द्र सरकार ने दिया है?

श्री जगदम्बिका पाल : मैं चाहूंगा कि धनंजय सिंह जी ने जो बात उठाई है, माननीय मंत्री जी अपने जवाब में जरूर यह बात बताएंगे। उसी तरह से पांच हॉस्टल के लिए पैसा यू.पी. को दिया गया। एक भी हॉस्टल नहीं बना। एडीशनल क्लासरूम 513 दिये गये, अभी तक कुल 25 बने।...(व्यवधान) इसी तरह से इंदिरा आवास योजना जो है, ...(व्यवधान) अगर अकलियत का दर्द है तो यह कोई सियासी बात नहीं है। मैं तो केवल अपने जजबात की तर्जुबानी कर रहा हूं। चुनाव में उनको केवल वोट का हथियार बनाया जाता है। उनको चुनाव के समय याद किया जाता है। चुनाव के बाद अगर अकलियत की तरक्की के लिए आज 5000 करोड़ रुपये दिया है तो वह कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने दिया है जिसे वे खर्च नहीं कर पा रहे हैं और जिस काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं।...(व्यवधान) मैं पूछना चाहूंगा,...(व्यवधान) शाहनवाज हुसैन जी, आप बोल चुके हैं। ...(व्यवधान) अगर आप कहें तो मैं बिहार के भी आंकड़े बता दूं। घंटी बज रही है और रघुवंश बाबू ने बिहार की बात बताई है। ...(व्यवधान) आज मैं कह रहा हूं कि अगर पैसे की दिक्कत हो, जहां तक स्कॉलरशिप की बात कही है, 2008-09 में हमने 3 लाख स्कॉलरशिप प्री-मैट्रिक की रखी थी। इसे बढ़ाकर हमने 5 लाख 13 हजार कर दी। 15 लाख की जो थी, उसे 17 लाख 29 हजार कर दिया। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : चेयर को एड्रैस करके अपनी बात कहें।

श्री जगदम्बिका पाल : सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज जो बजट हमारा जा रहा है, यह कौन सी दिक्कत है कि बजट स्टेट से मार्च में वित्तीय वर्ष पास होने के बाद विभागीय स्वीकृति होने के बाद बजट का एलोकेशन हो जाता है। लेकिन राज्य से जिलों को इम्पलीमेंटिंग एजेंसी को जाने में पांच-पांच और छ-छ महीने लगते हैं और दूसरा वित्तीय वर्ष आ जाता है। इसके लिए कौन सा डिवाइस करेंगे? इसका क्या उपाय करेंगे? हम आपसे कहते हैं तो आप संघीय ढ़ांचा कहते हैं। हम चिट्ठी लिख सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि एक काम कर दीजिए कि कम से कम जो आप मल्टी सैक्टोरियल डवलपमेंट के प्रोग्राम में जो भी पैसा दे रहे हैं, कम से कम उसकी मोनीटरिंग की जिम्मेदारी आप मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट को दे दीजिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): आपने पहली बार अच्छी बात कही है। एमपी को मोनीटरिंग की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य की देखने की जिम्मेदारी है कि ठीक काम हो रहा है या नहीं।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जितना बजट दिया गया, 42 प्रतिशत खर्च हो पाया है। मैं पिछले साल की बात नहीं कह रहा हूं, पिछले दो-तीन सालों में जो पैसा दिया गया, अभी तक खर्च नहीं किया गया। हम कौन सी बात कर रहे हैं? हमें तालीम की चिंता है। लड़के और लड़कियों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तालीम देकर समाज की मुख्यधारा में लाने का काम करना चाहिए। लेकिन बजट में पैसे का खर्च नहीं होगा तो केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने से भी काम नहीं होगा। मैं समझता हूं कि शायद आज जो पैसे योजनाओं में जा रहे हैं। सबने तालीम की चिंता की है, आज उसी तालीम के लिए पोलीटेक्नीक, आईटीआई, इंटर कालेज सरकार खोल रही है, इसे लागू करना राज्य सरकारों का काम है। यह टाइम बाउंड होना चाहिए लेकिन यह नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी कुछ उपाय करें। आप सीधे हस्तक्षेप नहीं करें लेकिन जैसे विजिलेंस मानिटरिंग कमेटी है, ऐसे ही मल्टी सैक्टरोइल या माइनोरिटी की योजनाओं के पैसे की मानिटरिंग करने की एकाउंटिबिलिटी जिला प्रशासन की एमपीज़ के प्रति हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): Mr. Chairman Sir, India is a huge nation where we find unity in diversity. There are people of various castes, creeds, culture and religion. Muslim community constitutes about 14% of the population of the country. It is true that this community is lagging behind in educational, economic and social sectors. The Government has set up various commissions and committees to look into the problems of minorities. There were Sachar committee and Ranganathan commission which have given their findings. But the Government has earmarked a meagre sum for the development of Muslim community. Even that money is not being properly spent; there is much lacunae and lack of monitoring. That is why the Muslims are not developing economically. We knew that education brings awareness and awareness heralds development. But though primary education has spread among Muslims, they are far behind others in higher studies. In services like IAS or IPS, there is nominal representation of the minorities. Therefore our primary duty is to realize that people of minority communities are our brothers and sisters – they are our countrymen. So the legislature should also behave in a responsible way. Educational institutions should be set up in every nook and corner of the Muslim – dominated areas. Residential schools must be constructed so that the poor students who have no other means to spend on education can get admission and get enlightened. Hostel facilities need to be extended to then. For women also, more and more opportunities should be there.

We have seen that in engineering, IITs or PhDs level the representation of Muslims is very less. Same is the case with the Sikhs, Christians or other minority communities. Thus this issue has to be taken up seriously. Moreover, majority of the Muslims reside in the villages and rural areas in a pitiable, deplorable condition. The way in which prices of essential commodities are shooting through the roof, it is becoming very difficult for the poor people to survive. They also do not have land to rely upon. Return from the land is no longer profitable. Also the

* English translation of the speech originally delivered in Bengali

cost of inputs has risen steeply. Therefore what is required is land reform. In West Bengal, the land reforms were undertaken and thus the Muslims in my state are better off. In case of jobs, specific Muslim quota should be there so that they get easy recruitment. West Bengal Government has reserved 10% seats in Government jobs for the Muslims already.

You must be knowing that housing is a big problem for these people. So more dwelling units should be constructed under the Indira Awas Yojna to provide shelter to the Muslim. Only 5% to 6% of the houses has been earmarked for them which should be at least 15%. In Bengal, this percentage is higher.

Muslims are lagging behind in industrial sector too. They don't get adequate loans or credits from the banks and no one is there to speak on their behalf. This situation must be improved. They must get easy loans to invest in business enterprises.

I hail from a place in Dinajpur where the Muslims have received adequate amount of loans from the Government of West Bengal. They are now involved in entrepreneurial activities. They have also been given democratic rights. In various levels of administration, starting from the panchayats we find Muslim people everywhere. Thus I want to say that all political parties only talk about minorities to cater to vote bank politics. Only the left parties are truly secular in this country. They actually think about the minority communities. Other parties only shed crocodile's tear from them and in this country there are two distinct classes of the haves & have not. This is not right. Muslims are also our own countrymen. They should be treated with respect, dignity and equality.

This was all I had to say. I am grateful to you for allowing me to participate in this debate.

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति जी, आपकी परमीशन से मेरे दो भाइयों के द्वारा बड़ा अच्छा डिस्कशन यहां लाया गया है। खासकर माइनोरिटीज कम्युनिटी के लिए जो वाकई पश्मांदा हैं, वाकई उनकी दुर्दशा है, आज हालात अच्छे नहीं हैं। हम जो भी कह लें, हम सबने बहुत कुछ किया, बहुत बातें की। लेकिन मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं, मैं अपने इलाके में जाता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि जब हिंदुस्तान में फ्रीडम स्ट्रगल का सवाल था तो मेरे ख्याल से पूरा देश हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से युनाइटेड था और इतनी यूनिटी थी कि अंग्रेजी साम्राज्य कांप रहा था। लेकिन उन्होंने दो काम किये, जिनकी वजह से आज तक वे चीजें पनप रही हैं। पहले उन्होंने 1919 में मुस्लिम लीग खड़ी की, 1924 में आर.एस.एस. खड़ा किया। उन्होंने ये दो चीजें इसलिए खड़ी कीं...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि जब ये दोनों चीजें खड़ी हुईं तो इन दोनों ने फ्रीडम स्ट्रगल में नुकसान करने का काम किया और हिंदुस्तान की आजादी हुई और इनकी बेवकूफी से दो मुल्क बने, पाकिस्तान बना, आज हम भुगत रहे हैं। हम जम्मू-कश्मीर के लोग ज्यादा फेस कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे भाई पीओके में बुरी तरह से जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। We know better, मैं कहना हूँ कि जो लोग उस समय हिंदुस्तानी बने और हिंदुस्तान को अपनाया वे सारे मुस्लिम हिंदुस्तान में रहे। मैं उन मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो हिन्दुस्तान में रहे, उनकी सेवा और उनका ख्याल रखना बड़े भाई का काम था, जो कि करनी चाहिए थी। ... * मेरी जनाब से विनती है कि इन दो चीजों को खत्म करना पड़ेगा।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया शांत रहें। यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह : शाहनवाज़ जी, ...(व्यवधान) आप उधर मत रहो, आपका नुकसान होगा, इधर आओ। उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है...(व्यवधान) आप मेहरबानी करके इधर आओ।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: शांत रहिए। कृपया अपना आसन ग्रहण करें। आप किसी का नाम मत लीजिए।

चौधरी लाल सिंह : सर, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है।...(व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान पर बहस करिए। कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

* Not recorded

चौधरी लाल सिंह : महोदय, सुनिये मैं उसी बारे में बोल रहा हूं।...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिये।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया अपना आसन ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: यह सब प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) *

चौधरी लाल सिंह सर, वही बोल रहा हूँ। ...(व्यवधान) सर, हमारे मुस्लिम भाइयों की हालत बहुत खराब है। मैं सुबह बोलने के लिए क्यों खड़ा हुआ था? शायद इनको और किसी को भी इस बात की समझ नहीं है। 80 पर्सेंट मुस्लिम जो कि गुज्जर और बक्करवाल हैं, वे सबसे ज्यादा पिछड़े और पसमांदा हैं। वह आज भी इस देश में मोबाईल हैं। आज भी शैल्टर के बगैर हैं। आज भी जिल्लत और जलालत की जिंदगी जी रहा है। वह मुस्लिम बक्करवाल और गुज्जर है। मेरा कहने का मतलब है कि वह बक्कर मुस्लिम है, हिंदू नहीं है। वह गुज्जर भी मुस्लिम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उनके मोबाईल स्कूल हैं, no teacher, no proper system. उनके बच्चों की क्या हालत होती है यह मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ। ...(व्यवधान) आपको क्या तकलीफ है? मैं अपनी सरकार की कमियों को बता रहा हूँ, आपको क्या तकलीफ है? हमारी जो कमियाँ है, वह हमें माननी चाहिए। सर, गरीब आदमी कोई भी हो, उसके साथ जस्टिस होना चाहिए। अमरनाथ यात्रा कौन करवा रहा है? मुस्लिम करवा रहे हैं। बक्करवाल और गुज्जर करवा रहे हैं। वैष्णो माता की यात्रा भी मुस्लिम बक्करवाल और गुज्जर करवा रहे हैं। मुसलमानों के ऊपर होने वाले एक्स्प्लाईटेशन के बारे में कोई नहीं बोलता है। बातें तो सभी करते हैं। बातें करने के ठेकेदार सभी बनते हैं। उन पर टैक्स लगाया गया, लेकिन कोई नहीं बोला। केवल मैं ही पिछले पाँच साल से अकेला चिल्ला रहा हूँ। ...(व्यवधान) मैं सुबह भी कह रहा था कि मुझे बोलने दो। 28 तारीख को उनकी बोली लगेगी जिसमें उन गरीबों को आठ करोड़ पैंसठ लाख में बेचा जाएगा। क्या आप लोग बर्दाश्त करेंगे? I do not tolerate it. इसलिए मैं कह रहा था कि जो करना है करो, मुझे बाहर निकल दो पर मुझे बोलने दो। मैं यहां पर बारात में नहीं आया बल्कि मैं गरीबों का नुमाइंदा हूँ। मेरे गरीब, मेरे होते हुए टैक्स में नहीं पिसेंगे। वैष्णो माता की यात्रा करवाने वाले मेरे गरीबों के साथ मैं शोषण नहीं होने दूँगा। मैं मंत्री साहब से कहना चाहता हूँ कि वैष्णो माता की यात्रा 80 पर्सेंट गरीब गुज्जर मुसलमान करवाते हैं। मैं आप सब से कहना चाहता हूं कि 28 तारीख को

* Not recorded

बोली है, हिम्मत है उसे बंद कराओ तो मैं समझूंगा कि आप इन्साफ कर रहे हो , आप सब में दम है, आप वहां आओ । मैं वहां लड़ाई लडूंगा। वहां क्या होना है, मैंने मजदूरों को कह दिया है कि मैं आऊंगा और सब के साथ लाठी खाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाये।

सभापति जी, मैं आखिरी बात दो-तीन मिनट में कहना चाहूंगा। इस समय हमारी तीन कम्युनिटी माईनौरिटी में हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनका जरूर   ध्यान रखा जाये। किसी स्टेट में, किसी जगह जो भी कम्युनिटी माईनौरिटी में है, वहां उस बड़ी कम्युनिटी का फर्ज बनता है कि माईनौरिटीज का ध्यान रखा जाये। उसके मन में यह शंका न रहे , डर न रहे, तकलीफ न रहे। हमें वोट लेने का सवाल नहीं है। वोट तो हमने एक साइड में रखे हैं। हम तो इन लोगों की डेवलेपमेंट चाहते हैं। इन लोगों को इनका हिस्सा मिलना चाहिये। इन लोगों का शोषण नहीं होना चाहिये। अगर इन लोगों का शोषण होता है तो मैं कहता हू कि इस देश का शोषण होना है। अगर हमारे देश की पहचान है तो हिन्दू-मुस्लिम-सिख-ईसाई से है। हमारी पहचान इनको अलग करके नहीं है। इन लोगों को अलग करके हमारे   देश का गुलदस्ता नहीं बन सकता है। जो लोग साजिशें चला रहे हैं, हमारी स्टेट में भी बेकार बातें शुरु हो गयी हैं। लोग वहां भेजे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को हिन्दुस्तान से काटने की बातें बता दीं। सदरे-रियासत, वजीरे-आजम की बातें कोई इंडेपेंडेंस, कोई आजादी, कोई अटोनमी की बातें कही गई। नथिंग। हिन्दुस्तान को यह राइट होना चाहिये कि हिन्दुस्तान की हर जाति को रीप्रेजेंट करना पड़ेगा। किसी हिन्दू-मुस्लिम-सिख-ईसाई को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिये.। कृपा करके आसन ग्रहण कीजिये। अब दो मिनट हो गये हैं। उस समय एक मिनट हुआ था। आप बैठिये।

चौधरी लाल सिंह : सभापति महोदय, लास्ट में मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री शाहनवाज जी मेरे भाई हैं। मैं अपने भाई की हमेशा चिन्ता कर रहा हूं। वह ऐसी जगह फंसा है, ऐसे लोगों में फंसा है,

मेहरबानी करके अपने आपको संभाल कर इधर आ जाओ। आप सैकुलरिज्म में आ जाओ, कहां फंसे हो? आप जानते हैं कि जितने ... *

सभापति महोदय : यह विषय से अलग है। आप कृपया आसन ग्रहण कीजिये।

...(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह : ... *

* Not recorded

…(व्यवधान)

सभापति महोदय : जो आपत्तिजनक बातें हैं, वे प्रोसीडिंग्ज़ से बाहर होंगी।

वे हटा दी हैं। श्री राजा राम पाल जी।

श्री राजा राम पाल (अकबरपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे अल्पसंख्यक समाज के कल्याण के लिये इस सदन में कुछ सुझाव रखने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

देश को आजाद हुये 65 वर्ष हो गये हैं और गणतंत्र को लागू हुये 62 वर्ष हो गये हैं। इस सदन में जब भी चर्चा होती है तो एक ही बात पर चर्चा होती है कि गरीबी दूर हो,सब को शिक्षा मिले, सब को चिकित्सा मिले, सब को सुरक्षा मिले लेकिन आज 80 करोड़ से ज्यादा लोगों की जो आर्थिक स्थिति है, वह 19 रुपये 20 पैसे से अधिक नहीं है। सरकारों ने लगातार इस देश से गरीबी मिटाने की कोशिश की है, बातें खूब की हैं लेकिन गरीबी मिटी नहीं। इसलिये संविधान निर्माताओं ने कहा कि देश का संविधान कितना बढ़िया क्यों न हो, इस देश का कानून कितना बढ़िया क्यों न हो लेकिन अगर लागू करने वालों की नीयत अच्छी नहीं होगी तो यह संविधान बेकार साबित होगा। आज जितनी भी चर्चा हमारे साथियों ने की है, इस सदन में चाहे शाहनवाज़ भाई हों, चाहे लाल सिंह भाई हों, चाहे ओवेसी साहब हों और चाहे स्वयं सभापति महोदय, आपने जो चिंता व्यक्त की है, आपने केवल इम्प्लीमेंटेशन की चिंता व्यक्त की है। मैं कहना चाहता हूं कि पैसा यहां से भेजा जा रहा है, पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन टेल तक पहुंच नहीं रहा है। टेल तक पैसा पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है, क्या सरकार कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना सकती कि अगर एक रूपया यहां से सेंट्रल गवर्नमेंट से चले तो जिस व्यक्ति के लिए, जिस समाज के कल्याण के लिए चले, जब तक वह उस तक न पहुंचे, उसके वहां तक पहुंचाने के लिए कोई जवाबदेही निश्चित तौर पर तय की जानी चाहिए। अगर हम केवल बातें करते रहेंगे, हम संघीय ढ़ांचे की बात करेंगे, हमें लगता है कि यह संघीय ढ़ांचा तब बनाया गया था, जब केन्द्र में और प्रदेश में एक ही सरकारें होती थीं। हमें लगता है कि अब ऐसा होने वाला नहीं है। केन्द्र, स्टेट को दोष दे, यहां हम ऐसा रोज देखते हैं कि केन्द्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को दोष देती है और स्टेट, केन्द्र को दोष दे रहे हैं।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मौलाना आजाद फाउंडेशन द्वारा इण्टर पास करने वाली बच्चियों को जो 50 प्रतिशत से अधिक अंक लाती हैं और जिनके परिवार की इनकम एक लाख रूपया सालाना से कम होगी, उन्हें 12 हजार रूपये देने का प्रावधान है, यह काफी नहीं है। अगर वास्तव में मुसलिम भाईयों की तरक्की करनी है, अल्पसंख्यक समाज के लोगों की तरक्की करनी है तो उनकी स्कॉलरशिप में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मदरसों में अरबी के अलावा टैक्निकल एजुकेशन के लिए, कम्प्यूटर की पढ़ाई के लिए जो 375 करोड़ रूपये भेजे गये हैं, उस पैसे को राज्यों की सरकारें इन मदों में खर्च न करके दूसरे मदों में खर्च करने का काम कर रही हैं। हम माननीय अल्पसंख्यक कल्याण

मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपके रहते हुए भी अल्पसंख्यकों का कल्याण नहीं हो पाया तो इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं ठहराया जायेगा। पूरा देश देख रहा है और कांग्रेस पार्टी ने आपको इसीलिए यह जिम्मेदारी दी है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि इन्होंने 25 परसेंट आबादी का जो आंकड़ा रखा है, वह सही नहीं है। इसके बारे में आपने भी कहा है। मैं कहना चाहता हूं कि इसे ब्लांक स्तर पर, टाउन एरिया स्तर पर, तहसील स्तर पर अगर 25 परसेंट आबादी का हिसाब रखा जाये तो वास्तव में मुसलिम समाज का कल्याण हो सकता है। जो आप कह रहे थे कि पूरे देश में मुसलिम समाज का कल्याण हो सकता है, इस तरह से वैसा हो सकता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो कदम उठाये हैं, वे सराहनीय हैं। भारत सरकार ने, यूपीए की चेयपर्सन आदरणीया सोनिया गांधी जी ने बुनकरों के लिए तीन हजार करोड़ रूपये की जो ऋण माफी की है, वह काबिले तारीफ है। उससे सारे बुनकरों को तो फायदा मिलेगा ही, लेकिन लगभग 70 फीसदी मुसलिम बुनकरों का इसका लाभ जरूर मिलेगा। बात फिर से वहीं आ जाती है कि अगर इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी होगी तो वास्तव में जिन्हें लाभ मिलना चाहिए, वह लाभ उन्हें नहीं मिलेगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक ऐतिहासिक स्थल है, मदरसा बिल्लौर, मकनपुर में है, हमारी प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल की किताबों में उसका जिक्र होता है, वह पौराणिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, उसके कल्याण के लिए और हमारी घाटमपुर तहसील में, जहां पर टाउन एरिया के हिसाब से मुसलिम आबादी लगभग 30 प्रतिशत से ऊपर है, अकबरपुर में भी 35 परसेंट से ऊपर मुसलिम आबादी है। हम चाहेंगे कि उनके कल्याण के लिए भी और हमारे क्षेत्र में ये तीन स्थान हैं, आप इन्हें शामिल करने का काम कीजिए। मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

SHRI CHARLES DIAS (NOMINATED): Respected Chairman, I am thankful to you for allowing me to speak on this subject. Much has been talked about the socio-economic and educational backwardness of minorities in our country. My colleagues have raised this issue in this august House under the circumstance that the ongoing projects, schemes and proposals are inadequate in uplifting the socio-economic and educational status of minority.

As a person hailing from a microscopic minority and fortunate to represent them in this House, I am to present the sad plight of the majority of people belonging to communities labeled as minority community. It is a reality that these people are plunged into socio-economic backwardness by historic reasons. They happened to engage in profession what is available to them; they happened to reside in poor living conditions; and poverty and health hazards pulled them back. With lack of education facility, these people again faced the disability of coming up in life and were forced to live in a stagnant state.

In my view, the facilities provided to the Muslim community in matters of education are inadequate. The educational scholarship scheme to all minorities is a flagship programme of the UPA Government, which has stimulated the process of encouragement for education among the minorities. But, the quantum of scholarship is comparatively smaller.

The Government has to introduce housing schemes, especially, for minorities, and the Members of Parliament -- who are from areas where minorities reside -- should have a say in selecting deserving people. The BSUP, IHSDP schemes, which are components of JNNRUM and Indira Awas Yojana have provided some relief to the poor.

The minorities should have facilities for higher education through reservation in professional institutions. The Anglo-Indian community -- whom I represent in this august House -- faces lots of disabilities. I have brought to the attention of hon. Ministers, the sad plight of this community through a number of memorandums. The hon. Minister for Urban Poverty Alleviation has responded

positively in directing the States to consider Anglo Indians in the housing schemes earmarked for BPL people and also to form small colonies for Anglo-Indians in urban areas, as only by staying together the Anglo-Indians can protect their language, culture and identity. But, not even a single State has taken any step in this regard. So, I would like to request, through this august House, that a separate scheme for housing has to be announced for the deserving people of Anglo-Indian Community who are staying in cities. The Government has to allocate suitable areas for this purpose.

Another area where the Anglo-Indians require support from the Government is in the matter of securing seats in professional colleges. I would request that reservation of seats for professional courses have to be provided in the Central Universities for Anglo-Indians, as they have now become a backward minority community as far as education is concerned.

The Anglo-Indians enjoyed reservation of jobs in Railways and Central services. They have been known as a Railway Community because of their sacrifices and services in establishing the Indian Railways. But, when this reservation suddenly stopped in 1960, the community started degenerating. In these circumstances, reintroduction of this reservation for some more time will be a positive step for the upliftment of the Anglo-Indian Community.

It is a fact that only by providing facilities to improve the living condition of all the deserving people in the country the concept of a welfare State can be fulfilled. I would request once again that the Government should come forward to introduce effective measures for the improvement of minorities.

सभापति महोदय : विशेष आग्रह पर दो-दो मिनटों के लिए माननीय 3 सदस्यों को एलाउ किया जा रहा है। शर्त्त एक ही है कि बहुत संक्षेप में बोलेंगे।

श्री अर्जुन राम मेघवालः धन्यवाद सभापति जी, बिल्कुल संक्षेप में, मैं सीधा प्वाइंट पर आता हूं। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। आज माइनॉरिटीज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरे कैसे, उस पर चर्चा हो रही है, मैं बताना चाहता हूं कि हाथ के हुनर में मुस्लिम समाज बहुत आगे हैं।

उनके पास स्किल है। वे हैंडीक्राफ्ट्स का काम जानते हैं, बुनाई का काम जानते हैं, जैम एंड ज्वैलरी का काम जानते हैं, ब्लू पॉटरी का काम जानते हैं, कारपेट का काम जानते हैं, आइरन एंड वुड इंडस्ट्री का काम जानते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के काम में या हाथ के हुनर के काम में मुस्लिम समाज काफी आगे है। वह प्रोडक्शन करना जानता है। उसकी दो समस्याएँ हैं। एक तो उसको समय पर पैसा नहीं मिलता और दूसरा उसकी मार्केटिंग नहीं होती। मेरा आपके माध्यम से सरकार को कहना है कि देश और विदेश में जितनी भी एक्ज़ीबीशन लगती हैं जहाँ उनका आइटम बिकता है, उसमें सरकार छूट क्यों नहीं देती है? जैसे विदेशों में आने जाने का पैसा सरकार दे दे, फ्री ऑफ कास्ट उनको जगह उपलब्ध करा दे तो मेरे ख्याल से उनके माल की बिक्री का बहुत अच्छा साधन उनको मिल सकता है, फॉरैन बायर उनका माल खरीद सकते हैं। जब माल की बिक्री होगी तो वह और लेबर लगाकर माल बनाएगा जिससे देश की भी तरक्की होगी और मुस्लिम समाज भी आर्थिक रूप से आगे बढ़ेगा। मेरा पहला सुझाव तो यह है।

दूसरी बात यह है मेरा अनुभव है कि बैंक बिना गारंटी के लोन नहीं देते। मुस्लिम समाज या जो भी माइनॉरिटी का समाज है, वह वीकर सैक्शन की श्रेणी में आता है। उसके पास गारंटी देने के लिए पट्टा भी नहीं होता। बैंक को-लेटरल सिक्यूरिटी मांगते हैं। को-लेटरल सिक्यूरिटी भी कितनी मांगते हैं - 150 परसेंट। अगर उसको 10 हज़ार रुपये का लोन लेना है तो उसको 15 हज़ार रुपये की को-लेटरल सिक्यूरिटी देनी पड़ेगी। को-लेटरल सिक्यूरिटी में भी वे कहते हैं कि खुद का पट्टा है तो हम नहीं मानते, किसी और का पट्टा लाइए और पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। इस कारण से उनको लोन नहीं मिलता है। अतः बैंक ऋण में गारंटी सरकार द्वारा उपलब्ध हो ।

महोदय, मुस्लिम समाज में भी सामूहिक विवाह होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अनुसूचित जाति और जनजाति में सामूहिक विवाह होते हैं जिसके लिए समाज कल्याण विभाग पैसा देता है। अदर कास्ट में विवाह होते हैं तो आईसीडीएस पैसा देता है। आईसीडीएस का पैसा तो मुस्लिम समाज को भी मिल गया लेकिन जो पैसा सोशल एम्पावरमैंट मिनिस्ट्री देती है, वह अल्पसंख्यक मंत्रालय में क्यों नहीं दे सकता? यह मानकर कि इन्होंने सामूहिक विवाह किया है, सौ शादियाँ की हैं, 200 शादियाँ की हैं या 50 शादियाँ की

हैं, यदि उनको कुछ राहत मिलेगी तो वे अच्छी तरह से दोबारा सामूहिक विवाह करेंगे जिससे उनका पैसा बचेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा ।

मदरसों में कंप्यूटर एजुकेशन और इंग्लिश एजुकेशन नहीं दी जाती। मैं कई मदरसों में जाता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि कंप्यूटर एजुकेशन दीजिए। वे कहते हैं कि हमारे पास पूरे कंप्यूटर ही नहीं हैं। किसी में एक कंप्यूटर दे दिया तो वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं दिया। आपने भैंस दे दी और बांधने के लिए कुछ नहीं दिया। आप कंप्यूटर आपरेटर तो दीजिए। किसी न किसी योजना से मंत्रालय दे दे। इससे मुस्लिम युवा सक्षम होंगे ।

एक बात आजीविका मिशन पर कहना चाहता हूँ। आजीविका मिशन जैसे मिशन सारे राज्यों में लागू होने चाहिए। कुछ-कुछ राज्यों ने शुरू किये हैं। अगर आजीविका मिशन शुरू हो जाएँगे और उसमें अगर मुसलमान स्किल्ड डैवलपमैंट में आ जाएगा और मार्केटिंग मिल जाएगी, बैंक से लोन मिल जाएगा तो मुसलमान पिछड़ा रह ही नहीं सकता क्योंकि उसको हाथ का हुनर आता है।

अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ। एमपीलैड में एससीएसटी के लिए आपने प्रावधान कर रखा है कि 15 प्रतिशत उनको दो। तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो 90 जिले आपने छांटे हैं उनमें, और बाकी जिलों में आप 10 प्रतिशत उनको एमपीलैड से क्यों नहीं दिलवाते ताकि हम तो उनको दे दें। अगर सरकार नहीं दे पाए तो हम तो उनको एमपीलैड से दे दें।

उर्दू के शिक्षकों की बात मैं कहना चाहता हूँ। उर्दू के शिक्षकों के पद नहीं हैं। मेरा लड़का उर्दू में एमए है, लेकिन वह नौकरी नहीं लगा। इसलिए नहीं लगा कि उर्दू में शिक्षकों के पद ही नहीं निकलते। मैं कोई मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन मेरे लड़के ने उर्दू में एमए किया है। मैं कहता हूँ कि उर्दू के शिक्षकों के पद भरे जाने चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री रामकिशुन (चन्दौली): सभापति महोदय, अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षणिक उत्थान की चर्चा में भाग लेने का मौका आपने मुझे दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

महोदय, बनारस में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी के लोग रहते हैं और उनमें से 90 प्रतिशत लोग बुनकरी का काम करते हैं। उनकी हालत आज खराब है। उन अल्पसंख्यक बाहुल्य गाँवों में, कस्बों में न तो स्कूल है, न अस्पताल है, न पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, लोता है, बेतारी है, सैयदराजा है, कमालपुर है, हमारे संसदीय क्षेत्र में मुगलसराय है, दुलहीपुर है, ऐसे 90 फीसदी आबादी के क्षेत्र हैं - जलीलपुर है, मिल्कीपुर है, इस प्रकार के क्षेत्रों के विकास के लिए, वहाँ उनके सामाजिक स्तर को उठाने के लिए उन बस्तियों में शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए स्कूलों की स्थापना करनी चाहिए। अल्पसंख्यक भाइयों के इलाज की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनमें कुपोषण बढ़ रहा है, गरीबी रेखा के नीचे वे लोग जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं, दलितों से भी ज्यादा उनकी हालत खराब है। उनके लिए अस्पताल आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि बनारसी साड़ी बनाने में इनका बड़ा योगदान है। उन्हें सस्ती दर पर बिजली देने की व्यवस्था होनी चाहिए। मुसलमान भाई ब्याज के रूप में कर्जा नहीं लेते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि बैंकों को निर्देश जाना चाहिए कि अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों को कर्ज लेने के लिए अगर सरकार विचार करे या तो इन्हें दिया गया पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जब पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो ब्याज रहित इन्हें लोन देने का काम किया जाए, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। मुस्लिम क्षेत्रों में जहां क्रबिस्तान की बाउंडरी...(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस्लाम में ब्याज निषेध है।

श्री रामकिशुन : मैं भी यही कह रहा हूं कि इस्लाम में ब्याज निषेध है। इसलिए मैं सरकार से कहता हूं कि बिना ब्याज के उन्हें पैसा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। मुस्लिम क्षेत्रों में क्रबिस्तानों की बाउंडरी का कहीं न कहीं अतिक्रमण होता है। सरकार कानून बनाए, सर्वे कराए तथा अतिक्रमण रोकने का काम करे। मदरसे बनाए जाएं। उन क्षेत्रों में जहां इनकी आबादी ज्यादा है, तो इनसे संबंधित कारोबार जैसे बुनकरी का कारोबार, कारीगरी का कारोबार आदि व्यवसायों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएं।

मैं पुनः आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि बनारस, चंदौली जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास के लिए सरकार विशेष पैकेज दे और इनका विकास करने का काम करे।

सभापति महोदय : आसन को धन्यवाद नहीं दिया जाता है।

डॉ. बलीराम (लालगंज): महोदय, आज एक समाज के बारे में चर्चा हो रही है जो आजादी के बाद से इस देश में भय और आतंक के बीच जी रहा है। आजादी के बाद उसके साथ बड़े पैमाने पर नाइंसाफी हुई। यदि आजादी से पहले देखें तो इस देश की सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत मुस्लिम समाज के लोग थे। लेकिन आजादी के बाद आज इनकी संख्या 35 से घटकर एक प्रतिशत हो गई है। इसी तरह से जहां तक साहित्य और भाषा का सवाल है, मुझे याद है कि कोर्ट कचहरी में फैसले, पुलिस थानों में काम ऊर्दू भाषा में होता था। किसी कवि ने कहा है कि अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। यदि इनकी भाषा और साहित्य नहीं रहेगा तो यह समाज कैसे तरक्की करेगा? आज इसे शक की निगाह से देखा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हम इन्हें शक की निगाह से क्यों देखते हैं? मैं अपने क्षेत्र का जिक्र करना चाहता हूं। हमारे आजमगढ़ में 90 प्रतिशत मुसलमान खाड़ी के देशों में रहता है और वहां से धन इस देश में लाता है। वह बेहतर है या जो यहां का धन विदेशों में रखता है, वह बेहतर है? किसको शक की नजर से देखा जाना चाहिए? आजादी के बाद से इनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति बहुत दयनीय है। सच्चर कमेटी और रंगनाथ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह दिया है। इधर के लोगों से तो इनको कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इधर जो हमारे साथी बैठे हैं, जब से इस देश में पार्लियामेंटरी सिस्टम लागू हुआ है, वर्ष 1952 से जब इधर की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती थी, तब दलित और मुस्लिम बड़े पैमाने पर इनका साथ देता था, तब इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती थी। अगर सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई है तो इन्हीं के शासन काल में हुई है। अगर साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं, मुसलमान मारा गया है तो इनके शासन में मारा गया है। दलितों के साथ सामूहिक रूप से नरसंहार हुआ है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि उस सच्चर और मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को ये लागू करेंगे या नहीं करेंगे? आज बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में, चाहे उर्दू टीचर का सवाल हो, इनके लिए अन्य सुविधाएं या सरकारी नौकरियों में इन्हें अवसर देने का उन्होंने जो काम किया है, मैं चाहता हूं कि यह जो यूपीए की सरकार है, यह गंभीर मसला है, इसलिए मुस्लिम समाज का जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है, उसे दूर करने के लिए अपनी नीति स्पष्ट करें और उन्हें सुविधाएं मुहैया कराएं।

सभापति महोदय : इस पर वाद-विवाद समाप्त हुआ, सरकार का उत्तर कल होगा।

18.56 hrs.

(ii) Situation arising out of widespread discontentment among the working class due to faulty Government policies

सभापति महोदय : आइटम नम्बर 28 - श्री गुरुदास दासगुप्त।

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Sir, at long last I am being permitted to raise the discussion on the growing discontent among the working people of the country due to the wrong, faulty economic policies that are being pursued.

सभापति महोदय: कल आपका भाषण जारी रहेगा।

आइटम नम्बर 29 - आधे घंटे की बहस।

18.57 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Piority sector lending to SCs/STs

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। मैंने जिस महत्वपूर्ण विषय और बहुत ही गंभीर मसले पर चर्चा की इच्छा रखी थी, माननीय अध्यक्ष महोदया ने उसे स्वीकार किया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूं। निश्चित ही पूरे देश के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति और कमजोर वर्गों को एक नयी आस की जो दिशा जगमगाई है, मैं सचमुच में दिल से उसका धन्यवाद करती हूं। आज यदि पूरे देश के इन गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्ग के प्रतिशत को देखा जाए तो ये बहुत ही थोड़े हैं। अगर हम इन्हें गिनेंगे तो इन्हें हमें आंकड़ों में ही गिनने की आवश्यकता होगी, ये मारा मानना है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहती हूं कि आज हमारे देश में ये लोग जिस दयनीय हालत में जिन्दा हैं, ये बहुत ही कम हैं। यदि अनुसूचित जनजाति को देखें तो आज भी आठ प्रतिशत 8.08 पर आकर थम गए हैं। यदि दलितों को देखा जाए तो उनकी भी जनसंख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ये भी सिमट चुके हैं। आज उनकी भी जनसंख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। आज भी 16 प्रतिशत की संख्या में आकर, पूरे देश में इनकी जनसंख्या इस रूप में सिमट चुकी है। आखिर क्या कारण है? हम इतना पैसा उनके लिए भेजते हैं, इतना पैसा उनकी तरक्की और विकास के लिए लगाते हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आज भी उनकी जनसंख्या से लेकर उनके विकास और तरक्की को देखें तो मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने तरक्की की होगी या उनका विकास हुआ होगा, यह मेरा मानना मेरे लिए और उनके लिए एक अन्याय होगा। उन्हें यदि न्याय देने की बात कहें तो मेरा दिल नहीं मानता है कि मैं उन्हें उस रूप से देखूं। उन्होंने किसी कार्यक्रम में अपनी इसी जिज्ञासा को व्यक्त किया था कि यदि यह कमजोर वर्ग उच्च शिक्षा तक आता है तो धीरे-धीरे इनकी जनसंख्या कम हो जाती है।

19.00 hrs.

सभापति महोदय, उनका मानना है कि इन वर्गों को उच्च शिक्षा में बहुत कम अवसर दिए गए हैं। हमें अपने आपको वहां लाकर सोचना है कि यदि हमें इन वर्गों के बच्चों के भविष्य को बनाना है, तो हमें उस क्षेत्र में जाकर सोचना पड़ेगा। आखिर यह बात क्यों आई? भविष्य को बनाने के लिए तो हमेशा सूझ-बूझ की आवश्यकता होती है, लेकिन निश्चित तौर पर जो उन्हें मिलना चाहिए, वह आज भी नहीं मिला है।

इसी चीज को उन्होंने बताया है। यह वर्ग उच्च शिक्षा में आते-आते निश्चितरूप से किसी और मार से तो नहीं मरता, बल्कि यदि मरता है, तो केवल आर्थिक मार से मरता है। उसके विकास में, उसकी आर्थिक दरिद्रता बहुत बड़ी बाधक सिद्ध होती है।

महोदय, इसीलिए सरकार ने उन्हें ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराई है। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देती हूं, क्योंकि सरकार ने उस वर्ग की चिन्ता तो की, लेकिन क्या कारण है कि वह उस ऋण की सुविधा लेने में सक्षम नहीं हो पाता है। 11 प्रतिशत पर यदि हम शिक्षा ऋण उपलब्ध कराते हैं, तो यह कमजोर वर्ग 10.50 प्रतिशत की दर पर ऋण लेकर कैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा? जब हम आगे चल कर देखते हैं, तो ऐसे ही आंकड़े हमें मिलते हैं, जिनके कारण वह उच्च शिक्षा लेने में समर्थ नहीं हो पाता है। उसकी शिक्षा, उच्च शिक्षा तक आते-आते नगण्य हो जाती है। वह लुप्त हो जाती है, लेकिन हमें उसे विलुप्त नहीं करना है। यदि हम उसे विलुप्त करते हैं, तो निश्चित रूप से आज की जनसंख्या जो 8 प्रतिशत से लेकर 16 प्रतिशत तक आई है, वह आगे और नहीं बढ़ पाएगी। जब हम उसके विकास की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, तो यह निश्चित रूप से हमारे देश के सामने एक प्रश्नचिह्न लगाता है।

सभापति महोदय, यही बात संसदीय समिति की रिपोर्ट में दर्ज हुई थी कि आदिवासियों को जो शिक्षा मिल रही है, वह आज भी सवालों के घेरे में खड़ी है। जो संसदीय समिति की रिपोर्ट है, उसके तथ्य मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं कि आज भी आदिवासी और दलित छात्रों को जो शिक्षा मुहैया करा रहे हैं, वर सरकारी योजना आज तक विफल रही है। यदि हम बजट की ओर दृष्टि डालें, तो आपको पता लगेगा कि बजट में इस योजना हेतु धन की निरन्तर कमी होती गई है। यह भी हमारे लिए एक प्रश्नचिह्न है। यह चीज हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा करती है कि आखिर उन्हें जो शिक्षा हमें मुहैया करानी चाहिए, वह हम नहीं करा पा रहे हैं, जबकि वह अन्य लोगों की बराबरी में खड़े होने के लिए तत्पर है, लेकिन हम उसे उच्च शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है और केवल इन्हीं वर्गों के साथ ऐसा क्यो हो रहा है?

महोदय, आज अशिक्षा के ऊपर जब बात आई, तो पूरा सदन चिन्तित हो रहा था। मुझे खुशी हुई कि सरकार शायद इसमें कुछ परिवर्तन करेगी। यदि हम इन वर्गों के लिए उच्च शिक्षा हेतु रखे गए बजट को वर्ष 2007 से देखें, तो हमें पता लगता है कि तीन साल तक आते-आते यह बजट केवल 10 से 20 प्रतिशत तक ही खर्च हुआ है। इतना कम खर्च करना, खर्च नहीं करने के समान ही है। यदि हम बजट का आकलन करते हैं, तो पाते हैं कि केवल 10 से 20 प्रतिशत तक ही उनके ऊपर व्यय हुआ है, तो यह कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं है। जब हम वर्ष 2010 और 2011 में आते हैं, तो बजट आबंटन जो 10 करोड़ था, उसे 4 करोड़ रुपए कर दिया जाता है। ऐसा क्यों, क्या यही वर्ग बचा है, जिसकी राशि को हम हर वर्ष घटाते जाएं

और इस राशि को हम कहीं और लगाएं? उनके विकास में उस राशि को लगाने पर हम प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उनकी राशि को घटा कर किसी और कार्य में उपयोग करना, उनके साथ सरासर अन्याय होगा।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य महोदया, यदि आप मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं, तो वह पूछ लीजिए, क्योंकि यह आधे घंटे की चर्चा है। आपके बाद कुछ और माननीय सदस्य भी इस पर बोलना चाहेंगे और उसके बाद मंत्री महोदय को जवाब भी देना है। यह सब केवल आधे घंटे में ही होना है।

श्रीमती ज्योति धुर्वे : सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मुझे इसे स्पष्ट करने हेतु थोड़ा और समय दे दीजिए।

महोदय, मेरा यही पूछना है- क्या कारण है कि हम इन वर्गों को क्या शिक्षा में आगे नहीं लाना चाहते हैं? आज जब हम विदेश में पढ़ने की बात करते हैं, तो हम इसे सपने के रूप में ही देखते हैं। आज यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई विद्यार्थी विदेश में पढ़ने की बात करे, तो हम इसे सपने के रूप में ही देखते हैं। इस बारे में सरकार ने चिन्ता जरूर की है, लेकिन यदि हम वर्ष 1994 से लेकर 2005 तक इन वर्गों को दी गई छात्रवृत्ति को देखें, तो पता लगेगा कि पूरे देश में छांट कर केवल 101 बच्चों को ही छात्रवृत्तियां दी गई हैं और उनमें केवल तीन महिलाएं हैं। महिलाओं के साथ कितना बड़ा अन्याय होता है कि उन महिलाओं को केवल यह कह दिया जाता है कि उस क्षेत्र के लिए उनके पास पर्याप्त अनुभव नहीं है। ऐसा क्यों है? महिलाएं तो वैसे भी हर कार्य करने में सक्षम होती हैं। उस समय जब वे वहां तक आती हैं, क्या उस समय उनके पास अनुभव की कमी होती है? यह मानना गलत होगा, यह उनके साथ, उनकी कुशलता के साथ में अन्याय होगा। मेरा मानना है कि जब कुछ गिनती के लोग आते हैं तो उन्हें वह अवसर जरूर प्रदान करना चाहिए। आज बच्चे एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें कोई ऐसी एयरलाइंस नहीं है, जहां उन्हें रोजगार उपलब्ध हो जाये। कहीं न कहीं फिजीकल फैकल्टी में उन्हें फेल कर दिया जाता है, वहां कहीं उन्हें सुन्दरता के लिए लिया जाता है, कहीं उनमें कोई भी खोट, कोई भी कमी नहीं होती है। यदि इस वर्ग को हम उस रूप में देखें तो उन्हें न्याय मिलना आसान नहीं है, सम्भव भी नहीं है। क्या एयर होस्टेस के लिए यह वर्ग कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है। क्या वह कार्य नहीं कर सकता है, क्या वे बच्चियां एयर होस्टेस नहीं बन सकती हैं? केवल वे सुन्दर नहीं हैं, केवल उनमें वे सारी चीजें नहीं हैं, इसलिए उनके साथ यह होना गलत है।

मेरा मानना है कि सरकार यदि उनके लिए योजनाओं को लाती है तो रोजगारोन्मुख होते हुए भी रोजगार के लिए फ्लेटफार्म भी उन्हें देना चाहिए और जहां उनके प्रतिशत में, संख्या में कमी आती है तो उस पर ध्यान देना भी अति आवश्यक है। मेरा मानना है कि हमारे जो बच्चे शिक्षा लेकर आये हैं, वे बच्चे भी

रह जाते हैं, जो उच्च-शिक्षा तो ग्रहण नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सैकिंड डिवीजन से पास होकर, थर्ड डिवीजन से पास होकर अपना एक छोटा सा उद्योग लगाना चाहते हैं। आज भी यह वर्ग, 80 प्रतिशत का वर्ग गांवों में रहता है, यह गरीब होता है, इनके पास में कोई प्रोपर्टी को मोर्टगेज करने की क्षमता नहीं होती है। उन्हें बैंक बिना गारण्टी के ऋण नहीं देता है। इनको लोन में...(व्यवधान)

मैं अपनी बात खत्म कर देती हूं। मेरा मानना है कि क्या उन बच्चों को वे अवसर नहीं मिलने चाहिए? उन बच्चों को भी अवसर मिलने चाहिए, यदि वे वहां पर नहीं हैं तो उन्हें वहां पर उद्योग चलाने के लिए जो उनके पट्टे होते हैं, जहां उनकी गारण्टी होती है, क्यों न सरकार उस गारण्टी को या तो खत्म करे या उन्हें उस गारण्टी की जगह सरकार स्वयं गारण्टी ले, ताकि ये जो बच्चे उच्च-शिक्षा तक नहीं आते हैं और उद्योग लगाने की यदि उनकी जिज्ञासा है तो उनकी जिज्ञासा को सरकार बढ़ाये और सरकार इस क्षेत्र में काम करे।

अन्त में दो लाइन बोलकर मैं अपनी बात खत्म करूंगी। आखिर में हम यही सोचते हैं कि आज हमारे इस वर्ग को सरकार के संरक्षण की आवश्यकता है। आज उन्हें जो लाभ मिलने की उनकी आशा है, उसमें भ्रष्टाचार को खत्म करने की आवश्यकता है। आज इसके साथ ही हमारी अनुसूचित जनजाति और दलित वर्ग को जो आबंटन में कटौती हो रही है, उसे बढ़ाया जाये, ताकि उनकी तरक्की हो सके, उन्हें विकास के अवसर मिल सकें, उस अवसर को निश्चित ही सरकार आगे बढ़ाये और इन लोगों को और इनके जीवन को और ऊपर लाये।

आपने इतने गम्भीर विषय पर मुझे इतना समय दिया, आपका धन्यवाद। जयहिन्द-जय भारत।

सभापति महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार-केवल प्रश्न पूछिये।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, थोड़ी सी भूमिका बनाएंगे, तभी तो प्रश्न पूछेंगे।

सभापति महोदय : नहीं, भूमिका की जरूरत नहीं है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, आप गणित के विद्यार्थी थे, आपने पीएच.डी. की है, डायरैक्ट सवाल कैसे हो सकता है, कुछ भूमिका बनाएंगे, तभी तो सवाल करेंगे न।

आपने मुझे हाफ एन ऑवर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया...(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसी में भूमिका कर लीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : श्रीमती ज्योति धुर्वे जी का मैं आभारी हूं, जिन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को प्राथमिकता और क्षेत्र में ऋण देने की जो बात कही है, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए आगे कहना चाहूंगा कि यह बात सत्य है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आपके बिहार, उत्तर प्रदेश,

मध्य प्रदेश, उड़ीसा, जो बहुत गरीब प्रान्त हैं, वे अभी अपने विकास में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन लोगों ने भारत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो केन्द्रीय परियोजनाएं हैं ....

सभापति महोदय : सभी प्रांतों में अनुसूचित जाति का यही हाल है। जो विकसित है, उसमें और बुरा हाल है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, मैं वही कह रहा हूं, मैंने प्रांतों का नाम ले लिया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को बीपीएल से जोड़ दिया गया है। केंद्र की जो परियोजनाएं हैं, उसको बीपीएल से जोड़ने के बाद आज भी हमारे यहां सही मायने में अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना नहीं हो पायी है। बीपीएल की जो सूची गयी है, वह भी बहुत गड़बड़ है। डायरेक्ट उनको वह सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। खासकर मैं कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जो आरक्षण की व्यवस्था है, विभिन्न विभागों में आप देख लीजिए, चाहे वह केंद्र के हों या राज्य के जितने भी विभाग हैं, उनमें देख लीजिए, आज भी आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हो पाया है और न ही उनकी प्रोन्नति के ऊपर कोई विशेष ध्यान दिया गया है। आज उनकी स्थिति बहुत खराब है, इसलिए मैं चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर में भी उनको आरक्षण देने की व्यवस्था करें। मैं चाहूंगा कि इन तमाम मुद्दों पर जो मैंने बात रखी है, उस पर मंत्री जी बड़े विस्तार से उत्तर देंगे कि आप अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्या कर रहे हैं, किसी भी ऋण के लिए, खासकर शिक्षा के ऋण के लिए क्या कर रहे हैं? पहली बात तो उसका प्रवेश नहीं हो पाता है और किसी भी शिक्षा ऋण के लिए जब वह आवेदन करता है, तो उसे मालूम नहीं हो पाता और बैंकों में इतनी फार्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं कि फार्मेलिटीज पूरी करते-करते तिथि समाप्त हो जाती है और उसे ऋण नहीं मिल पाता है। इसलिए उनके बच्चे भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कमजोर हैं। इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देते हुए आप अपनी बात कहेंगे और मैं आपसे इनको पूछना चाहूंगा, धन्यवाद।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज जो विषय है प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग फार एससी, एसटी बाई बैंक्स, इस विषय पर ही मैं बात करता हूं। मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि एक डीआरआई स्कीम चल रही है, जिसमें चार परसेंट रेट आफ इंट्रेस्ट पर ऋण देते हैं। उसी में इन्होंने बताया कि 40 per cent of the total DRI advances are to be given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes borrowers. मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या डीआरआई स्कीम का टारगेट पूरा हुआ? अगर नहीं

हुआ तो किन-किन बैंक्स ने नहीं किया और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुयी? जो आपने चालीस परसेंट देने का लक्ष्य अनुसूचित जाति और जनजाति को देने का रखा है, क्या वह लक्ष्य पूरा हुआ?

दूसरा, अभी ज्योति जी पट्टे की बात कह रही थीं। बैंक अनुसूचित जाति और जनजाति को बिना गारंटी लोन नहीं देते हैं। उनसे पट्टा मांगते हैं। उनके पास ग्राम पंचायत का पट्टा होता है, जिसकी वैल्यू ही कुछ नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जाति, जनजाति का भोला आदमी मुख्य धारा से थोड़ा अलग होता है, किनारे पर रहता है। ...(व्यवधान) अनुसूचित जनजाति के पास तो पट्टा होता ही नहीं है। बिना गारंटी का लोन उन्हें उपलब्ध कराने का क्या सरकार का कोई विचार है?

तीसरा, एससी और एसटी के लोगों के लिए स्कॉलरशिप और स्कूलों में जाने की बात होती है, लेकिन आजकल कोचिंग के बिना कुछ नहीं होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को अध्ययन करने का लोन फ्री आफ इंटेरेस्ट या डीआरआई की तरह चार परसेंट पर दिया जाएगा या कोचिंग के लिए कोई धनराशि अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए अलग से रखी जाएगी? यह बहुत जरूरी है।

चौथा, बैंक ने एक टाइम शेड्यूल तय कर रखा है कि 15 दिन में हम एप्लीकेशन को डिस्पोज आफ करेंगे, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा तीन महीने में कर देंगे। क्या बैंक इस टाइम शेड्यूल पर एढेयर है? मेरे हिसाब से 6-6 महीने तक एप्लीकेशन पर हाथ नहीं लगाया जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को सलाह देना चाहता हूं कि बैंकों में लिख दीजिए कि सेंट्रल स्पांसर्ड स्कीम में अनुसूचित जाति और जनजाति का आदमी 4 बजे आएगा, तो उससे बात होगी। वहां क्या होता है? वह 11 बजे जाता है। उसे धक्का दे दिया जाता है कि बाद में आना, अभी हमारे पास दूसरा काम है। वह ढाई बजे जाता है, तो उसे धक्का दे दिया जाता है, फिर वह थक जाता है। इसलिए उसके आने का एक टाइम बैंक में फिक्स कर दिया जाए, जिससे वह उस टाइम पर बैंक में आएगा और उसे सम्मान भी मिलेगा तथा लोन भी मिलेगा।

*SHRIMATI PARAMJIT KAUR GULSHAN (FARIDKOT) : Thank you, Chairman Sir. I also want to thank the Hon. Madam Speaker for giving us the opportunity to raise this matter in the form of a Half-an-Hour discussion in the House.

Sir, on 11th March, 2011 I had asked the Hon. Minister of Finance through Starred Question No.222 about the amount of loan disbursed to the weaker sections of society by private and Government sector banks under priority sector lending scheme in the last three years. I had also asked about the rate of interest at which these loans were given. I am sorry to say that the hon. Minister talked about outstanding loan amount instead of the disbursed amount of loan in his reply. The hon. Minister has tried to mislead the House by giving figures that pertain to the outstanding loan amount. He has conveniently ignored my pointed question.

Chairman Sir, I am not an expert in English language. I sought the help of a dictionary to know the meaning of "Outstanding' amount. As per the dictionary, meaning of 'Outstanding' is : "Remaining in existence for debt; not yet paid for security in the hands of investors". Chairman Sir, the loan was never given. It never reached the poor and the underprivileged. In such a scenario, how can that loan amount be termed as 'Outstanding'?

Sir, there is paucity of time, hence I'd be brief. Let the hon. Minister tell this august House about the reality of the figures given by him under the heading 'Outstanding'. I am afraid, these figures seem to pertain to a bygone era, prior to 1947, when the British ruled this country. Who are the beneficiaries under this scheme? How much amount has been disbursed under this heading in Punjab? What was the rate of interest?

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi

Sir, the Government makes tall claims that Rs.10 lakhs are given to the SCs and STs without any collateral security for starting their own business. Chairman Sir, I read an article in the Tribune dated 8th March, 2011. I quote : “A sample survey has been conducted that these guidelines regarding collateral-free loans to weaker sections were not being implemented by most banks.” It further says: “Most people were not aware of these guidelines.”

Sir, the deprived segment of society is not aware of these schemes. The Government has done nothing to let people know that such a scheme exists.

Sir, I want to know from the hon. Minister the details of the collateral-free loan amount disbursed to the weaker sections in Punjab. What was the rate of interest? How much loan was waived off under this scheme? Sir, Coporate Houses also get loans from these banks. However, if their business fails to take off, the loan amount is waived. Later on, they become eligible to take further loan.

However, the same yardstick is not applied when it comes to granting loans to the poor people. The loan amount hardly reaches the intended beneficiary. Even if their venture fails, the loan amount is not waived off.

Hence, I request the hon. Minister to kindly give details regarding the amount of loan disbursed to these marginalized sections in Punjab under this scheme. Was it free of collateral security? If so, whether any loan amount of the hapless poor was waived off? Let the hon. Minister also give figures of the amount of loan of Corporate Houses that was waived off.

उपाध्यक्ष महोदयः अब आपकी बात रिकार्ड में नही जाएगी।

...(व्यवधान) *

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े हैं।

...(व्यवधान)

* Not recorded

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): सभापति जी, चार माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। साथ ही कई और माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं। उनके प्रश्नों का जवाब मैं बाद में दूंगा। माननीय सदस्यों ने एससी, एसटीज़ के आर्थिक विकास, विभिन्न योजनाओं में उन्हें दी जा रही राशि का सही उपयोग नहीं होना, खासकर बैंकों द्वारा उन्हें ऋण की सुविधाएं पूरी और समय पर उपलब्ध कराने संबंधी बहुत सारे विचार रखे। मैंने उन्हें नोट किया है। मैं उनकी भावनाओं और सजैशन्स को अपनी तरफ से एप्रिशिएट करता हूं।

सबसे पहले कई माननीय सदस्यों ने एजुकेशन लोन के बारे में बात की।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : जिन सदस्यों ने प्रश्न पूछे हैं, उनके नाम बता दीजिए।

श्री नमोनारायन मीणा : शैलेन्द्र कुमार जी, ध्रुवे जी, मेघवाल जी और श्रीमती गुलशन ने एजुकेशन लोन के बारे में प्रश्न पूछा। मैं आपको दो-तीन आंकड़े बता रहा हूं कि हमारी सरकार क्या कर रही है। मैं यह नहीं कहता कि सरकार ने अब तक जो किया है, हम उससे संतुष्ट हैं। हमें अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन इस ओर हमारी सरकार अग्रसर है। मैं आपको एजुकेशन लोन के बारे में बताता हूं। वर्ष 2003 और 2004 में एससी, एसटीज़ के छात्रों को 273 करोड़ रुपये का लोन उपलब्ध कराया गया जबकि वर्ष 2009-10 में 2,252 करोड़ रुपये का लोन उपलब्ध कराया गया।...(व्यवधान) ज्योति जी ने बताया कि 11 प्रतिशत दिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें हम देखते हैं कि कितने बैनिफिशियरीज़ को मिला। पूरे देश में अब तक 36 हजार करोड़ रुपये एजुकेशन लोन मिला है। उसमें एससी, एसटीज़ के बच्चों को वर्ष 2008 में 15.86, 2009 में 17.3 और 2010 में 17.69 बच्चों को टोटल लोन में हिस्सा मिला। मैं यह नहीं कहता कि यह संतोषजनक है। अगर सबको देखें तो कहा जा सकता है, लेकिन हम फिर भी इससे संतुष्ट नहीं हैं, और ज्यादा मिलना चाहिए।...(व्यवधान) मैं आपको रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सप्लाइड आंकड़े बता रहा हूं, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए। जो भी आंकड़े हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है और वही हिसाब-किताब रखता है।

हाल में आपने देखा होगा कि ज्योति जी ने शिक्षा के बारे में बहुत कहा। पहले एससी, एसटीज़ के लिए प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं थी। इसी बजट में 40 लाख बच्चे और बच्चियों को प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप सरकार ने दी। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पहले से मिल रही है। पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप मिल रही है, एम.फिल की कोचिंग के लिए मिल रही है। उसे अलग-अलग डिपार्टमैंट देता है। ट्राइबल डिपार्टमैंट दे रहा है, सोशल जस्टिस डिपार्टमैंट दे रहा है। जहां शिक्षा की बात कर रहे हैं, राइट टू एजुकेशन आ गया। सब बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने का प्रबंध हमारी सरकार ने किया।

आपने कोलेट्रल सिक्युरिटीज़ के बारे में कहा।

सभी मैम्बर्स ने एजुकेशन लोन के बारे में कहा। इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए भी कहा। इसके साथ और कई चीजें भी कहीं। मैं एक साथ बता देता हूं कि कहां-कहां कोलेट्रल सिक्योरिटी की कोई आवश्यकता नहीं है। Loans under following categories/schemes under Priority Sector Lending do not require collateral/guarantee. No margin/security is required for small borrowers for agricultural loans upto Rs. 50,000 and in case of agri-business and agri-clinics for loans upto Rs. 5 lakhs. There is no security or collateral guarantee… (*Interruptions*) आप सुन लीजिए। हम उसे बाद में बतायेंगे। …(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति जी, यह मानक ही नहीं है। …(व्यवधान)

श्री नमोनारायन मीणा : आप पहले सुन लीजिए। …(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सब पहले माननीय मंत्री जी का रिप्लाई सुन लीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Banks are mandated not to accept collateral security in the case of loans upto Rs. 10 lakhs extended to units in Micro and Small Enterprises Sector. For Prime Minister Employment Generation Programme loans, banks are required to extend collateral-free loans upto Rs. 10 lakhs to all units under the programme. Under Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana (SJSRY), loans do not require any collateral guarantee. Only assets created under the programme would be hypothecated/mortgaged/pledged to the bank advancing the loans. Under Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY) for individual loans upto Rs. 50,000 and group … (*Interruptions*) आप पहले सुनिए। …(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : यह हमें पता है। …(व्यवधान)

श्री नमोनारायन मीणा: आप लोगों को कुछ पता नहीं है। …(व्यवधान) Loans upto Rs. 5 lakhs, the assets created out of bank loan to be hypothecated to the bank as primary security. … (*Interruptions*)

सभापति महोदय : किसी भी माननीय सदस्य की कोई बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...(व्यवधान) *

सभापति महोदय : आप सब अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

... (व्यवधान)

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Under educational loans scheme, for loans upto Rs. 4 lakhs, no security is required. However, co-obligation of parents has been prescribed under the scheme. No collateral security is required under Differential Rate of Interest scheme. … (*Interruptions*) I am not yielding. I will answer all your questions.

सभापति महोदय : कृपया करके आप सब अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री नमोनारायन मीणा : वर्ष 2003 में आप लोगों ने क्या किया था? ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया करके आप सब अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री नमोनारायन मीणा: आप सब बैठ जाइये। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : जिन माननीय सदस्यों को एतराज करने पर भी उत्तर नहीं मिलता, अगर उनके पास कोई स्पेसीफिक शिकायत है, तो वे उसे माननीय मंत्री जी को दे सकते हैं। आप सब कृपया करके अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सब पहले माननीय मंत्री जी का रिप्लाई सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री नमोनारायन मीणा : आप पहले रिप्लाई तो सुन लीजिए। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अगर माननीय सदस्यों को कोई स्पेसीफिक शिकायत है, कोई स्पेसीफिक जानकारी है, तो उसे आप माननीय मंत्री जी को बता सकते हैं।

...(व्यवधान)

* Not recorded

श्री नमोनारायन मीणा : यहां हल्ला मचाने से काम नहीं चलेगा। आपने अपने जमाने में कुछ नहीं किया। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी, आपको कुछ बोलना है, तो उसे आप आसन को सम्बोधन करके बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री नमोनारायन मीणा : आप सब बैठ जाइये। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी के अलावा कोई भी वक्तव्य कार्यवाही में नहीं जायेगा। आप सब कृपया करके अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान) *

श्री नमोनारायन मीणा : मेघवाल जी ने एक बात बतायी थी कि डीआरआई में एससी और एसटी को 40 परसेंट स्थान दिया जाना चाहिए।

महोदय, मैं मेघवाल जी को बताना चाहता हूं...(व्यवधान) वर्ष 2008 में

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी के अलावा कोई भी वक्तव्य कार्यवाही में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) *

सभापति महोदय : आप लोग कृपया अपना आसन ग्रहण कीजिए।

श्री नमोनारायन मीणा: महोदय, मेघवाल जी ने कहा है कि डीआरआई स्कीम में एससी-एसटी के लिए 40 प्रतिशत का टारगेट है, उनको 40 प्रतिशत दिया जाना चाहिए। मैं उनको बताना चाहता हूं कि 40 प्रतिशत का टारगेट है, वर्ष 2008 में 42 प्रतिशत एचीव किया गया, वर्ष 2009 में 41 प्रतिशत एचीव किया गया और वर्ष 2010 में 48 प्रतिशत डीआरआई लोन्स एससी-एसटी लोगों को दिए गए।...(व्यवधान) एग्रीकल्चर लोन के बारे में बोल रहे हैं, शिकायतों के बारे में बोल रहे हैं।...(व्यवधान) जवाब देने दीजिए। वर्ष 2003-04 में 8105 करोड़ रुपये दिए गए और वर्ष 2009-10 में 25274 करोड़ रुपये दिए गए। इतना ज्यादा हमारे लोगों को दिया गया।...(व्यवधान) पंजाब की माननीय सदस्या ने एसएमईज की बात कही, एसएमई में वर्ष 2003-04 में 2001 करोड़ रुपये दिए गए थे एससी-एसटी को, जबकि वर्ष 2009-10 में 16247 करोड़ रुपये दिए गए। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री जी, आप आसन को संबोधित करते हुए बात कहिए।

---

* Not recorded

श्री नमोनारायन मीणा: महोदय, आपने शिकायतों के बारे में बोला है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, बैठे-बैठे टोका-टाकी न करें।

...(व्यवधान)

श्री नमोनारायन मीणा: महोदय, शिकायतों के बारे में आप लोगों ने कहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुलाई, 2010 में एक मास्टर सर्कुलर निकाला और उसमें यह कहा गया कि एससी-एसटी को हमारे एनुअल प्लान में प्राथमिकता दी जाए। ...(व्यवधान) आपकी स्टेट लेवल की जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसको चीफ मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं।...(व्यवधान) एससी-एसटी कमीशन के लोग उसमें जाते हैं।...(व्यवधान) एससी-एसटी फाइनेंस कारपोरेशन के लोग जाते हैं।...(व्यवधान) जिला लेवल कमेटियों में सभी माननीय सदस्य मेंबर होते हैं। ...(व्यवधान) सारे माननीय सदस्य, आप सभी लोग जिला लेवल कमेटियों में सदस्य हैं।...(व्यवधान) इन मुद्दों को वहां जाकर उठाइए, आप लोग स्वयं जिला लेवल कमेटी में सदस्य हैं।...(व्यवधान) सरकार आपसे सहयोग चाहती है। मैं आपसे सहयोग चाहता हूं।...(व्यवधान) अगर कहीं भी आपको इस तरह की कोई गड़बड़ी नजर आती है, तो आप उसको चेक कीजिए, अगर चेक नहीं होता है, तो हमें बताइए। ...(व्यवधान) हम उसको देखेंगे। हर बैंक में एससी-एसटी लोगों के लोन को देखने के लिए एक सेल बना रखा है।...(व्यवधान)आपके एससी-एसटी कमीशन के लोग वहां जाते हैं।...(व्यवधान)

असली मुद्दा मैं मानता हूं यह है कि एससी-एसटी के लोग आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं। हमारी सरकार ने फाइनेंशियल इनक्लूजन को प्राथमिकता पर लिया है।...(व्यवधान) हमारी सरकार चाह रही है, रिजर्व बैंक चाह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा बैंक खोले जाएं। एससी और एसटी लोग, गरीब और मजदूर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए उनको बैंकों से जोड़ा जाए।...(व्यवधान) आज देश में 60 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनकी कनेक्टिविटी बैंकों से नहीं है। हमारी सरकार चाहती है कि इस देश में एक भी परिवार ऐसा न रहे जो बैंकों से जुड़ा न हो।...(व्यवधान) इसके लिए स्वाभिमान अभियान भारत सरकार ने चलाया है, जिसका उद्‌घाटन माननीय सोनिया जी ने 10 फरवरी को किया था।...(व्यवधान) देश में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खोले जा रहे हैं।...(व्यवधान)

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि 73,000 गांवों में बिजनेस कोरेसपोंडेंस लगाए जा रहे हैं, आगे इनका और विस्तार किया जाएगा। एससी और एसटी के लोगों को आर्थिक सशक्तिकरण देने के लिए बैंकों से जोड़ा जाएगा, ताकि बैंक उनकी जो मुश्किलें हैं, जो जरूरतें हैं, वे उनमें योगदान दे सकें और लोन दे सकें। हमारी सरकार चाहती है कि एससी, एसटी के लोगों को और ज्यादा सुविधाएं और लोन मिले, इसमें हम आपका सहयोग चाहते हैं।

ाभापति महोदय : शून्य काल में केवल सदानंद गौडा जी की ही बात रिकार्ड में जाएगी।

...(व्यवधान) *

SHRI D.V. SADANANDA GOWDA (UDUPI-CHIKMAGALUR): Mr. Chairman, Sir thank you very much for giving me this opportunity. It is a very important matter. Since last two years, the coastal people of Karnataka could not come to Bangalore *via* road. National Highway No. 48 is the only road connectivity for the coastal districts of Karnataka with the State Capital of Bangalore of the State. But it is quite unfortunate that in the last two years, no vehicle could ply through the National Highway to reach Bangalore as one stretch running in the ghat section is in such a bad condition which is not at all motorable.

The Shiradi ghat section in Karnataka State lies on National Highway No. 48 between kilometers 210 to 270 and the stretch from Sakleshpura to Gundya from 237 to 263 is exposed to extraordinary conditions like topography of steep gradient, thick forest, multiple curves, adverse working conditions, scarcity of material, labour with an average rainfall of 6,000 to 7,000 mm per year. The traffic intensity on this stretch is more than 23,000 PCU. At present the stretch is provided with flexible pavement.

Accordingly, estimate amounting to Rs. 118.58 crore has been submitted by the State PWD to the Ministry of Road Transport and Highways in September, 2009. For estimates costing more than Rs. 100 crore, clearance of the Economic Finance Committee (EFC) of the Ministry is necessary. The Ministry had sought clarification as per the observation noted by the Member of the Planning Commission in the minutes of the EFC conducted on 7th September, 2010. The para wise compliance has been submitted to the Ministry during 2010. The fresh EFC meeting is yet to be convened by the Ministry of Road Transport and Highways. Several representations have also been made by the State Government for early approval to the estimate. However, the repair and maintenance works of

* Not recorded

this Shirdi Ghat stretch has been started under Flood Damage Repair (FDR) grants of 2010-11. The reach will be made traffic worthy, but it will survive only during the rainy reason.

So, I would like to urge upon the Union Minister for Road Transport to take immediate necessary action to sanction the estimated cost of Rs. 118.58 crore which is pending since last two years for the work of improvement of Shiradi Ghat stretch from Sakleshpura to Gundya so as to complete the work before the rainy season.

SHRI RAJAIAH SIRICILLA (WARANGAL): Mr. Chairman, Sir thank you very much for giving me this opportunity.

I rise today to bring to the notice of this august House regarding establishment and upgradation of airport at Warangal in Andhra Pradesh.

Sir, not only me but the entire august House will appreciate that the air traffic is increasing day-by-day. Time has become an important component of the day. The management has become compulsory and it has become important to manage the time. This is because of growth in business, industries and other IT areas.

I also appreciate the UPA Government under the dynamic leadership of the UPA Chairperson Shrimati Sonia Gandhi for looking to the establishment of new airports in the country.

In this connection, I would like to say that Warangal is the fourth biggest town in Andhra Pradesh and the second biggest town in the Telangana Region of Andhra Pradesh. Warangal district is the headquarters of the Kakatiya dynasty. It has several tourist destinations, temples, lakes, forts and wildlife sanctuaries. It has become the business hub of Telangana. Several educational institutions are there. They are giving admissions not only to Indians but also to the NRIs.

Previously, there was an Airport in Warangal. The Vayudoot services were in operation in the year 1977. Later, it was closed.

There is 775 acres of land in addition to certain infrastructure facility which is available at Warangal. In addition to this, the Government is now asking us to

acquire another 420 acres of land. My point is that there was an airport at Begumpet. It was an International Airport. It got only 750 acres of land to cater to the needs of the international airport. In Warangal, when there is 775 acres of land, why are they insisting further acquisition of land? The responsibility of acquiring land lies with the State Government. The State Government is suffering from paucity of funds.

Therefore, I would request the august House as also the Ministry of Civil Aviation to re-examine the issue and initiate steps for the establishment of an airport at Warangal so that the longstanding need, which is pending for a long time, of Warangal is fulfilled.

श्री भरत राम मेघवाल (श्रीगंगानगर): सभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ जिले के पांच गांवों मोटेर, धाधूसर, बांगासर, बन्नासर व धीरजदेसर गावों की 43 हजार, 399 बीघा 17 बिसवा भूमि जो 17 वर्ष पूर्व वायु सेना के उपयोग के लिए अधिगृहीत की गयी थी के फलस्वरूप 15 सौ परिवारों का एक मात्र साधन कृषि द्वारा जीवन यापन हो रहा था, छिन गया।

मैं मानता हूं कि देश की रक्षा के लिए सेनाओं की आवश्यकतानुसार सरकार को साधन जुटाना आवश्यक है परंतु इससे किसानों को हुई क्षति की पूर्ति भारत सरकार के संबंधित विभाग की जिम्मेदारी भी है। पिछले 17 वर्षों में संबंधित अधिकारियों द्वारा अनेकों बैठकें की गयीं परंतु मुआवजे की राशि आज तक भी तय नहीं हो पायी। संबंधित किसान जिनकी भूमि अधिकृत की गयी थी वे सभी आज भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं।

इस विषय की चर्चा प्रिंट मीडिया में समय-समय पर होती रही है परंतु भारत सरकार में, विशेषकर रक्षा मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों का इस ओर ध्यान कभी नहीं गया।

आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि उक्त विषय पर संवेदनशील होकर विचार करे तथा शीघ्र मुआवजे का निर्धारण कर किसानों को अविलम्ब भुगतान कराया जाये ताकि बेबस, कमजोर किसान मुआवजे की राशि पाकर अन्य कारोबार कर अपना जीवन-यापन कर सकें।

इस मांग को किसानों का हक मानते हुए तथा मानवीयता को ध्यान में रखकर शीघ्रतिशीघ्र इसका निदान करने की आवश्यकता है।

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): Mr. Chairman, Sir, I thank you for allowing me to raise a matter of urgent public importance relating to construction of Jetty and Fish Landing Centre at Mukkam village in Bhogapuram Mandal and at Tipplevalasa village in Pusapatirega Mandal of Vizianagaram District and also in Rallapeta village in Etcherla Mandal in Srikakulam District which falls under my Vizianagaram Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh.

Sir, through this House, I would like to bring to the kind attention of the Government that the State Government has sent the proposal to the Ministry of Agriculture and Cooperation for approval. There is a long coastline of 70 kms. in my Parliamentary Constituency only in Vizianagaram District. There are 20 Fish Landing Centres and 19 marine fishermen villages only in Vizianagaram District. The annual fish production is about 1,50,000 million tonnes and 1,100 million tonnes of prawn are caught by fishermen in these areas. There are about 25,000 marine based fishermen eking out their livelihood from fishery and fishing in this District.

There are about 12,000 traditional fishing crafts and 300 motoring crafts operating from the beaches of the 20 Fish Landing Centres in Vizianagaram District. Mukkam village in Bhogapuram Mandal is the largest Fish Landing Centre in this area. The fishermen of this village own about 200 mechanised fishing vessels, but operating from Visakhapatnam Fishing Harbour as there is no berthing and mooring facility in the coast line of Vizianagaram District. About 3,000 active fishermen migrated temporarily to work as *lascars* on the mechanized boats operating from Visakhapatnam and other States.

I would like to point out that as there is no fishing Jetty between Visakhapatnam and Paradeep in Orissa, the fishermen are losing their valuable lives during cyclones and natural calamities. If the Government constructs small Jetties in between these two major Harbours, the lives of fishermen and their

properties could be saved as they can take shelter in these small Fishing Jetties during vulnerable weather conditions.

In view of this, I urge upon the Ministry of Agriculture to sanction the proposal sent by the Government of Andhra Pradesh for establishing a Fishing Jetty at Mukkam village in Bhogapuram Mandal and Fish Landing Centres at Tipplevalasa village in Pusapatirega Mandal of Vizianagaram District and Fishing Jetty and Fish Landing Centres at Rallapeta in Etcherla Mandal of Srikakulam District. This will help in the development of these backward areas.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात कहने का मौका दिया है। देश के पत्रकारों और गैर पत्रकारों के वेतन के पुनर्निर्धारण के लिए जस्टिस मजीथिया की अध्यक्षता में वर्ष 2007 में वेज बोर्ड बना था जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को वर्ष 2010 को सौंप दी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लगभग तीन महीने उस रिपोर्ट को सौंपे हुए हो गए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। प्रिंट मीडिया, पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ समझे जाते हैं। देश में बहुत महंगाई है, इसलिए मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों से पत्रकार वर्ग के वेतन के निर्धारण में कोई इजाफा नहीं हुआ है। इस बीच में सारे वर्गों के अधिकारियों का वेतन पुनः निर्धारित हुआ, वेतन बढ़े लेकिन पत्रकार वर्ग का वेतन नहीं बढ़ सका। वेज बोर्ड ने सरकार को रिपोर्ट दे दी है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि सरकार उस रिपोर्ट को लागू करे और लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ समझा जाने वाले पत्रकार वर्ग की तरफ देखे, उनकी दुर्दशा को समझे। वे घोर महंगाई में अपने जीवनस्तर में किसी तरह कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, उनका वेतन बढ़ना चाहिए ताकि वे अपना काम ठीकठाक कर सकें।

सभापति महोदय : उन्होंने प्रदर्शन भी किया है।

डॉ. किरीट पी. सोलंकी।

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): महोदय, पश्चिमी देशों की आयातित अपसंस्कृति का भारत की वर्तमान पीढ़ी पर दुष्प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपका आभारी हूं। सबने गत वर्षों में देश में सांस्कृतिक रुझान बदलते देखा है। हम आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक प्रभाव के उतार चढ़ाव के साक्षी हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन चमकीले परिवर्तनों के प्रभावों के बीच हम कुछ खोते जा रहे हैं, जिसे बचाना और बनाए रखना देश के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। आज हमारे देश की युवा पीढ़ी पश्चिमी देशों की विकृत संस्कृति तथा भोग विलास की जीवन शैली से प्रभावित है, इसका असर देश में घटने वाले विभिन्न अपराधों में देखा जा सकता है। पश्चिमी सांस्कृतिक आंधी के चलते भारत के सामाजिक मूल्यों का तेजी से ह्रास हो रहा है। यह पीढ़ी आत्मकेंद्रित तथा संवेदना शून्य होती जा रही है, यह खतरनाक संकेत है। टेलीविजन तथा फिल्मों में परोसे जाने वाली अधिकांश सामग्री हमारे अपरिपक्व युवाओं पर विपरीत असर डाल रही है। अनावश्यक पश्चिमी प्रभाव वाले विज्ञापन पीढ़ी को भटका रहे हैं तथा युवाओं में शराब, तम्बाकू, गुटका एवं ड्रग्स की प्रवृत्ति बढ़ रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं सरकार को ऐसे तमाम कार्यक्रमों पर रोक लगानी चाहिए जिनके प्रदर्शन का प्रभाव युवा पीढ़ी को सही दिशा से भटका रहा है। आज देश में चारों ओर अपराध, हत्या, ब्लात्कार, वृद्धों की हत्या, छोटे बच्चे-बच्चियों से दुष्कर्म जैसी जघन्य घटनाएं घट रही हैं, यह राष्ट्र के सामने गंभीर चिंता का विषय है। हम आखिर वर्तमान दौर में नौजवानों और बच्चों को कौन सा स्वप्न और भविष्य प्रदान कर रहे हैं?

श्री के.सी.सिंह 'बाबा' (नैनीताल-उधमसिंह नगर): महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। Sir, I would like to request the hon. Minister to include the State of Uttrakhand in the Special Area Games Plan, like North-Eastern States, Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir. Uttrakhand, being in the same Himalayan region, has been left out of the Special Area Games Plan. Having national and international champions in games like Boxing, Taekwondo, Karate, Kick-Boxing, Power Lifting, Weight Lifting, Badminton, Wrestling, Football, Hockey, Table Tennis, we do not have the sports infrastructure.

We need the sports infrastructure like other Himalayan States. Until we are not included in the SAGP, we will not get 90 per cent aid from the Central Government for development of the infrastructure and our new State of Uttrakhand will be left behind in the field of sports.

Once again, Sir, I urge upon the Central Government to include Uttarakhand State in the List of Special Area Games Plan.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश में गोमांस से बने उत्पादों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। अपने देश में गोमांस का आयात तथा निर्यात पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सूचना के अधिकार के तहत विदेश व्यापार के उप महानिदेशक द्वारा 11 मार्च, 2011 को उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार "As per the policy, import of beef in any form and import of products containing beef in any form is prohibited. This is stipulated under Condition No.3 of Chapter 1A of ITC (HS) Classification of Export and Import Items." ऐसा इसलिए है क्योंकि देश के बहुसंख्य समाज के लिए गाय परम्परा से पूज्य है। हमारे देश की सांस्कृतिक पहचान में गाय का अतिविशिष्ट स्थान है। सभी देशवासी बहुसंख्य समाज की इस आस्था का स्वाभाविक रूप से सम्मान करते हैं। परंतु मैं अत्यंत दुख के साथ सदन को सूचित कर रहा हूं कि उपरोक्त आस्था का अपमान तथा शासन की नीति का उल्लंघन करते हुए ऐसी खाद्य वस्तुओं का उपयोग देश में हो रहा है जिनमें गोमांस का उपयोग किया गया है। इन्डोनेशिया की कम्पनी पीटी यूपी इंडो जेली गम द्वारा उत्पादित गम्मी पिजा नामक उत्पाद मेरे संज्ञान में आया है जिसके उत्पाद विवरण में बीफ गिलेटिन उपयोग किए जाने का उल्लेख है। इसे खाकर लोग विशेषकर बालक अनजाने ही गोमांस भक्षण के दोषी बन रहे हैं। यह अत्यंत गंभीर विषय है अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार के उत्पादों का आयात कैसे संभव हुआ, इसकी जांच कराई जाए तथा लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): महोदय, आज पूरे देश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर परिवहन के मामले में कोई सुविधा है तो वह ट्रेन है। ट्रेन तो चलाई जा रही हैं लेकिन माननीय सांसदगण, क्षेत्रीय नागरिक आए दिन कभी धरना, प्रदर्शन करके या ट्रैक जाम करके ठहराव की मांग करते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र अकबरपुर में उत्तर मध्य रेलवे के कानपुर, इटावा खंड के मेथापुरा स्टेशन के मध्य में ब्लाक खटवाई रोशनमऊ किलोमीटर नं. 1053 में पैसेंजर ट्रेन के ठहराव के लिए में लंबे समय से कई बार हजारों

नागरिकों ने ट्रैक जाम करके मांग की है। यह स्टेशन रोशनमऊ के नाम पर बना है लेकिन रोशनमऊ की जगह सात किलोमीटर आगे ट्रेन रुकती है। इसी तरह एक महीने पहले इसी सत्र में मेरे द्वारा मांग किए जाने के बाद माननीय रेल मंत्री जी ने कानपुर से चित्रकूट धाम एक सवारी गाड़ी आम जनता के लिए चलाई है। राम पर आस्था रखने वाले लोग प्रत्येक अमावस्या और आए दिन चित्रकूट जाते हैं। इस ट्रेन का कानपुर से चलने के बाद मेरे क्षेत्र घाटमपुर इसके बाद हमीरपुर रोड जो बलीपुर के नाम से जाता है, ठहराव हो रहा था, मुझे नहीं पता कि किन कारणों से हमीरपुर रोड में जो ठहराव हो रहा था आज के दिन से समाप्त कर दिया गया है। लोग आक्रोषित हैं, धरना कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दोनों स्टेशनों पर पैसेंजर ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित करें। इसके अलावा चित्रकूट धाम एक्सप्रेस का कठारा और मेरे गांव, जहां से चुनकर आया हूं, पटारा स्टेशन है, वहां ठहराव सुनिश्चित किया जाए।

20.00 hrs

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर जिला जनपद बलिया और देवरिया स्थित हैं। जब देश में जो तीन जनपद सबसे पहले आजाद हुए थे, उनमें से एक बलिया जनपद है। बलिया जनपद में मंगलपांडे जैसा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी था। घाघरा, राप्ती, छोटी गंडक और गंगा का दोआबा भी बलिया में है। इतिहास में ऐसा साक्ष्य कम ही मिलेगा कि रामचंद्र प्रजापति, जो कक्षा आठ का छात्र था, आजादी के आंदोलन में अंग्रेजी हुकूमत का झंडा मजिस्ट्रेट की कोर्ट से उतारते समय उसके सीने में सीधे गोली लगी थी। उसी देवरिया जनपद को काटकर कुशीनगर जनपद बना, जो बीआरजीएफ स्कीम में है। गोरखपुर कमिश्नरी बीआरजीएफ स्कीम में है, महाराजगंज भी बीआरजीएफ स्कीम में है। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जनपद देवरिया और बलिया में शिक्षा का स्तर बहुत ही खराब है, सड़कों का स्तर बहुत खराब है, स्वास्थ्य संसाधनों का स्तर बहुत ही खराब है और दोआबा के नाते प्रति वर्ष बाढ़ के समय में हजारों लोग नदी के कटान से खेती और घरों से बेघर होते हैं। जब गर्मी के महीने में झोंपड़ियों में आग लगती है तो वहां हजारों लोगों के घर जलते हैं, परंतु उनका नाम बीपीएल सूची में नहीं है, इसलिए उनके आवास नहीं बन सकते हैं।

महोदय, केवल इतनी ही बात नहीं है, देवरिया जनपद में 27 नक्सलाइट गांव हैं, ठीक उसी तरह से जनपद बलिया में 52 नक्सलाइट गांव हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आप बीआरजीएफ स्कीम में जितने भी जनपदों को लायें हैं, अगर देवरिया और बलिया जनपद उन मानकों को पूरा नहीं करते तो मैं मांग नहीं करता। लेकिन सभापति जी आप तो गणित के विद्वान हैं, यदि आपके लिए यह कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। अब आप ही गणित लगाइये कि इस सरकार को इन दोनों

जनपदों को बीआरजीएफ स्कीम में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। यही मेरी सरकार से मांग है। धन्यवाद।

श्री रामकिशुन (चन्दौली): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि रेलवे लाइनों के किनारे जो गांव और कस्बे बसे हुए हैं, वहां आने-जाने का रास्ता न होने से काफी गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। वहां आये दिन जान-माल को खतरा पैदा हो रहा है या उसकी क्षति भी हो रही है। जनपद वाराणसी के अंतर्गत फुलवरिया मानसनगर कालोनी है। वहां अब तक दो वर्षों में आधे दर्जन लोगों की जानें चली गई हैं। फुलवरिया गेट नं.-4 एवं गेट नं.-5 के बीच कोई रास्ता नहीं है। वहां रेलवे की खाली जमीन पड़ी है, लेकिन उससे होकर रास्ता नहीं है। लोग रेलवे लाइन को सीधे क्रास करके आते-जाते हैं। जिसके परिणामस्वरूप अब तक आधा दर्जन लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसी तरह से चन्दौली जनपद के कई ऐसे कस्बे हैं, जो रेलवे लाइनों किनारे बसे हैं और देश भर में बहुत से ऐसे कस्बे और गांव हैं जो दो-दो, तीन-तीन रेलवे लाइनों के बीच बसे हुए हैं। हमारी फुलवरिया मानसनगर कालोनी की स्थिति भी ऐसी ही है कि वहां दो तरफ रेलवे लाइन, एक तरफ से कैन्टोनमैन्ट बोर्ड की छावनी और एक तरफ वरुणा नदी पड़ती है। उस क्षेत्र की आबादी लगभग 20-25 हजार है। वहां के लोगों के लिए आने-जाने का रास्ता रेलवे पटरियों के किनारों को छोड़कर और कोई नहीं है। परंतु रेलवे विभाग उस रास्ते को भी अवरुद्ध करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने आंशिक रूप से पूरे रास्ते को बंद करने का प्रयास किया है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार की रेल मंत्री महोदया से मांग करता हूं कि मानसनगर की आबादी में बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी बसे हुए हैं। उनके आने-जाने का रेलवे लाइन के किनारे से जो रास्ता था, उसे चालू कराया जाए और उनके आने-जाने के लिए फुलवरिया गेट नं-4 और 5 के बीच में पैदल आने-जाने के लिए एक ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए, यही हमारी सरकार से मांग है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री रतन सिंह (भरतपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर राजस्थान का पूर्वी सिंहद्वार है एवं राज्य का संभागीय मुख्यालय है। इस संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर जिले सम्मिलित हैं। भरतपुर आगरा से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। भरतपुर संभाग में ब्रज चौरासी कोस, मथुरा, वृन्दावन एवं गोकुल का सामीप्य विद्यमान है। नेशनल केवलादेव पक्षी अभयारण्य, भरतपुर, राष्ट्रीय बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर, विश्व प्रसिद्ध रणथम्भौर श्री गणेश जी का मंदिर, जिला करौली में स्थित कैलादेवी माता जी का शक्तिपीठ और श्री मदनमोहन जी का मंदिर भी इसी

संभाग में सम्मिलित हैं। धौलपुर, भरतपुर एवं करौली के सफ़ेद व लाल सैंडस्टोन पूरे विश्व में निर्माण कार्य के लिए यहाँ से बहुतायत में भेजे जाते हैं। इसी पत्थर से संसद भवन एवं दिल्ली की अन्य महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण करवाया गया है। भरतपुर दिल्ली से लगभग सौ किमी की दूरी पर बसा हुआ है। इस सम्भाग में चारों जिलों की आबादी लगभग अस्सी लाख है। इस प्रगतिशील युग में ब्रज-मेवात क्षेत्र के युवा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय एचआरडी मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना करना चाहता हूँ। मेरा सादर निवेदन है कि उपरोक्त सभी तथ्यों का अवलोकन करते हुए भरतपुर जिले में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश पारित कर अनुग्रहीत करें। इसके लिए हम सब आपके बहुत आभारी रहेंगे।

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Mr. Chairman Sir, the Duars area of North Bengal is an area of tea gardens which were set up by the Britishers. The labourers were brought from Bihar's Ranchi district. These people are tribal people and their mother tongue is Hindi. But the language which is used in the schools of North Bengal is Bengali. Though this is a state subject as it is concerned with education, yet I want to raise this issue in Parliament because it is an important matter. There are certain Hindi medium schools in the region but more such schools and colleges need to be opened. Hindi is the national language. There are many committees which are trying to spread and propagate Hindi. My request, through you sir, to the Hon. Minister of Education would be to help the people learn Hindi by opening Hindi Medium schools. Along with that, let me point out that some Nepali-speaking people also stay in that region who had come from Nepal. But there is dearth of Nepali teachers in schools. So I would like to draw the kind attention of the Government to this issue and urge upon the Minister to appoint Nepali teachers.

Thirdly, that area is partly forested. Not only tribals but people of other communities also are inhabitants of those forests but the facilities are enjoyed only by the tribal population. They have been staying there for hundreds of years. So these people are deprived of the Government's welfare measures and discontentment is growing among then. My humble submission to the Government is that these forest dwellers should be taken care of and some laws must to be amended for this purpose so that they do not feel disconnected from the mainstream. I also want to mention that the Duars region is a backward area and the people are very underdeveloped. So I urge upon the Government to announce a special package for this place.

With these words, I thank you for allowing me to speak in the Zero Hours.

---

* English translation of the speech originally delivered in Bengali

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर): माननीय सभापति महोदय, केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, जिसका नाम जेएनएनआरयूएम है, शहरों के विकास के लिए चल रही है। इस योजना का उद्देश्य तो निश्चित तौर पर बेहतर है कि इस योजना से शहरों का विकास होगा।

माननीय सभापति महोदय, आप बिहार से हैं और हम उत्तर प्रदेश से हैं। मुझे इस योजना में एक खामी दिखती है। इस योजना के तहत पाँच लाख के ऊपर की आबादी वाले शहरों को चयनित करने की बात रखी गई है। माननीय मंत्री सलमान खुर्शीद जी यहाँ बैठे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांशतः जिलों की आबादी पाँच लाख से कम है। पूरे देश में भी पाँच लाख की जनसंख्या वाले शहरों की संख्या ज्यादा है। उनकी जरूरतें भी ज्यादा हैं क्योंकि वे शहर अधिकांशतः अव्यवस्थित बसे हुए हैं। जब आप इतनी महत्वाकांक्षी योजना लागू कर रहे हैं तो इन शहरों को खास तौर से उस योजना में चयनित करना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से केंद्र सरकार से माँग है कि पाँच लाख से नीचे की आबादी वाले शहरों को इसमें सम्मिलित किया जाए। क्योंकि बार-बार यह बात उठती है कि विस्थापन के बाद लोग पलायन करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। छोटे शहरों से लोग जाते हैं। कम से कम जो विस्थापन होता है, उसे रोकने में हम लोग कामयाब होंगे। छोटे शहरों का विकास भी हम व्यवस्थित कर पायेंगे और जो छोटे और बड़े शहरों का असंतुलन है, उसे भी हम लोगों को चैक करने में आसानी होगी। वर्तमान योजना में भी एक खामी है,यह योजना जिन-जिन शहरों में चल रही है, जहां ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वहां ज्यादा पैसा दे रहे हैं लेकिन जहां रेवेन्यू कम आ रहा है, वहां कम पैसा जाने से असंतुलन बढ़ेगा। सरकार जो योजना बनाये, वह बेहतर तरीके से बनाये, ताकि असंतुलन न बढ़ें। छोटे और बड़े शहरों के बीच में असंतुलन न बढ़े, यह देश हित में रहेगा।

डॉ. प्रभा किशोर ताविआड (दाहोद): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपको धन्यवाद। मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहती हूं कि हर जिले में तीन महीने में लीड बैंक की मीटिग चलती है,उसमें असैस्मैंट करते हैं। लोगों के रिप्रेजेंटेशन में केवल एक एम.पी. होता है, बाकी सब बैंक मैनेजर और जिले के आफिसर्स होते हैं। हम लोग आवाज उठाते हैं कि जब तीन महीने में मीटिंग बुलाते हैं They are arranging the meeting on such dates when we are busy in the Parliament Session. This way, we cannot attend that meeting. हमने बार बार रिप्रेजेंटेशन दिया है कि आप इस तरह मीटिंग रखिये कि हम अपनी कांस्टीट्वंसी में अवेलेबल हैं। सरकार को इस बारे में स्ट्रिक्ट होना चाहिये। Sir, MPs' presence is a must in each and every lead bank's quarterly meeting.

सभापति महोदय : सदन की कार्यवाही कल 25 मार्च, 2011 के 1100 बजे तक स्थगित की जाती है।

20.12 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the
Clock on Friday, March 25, 2011/Chaitra 4, 1933 (Saka)